भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

2020-2021

गहरा खनन
उच्च उद्देश्य

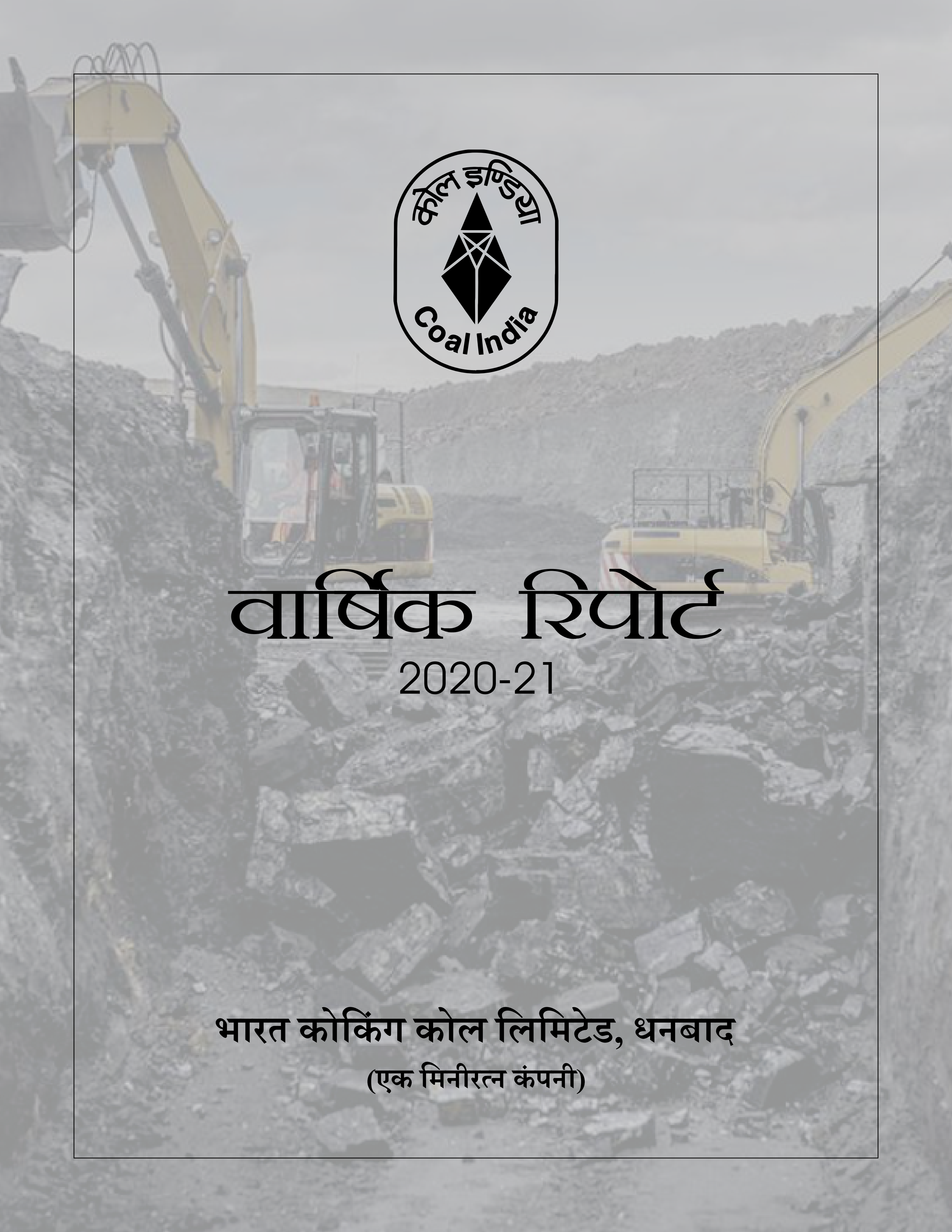

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनीरत्न कंपनी)

विषय

005 संकल्पना और लक्ष्य

006 सूचना

008 वर्ष के दौरान प्रबंधन

009 बैंकर एवं लेखा परीक्षक

011 निदेशक मंडल

012 अध्यक्ष का संदेश

015 संचालन आंकड़े

026 निदेशकगण का प्रतिवेदन

123 सीएसआर प्रतिवेदन

136 कारपोरेट गवर्नेंस पर अनुसंधान एवं विकास तथा रिपोर्ट

142 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

150 मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र

156 अनुसंधान औक विकास तथा निगम संचालन पर रिपोर्ट

203 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

205 सचिवीय लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

209 सेबी का विनियमन - 33

211 तुलन-पत्र (बैलेंस शीट)

213 लाभ-हानि लेखा

215 नकदी एवं नकदी तुल्य के प्रवाह का विवरण

217 इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

219 कॉरपोरेट सूचना निगम की जानकारी

220 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

242 तुलन-पत्र पर टिप्पणियां

267 लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियां

279 लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियां

हमारी संकल्पना

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की संकल्पना है – खदान से बाजार तक सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के माध्यम से सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध संगठन और संस्कृति के साथ देश की आवश्यकता पूर्ति के लिए कच्चे कोकिंग कोयले का उत्पादन करना।

हमारा लक्ष्य

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का लक्ष्य है – सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता प्रदान करते हुए दक्षतापूर्ण और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकूल योजनाबद्ध परिमाण में कोयले का उत्पादन करना।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग)
BHARAT COKING COAL LIMITED
(A Mini Ratna Company)
(A Subsidiary of Coal India Ltd.)
(www.bcclweb.in)

पंजी. कार्यालय: कोयला भवन कोयला नगर
धनबाद: 826005
Regd. Off: Koyla Bhawan, Koyla Nagar
Dhanbad – 826005
CIN: U10101JH1972GOI000918
दूरभाष :**0326-2230190**
ई-मेल : cos.bccl@coalindia.in

बोर्ड सचिवालय / Board Secretariat

संदर्भ सं.: बीसीसीएल:सीएस:एफ-एजीएम/2021/145 **दिनांक:02.08.2021**

सूचना

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के शेयरधारकों को एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यों के संपादन हेतु भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 50 वीं वार्षिक आम बैठक इसके पंजीकृत कार्यालय, कोयला भवन, डाकघर, कोयला नगर, धनबाद में बुधवार 4 अगस्त, 2021 को पूर्वाह्न 10.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से होगी:

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2021 को अंकेक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि विवरणी सहित 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ ही उस पर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखापरीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की प्राप्ति, विवेचन एवं ग्रहण करने हेतु।

2. **श्री बिनय दयाल**, डीआइएन सं. 07367625, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के तहत पारी (रोटेशन) समाप्त के कारण सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने हेतु। योग्य होने के कारण उनकी स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव है।

3. **श्री समीरन दत्ता**, डीआइएन सं. 08519303 जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के तहत पारी (रोटेशन) समाप्त होने के कारण सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने हेतु। योग्य होने के कारण उनकी स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव है।

विशेष कार्य:

मद सं. 4.

विचारार्थ प्रस्तुत और यदि उचित हो तो निम्नलिखित संकल्पों को संशोधनों सहित या बिना संशोधन के सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु:

संकल्पित किया गया कि कंपनी (लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के प्रावधानों (किसी भी अन्य वैधानिक संशोधन/ संशोधनों या उस समय प्रभावी पुन: अधिनियमित होने सहित), वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (कुल शुल्क के 50% तक सीमित जेब खर्च को छोड़कर) ₹ 20,85,000.00 (रुपये बीस लाख पचासी हजार रुपए मात्र) और करों का अतिरिक्त भुगतान किया जाना है, जैसा कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 26.09.2020 के परिपत्र संकल्प संख्या 1/2020 द्वारा अनुमोदित किया गया है और तदन्तर 20.10.2020 को आयोजित बीसीसीएल निदेशक मंडल की 370वीं बोर्ड बैठक में मद संख्या 370.2ए के तहत नोट और एतदद्वारा अनुसमर्थित किया गया है।

सूचना अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के लिए व्याख्यात्मक विवरण

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत आवश्यक है, निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण संलग्न सूचना, दिनांक 02.08.2021 के मद संख्या 4 के तहत उल्लिखित व्यवसाय से संबंधित सभी महत्पवूर्ण (सारवान) तथ्यों को निर्धारित करते है।

मद सं. 4.

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148 के तहत बोर्ड द्वारा नियुक्त लागत लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक की संपुष्टि।

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए परिपत्र संकल्प संख्या 1/2020 दिनांक 26.09.2020 के माध्यम से कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी और बाद में 20.10.2020 को आयोजित 370 वीं बोर्ड बैठक में मद संख्या 370.2 ए के तहत दर्ज किया गया। बोर्ड ने कंपनी (लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक (कुल शुल्क के 50% तक सीमा तक खर्च को छोड़कर) को भी मंजूरी दी, लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को बाद में शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थित करने की आवश्यकता होगी।

निदेशक मंडल ने कंपनी के शेयर धारकों द्वारा संपुष्टि के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुमोदित कर दिया।

कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, कंपनी में उनके द्वारा रखे गए शेयरों की सीमा को छोड़कर उक्त संकल्प से संबंधित नहीं हैं या रुचि (वित्तीय या अन्यथा) नहीं रखते।

बोर्ड के आदेशानुसार

(श्री बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
कोयला भवन, पो. कोयला नगर, जिला - धनबाद
दिनांक: 02.08.2021

1. वर्तमान में देश में फैली हुई महामारी कोविद-19 के कारण उत्पन्न हुई असाधारण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 108 के प्रावधानों, इसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम के नियम 18 और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रमश: जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020 सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाए (उस समय प्रभावी किसी भी सांविधिक आशोधन या पुनर्धिनियमन सहित) और अन्य लागू नियमों व विनियमों के अनुसार शेयर धारक, निदेशक और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सचिवालयीन लेखा परीक्षक समेत लेखा परीक्षक बैठक में भाग लेने और/या मतदान करने के हकदार होंगे। वे cos.bccl@coalindia.in पर ईमेल करके बैठक में विचारार्थ मुद्दों पर अपनी सहमति और असहमति भेजने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य आडियो विजुअल माध्यम (ओवीएएम) से भी बैठक में भाग ले और/या मतदान कर सकते हैं । सदस्यों द्वारा स्थानापन्न को नियुक्त करने की सुविधा नही दी जाएगी। यद्यपि, कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ओवीएएम के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। लिंक कंपनी की अधिकृत मेल आईडी से काफी पहले प्रदान किया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के लिए लिंक निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खोल दिया जाएगा और इसके लिए निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद कर दिया।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के प्रावधानों के तहत शेयर धारकों से यह आग्रह किया जाता है कि वे वार्षिक आम बैठक बुलाने हेतु अपनी सहमति यथाशीघ्र प्रदान करें।

प्रतिलिपि:-

i. बीसीसीएल के समस्त निदेशकगण
ii. मैसर्स एनसी बनर्जी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, वैधानिक लेखा परीक्षक
iii. मैसर्स जेके दास एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, सचिवीय लेखा परीक्षक
iv. मैसर्स संजीबन एंड कंपनी, लागत लेखा परीक्षक

वर्ष 2020-21 दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री पी. एम. प्रसाद	:	(01.02.2021 से निरंतर)
श्री गोपाल सिंह	:	(01.09.2020 से 31.01.2021 तक)
श्री पी. एम. प्रसाद	:	(02.08.2019 से 01.09.2020 तक)

पूर्ण कालिक निदेशक

श्री आर. एस. महापात्र	:	कार्मिक (22.12.2017 से 31.05.2020)
श्री राकेश कुमार	:	तकनीकी (12.03.2019 से 31.03.2021)
श्री समीरन दत्ता	:	वित्त (18.07.2019 से निरंतर)
श्री चंचल गोस्वामी	:	तकनीकी (04.11.2019 से निरंतर)
श्री पी.वी.के.आर. मल्लिकार्जुन राव	:	कार्मिक (01.06.2020 से निरंतर)

अंशकालिक निदेशक

श्री बिनय दयाल	:	निदेशक (तक.), सीआइएल, कोलकाता (09.11.2017 से निरंतर)
श्री बी. पी. पति	:	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, सरकार द्वारा नामित (03.10.2018 से निरंतर)

स्वतंत्र निदेशक

श्री नरेंद्र सिंह	:	(10.07.2019 से निरंतर)
श्री के. एस. खोबरागड़े	:	(10.07.2019 से 05.09.2020)

बैंकर एवं लेखा परीक्षक

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
कैनरा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूको बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
बैंक ऑफ बड़ौदा
एक्सिस बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
इंडियन बैंक
कोटक महिन्द्रा बैंक

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एन. सी. बनर्जी एंड कं.
सनदी लेखापाल, बोकारो

शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स सुशील कुमार शर्मा एण्ड कं.
मैसर्स वी रोहतगी एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट, रांची
मैसर्स आर के जी एस एल वी एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट धनबाद
मैसर्स दास एंड प्रसाद
चार्टर्ड अकाउंटेंट, धनबाद
मैसर्स के. एल. बनर्जी एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट, धनबाद
मैसर्स दत्ता पी. कुमार एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट, गिरीडीह
मैसर्स आर के जे एस एण्ड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट, धनबाद
मैसर्स केडिया अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट, गिरीडीह

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स एस जे के दास एंड एसोसिएट्स, कोलकाता
कंपनी सचिव

आतंरिक लेखाकार

मैसर्स गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता
मैसर्स डी.एन. डोकानिया एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, धनबाद
मैसर्स आरकेपी एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, सिलचर
मैसर्स एम सी भंडारी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता
मैसर्स केएएसजी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, धनबाद
मैसर्स एच.पी. झुनझुनवाला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता
मैसर्स एस के मलिक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता
मैसर्स डीबीके एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 24 परगना (एस)
मैसर्स वीके जिंदल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, रांची
मैसर्स डी चक्रवर्ती एंड सेन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता
मैसर्स प्रणब घोष एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, हुगली
मैसर्स के बी डी एस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, दिल्ली
मैसर्स जीजीएम एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता
मैसर्स एस ए आर सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

लागत लेखा परीक्षक

मैसर्स संजीवन एंड कंपनी, धनबाद
मैसर्स तिलक खरे एंड कंपनी, लखनऊ
मैसर्स एस शेखर एंड कंपनी, दिल्ली

02 अगस्त 2021 को प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री पी. एम. प्रसाद

पूर्णकालिक निदेशक

श्री समीरन दत्ता
निदेशक (वित्त)

श्री चंचल गोस्वामी
निदेशक (तकनीकी)

श्री जयप्रकाश गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)

श्री पी. वी. के. आर. मल्लिकार्जुन राव
निदेशक (कार्मिक)

अंशकालिक निदेशक

श्री बिनय दयाल
निदेशक (तकनीकी), सीआईएल, कोलकाता

श्री बी. पी. पति
संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, सरकार द्वारा नामित

स्वतंत्र निदेशक

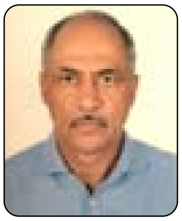

श्री नरेंद्र सिंह

कंपनी सचिव

श्री बी. के. पारुई

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

प्रिय मित्रो,

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 50वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। वर्ष 2020-21 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, अंकेक्षित लेखा को सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट, सचिवीय अंकेक्षक और भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट व समीक्षा के साथ आपको पहले ही उपलब्ध करायी जा चुकी है। आपकी अनुमति से मैं इनका वाचन करता हूँ।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण कंपनी को अपने उत्पादन व लाभप्रदता संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कंपनी ने प्रेषण को बढ़ाने के लिए विपणन व विक्रय के क्षेत्र में बहुत से रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रेषण में कमी से कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई जिससे हितधारकों के नियमित भुगतान पर प्रभाव पड़ा। आप सब के सतत प्रयास और सहयोग से कंपनी वित्तीय असफलता से बच सकी।

1. वर्ष 2020-21 में बीसीसीएल के कार्य प्रदर्शन अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2020-21 में आपकी कंपनी कोयला उत्पादन में लक्ष्य 37.13 मिलियन टन की तुलना में 24.66 मिलियन टन और ऑफटेक में लक्ष्य 37.13 मिलियन टन की तुलना में 23.13 मिलियन टन कर सकी। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का कुल टर्नओवर पिछले वर्ष के ₹ 8967.56 करोड़ की तुलना ₹ 6149.81 करोड़ रहा। विक्रय में अत्यधिक कमी से कंपनी के वित्तीय स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी पिछले वर्षों के समान लाभप्रदता की स्थिति को बनाए नहीं रख सकी। कंपनी को वर्ष 2019-20 में हुए ₹ 991.12 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में ₹ 1577.06 करोड़ (कर पूर्व हानि) की कुल हानि हुई है।

2. परियोजना की रूपरेखा

आप जानते हैं कि कोयला मंत्रालय द्वारा बीसीसीएल को परिचालन हेतु 4 नए कोल ब्लॉक आबंटित किए गए थे, लेकिन चारों में से कोई भी ब्लॉक आर्थिक रूप से व्यवहार्य न होने के कारण इन सभी चारों ब्लॉकों अर्थात धुलिया नार्थ, मिर्जागांव, पीरपैंती बरहाट और मंदार पर्वत को कोयला मंत्रालय को वापस करने का प्रस्ताव दिया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी पहले ही दो कोल ब्लॉकों धूलिया नार्थ व मिर्जागांव को वापस कर चुकी है और दो अन्य कोल ब्लॉकों को वापस करने के लिए कोयला मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

जैसा कि आप जानते हैं कि बीसीसीएल ने नई वाशरियाँ का निर्माण कर कोयला धुलने की अपनी क्षमता बढ़ाने की योजना बनाया था और इस दिशा में 1.6 एमटीपीए दहीबाड़ी वाशरी का वर्ष 2018 से वाणिज्यिक प्रयोग शुरू हो चुका है एवं 5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी का इस वर्ष से वाणिज्यिक प्रयोग शुरू हो गया है। अन्य 4 वाशरी निर्माण की विभिन्न अवस्था में हैं।

3. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय क्षेत्र में उपलब्धियां

पूरे विश्व में प्रदूषण बढ़ रहा है और एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते, आपकी कंपनी पर्यावरण के दीर्घकालीन संधारणीयता के लिए सुरक्षा व संरक्षा के साथ उत्पादन पर विशेष ध्यान देती रही है। कामकाजी माहौल में स्फूर्त परिवर्तन होने के कारण, परिवर्तन की जरूरतों को अंगीकार करने के लिए पर्यावरणीय नीति में आवधिक आधार पर परिवर्तन किया जाता है।

आपकी कंपनी खनन की जा चुकी विकृत भूमि और ओवरबर्डेन डंपों पर प्राकृतिक वन संबंधी संस्थानों के साथ इको-पार्क विकसित कर रही है और खनन उद्योग में बीसीसीएल इको-पार्क स्थापित करने में अग्रणी है। इसी वर्ष के दौरान श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा श्री प्रहलाद जोशी, माननीय संसदीय मामले, कोयला एवं खान मंत्री, श्री अनिल कुमार जैन, सचिव (कोयला) और श्री प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिनांक 23.07.2000 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कतरास क्षेत्र के एकेडब्ल्युएमसी में ओबी डंप पर बने 3.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल बने पारसनाथ उद्यान-इको पार्क का शुभारंभ किया गया।

4. सुरक्षा उपाय

वर्ष 2020-21 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में मामूली कमी आई है और कर्मियों, मशीन व खदान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुरक्षात्मक उपाय जैसे संविधि के प्रावधानों के अनुसार पर्यवेक्षण, प्रबंधन, खनन गतिविधियों पर नियंत्रण व निर्देश सुनिश्चित किए गए हैं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय की अपेक्षाओं के अनुसार सुरक्षा समिति और कामगारों द्वारा खदानों का निरीक्षण किया गया है। कंपनी के सुरक्षा निष्पादन का आकलन नियमित तौर पर निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

5. उत्पाद और सेवा गुणवत्ता

बीसीसीएल सदा से ही निर्धारित ग्रेड के अनुरूप कोयला प्रदान करने के लिए ग्राहकों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के प्रति प्रयत्नशील रहा है। इसे पूरा करने हेतु उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई उचित मांग होने पर भी कोयला प्रेषण के सभी माध्यमों में तृतीय पक्ष सैंपलिंग को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। कंपनी भर में कोयले के ग्रेड को एकसमान बनाए रखने के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया को भी लागू किया गया है।

6. निगम संचालन (कॉरपोरेट गवर्नेन्स)

कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्च स्तर के मानक को बनाए रखने की प्रतिबद्धता और कॉरपोरेट कानूनों व डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के क्रम में, दिशानिर्देशों के अनुरूप निरंतर प्रयास किए जाते हैं और निदेशक मंडल को भी नियमित अंतराल पर कंपनी पर लागू विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में अवगत कराया जाता है। निदेशकों की रिपोर्ट में कॉरपोरेट गवर्नेन्स पर एक विशेष भाग दिया गया है। बोर्ड की वैसी सभी उप समितियां जिन्हें विशेष भूमिकाएं दी गई हैं, वे नियमित रूप से बैठकें करती हैं तथा बोर्ड को अपनी प्रति पुष्टि से अवगत करा रही हैं और बोर्ड को आवश्यक सहायता भी दे रही हैं। बीसीसीएल अपनी कार्यप्रणाली में कॉरपोरेट गवर्नेन्स से संबंधित सर्वश्रेष्ठ विधियों को लागू करने का प्रयत्न कर रही है। और अधिक पारदर्शिता लाने व बेहतर अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार सचिवीय अंकेक्षण किया जा रहा है।

7. पुनरुद्धार और पुनर्वास

बीसीसीएल ने वर्ष 2009 से कंपनी के पट्टा धारित क्षेत्र में आग, भूधंसान और पुनर्वास के लिए झरिया मास्टर प्लान लागू किया है। अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बीसीसीएल कर्मियों की शिफ्टिंग के लिए कंपनी द्वारा गैर कोयला धारित क्षेत्रों में 7714 घर बनाए गए हैं और अग्नि व भूधंसान वाले क्षेत्रों से 4186 परिवारों को इन घरों में शिफ्ट किया गया है। बीसीसीएल कर्मियों के पुनरुद्धार व पुनर्वास के लिए 7852 घर अपेक्षित हैं और अन्य 8000घरों को अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले गैर बीसीसीएल परिवारों के पुनर्वास के लिए जेआरडीए को सौंपा जाएगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) ने वर्ष 2021-21 में आग की स्थिति का एक नया सर्वेक्षण किया है और अक्तूबर, 2020 में सौंपी गयी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2017 में 34 सक्रिय अग्नि स्थलों के बजाए अब 27 स्थानों पर ही आग है।

8. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बीसीसीएल न केवल कोयले का उत्पादन करता है बल्कि एक प्रतिबद्ध कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में समाज की सेवा करता है, खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना कंपनी का मूलमंत्र है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित संकट की घड़ी में कंपनी अपने सीएसआर फंड के कोष से निरंतर सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए धनबाद तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने सभी संसाधनों का प्रयोग कर रही है इस महामारी से निपटने के लिए, केंद्रीय चिकित्सालय बीसीसीएल-धनबाद की जीवन रेखा को अप्रैल, 2020 से कोविड की पहली लहर के समय से ही पूर्ण सुविधायुक्त कोविड अस्पताल में बदल दिया गया और यह दूसरी लहर में भी जारी रहा। और जैसा कि तीसरी लहर की भी आशंका है, इससे बेहतर ढंग से निपटने के लिए अधिक संख्या में चिकित्सकों व पैरामेडिकल कर्मियों का प्रावधान, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रावधान जैसी बेहतर सुविधाओं से इसे सुसज्जित किया जा रहा है। चिकित्सकों, नर्सों और कंपनी से जुड़े हुए सभी लोग जिन्होने अपनी अथक रूप से सर्वश्रेष्ठ सेवाएँ दीं समेत सभी फ्रंटलाइन कामगार अपनी सराहनीय सेवा के लिए विशेष प्रशंसा के पात्र हैं।

9. अपेक्षा

पिछले वर्ष से कोरोना महामारी के उद्धव से जब पूरा विश्व एक अप्रत्याशित संकट का सामना कर रहा है, ऐसे में हमारी कंपनी का यह प्रयास रहा है कि अपने सभी उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से प्रभावित लोगों तक अधिकतम संभव मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया जाए। हमें विश्वास है कि संगठित रूप से हम बहुत जल्द ही इस संकट से निजात पा लेंगे और आपकी कंपनी ने पूर्व में ऐसे अनेक संकटों का सामना किया है और कभी आशा नहीं छोड़ी और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी कंपनी सभी विषम परिस्थितियों से लड़कर निश्चय ही इस संकट से बाहर आएगी।

10. आभार

मैं बीसीसीएल के निदेशक मंडल की ओर से विभिन्न हमारे सभी हितधारकों जैसे कोयला मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों,विभागों, कोल इंडिया लिमिटेड, विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के प्राधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों, यूनियनों, हमारे मूल्यवान उपभोक्ताओं ,आपूर्तिकर्ताओं को उनके निरंतर मार्गदर्शन, समय पर समर्थन और सहयोग के लिए उनकी सराहना करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

मैं कंपनी के फ्रंटलाइन वर्करों जैसे कि डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के प्रति पूरी ईमानदारी से कृतज्ञता और सराहना करता हूं जिन्होंने अपने स्वयं के जीवन को खतरे में डालते हुए महामारी में प्रभावित लोगों का इलाज करने के लिए अपने स्तर पर सर्वोत्तम कार्य किया। मैं अन्य सभी कर्मचारियों, ठेकेदारों और संविदात्मक कर्मचारियों और उनके परिवारों को उनकी प्रतिबद्धता के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं जिन्होने कोयला उत्पादन की गतिविधियों को निर्बाध रूप से बनाए रखने में उस समय कड़ी मेहनत और अथक प्रयास तब किए जब हमारे राष्ट्र की अधिकांश गतिविधियां बंद थीं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्य के प्रति आपके प्रयासों समर्पण और लगन से कंपनी आने वाले वर्षों में बहुत बेहतर करेगी और अपने सभी हितधारकों की अपेक्षा को पूरा करने में एक सक्रिय भागीदार होगी । यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संपूर्ण संकट काल के दौरान बोर्ड के मेरे साथी सदस्य अपनी प्रतिबद्धता के प्रति सचेत रहे हैं और इसके लिए मैं पूरी यात्रा में उनके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ।

(पी. एम. प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

परिचालन आंकड़े

(₹' करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
1. (अ) कच्चे कोयला का उत्पादन : (मिलियन टन)										
भूमिगत	0.61	1.04	0.9	1.08	1.68	1.81	2.03	2.7	3.153	3.485
खुली खदान	24.05	26.69	30.14	31.53	35.36	34.05	32.48	29.91	28.058	26.72
कुल	**24.66**	**27.73**	**31.04**	**32.61**	**37.04**	**35.86**	**34.51**	**32.61**	**31.211**	**30.203**
(ब) मलवा हटाई (ओबीआर) (मिलियन घन मी.)	**103.84**	**82.65**	**103.25**	110.5	131.22	148.59	103.9	85.419	84.259	81.361
2. उठाव (कच्चा कोयला) (मिलियन टन)										
बिजली	17.12	23.63	27.24	27.52	27.49	28.99	27.43	27.07	25.34	21.37
इस्पात	1.03	0.66	2.5	2.81	4.25	3.5	2.69	3.44	3.86	4.13
सीमेंट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खाद (फर्टिलाइजर)	0.94	0.98	0.92	0.86	1.1	1.03	0.96	1.12	1.12	1.06
कोलियरी में खपत	0	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05	0.06	0.08	0.08	0.09
अन्य	**4.03**	3.48	2.39	2.15	2.03	2.63	2.52	2.68	2.68	3.47
कुल	**23.12**	**28.76**	**33.07**	**33.36**	34.92	36.2	33.66	33.04	33.08	30.12
3. औसत श्रमशक्ति	**42287**	**44722**	**47383**	**49,947**	52,409	54,861	57,506	60329	63,291	66,409
4. उत्पादकता										
(क) औसत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष (टन)	546.74	620.05	655.09	652.89	706.75	653.65	600.11	540.54	493.13	454.8
(ख) प्रति मैनशिफ्ट उत्पादन (ओएमएस)										
(i) भूमिगत (टन)	0.16	0.32	0.25	0.23	0.25	0.25	0.26	0.31	0.35	0.36
(ii) ओपनकास्ट (टन)	5.93	6.11	6.75	7.05	8.99	8.52	8.34	9.38	7.57	6.57
(iii) कुल मिलाकर (टन)	**3.13**	3.62	3.87	3.56	3.46	3.2	2.96	2.64	2.45	2.2
5. सूचना - लागत रिपोर्ट के अनुसार										
(i) प्रति मैन शिफ्ट आय (₹)	4673.9	4609.9	4551.1	3979.74	3411	3002.1	2844.9	2628.7	2400.22	1960.5
(ii) शुद्ध बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन की औसत लागत (प्रति टन)	3092.64	2987.9	2604.9	2773.89	2136.7	2054.1	1955.32	1906	2014.89	2003.2
(iii) शुद्ध बिक्री योग्य कोयला के उत्पादन का औसत विक्रय मूल (प्रति टन)	2404.3	2998.4	2636.4	2176.14	2171.8	2354.3	2272.07	2383.1	2475.68	2127.5
(iv) लाभ प्रति टन ( ) लक्ष्य	37.65	350.49	-162.1	-93.65	20.33	257.88	333.26	338.27	416.74	
(v) लाभ प्रति टन ( ) वास्तविक	-643.08	246.18	223.04	-610.15	-62.22	300.23	316.75	334.46	640.6	

वित्तीय स्थिति

(बीसीसीएल के क्षेत्रों / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

(₹' करोड़ में)

(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

परिचालन सांख्यिकी

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 पुनर्व्यक्त
(क) जो स्वामित्व में है						
सकल पीपीई	3161.95	2551.68	2459.85	2153.47	2007.83	1913.17
घटाएं: मूल्यह्रास और हानि	1277.09	1131.35	1025.98	796.65	490.87	229.14
(1) शुद्ध पीपीई	**1884.86**	**1420.33**	**1433.87**	**1356.82**	**1516.96**	**1684.03**
(ख) जारी पूंजीगत कार्य	1389.92	1702.26	1542.92	1403.17	1138.98	785.75
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ	417.88	645.16	552.26	563.44	-	-
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
(ङ) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
(च) निवेश संपत्ति						
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(i) निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii) ऋण	-	0.07	0.15	0.27	0.50	0.77
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	528.13	706.72	389.96	297.78	303.40	197.00
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	971.44	573.35	549.14	856.46	387.10	285.15
(झ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	926.12	516.80	501.72	132.08	149.47	128.60
कुल गैर-वर्तमान संपत्ति (क)	**6118.35**	**5564.69**	**4970.02**	**4610.02**	**3496.41**	**3081.30**
वर्तमान परिसंपत्तियाँ						
(क) सूची (इन्वेंटरी)						
(i) कोयले, कोक आदि की सूची	1126.84	630.50	709.83	968.47	1226.98	828.60
(ii) भंडार और पुर्जों की सूची	54.97	63.11	58.05	53.6 9	53.07	50.05
(iii) अन्य सूची (इन्वेंटरी)	6.07	7.16	6.21	6.6 3	9.42	9.54
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(i) निवेश	-	4.00	26.40	0.77	45.99	71.90
(ii) व्यापार प्राप्य	3004.8	2414.72	613.72	1459.92	2636.38	2637.66
(iii) नकद और नकद समकक्ष	48.67	34.30	86.49	192.89	37.87	569.69
(iv) अन्य बैंक शेष	126.99	1423.31	2015.02	900.00	1283.69	1107.73
(v) ऋण	-	-	-	-	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	280.38	400.84	412.63	387.82	85.98	77.40
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	122.72	32.83	12.61	41.61	46.59	20.53
(ख) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	2112.88	1800.94	1802.60	1355.73	1059.04	744.10
कुल वर्तमान संपत्ति (ख)	**6884.32**	**6811.71**	**5743.56**	**5307.21**	**6485.01**	**6117.20**

(₹' करोड़ में)

(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 पुनर्व्यक्त
वर्तमान देयताएँ						
(क) वित्तीय देयताएँ						
(i) उधारियां	2052.08	583.07	-	-	-	-
(ii) व्यापार देय	1208.53	1635.45	1666.59	1343.86	983.61	877.90
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	1506.05	771.68	773.42	833.45	970.23	580.96
(ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	2093.06	2238.49	2795.20	2019.67	1675.22	1711.83
(ग) प्रावधान	880.09	979.44	960.86	1757.68	1663.55	1370.38
कुल वर्तमान देयताएँ (ग)	**7739.81**	**6208.13**	**6196.07**	**5954.66**	**5292.61**	**4541.07**
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (7-8)	**-855.49**	**603.58**	**-452.51**	**-587.13**	**1192.40**	**1576.13**
कुल (क)	**5262.86**	**6168.27**	**4517.51**	**4022.89**	**4688.81**	**4657.43**
(ख) जो बकाया है						
(क) वित्तीय देयताएँ						
(i) उधारियां	-	-	2350.92	2176.78	2015.54	1866.24
(ii) व्यापार देय	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय दायित्व	90.25	88.45	82.27	65.83	63.15	38.44
(ख) प्रावधान	2080.18	1777.15	1026.30	1146.70	683.04	690.84
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ	3.62	5.01	5.70	4.88	0.96	-
कुल (ख)	**2174.05**	**1870.61**	**3465.19**	**3394.19**	**2762.69**	**2595.52**
कुल मूल्य (नेट वर्थ) (क - ख)	**3088.81**	**4297.66**	**1052.32**	**628.70**	**1926.12**	**2061.91**
निम्नलिखित के द्वारा निरूपित						
1. इक्विटी पूंजी	4657	4657.00	2118.00	2118.00	2118.00	2118.00
2. अधिमानी शेयर पूंजी का इक्विटी भाग	-	-	1057.52	1057.52	1057.52	1057.52
3. रिजर्व और अधिशेष	-1568.19	-359.34	-2123.20	-2546.82	-1249.40	-1113.61
कुल मूल्य (नेट वर्थ)	3088.81	**4297.66**	**1052.32**	**628.70**	**1926.12**	**2061.91**
नियोजित पूंजी	1029.37	**2023.91**	**981.36**	**769.69**	**2709.36**	**3260.16**

आय और व्यय विवरणी

(बीसीसीएल के क्षेत्रों / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

परिचालन सांख्यिकी

(₹' करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 पुनर्व्यक्त
(क) से अर्जित:						
1. सकल बिक्री	8521.62	12224.47	12899.98	10493.56	11505.53	11001.01
घटाएं: लेवी	2371.81	3256.91	3522.30	3193.77	2883.17	1936.13
कुल बिक्री	6149.81	8967.56	9377.68	7299.79	8622.36	9064.88
2. अन्य परिचालन राजस्व						
(क) निकासी सुविधा शुल्क	112.86	143.28	167.95	51.19	0.00	0.00
(ख) रेत के भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सहायता	-	-	-0.82	0.43	2.03	3.74
(ग) परिवहन और लोडिंग लागत की वसूली	304.62	315.17	330.07	252.66	225.36	230.87
	417.48	458.45	497.20	304.28	227.39	234.61
संचालन से राजस्व (1 + 2)	**6567.29**	**9426.01**	**9874.88**	**7604.07**	**8849.75**	**9299.49**
3. अन्य आय						
(क) जमा आदि पर ब्याज	56.87	159.24	153.18	137.78	140.47	181.91
(ख) अन्य गैर-परिचालन आय	133.92	381.62	194.07	310.31	174.74	84.05
(ग) म्यूचुअल फंड से लाभांश पर ब्याज	-	4.13	25.63	6.71	7.17	3.32
कुल (क)	**6758.08**	**9971.00**	**10247.76**	**8058.87**	**9172.13**	**9568.77**
(ख) के लिए भुगतान किया / के लिए प्रदत्त:						
1. कर्मचारियों को लाभ और पारिश्रमिक (क + ख + ग + घ + ङ)	**5565.72**	**5761.35**	**5866.95**	**6417.58**	**5143.94**	**4602.90**
(क) वेतन, मजदूरी भत्ते, बोनस आदि	4164.10	4155.12	4183.93	4338.09	3361.17	3343.58
(ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान	648.13	647.57	784.26	495.60	394.74	394.13
(ग) ग्रेच्युटी	226.72	240.04	390.23	1264.19	191.89	157.35
(घ) अवकाश नकदीकरण	86.09	220.24	163.61	40.21	223.92	101.78
(ङ) अन्य	440.68	498.38	344.92	279.49	972.22	606.06
2. स्टॉक में (वृद्धि) / कमी	-463.45	79.48	258.35	134.00	-397.74	-76.13
3. उत्पाद शुल्क	-	-	-	148.11	582.58	572.40
4. सीएसआर खर्च	6.12	6.01	1.43	2.74	11.45	50.67
5. खपत सामग्रियों की लागत	475.09	397.15	517.78	499.84	559.81	591.20
6. बिजली और ईंधन	225.42	233.72	232.18	283.54	294.51	320.70
7. मरम्मत	138.76	201.49	224.49	250.82	277.84	239.46
8. संविदागत व्यय	1476.37	1211.50	1312.57	1292.86	1491.93	1532.69
9. वित्त लागत	121.69	221.83	200.66	189.84	173.50	163.17
10. मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि	213.86	197.53	248.52	276.03	262.80	221.38
11. प्रावधान	32.60	-35.11	38.92	169.15	251.31	38.98
12. बट्टे खाते में	0.00	1.07	0.85	-	6.04	137.72
13. स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	-193.17	49.72	100.64	-148.41	-121.95	-150.39
14. अन्य खर्च	736.13	654.14	687.37	668.02	899.19	718.34
कुल (ख)	**8335.14**	**8979.88**	**9690.71**	**10184.12**	**9435.21**	**8963.09**
कर से पहले लाभ / हानि (क - ख)	**-1577.06**	**991.12**	**557.05**	**-2125.25**	**-263.08**	**605.68**
कर व्यय	-374.58	72.44	268.28	-734.03	-93.10	-3.39
अवधि के लिए लाभ / हानि (ग)	**-1202.48**	**918.68**	**288.77**	**-1391.22**	**-169.98**	**609.07**
अन्य व्यापक आय	-8.51	-308.64	134.85	135.74	32.88	65.38
ओसीआई पर कर	-2.14	-96.30	0.00	41.94	11.38	22.62
कुल अन्य व्यापक आय (घ)	**-6.37**	**-212.34**	**134.85**	**93.80**	**21.50**	**42.76**
कुल व्यापक आय (ग + घ)	**-1208.85**	**706.34**	**423.62**	**-1297.42**	**-148.48**	**651.83**

(₹' करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 पुनर्व्यक्त
पिछले वर्षों से संचित हानि	-359.34	-2123.20	-2546.82	-1249.40	-1100.92	-1752.75
बैलेंस शीट को हस्तांतरित संचयी लाभ / हानि	-1568.19	-359.34	-2123.20	-2546.82	-1249.40	-1100.92
(क) परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित						
1. (i) इक्विटी शेयरों की संख्या	21180000.00	21180000.00	21180000.00	21180000.00	21180000.00	21180000.00
(ii) शेयरधारकों का निधि						
क) इक्विटी शेयर पूंजी	4657.00	4657.00	2118.00	2118.00	2118.00	2118.00
ख) अधिमानी शेयर पूंजी का इक्विटी अंश	0.00	0.00	1057.52	1057.52	1057.52	1057.52
ग) रिजर्व						
घ) संचित लाभ / हानि	-1568.19	-359.34	-2123.20	-2546.82	-1249.40	-1100.92
कुल मूल्य (नेट वर्थ)	3088.81	4297.66	1052.32	628.70	1926.12	2074.60
2. दीर्घकालिक उधार	0.00	0.00	2350.92	2176.78	2015.54	1866.24
3. नियोजित पूंजी	1029.37	2023.91	981.36	769.69	2709.36	3260.16
4. (i) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ	1884.86	1420.33	1433.87	1356.82	1516.96	1684.03
(ii) वर्तमान परिसंपत्तियाँ	6884.32	6811.71	5743.56	5367.53	6485.01	6117.20
(iii) शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (डब्लयू / सी)	-855.49	603.58	-452.51	-587.13	1192.40	1576.13
5. वर्तमान देयताएँ	7739.81	6208.13	6196.07	5954.66	5292.61	4541.07
6. क) विविध देनदार (शुद्ध)	3004.80	2414.72	613.72	1459.92	2636.38	2637.66
ख) नकद और नकद समकक्ष	48.67	34.30	86.49	192.89	37.87	569.69
ग) अन्य बैंक बैलेंस	126.99	1423.31	2015.02	900.00	1283.69	1107.73
7. निम्नलिखित का अंतिम स्टॉक:						
क) स्टोर और पुर्जे (शुद्ध)	54.97	63.11	58.05	53.69	53.07	50.05
ख) कोयला, कोक आदि (शुद्ध)	1126.84	630.50	709.83	968.47	1226.98	828.60
8. स्टोर और पुर्जो का औसत स्टॉक (शुद्ध)	59.04	60.58	55.87	53.38	51.56	52.01
(ख) लाभ / हानि से संबंधित						
1. क) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	-1241.51	1410.48	1006.23	-1659.38	173.22	990.23
ख) सकल लाभ	-1455.37	1212.95	757.71	-1935.41	-89.58	768.85
ग) शुद्ध लाभ (कर से पहले)	-1577.06	991.12	557.05	-2125.25	-263.08	605.68
घ) शुद्ध लाभ (कर के बाद)	-1202.48	918.68	288.77	-1391.22	-169.98	609.07
ङ) टीसीआई (कर से पहले)	-1585.57	682.48	691.90	-1989.51	-230.20	671.06
च) टीसीआई (कर के बाद)	-1208.85	706.34	423.62	-1297.42	-148.48	651.83
2. क) सकल बिक्री	8521.62	12224.47	12899.98	10493.56	11505.53	11001.01
ख) शुद्ध बिक्री (लेवी के बाद)	6149.81	8967.56	9377.68	7299.79	8622.36	9064.88
ग) उत्पादन का बिक्री मूल्य	6646.15	8888.23	9119.04	7041.28	9020.74	9138.95
3. सामान की बिक्री (बिक्री - लाभ)	7726.87	7976.44	8820.63	9425.04	8885.44	8459.20
4. क) कुल व्यय	8335.14	8979.88	9690.71	10184.12	9435.21	8963.09
ख) वेतन और मजदूरी	5565.72	5761.35	5866.95	6417.58	5143.94	4602.90
ग) स्टोर और पुर्जे	475.09	397.15	517.78	499.84	559.81	591.20
घ) बिजली और ईंधन	225.42	233.72	232.18	283.54	294.51	320.70
ङ) वित्त लागत और मूल्यह्रास	335.55	419.36	449.18	465.87	436.30	384.55
5. प्रति माह सामग्रियों की औसत खपत	39.59	33.10	43.15	41.65	46.65	49.27
6. क) वर्ष के दौरान कार्यरत औसत श्रमशक्ति	42287.00	44722.00	47383.00	49947.00	52409.00	54861.00
ख) सामाजिक उपरिव्यय (एलटीसी / एलएलटीसीसहित)	-	-	-	-	-	-
ग) प्रति कर्मचारी सामाजिक उपरिव्यय खर्च						
7. क) वर्धित मूल्य						
ख) प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य						

(₹' करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 पुनर्व्यक्त
(क) लाभप्रदता अनुपात						
1) शुद्ध बिक्री के % के रूप में						
क) सकल मार्जिन	-20.19	15.73	10.73	-22.73	2.01	10.92
ख) सकल लाभ	-23.67	13.53	8.08	-26.51	-1.04	8.48
ग) शुद्ध लाभ	-25.64	11.05	5.94	-29.11	-3.05	6.68
2) कुल व्यय के % के रूप में						
क) वेतन और मजदूरी	66.77	62.61	60.54	63.02	54.52	51.35
ख) स्टोर और पुर्जे	5.70	4.42	5.34	4.91	5.93	6.60
ग) बिजली और ईंधन	2.70	2.60	2.40	2.78	3.12	3.58
घ) वित्त लागत और मूल्यहास	4.03	4.67	4.64	4.57	4.62	4.29
3) नियोजित पूंजी के % के रूप में						
क) सकल मार्जिन	-120.61	69.69	102.53	-215.59	6.39	30.37
ख) सकल लाभ	-141.38	59.93	77.21	-251.45	-3.31	23.58
ग) कर से पहले लाभ	-153.21	48.97	56.76	-276.12	-9.71	18.58
4) परिचालन अनुपात (बिक्री-लाभ / बिक्री)	1.26	0.89	0.94	1.29	1.03	0.93
(ख) तरलता अनुपात						
1) वर्तमान अनुपात	0.89	1.10	0.93	0.90	1.23	1.35
2) त्वरित अनुपात	0.74	0.98	0.80	0.73	0.98	1.15
(ग) टर्नओवर अनुपात						
1) कैपिटल टर्नओवर अनुपात (शुद्ध बिक्री / नियोजित पूंजी)	5.97	4.43	9.56	9.48	3.18	2.78
2) महीनों की संख्या के रूप में विविध देनदार						
क) सकल बिक्री	4.23	2.37	0.57	1.67	2.75	2.88
ख) शुद्ध बिक्री	5.86	3.23	0.79	2.40	3.67	3.49
3) शुद्ध बिक्री के अनुपात के रूप में						
क) विविध देनदार	0.49	0.27	0.07	0.20	0.31	0.29
ख) कोयले का स्टॉक	0.18	0.07	0.08	0.13	0.14	0.09
4) भंडार और पुर्जो का स्टॉक						
क) औसत / वार्षिक खपत	0.12	0.15	0.11	0.11	0.09	0.09
ख) खपत के महीनों की संख्या के संदर्भ में अंतिम स्टॉक	1.39	1.91	1.35	1.29	1.14	1.02
5) कोयला, कोक, धुला हुआ कोयला आदि का स्टॉक						
क) उत्पादन के महीनों के मूल्य के रूप में	2.03	0.85	0.93	1.65	1.63	1.09
ख) महीनों की संख्या के रूप में बेचे गए माल की लागत	1.75	0.95	0.97	1.23	1.66	1.18
ग) महीनों की संख्या के रूप में शुद्ध बिक्री	2.20	0.84	0.91	1.59	1.71	1.10
(घ) संरचनात्मक अनुपात						
क) ऋण : इक्विटी	-	0.00	1.11	1.03	0.95	0.88
ख) ऋण : नेट वर्थ	-	0.00	2.23	3.46	1.05	0.90
ग) नेट वर्थ : इक्विटी	0.66	0.92	0.50	0.30	0.91	0.98
घ) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ : नेट वर्थ	0.61	0.33	1.36	2.16	0.79	0.81

वित्तीय स्थिति

(बीसीसीएल के क्षेत्रों / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

(₹' करोड़ में)
(संशोधित अनुसूची के अनुसार)

परिचालन सांख्यिकी

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
(क) जो स्वामित्व में है					
सकल अचल परिसंपतियाँ	5221.04	4919.78	4796.21	4598.8	4568.29
घटाएं: मूल्यह्रास और हानि	3724.46	3599.27	3414.62	3240.05	3132.35
(1) शुद्ध अचल परिसंपतियाँ	**1496.58**	**1320.51**	**1381.59**	**1358.75**	**1435.94**
(2) पूँजीगत जारी कार्य	785.61	768.71	503.85	227.1	166.92
(3) विलंबित कर परिसंपत्तियाँ	285.15	113.91	-	-	-
(4) गैर-वर्तमान निवेश	-	-	13.85	27.71	41.57
(5) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	130.66	134.15	56.5	41.74	39.82
(6) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	246.7	114.43	-	0	0.87
(7) वर्तमान परिसंपत्तियाँ					
(i) (क) कोयले, कोक आदि की सूची	828.6	754.53	618.75	757.05	946.79
(ख) भंडार और पुर्जो आदि की सूची	49.33	53.97	63.68	74.02	93.85
(ग) अन्य सूची (इन्वेंटरी)	9.55	7.21	6.24	6	3.77
(ii) व्यापार प्राप्य	2638.05	1600.6	1570.15	1372.05	951.72
(iii) नकद और बैंक शेष	1,680.42	2578.34	2287.72	2394.13	2102.86
(iv) वर्तमान निवेश	71.9	13.86	13.86	13.86	13.86
(v) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	559.18	878	810.72	502.15	237.04
(vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	448.09	314.48	375.43	315.72	180.07
कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ (7)	**6285.12**	**6200.99**	**5746.55**	**5434.98**	**4,529.96**
(8) कम वर्तमान देयताएं और प्रावधान					
(क) अल्पावधि उधार	-	649.64	481.59	1098.7	2,500.23
(ख) व्यापार देय	94.2	80.79	65.57	88.93	127.74
(ग) अन्य वर्तमान देनदारियाँ	3,098.53	2371.67	2452.9	2222.97	2,478.23
(घ) लघु अवधि के प्रावधान	1,556.69	1722.76	1461.26	1252.79	971.43
कुल वर्तमान देयताएं (8)	**4749.42**	**4824.86**	**4461.32**	**4663.39**	**6077.63**
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (7-8)	1535.70	1376.13	1285.23	771.59	(1547.67)
कुल (क)	**4480.40**	**3827.84**	**3241.02**	**2426.89**	**137.45**
(ख) जो बकाया है					
(1) दीर्घकालिक उधार	-	-	-	-	1083.3
(2) विलंबित कर उत्तरदायित्व					
(3) अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ	19.42	10.55	8.98	7.35	7.67
(4) दीर्घकालिक प्रावधान	570.85	687.59	966.72	1868.57	2533.31
कुल (ख)	**590.27**	**698.14**	**975.70**	**1875.92**	**3624.28**
कुल मूल्य (नेट वर्थ) (क - ख)	**3890.13**	**3129.70**	**2265.32**	**550.97**	**(3486.83)**
निम्नलिखित के द्वारा निरूपित					
1. इक्विटी पूंजी	2118.00	2118.00	2118.00	2118.00	2118.00
2. अधिमानी शेयर पूंजी	2539.00	2539.00	2539.00	2539.00	-
3. रिजर्व और अधिशेष	(766.87)	(1527.30)	(2391.68)	(4106.03)	(5604.83)
कुल मूल्य (नेट वर्थ)	**3890.13**	**3129.70**	**2265.32**	**550.97**	**(3486.83)**
नियोजित पूंजी	**3032.28**	**2696.64**	**2666.82**	**2130.34**	**(111.73)**

आय और व्यय विवरणी

(बीसीसीएल के क्षेत्रों/ इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

परिचालन सांख्यिकी

(₹' करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
(क) से अर्जित:					
1. सकल बिक्री	11001.01	9947.01	10099.92	10176.62	8583.87
घटाएं: लेवी (उत्पाद शुल्क और अन्य शुल्क)	2495.48	1905.28	1811.93	1722.02	1303.39
शुद्ध बिक्री	8505.53	8041.73	8287.99	8454.60	7280.48
2. अन्य परिचालन राजस्व					
(ग) बालू भराई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सहायता	3.74	2.38	3.86		
(घ) परिवहन और लदाई लागत की वसूली	217.82	215.93	183.46		
	221.56	**218.31**	**187.32**		
परिचालनों से राजस्व (1 + 2)	**8727.09**	**8260.04**	**8475.31**		
3. अन्य आय					
(क) जमा आदि पर ब्याज	172.01	233.62	223.46	232.04	138.22
(ख) आरबीआई पावर बॉन्ड पर ब्याज	0.88	2.06	3.24	4.42	5.60
(ग) बालू भराई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सहायता+B2	-	-	-	4.86	8.03
(घ) परिवहन और लदाई लागत की वसूली	-	-	-	154.49	156.90
(ङ) अन्य गैर-परिचालन आय	70.39	113.12	592.79	87.00	225.40
(च) म्यूचुअल फंड से लाभांश पर ब्याज	2.44	-			
कुल (क)	**8972.81**	**8608.84**	**9294.80**	**8937.41**	**7814.63**
(ख) के लिए भुगतान किया / के लिए प्रदत्त:					
1. कर्मचारियों को लाभ और पारिश्रमिक (क + ख + ग + घ + ङ)	**4524.63**	**4593.93**	**4410.83**	**4465.65**	**4211.01**
(क) वेतन, मजदूरी भत्ते, बोनस आदि	3343.78	3311.12	3271.73	3006.42	2650.72
(ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान	393.40	383.31	380.72	361.60	275.82
(ग) ग्रेच्युटी	91.97	165.28	115.36	344.63	823.35
(घ) अवकाश नकदीकरण	101.78	138.42	112.76	182.36	99.89
(ङ) अन्य	593.70	595.80	530.26	570.64	361.23
2. स्टॉक में वृद्धि / कमी	(76.12)	(136.48)	138.25	189.74	79.31
3. कल्याण व्यय	0.00	0.00	0.00	33.38	164.47
4. सीएसआर खर्च	50.67	14.33	20.00	-	-
5. खपत सामग्रियों की लागत	592.06	580.15	564.08	497.66	467.85
6. बिजली और ईंधन	333.59	319.45	312.03	317.14	314.80
7. मरम्मत	239.46	195.71	173.30	126.28	80.51
8. संविदागत व्यय	1532.68	1031.48	815.27	747.08	665.47
9. वित्त लागत	4.07	3.42	30.22	18.97	22.84

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
10. मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि	208.85	212.98	261.14	209.98	201.35
11. प्रावधान एवं बट्टे खाते में डालना	209.15	78.75	30.03	124.01	235.66
12. आबीआर समायोजन	(150.39)	(25.03)	(99.03)	(15.38)	47.72
13. अन्य खर्च	718.33	585.93	553.17	509.99	503.15
14. पूर्व अवधि समायोजन / अपवादात्मक मदें / असाधारण मदें	2.07	-	(3.50)	3.85	(1.87)
कुल (ख)	**8189.05**	**7454.62**	**7205.79**	**7228.35**	**6992.27**
वर्ष के लिए लाभ / हानि (क - ख)	**783.76**	**1154.22**	**2089.01**	**1709.06**	**822.36**
कर व्यय	15.56	391.08	374.66	210.26	-
शुद्ध लाभ	**768.20**	**763.14**	**1714.35**	**1498.80**	**822.36**
पिछले वर्षों से संचित हानि	(1535.07)	(2290.44)	(4106.03)	(5604.83)	(6427.19)
बैलेंस शीट को हस्तांतरित संचयी लाभ / हानि	(766.87)	(1527.30)	(2391.68)	(4106.03)	(5604.83)

*** 2014-15 में पिछले वर्ष से संचित घाटा, क्रमशः ₹ 140.99 करोड़ के आस्छगित कर और ₹ (-) 39.75 करोड़ के अवमूल्यन के समायोजन के बाद है।**

(क) परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित					
1. (i) इक्विटी शेयरों की संख्या	21180000	21180000	21180000	21180000	21180000
(ii) अधिमानी शेयरों की संख्या	25390000	25390000	25390000	25390000	-
(iii) शेयरधारकों की निधि					
क) इक्विटी शेयर कैपिटल	2118.00	2118.00	2118.00	2118.00	2118.00
ख) अधिमानी शेयर पूंजी	2539.00	2539.00	2539.00	2539.00	-
ग) रिजर्व					
घ) संचित लाभ / हानि	(766.87)	(1527.30)	(2391.68)	(4106.03)	(5604.83)
कुल मूल्य (नेट वर्थ)	3890.13	3129.70	2265.32	550.97	(3486.83)
2. दीर्घकालिक उधार	-	-	-	-	1083.30
3. नियोजित पूंजी	3032.28	2696.64	2666.82	2130.34	(111.73)
4. (i) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ	1496.58	1320.51	1381.59	1358.75	1435.94
(ii) वर्तमान परिसंपत्तियाँ	6285.12	6200.99	5746.55	5434.98	4529.96
(iii) शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (डब्लयू / सी)	1535.70	1376.13	1285.23	771.59	(1547.67)
5. वर्तमान देयताएँ	4749.42	4824.86	4461.32	4663.39	6077.63
6. क) विविध देनदार (शुद्ध)	2638.05	1600.60	1570.15	1372.05	951.72
ख) नकदी और बैंक	1680.42	2578.34	2287.72	2394.13	2102.86
7. निम्नलिखित का अंतिम स्टॉक:					
क) स्टोर और पुर्जो (शुद्ध)	49.33	53.97	63.68	74.02	93.85
ख) कोयला, कोक आदि (शुद्ध)	828.60	754.53	618.75	757.05	946.79
8. स्टोर और पुर्जों का औसत स्टॉक (शुद्ध)	51.65	58.83	68.85	83.94	89.99

(₹' करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
(ख) लाभ / हानि से संबंधित					
1. क) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	996.68	1370.62	2380.37	1938.01	1046.55
ख) सकल लाभ	787.83	1157.64	2119.23	1728.03	845.20
ग) शुद्ध लाभ (कर से पहले)	783.76	1154.22	2089.01	1709.06	822.36
घ) शुद्ध लाभ (कर के बाद)	768.20	763.14	1714.35	1498.80	822.36
2. क) सकल बिक्री	11001.01	9947.01	10099.92	10176.62	8583.87
ख) शुद्ध बिक्री (लेवी के बाद)	8505.53	8041.73	8287.99	8454.60	7280.48
ग) उत्पादन का बिक्री मूल्य	8715.38	8039.21	8149.69	8264.86	7201.33
3. सामान की बिक्री (बिक्री - लाभ)	7721.77	6887.51	6198.98	6745.54	6458.12
4. क) कुल व्यय	8189.05	7454.62	7205.79	7228.35	6992.27
ख) वेतन और मजदूरी	4524.63	4593.93	4410.83	4465.65	4211.01
ग) स्टोर और पुर्जे	592.06	580.15	564.08	497.66	467.85
घ) बिजली और ईंधन	333.59	319.45	312.03	317.14	314.80
ड़) वित्त लागत और मूल्यहास	212.92	216.40	291.36	228.95	224.19
5. प्रति माह सामग्रियों की औसत खपत	49.34	48.35	47.01	41.47	38.99
6. क) वर्ष के दौरान कार्यरत औसत श्रमशक्ति	54861.00	58875.00	60329.00	63291.00	66409.00
ख) सामाजिक उपरिव्यय (एलटीसी / एलएलटीसी सहित)	-	-	-	52.36	31.55
ग) प्रति कर्मचारी सामाजिक उपरिव्यय खर्च					
7. क) वर्धित मूल्य					
ख) प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य					
(क) लाभप्रदता अनुपात					
1) शुद्ध बिक्री के % के रूप में					
क) सकल मार्जिन	11.72	17.04	28.72	22.92	14.37
ख) सकल लाभ	9.26	14.40	25.57	20.44	11.61
ग) शुद्ध लाभ	9.21	14.35	25.21	20.21	11.30
2) कुल व्यय के % के रूप में					
क) वेतन और मजदूरी	55.25	61.63	61.21	61.78	60.22
ख) स्टोर और पुर्जे	7.23	7.78	7.83	6.88	6.69
ग) बिजली और ईंधन	4.07	4.29	4.33	4.39	4.50
घ) वित्त लागत और मूल्यहास	2.60	2.90	4.04	3.17	3.21
3) नियोजित पूंजी के % के रूप में					
क) सकल मार्जिन	32.87	50.83	89.26	90.97	(936.68)
ख) सकल लाभ	25.98	42.93	79.47	81.12	(756.47)
ग) कर से पहले लाभ	25.85	42.80	78.33	80.22	(736.02)
4) परिचालन अनुपात (बिक्री-लाभ / बिक्री)	0.91	0.86	0.75	0.80	0.89

(₹' करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
(ख) तरलता अनुपात					
1) वर्तमान अनुपात	1.32	1.29	1.29	1.17	0.75
2) त्वरित अनुपात	1.14	1.12	1.13	0.99	0.57
(ग) टर्नओवर अनुपात					
1) कैपिटल टर्नओवर अनुपात (शुद्ध बिक्री / नियाजित पूंजी)	2.80	2.98	3.11	3.97	(65.16)
2) महीनों की संख्या के रूप में विविध देनदार					
क) सकल बिक्री	2.88	1.93	1.87	1.62	1.33
ख) शुद्ध बिक्री	3.72	2.39	2.27	1.95	1.57
3) शुद्ध बिक्री के अनुपात के रूप में					
क) विविध देनदार	0.31	0.20	0.19	0.16	0.13
ख) कोयले का स्टॉक	0.10	0.09	0.07	0.09	0.13
4) भंडार और पुर्जों का स्टॉक					
क) औसत / वार्षिक खपत	0.09	0.10	0.12	0.17	0.19
ख) खपत के महीनों की संख्या के संदर्भ में अंतिम स्टॉक	1.00	1.12	1.35	1.78	2.41
5) कोयला, कोक, धुला हुआ कोयला आदि का स्टॉक					
क) उत्पादन के महीनों के मूल्य के रूप में	1.14	1.13	0.91	1.10	1.58
ख) महीनों की संख्या के रूप में बेचे गए माल की लागत	1.29	1.31	1.20	1.35	1.76
ग) महीनों की संख्या के रूप में शुद्ध बिक्री	1.17	1.13	0.90	1.07	1.56
(घ) संरचनात्मक अनुपात					
क) ऋण : इक्विटी	-	-	-	-	0.51
ख) ऋण : नेट वर्थ	-	-	-	-	(0.31)
ग) नेट वर्थ : इक्विटी	1.84	1.48	1.07	0.26	(1.65)
घ) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ : नेट वर्थ	0.38	0.42	0.61	2.47	(0.41)

निदेशकगण की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयर धारक

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

धनबाद।

महोदय,

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए परीक्षित लेखा सहित 50वीं वार्षिक रिपोर्ट को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कंपनी ने पिछले वर्ष के लिए कुल व्यापक आय ₹ 706.34 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष में (₹ 1208.85) करोड़ की कुल व्यापक आय / (व्यय) अर्जित किया है। अंकेक्षित लेखा विवरण, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट के रूप में दी गई है।

1. 2020-21 के दौरान प्रदर्शन का अवलोकन

1.1 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान बीसीसीएल का कच्चे कोयला का उत्पादन, उत्पादकता एवं उठाव से संबंधित कार्य प्रदर्शन

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2020-21			2019-20 वास्तविक	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	
			लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्त (%)		शुद्ध	(%)
i)	**कच्चा कोयला (खान के प्रकार के अनुसार)**							
	भूमिगत	मि. टन	1.15	0.61	52.83	1.04	-0.43	-41.64
	खुली खदान	मि. टन	35.98	24.05	66.84	26.69	-2.64	-9.89
	कुल	**मि. टन**	37.13	24.66	66.40	27.73	-3.07	-11.08
ii)	**कोयले के प्रकार के अनुसार**							
	कोकिंग कोल	मि. टन	31.79	23.38	73.55	25.95	-2.56	-9.87
	गैर-कोकिंग कोल	मि. टन	5.34	1.27	23.82	1.78	-0.51	-28.70
	कुल	**मि. टन**	37.13	24.66	66.40	27.73	-3.07	-11.08
			140.0	103.84	74.17	82.65	21.19	25.64
iii)	**मलबा हटाई**	**मि. ट. घन मी**	0					
iv)	**उत्पादकता (ओएमएस)**							
	भूमिगत	टन	0.35	0.16	39.68	0.32	-0.16	-50.00
	खुली खदान	टन	8.16	5.93	91.04	6.11	-0.18	-2.95
	कुल	**टन**	4.70	3.13	70.46	3.62	-0.49	-13.54
v)	**कोयला उठाव**	**मि. टन**	37.13	23.13	62.29	28.76	-5.63	-19.59

1.2 धुले हुए और डाइरेक्ट फीड कोयले की आपूर्ति

स्टील क्षेत्र में धुले हुए और डाइरेक्ट फीड कोयले की आपूर्ति वर्ष 2020-21 में 8.35 लाख टन की गयी। यह वर्ष 2019-20 में 7.48 लाख टन थी। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में (+) 11.70% की वृद्धि दर्ज की गयी।

1.3 धुले हुए कोयले एवं विद्युत उद्योग हेतु धुले कोयले का उत्पादन

(मि. टन में)

प्रकार	2020-21		2019-20	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
धुला कोयला (कोकिंग)	0.684	0.735	0.861	0.664
विद्युत के लिए धुला कोयला	1.021	1.462	1.292	0.812
कुल	**1.705**	**2.197**	**2.154**	**1.476**

2 प्रबंधन

(क) 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के दौरान कंपनी के मामलों की देख-रेख बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा की गई :

(1)	श्री पी. एम. प्रसाद अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	01.02.2021	से	निरंतर
(2)	श्री गोपाल सिंह अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	1.09.2020	से	31.01.2021
(3)	श्री पी. एम. प्रसाद अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	02.08.2019	से	01.09.2020
(4)	श्री बिनय दयाल, निदेशक	:	09.11.2017	से	निरंतर
(5)	श्री बी. पी. पति, निदेशक	:	03.10.2018	से	निरंतर
(6)	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक	:	22.12.2017	से	31.05.2020
(7)	श्री राकेश कुमार, निदेशक	:	12.03.2019	से	31.03.2021
(8)	श्री समीरन दत्ता, निदेशक	:	18.07.2019	से	निरंतर
(9)	श्री चंचल गोस्वामी , निदेशक	:	04.11.2019	से	निरंतर
(10)	श्री पी. वी. के. आर. मल्लिकार्जुन राव निदेशक	:	01.06.2020	से	निरंतर
(11)	डॉ. के. एस. खोबरागड़े, स्वतंत्र निदेशक	:	06.09.2017	से	05.09.2020
(12)	श्री नरेंद्र सिंह, स्वतंत्र निदेशक	:	10.07.2019	से	निरंतर

(ख) वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड की 14 (चौदह) बैठकें हुई थी।

3 शिफ्ट ऑवर के संबंध में एचईएमएम की उपलब्धता एवं उपयोग

उपकरण	31.03.21 को संख्या (कुल)	31.03.20 को संख्या (कुल)	सीएमपीडीआई मानक		डब्ल्यू.आर.टी. शिफ्ट घंटे				अंतर % में	
					2020-21		2019-20			
			उपलब्धता (%)	उपयोग (%)	उपलब्धता (%)	उपयोग (%)	उपलब्धता (%)	उपयोग (%)	उपलब्धता	उपयोग
ड्रैगलाइन	1	2	85	73	63.4	26.3	81.8	22.0	-22.6	19.3
शॉवेल	98	111	80	58	75.2	42.1	72.0	40.0	4.4	5.2

उपकरण	31.03.21 को संख्या (कुल)	31.03.20 को संख्या (कुल)	सीएमपीडीआई मानक		डब्ल्यू.आर.टी. शिफ्ट घंटे				अंतर % में	
					2020-21		2019-20			
			उपलब्धता (%)	उपयोग (%)	उपलब्धता (%)	उपयोग (%)	उपलब्धता (%)	उपयोग (%)	उपलब्धता	उपयोग
डंपर	409	433	67	50	70.5	27.6	70.5	27.3	-0.1	0.9
डोजर	103	113	70	45	66.1	13.4	59.2	16.2	11.5	-17.7
ड्रिल	80	84	78	40	67.4	22.7	64.7	19.9	4.1	13.7

एमओयू मानदंड (2020-21)

मद संख्या -7

निष्पादन मानदंड	इकाई	एम ओ यू लक्ष्य 2020-21					उपलब्धि
		उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	खराब	
पिछले वर्ष की तुलना में खुली खदानों में विभागीय उपकरणों की क्षमता में सुधार का प्रतिशत	%	20.50	15.00	10.00	6.60	3.00	10.60

4. धारक कंपनी-सीआइएलमद

यह कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी बनी हुई है।

5. अवरोध

कोयला उत्पादन में कमी की दृष्टि से वर्ष के दौरान बीसीसीएल के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख अवरोध:

(i) कोयला उत्पादन में कमी

(आंकड़े लाख टन में)

क्र. सं.	कारण	2020-21	2019-20
i	विद्युत बाधा	0.562	0.614
ii	अनुपस्थिति की प्रवृत्ति	0.002	0.062
iii	वर्षा/ डुबाव	6.163	3.457
iv	यांत्रिक गड़बड़ी	2.574	1.847
v	औद्योगिक संबंध	2.371	1.201
vi	रेत भराई में पिछड़ना	0.013	0.000
vii	भूमि की अनुपलब्धता/ भूमि विवाद आदि	41.737	30.120
viii	आग	6.949	12.101
ix	भूगर्भ-खनन बाधा/ रूफ गड़बड़ी	0.263	0.000
x	डीजीएमएस प्रतिबंध	3.123	6.353
xi	अन्य	60.995*	26.957
	कुल	**124.753**	**82.711**

* मुख्य रूप मध्य मार्च, 2020 से कोविड-19 महामारी फैलने और उसके बाद लगे लॉकडाउन के कारण कोयले की मांग घटी, परिणामस्वरूप कोयले का प्रेषण बहुत कम हुआ और साथ ही कोयले का उत्पादन भी घटा।

ख. धुले हुए कोयले की कमी

(आंकड़े लाख टन में)

क्र. सं.	कारण	2020-21	2019-20
i	विद्युत बाधा	0.145	0.073
ii	विद्युत एवं यांत्रिक गड़बड़ी	1.327	0.997
iii	कच्चे कोयले की कमी	0.876	1.641
iv	सी सी बंकर का भरा होना	0.108	0.000
v	वर्षा/ डुबाव	0.000	0.000
vi	परिचालन संबंधी बाधाएं	0.624	0.748
vii	रखरखाव संबंधी रूकावट	0.252	0.436
viii	माध्यमों की कमी	0.000	0.000
ix	अन्य	0.641	0.099
	कुल	**3.973**	**3.994**

6. विद्युत आपूर्ति की स्थिति

6.1 विद्युत की उपलब्धता

क्र. सं.	औसत विद्युत आवश्यकता (एमवीए)	औसत उपलब्धता (एमवीए)	बाधित घंटे (अवधि)
2020-21	177.75	174.84	1206.95
2019-20.	182.75	180.19	1449.42

6.2 विद्युत उपलब्धता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कैप्टिव सेटों का परिचालन

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न कैप्टिव डीजी स्टेशनों द्वारा पैदा की गई बिजली का विवरण निम्नलिखित है:

कैप्टिव डीजी सेट	स्थापित क्षमता (एमवीए)	2020-21		2019-20	
		उत्पादित ऊर्जा (केडब्ल्यूएच)	चालू घंटे	उत्पादित ऊर्जा (केडब्ल्यूएच)	चालू घंटे
मुनिडीह	2×1.1+4.4	5669.50	22.17	4441.5	31.25
मुरलीडीह/ महुदा	2×0.88	00	00	240	4.45
कुल		**5669.50**	**22.17**	**4681.5**	**35.70**

6.3 विद्युत उपलब्धता हेतु वैकल्पिक उपाय

क. सीपीपी मुनिडीह (2 X 10 एमवी):

सीपीपी मुनिडीह की स्थापना वाशरी अपशिष्टों का उपयोग करने, मुनीडीह (एक तृतीय डिग्री की खदान) में विद्युत की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने और अबाध्य विद्युत आपूर्ति के लिए की गयी थी। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1986 में इस परियोजना को अनुमोदित किया गया था। फ्लूडाइज्ड बेड कम्बंशन बॉयलर प्रौद्योगिकी पर आधारित सीपीसी के लिए चक्रानुक्रम परियोजना की कुल लागत ₹ 49.20 करोड़ थी।

परियोजना को चालू होने में विलंब होने के कारण यह लागत बढ़कर ₹ 77.42 करोड़ हो गई थी। अंततः 1995 में यह संयंत्र चालू हुआ था और नवंबर, 1996 में विभागीय श्रमशक्ति की मदद से इसका व्यावसायिक परिचालन होने लगा था, जो वर्ष 2003 तक चला था।

पुन: इस संयंत्र को मैसर्स ओएसडी कोक (कंसोर्टियम) को दिनांक 18.03.2010 को लीज पर दे दिया गया था और अप्रैल, 2011 से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया। ईंधन आपूर्ति एवं पॉवर-टैरिफ से संबंधित दर का कुछ विवाद होने के कारण पट्टाधारी द्वारा दिनांक 15.04.2014 से विद्युत उत्पादन बंद कर दिया गया। दिनांक 16.12.2015 को बीसीसीएल ने इस सीपीसी को अपने कब्जे में ले लिया।

प्रबंधन ने सीपीसी, मुनीडीह को पुन: चालू करने का निर्णय लिया है और नए सिरे से एनआईटी तैयार करने हेतु सीएमपीडीआई से संपर्क किया गया है।

महाप्रबंधक कार्यालय, मुनिडीह में दिनांक 15.10.19 को सीएमपीडीआई, बीसीसीएल और संभावित बोलीकर्ताओं के बीच पूर्व एनआईटी बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में प्राप्त सुझावों/संस्तुतियों और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सीपीपी, मुनिडीह के पुन: परिचालन के लिए सीएमपीडीआई रांची द्वारा एक अन्य एनआईटी प्रस्तुत की गयी। इस एनआईटी दस्तावेज की जांच इस कार्य हेतु गठित स्थायी समिति द्वारा की जा रही है।

ख. सीपीसी मधुबन (1x10 मेगावाट):

सी आई एल और मैसर्स डीएलएफ पावर लिमिटेड के बीच दिनांक 11.01.1995 को हुए समझौते के अनुसार ईंधन के रूप में वाशरी के त्यक्त/अपशिष्ट माल पर आधारित बी.ओ.ओ. योजना के तहत मधुबन में फ्लूडाइज्ड बेड कम्बंशन बॉइलर प्रौद्योगिकी पर आधारित एक 1x10 मेगावाट के कैप्टिव पावर प्लांट का निर्माण किया गया है। इस प्लांट से 24.06.2002 को बिजली का उत्पादन प्रारंभ हुआ। इस प्लांट में 24.06.2002 से 26.06.2007 तक बिजली का उत्पादन हुआ और उसके बाद मैसर्स डीएलएफ पावर लिमिटेड द्वारा 24.06.2007 को बंद कर दिया गया।

प्लांट शुरू होने के बाद पार्टियों के बीच किए जाने वाले भुगतान आदि लागू शुल्क के संबंध में एक विवाद खड़ा हुआ जिसे जेएसईआरसी को भेजा गया। डी एल एफ ने वर्ष 2005 में शुल्क निर्धारण के लिए एक याचिका जेएसईआरसी के समक्ष दायर की। इस विवाद को जेएसईआरसी से एकल विवाचक डॉ. टी. एस. सेतुरत्नम के पास न्याय निर्णयन के लिए भेजा गया। मधुबन में पावर प्लांट शुरू से ही लागू शुल्क, परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट, पूंजीगत लागत, वाशरी अपशिष्ट की गुणवत्ता आदि को लेकर समस्याओं से घिरा रहा है।

वर्ष 2017 में मैसर्स ईआईपीएल ने कैप्टिव पावर प्लांट, मधुबन को दुबारा प्रारंभ करने का एक प्रस्ताव अध्यक्ष, सीआईएल के समक्ष दिया है, जो सीआईएल में विचाराधीन है। सीआइएल ने, चल रहे विवाद के संदर्भ में विद्युत संयंत्र को पुनः शुरू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सीसीएल तथा बीसीसीएल के विभागाध्यक्ष (विधि) के साथ-साथ महाप्रबंधक (ईईडी), सीआईएल के अलावा सीसीएल तथा बीसीसीएल के विभागाध्यक्ष (वि. एवं यां.) को मिलाकर एक समिति बनायी है। समिति ने मामले की जांच की और इस प्रकार के कार्य के लिए नियुक्त सरकारी एजेंसियों से अद्यतन वाणिज्यिक जानकारी प्राप्त करने के अलावा सीपीपी को पुनः शुरू करने के लिए कानूनी राय लेने की सलाह दी। विधि फर्म, फॉक्स तथा मंडल से कानूनी राय मांगी गई थी जो संतोषजनक एवं स्पष्ट नहीं थी, इसलिए समिति ने माननीय अतिरिक्त महान्यायवादी से स्पष्ट राय प्राप्त करने की सलाह दी। माननीय अतिरिक्त महान्यायवादी ने मैसर्स ईआईपीएल से स्पष्ट प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्देश दिया। यह मामला सीसीएल और बीसीसीएल प्राधिकारियों के लंबित है, न्यायालय के मामले की अद्यतन स्थिति से कोल इंडिया लिमिटेड को अवगत करा दिया गया है। बीसीसीएल ने वाणिज्यिक न्यायालय धनबाद के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय, रांची से स्थगन आदेश प्रात कर लिया है।

7. वित्त

7.1 पूंजीगत संरचना

प्राधिकृत शेयर पूंजी	₹ करोड़ में
₹ 1000/- मूल्य के 5,10,00,000 इक्विटी शेयर	5,100.00
कुल	**5,100**
सब्सक्राइब्ड एवं प्रदत्त शेयर पूंजी	
₹ 1000/- मूल्य के 20330126 इक्विटी शेयर, प्रत्येक नकद में पूर्ण प्रदत्त	2,033.01
₹ 1000/- मूल्य के 26239874 इक्विटी शेयर, नकद के अलावा प्राप्त पर विचार करने के लिए पूर्ण प्रदत्त के लिए आवंटित रूप में	2,623.99
कुल	**4,657.00**

7.2 वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को पिछले वर्ष की कुल व्यापक आय ₹ 706.34 करोड़ की तुलना में (₹ 1208.85) करोड़ की कुल व्यापक आय/(खर्च) हुई। विवरण निम्नलिखित है:-

(₹' करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
मूल्यहास एवं नुकसान, ब्याज, कर तथा परिशोधन (ईबीआईडीए) से पहले लाभ (+)/ हानि (-)	(1241.51)	1,410.48
घटाएं: मूल्यहास एवं नुकसान	213.86	197.53
ब्याज, कर और परिशोधन से पहले लाभ	(1455.37)	1,212.95
घटाएं: ब्याज	121.69	221.83
टैक्स से पहले लाभ (पीबीटी)	(1577.06)	991.12
घटाएं: कर व्यय	(374.58)	72.44
अवधि के लिए लाभ (पीएटी)	(1202.48)	918.68
अन्य व्यापक आय	(8.51)	(308.64)
घटाएं: ओसीआई पर कर	(2.14)	(96.30)
कुल अन्य व्यापक आय/(व्यय)	(6.37)	(212.34)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	(1208.85)	706.34

7.3 पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स)

(₹' करोड़ में)

विवरण	बजट	वास्तविक खर्च
वित्त वर्ष 2020-21	800.00	425.33
वित्त वर्ष 2019-20	625.00	536.72

7.4 वर्ष 2020-21 के दौरान राजकोषीय भुगतान

(₹' करोड़ में)

विवरण	प. बंगाल	झारखण्ड	केन्द्रीय राजकोष	कुल
कोयले की रॉयल्टी	0.02	911.46	-	911.48
जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (डीएमफटी)	0.01	268.14	-	268.15
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमइटी)	-	-	17.90	17.90
कोयले पर उपकर	53.92	-	-	53.92
कोविड उपकर	-	12.73	-	12.73
वन पारगमन शुल्क	-	3.37	-	3.37
केंद्रीय विक्रय कर / वी ए टी	1.06	0.60	-	1.66
केन्द्रीय विक्रय कर (सीएसटी)	0.95	2.25	-	3.20
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	-	-	-
आयकर (टीडीएस के छोड़कर)	-	-		-
बाजार कर (माडा)	-	59.96	-	59.96
पेशाकर	0.24	8.20	-	8.44
केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर (सी जी एस टी)	-	-	138.67	138.67
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	0.01	138.67	-	138.67
अंतरराज्यीय वस्तु एवं सेवाकर	-	-	15.27	15.27
जीएसटी (राज्य को क्षतिपूर्ति) उपकर	-	-	900.14	900.14
कुल	**56.20**	**1405.38**	**1071.98**	**2533.56**

टिप्पणी:

1. मूल्य वर्द्धित कर और केंद्रीय विक्रय कर का भुगतान अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील को स्वीकार करने/मांग के स्थगन के उद्देश्य से किया गया है।
2. पश्चिम बंगाल में डब्ल्यू बी वी ए टी तथा सीएसटी का भुगतान पश्चिम बंगाल विवाद समाधान योजना 2020 के तहत किया गया है।

8. दूरसंचार

1. बीसीसीएल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रकार्य निदेशकों के कार्यालय में कुल 21 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इससे वर्तमान कोविड -19 संकट के दौरान कर्मचारियों के बड़े जमावड़े और संपर्कों को प्रतिबंधित करने में मदद मिलती है। इसके परिणामस्वरूप बीसीसीएल को वित्तीय बचत भी हुई है।
2. कोयला भवन और सिविल इंजीनियरिंग विभाग में ऑनलाइन कार्यों के लिए वाई-फाई (वायरलेस) सेवाएं शुरू की गई हैं।
3. सुरक्षा के उद्देश्य से धनबाद के केंद्रीय अस्पताल में 141 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

4. सतर्कता विभाग कोयला भवन में सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है।
5. सभी क्षेत्रों में कोयला नमूना कक्ष में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।
6. बीसीसीएल के सभी कोयला परिवहन वाहनों में नया जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है।
7. बेहतर नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोयला भवन में नया फायरवॉल लगाया गया है।
8. खनन क्षेत्रों में बेहतर संचार के लिए 458 वाकी टॉकी की खरीद की गई है।
9. बीसीसीएल के 18 बाहरी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से लैस एमपीएलएस-वीपीएन सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए मैसर्स रेलटेल को एक कार्य आदेश जारी किया गया है।
10. सीएचडी, धनबाद में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के लिए लैन नेटवर्क के लिए एक जेम (GeM) अनुबंध जारी किया गया है।
11. कोयला भवन, एचआरडी, सीईडी, केएनटीए में लैन नेटवर्क के लिए एक जेम (GeM) अनुबंध जारी किया गया है।
12. कोयला भवन और कोयला नगर में सीसीटीवी निगरानी के लिए एक जेम (GeM) अनुबंध जारी किया गया है।
13. आरएफआईडी बूम बैरियर: कुल 4 संख्या में आरएफआईडी बूम बैरियर स्थापित किया गया है (दहीबाड़ी-2, कुसुंडा-1, पाथरडीह मोनेट वाशरी-1)।
14. रोड वे ब्रिज : कुल 6 सड़क तुला पुलों वे ब्रिज को स्टांपिंग के बाद स्थापित और चालू किया गया है (बरोरा क्षेत्र-2, ब्लॉक-2-2, लोदना क्षेत्र-2) ।
15. इन मोशन रेल वे ब्रिज: कुसुंडा क्षेत्र में 1 स्थापित ।

9. जोखिम प्रबंधन

उद्यम के लिए जोखिम प्रबंधन योजना: जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने का कार्य मैसर्स अर्नेष्ट एण्ड यंग, एलएलपी, कोलकाता को सौंपा गया है। जोखिम प्रबंधन नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे कंपनी में लागू किया जा चुका है। समय-समय पर नए सदस्यों को शामिल कर बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाता है। समिति के वर्तमान सदस्य निम्नलिखित है -

1. श्री नरेंद्र सिंह, स्वतंत्र निदेशक, बीसीसीएल, अध्यक्ष
2. श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना, बीसीसीएल, सदस्य
3. श्री समीरण दत्ता, निदेशक (वित्त), बीसीसीएल, सदस्य
4. श्री चंचल गोस्वामी, निदेशक (तकनीकी) संचालन, बीसीसीएल, सदस्य
5. श्री पी. वी. के. आर. मल्लिकार्जुन राव, निदेशक (कार्मिक), बीसीसीएल, सदस्य

10. कंप्यूटरीकरण

क. कोल इंडिया सभी सहायक कंपनियों में एसएपी आधारित ईआरपी समाधान लागू कर रहा है और बीसीसीएल कार्यान्वयन के दूसरे चरण में है, जिसकी कार्य शुरू करने की तिथि 15 अगस्त, 2021 है। बीसीसीएल में ईआरपी कार्यान्वयन की तैयारी जोरों पर है और आर्यभट्ट हाउस नाम से एक समर्पित ईआरपी केंद्र स्थापित किया गया है।

ख. बीसीसीएल प्रणाली विभाग द्वारा बीसीसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वितरित किए जाने वाले स्मार्ट मेडिकल कार्ड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आंतरिक रूप से एक पोर्टल विकसित किया गया है। इसके पश्चात इस डेटा का उपयोग एक क्यूआर कोड सक्षम डिजिटल स्मार्ट मेडिकल कार्ड बनाने के लिए किया जाएगा। यह स्मार्ट कार्ड बीसीसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले चिकित्सा लाभों को प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी को दूर करेगा। इसका विवरण आगामी ईआरपी में भी माइग्रेट किया जाएगा।

ग. बीसीसीएल ने मार्च, 2021 से आंतरिक रूप से वेबसाइट तैयार की है, जिसका डोमेन "www.bcclweb.in" है और कंपनी से संबंधित सूचनाओं को साझा करने का यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस वेबसाइट पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण वेब अनुप्रयोग प्रयुक्त किए जा रहे हैं:-

i विक्रेता अपने बिल के भुगतान की स्थिति को जानने के लिए ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग पोर्टल को विकसित किया गया है। इसमें पैन के प्रयोग से बिल भुगतान स्थिति को जाना जा सकता है और विलंबित भुगतान के लिए शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान है।

ii स्वच्छता पहल के अंतर्गत, मकान अनुरक्षण और कॉलोनी सफाई संबंधी शिकायत पोर्टल को प्रणाली विभाग, बीसीसीएल द्वारा विकसित किया गया है।

iii ऑनलाइन शिकायत पोर्टल (समाधान पोर्टल)

iv बीसीसीएल के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन अवकाश आवेदन पोर्टल

v समुचित प्रमाणन के बाद वेब बेस्ड पोर्टल के द्वारा कर्मचारियों को वेतन पर्ची सूचना दी जा रही है।

vi उपभोक्ताओं द्वारा ईंधन आपूर्ति समझौता बिल को रियल टाइम में देखने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

vii बीसीसीएल वेबसाइट द्वारा कंपनी की अन्य सभी सूचनायें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करायी गयी हैं।

घ. बीसीसीएल सात वर्षों से अधिक समय से केंद्रीकृत सर्वर की अवधारणा के साथ कार्य कर रहा है। कन्फिगरेशन की उच्च उपलब्धता के लिए इसे सुरक्षा उपायों आरएसी और डाटा गार्ड के सुसज्जित किया गया है। यह केंद्रीकृत सर्वर कंपनी में विकसित किए गई "कोलनेट" नामक ईआरपी सॉफ्टवेयर को होस्ट करता है। कोलनेट ईआरपी कंपनी के सभी व्यावसायिक कार्यप्रणाली को बिना किसी कठिनाई के सुगमता एवं प्रभावकारी तरीके से चलाने में सहायक है और इसमें 6 कार्यात्मक मॉड्यूल हैं।

ङ. इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक आवश्यकतानुसार कोलनेट ईआरपी को नियमित रूप से अपग्रेड किया जाता है। कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

i. 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2020 से ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया। निर्देशों का पालन करने और वास्तविक समय में ई-चालान सुनिश्चित करने के लिए कोल नेट प्रणाली को तदनुसार संशोधित किया गया।

ii. वेतन पर्ची संबंधी डाटा ई-ऑफिस/ईमेल के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है जिसका उपयोग वेतन तैयार करने के लिए किया जा रहा है और वेतन संबंधी सभी कार्य जैसे उपदान की गणना, एकबारगी अवकाश नकदीकरण कोल नेट के माध्यम से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किया जा रहा है।।

च. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, वेतन प्रसंस्करण के उद्देश्य से बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों/इकाइयों से डेटा जमा करने का काम बैच से ऑनलाइन मोड (ई-ऑफिस/ई-मेल) में बदल दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन प्रविष्टि और महत्वपूर्ण इनपुट की स्वीकृति का प्रावधान है।।

छ. पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए और इस डिजिटल युग में मोबाइल के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बीसीसीएल ने निम्नलिखित मोबाइल एप्लीकेशनों को विकसित एवं प्रोत्साहित करने का काम किया है:-

i अभया- यह एक महिला सुरक्षा मोबाइल एप है जिसमें सुरक्षा और संरक्षा करने वाली विभिन्न एजेंसियों जैसे स्थानीय पुलिस स्टेशन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि से संपर्क का विवरण दिया गया है। इसमें संभावित असुरक्षित माहौल वाले परिसर की तस्वीर लेने का प्रावधान बनाया गया है।

ii ऑनलाइन रोड डिस्पैच इन्फार्मेशन (ग्राहक सड़क कोयला वितरण)। बीसीसीएल कंपनी के रोड सेल ग्राहकों के लिए नियमित रूप से रियल टाइम इन्फार्मेशन उपलब्ध करा रहा है और वर्ष 2019-20 से विक्रय आदेश बनाने, लदान समय सारणी, रोजाना का कोयला प्रेषण सारांश आदि की सुविधा प्रदान की गई ।

11. भूगर्भीय अनुसंधान तथा ड्रिलिंग

11.1 अनुसंधान तथा ड्रिलिंग

क्रम संख्या	ब्लॉक का नाम	ड्रिलिंग करने वाली एजेंसी	ड्रिल किया गया (मीटर)	टिप्पणी
1.	पश्चिमी महुदा (अतिरिक्त ड्रिलिंग)	सीएमपीडीआईएल के माध्यम से एमईसीएल	4,754.00	11.11.2020 को ड्रिल पूरा किया गया
2.	मधुबन	सीएमपीडीआईएल के माध्यम से एपीसी ड्रिलिंग एंड कंस्ट्रकशन प्रा.लि.	19,026.20	कार्य जारी है
3.	ब्लॉक-2	सीएमपीडीआईएल के माध्यम से एमईसीएल	969.00	12.10.2020 को ड्रिल पूरा किया गया
4.	झनकूदर	सीएमपीडीआईएल के माध्यम से एमईसीएल	8,353.00	07.02.2021 को ड्रिल पूरा किया गया
5.	धर्माबांध	सीएमपीडीआईएल के माध्यम से साउथवेस्ट पिनैकल एक्स्प्लोरेशन लिमिटेड	1,879.55	12.06.2020 को ड्रिल पूरा किया गया
6.	खरखरी	सीएमपीडीआईएल के माध्यम से माइनिंग एसोसिएट प्रा. लि.	7,969.60	13.07.2020 को ड्रिल पूरा किया गया
7	मिर्जागांव	सीएमपीडीआईएल के माध्यम से एपीसी ड्रिलिंग एंड कंस्ट्रकशन प्रा.लि.	23,988.00	कार्य जारी है
कुल			**66,939.35**	

वर्ष 2020-21 के लिए कुल 66,936.35 मीटर ड्रिल किया गया है।

यद्यपि मिर्जागांव कोल ब्लॉक के 23,988.00 मीटर की ड्रिलिंग को ऊपर दिखाया गया है लेकिन इस मिर्जागांव कोल ब्लॉक को बीसीसीएल द्वारा दिनांक 17.03.2020 (पत्र संलग्न) को सरेंडर कर दिया गया है। बाद में कोयला मंत्रालय ने सीएमपीडीआई को पत्र संख्या 17022/4/2012-सीआरसी-IVoIII द्वारा उस ब्लॉक में ड्रिलिंग जारी रखने का निर्देश दिया है (पत्र संलग्न है)।

वर्ष 2020-21 में बीसीसीएल कमांड क्षेत्र में खोजपूर्ण ड्रिलिंग का प्रदर्शन नीचे दिखाया गया है:

कुल ड्रिलिंग - 67,306.30 मीटर जिसमें मिर्जागांव कोल ब्लॉक में ड्रिलिंग शामिल है। मिर्जागांव ब्लॉक में ड्रिलिंग 34,084.00 मीटर थी।

11.2 भूवैज्ञानिक मूल्यांकन

कोयले और झामा की मात्रा के आकलन के लिए 1 हायर्ड एचईएमएम पैच का अध्ययन किया गया। उपरोक्त प्रस्ताव के अलावा 5 बड़े व्यास वाले बोरहोल प्रस्ताव का पुनरीक्षण किया गया। पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर 23 पीजोमेट्रिक कुओं की ड्रिलिंग एवं स्थापना के लिए प्राक्कलन तैयार किया गया। फिलहाल इसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है।

12. अनुसंधान एवं विकास

बीसीसीएल बोर्ड की 373 वीं बैठक में निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुसंधान एवं विकास समिति का गठन किया गया:

क्र. सं.	विवरण	पदनाम
1.	अध्यक्ष	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2.	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना
3.	सदस्य	निदेशक (वित्त)
4.	सदस्य सचिव	महाप्रबंधक (अनुसंधान एवं विकास)
5.	सदस्य	महाप्रबंधक (वाशरी प्रभाग)
6.	सदस्य	विभागाध्यक्ष (परियोजना व योजना)
7.	सदस्य	संबंधित विभाग (परियोजना पर निर्भर)

बीसीसीएल की अनुसंधान एवं विकास समिति के अध्यक्ष को तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यकता के आधार पर उद्योग/प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान/सरकारी एजेंसियों के दो विशेषज्ञों को सहयोजित करने का अधिकार है।

12.1 आधुनिकीकरण

कंपनी यह प्रयास कर रही है कि भूमिगत खानों के परिचालन में एसडीएल जैसे मध्यम स्तरीय तकनीक को बदलकर उसके स्थान पर लांगवाल एवं कंटीन्यूअस माइनर तकनीक जैसे व्यापक उत्पादन वाली तकनीक को अपनाया जाए।

12.2 एसडीएल उपयोग

31.03.2020 को कुल **49** एस डी एल की तुलना में **31.03.2021** को कुल **40** एसडीएल चालू हैं। एसडीएल को केवल उत्पादन कार्य में लगाया गया है।

12.3 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान एसडीएल उत्पादन एवं इनकी उत्पादकता

विवरण	**2020-21**	**2019-20**	**पिछले वर्ष से वृद्धि (%)**
उत्पादन (मि0 टन)	0.378	0.511	(-) 26.027
उत्पादकता (टन/एसडीएल/दिन)	27.27	31.32	(-)12.93

12.4 एसडीएल उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी के कारण

बीसीसीएल की खदानों में आग, अचानक पानी भर जाना तथा एक साथ अनेक सीमों का चालू रहना एवं डीजीएमएस की पाबंदियों जैसी अनेक प्रकार की समस्याएं, उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी के कारण हो सकते हैं।

- डीजीएमएस के निर्देशानुसार ईजे क्षेत्र की यूजी खदानें पूरी तरह से बंद हो गई।
- पीबी क्षेत्र की भूमिगत खदानों में वर्ष 2020-21 में सभी कार्यरत फेस के जलमग्न होने के कारण उत्पादन नहीं हो सका।
- सिजुआ क्षेत्र की मुदीडीह खदान का डीजीएमएस उल्लंघन के कारण परिचालन नहीं हुआ।
- गोविन्दपुर क्षेत्र की खरखरी खदान में वर्किंग फेस पर जलमग्न होने से उत्पादन प्रभावित हुआ है।

- नई ओपन कास्ट परियोजना शुरू होने के कारण बस्ताकोला कोलियरी में उत्पादन प्रभावित हुआ।
- 2020-21 के दौरान सर्वेक्षण किए गए एसडीएल की कुल संख्या 09 है।

12.5 लाँगवाल तकनीक

मूनीडीह कोलियरी के XVI (T) सीम में लांगवाल फेस का सफल संचालन हुआ है। इससे 2020-21 में 0.128520 मिलियन टन और 2019-20 में 0.439471 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। यहाँ पर निम्नलिखित कारणों से पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान (-) 70.76% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है:

1. खदान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लगभग 4 किमी की ढुलाई दूरी के साथ लांगवाल पैनल को स्थानांतरित करना।
2. लांगवाल पैनल (डी-11ए) को जोड़ने के दौरान सामने आए 6.5 मीटर के थ्रो के साथ गलती का पता लगना, जिसमें गेट रोड के विकास के दौरान कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ और इसके लिए पैनल को 240 मीटर छोटा किया गया, जिसमें सैल्वेजिंग में 3 महीने का विलंब हुआ।
3. नोवेल कोरोना वायरस के कारण महामारी फैलने से आपातकालीन सेवाओं (जैसे पंपिंग, वाइन्डर आदि) को छोड़कर खदान की सभी गतिविधियों को बंद करना पड़ा है।
4. लांगवाल फेस पर अवरोध ने भी इसकी प्रगति में बाधा डाला है और इस प्रकार उत्पादन में बाधा उत्पन्न हुई।

12.6 चालू खनन परियोजनाएं

क्रम सं.	खदान / परियोजना का नाम	क्षमता (मि.ट)	वर्तमान स्थिति
1	मुराईडीह यूजी (बरोरा क्षेत्र) (9वीं वार्षिक योजना अवधि में न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन- 20.435 एमटी) पूंजी : ₹ 339.875 करोड़	2.00	● पूर्ण टर्नकी आधार 9 वार्षिक उत्पादन अवधि में न्यूनतम गारंटीशुदा 20.435 मिलियन टन के लिए व्यापक उत्पादन तकनीकी पैकेज द्वारा मुराइडीह भूमिगत खान के सीम I/III को कोयले तक अभिगम और निष्कर्षण के लिए विकसित करने का अनुबंध मैसर्स मिनोप-माहेश्वरी माइनिंग - बीएचईसी (चीन) कंसोर्टियम को दिया गया। बोर्ड द्वारा यह परियोजना दिनांक 14.02.2011 को अनुमोदित की गयी और करार पर दिनांक 22.06.2012 को हस्ताक्षार हुए। ● डीजीएमएस द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण शाफ़्ट सिंकिंग और इंक्लाइन ड्राइवेज का काम दिनांक 20.11.2015 से रुका रहा। कार्य के बंद रहने के दौरान शाफ्ट सिंकिंग 13 मीटर तक की गयी जबकि इंक्लाइन क्रमश: 52 मीटर और 48.5 मीटर चलाई गयी और इसने कोल सीम (III) को छू लिया। ● इन दौरान, दिनांक 01.06.2016 से मैसर्स मिनोप संवेदक द्वारा करार में भुगतान की कुछ शर्तों में आशोधन के लिए सभी कार्य लंबित रखे गए। ● यह कार्य शुरु करने के लिए मैसर्स मिनोप को पुन: बोला गया। स्थल पर दिनांक 01.01.2020 से कार्य शुरू हुआ। ● 2 इंक्लाइन और एयर शाफ्ट की सिंकिंग के लिए सुरंग मार्ग बनाने का कार्य प्रगति पर है। ● दिनांक 31.03.20021 तक कार्य: इंक्लाइन 1 : 575 मीटर इंक्लाइन 2: 573 मीटर एयर शाफ्ट : 90 मीटर
2.	कपूरिया यूजी (कपूरिया क्षेत्र) (पीएसएलडब्ल्यू) पिक उत्पादन क्षमता – 1.83 मिलियन टन प्रतिवर्ष ((नए पीआर के अनुसार) पूंजी निवेश : (वाशरी के साथ एमडीओ विकल्प) - ₹ 3083.185 करोड़ (अनुमोदन के अधीन)	1.83	● बीसीसीएल बोर्ड ने दिनांक 25.03.2021 को हुई बैठक में कपूरिया अंडरग्राउंड (फेज-1) की परियोजना रिपोर्ट और एमडीओ के माध्यम से इसके क्रियान्वयन के लिए तदनुकूल एनआईटी दस्तावेज को अनुमोदित किया है। ● सीआईएल बोर्ड का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>खदान / परियोजना का नाम</th><th>क्षमता (मि.ट)</th><th>वर्तमान स्थिति</th></tr>
<tr><td>3</td><td>मुनीडीह XV सीम यूजी (डब्लयू जे एरिया)(पीएसएलडब्ल्यू) (न्यूनतम गारंटी उत्पादन-9 एपीपी में 22.5 एमटी)

पूंजीः ₹ 1230.27 करोड़</td><td>2.50</td><td>● दिनांक 03.07.2011 को हुई बीसीसीएल बोर्ड की 279 वीं बैठक तथा दिनांक 12.08.2011 को हुई सीआइएल बोर्ड की 272 वीं बैठक में किए अनुमोदन के अनुसार मैसर्स इंदू-एससीसीएल-सीमजीएसई कंसोर्टियम को 9 वर्ष की वाणिज्यिक उत्पादन अवधि के दौरान कुल न्यूनतम 22.50 मिलियन टन गारंटीशुदा उत्पादन, बीमा व माल ढुलाई समेत कुल पूंजी लागत ₹ 1230.273 करोड़ पर कार्य सौंप दिया गया है। इसके बाद कंसोर्टियम के साथ अप्रैल, 2014 में करार हुआ।
● प्रारंभ में, भूमि व अन्य समस्याओं के कारण परियोजना में विलंब हुआ। 420.90 मीटर गहराई को पारकर शाफ्ट सिंकिंग पूरी हो गयी है (XV सीम तक पहुंच गये) और 345.5 मीटर की लंबाई के ड्रिफ्ट को XVI सीम से XVसीम तक चलाया गया।
● प्रत्येक इंक्लाइन के लिए प्रस्तावित 2050 मीटर लंबाई में से, दिनांक 31.03.2021 तक इंक्लाइन नं-01 में 2034.00 मीटर और इंक्लाइन नंबर-02 में 1988.10 मीटर प्रगति हुई है और यह XV सीम तक पहुंच गया है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>नार्थ तिसरा/साउथ तिसरा एक्सपेंशन ओसीपी (6 एमटीवाई) (वरिएट- II)</td><td>6.0</td><td>● 6.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली एनटी-एसटी परियोजना ओपेनकॉस्ट परियोजना और मैसर्स आईसीआरए मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इसकी वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट को दिनांक 03.02.2014 को संपन्न बीसीसीएल बोर्ड की 304 वीं बैठक और तदनुसार, दिनाक 12.02.2014 को हुई सीआइएल बोर्ड की 304वीं बैठक में बोर्ड द्वारा ₹ 555,52 करोड़ के पूंजीगत व्यय का अनुमोदन 18.59% के आईआरआर के साथ पूरी तरह आउटसोर्सिंग आधार पर परियोजना चलाने के लिए किया गया है।
● यह परियोजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में, इस परियोजना के अंतर्गत एक हायर्ड एचइएमएम पैच और एक विभागीय पैच काम कर रहे हैं।
● सीएमपीडीआई को आरसीई/आरपीआर बनाने का काम सौंपा गया है।
● उत्पादन:
<table>
<tr><td>वर्ष</td><td>2017-18</td><td>2018-19</td><td>2019-20</td><td>2020-21</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य (मि.ट.)</td><td>3.133</td><td>3.080</td><td>4.11</td><td>3.70</td></tr>
<tr><td>उत्पादन (मि.ट.)</td><td>3.030</td><td>2.480</td><td>2.534</td><td>1.798 (मार्च, 2021 तक)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

12.7 त्वरित लदाई पद्धति (रैपिड लोडिंग सिस्टम- आरएलएस)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	स्थिति
1	महेशपुर, गोविंदपुर क्षेत्र में रैपिड लोडिंग पद्धति (आरएलएस) पूंजी - ₹134.24 करोड़	5.0	**SILO की स्थिति** ● दिनांक 5.4.2011 को मैसर्स एस. के. सामंता एंड कंपनी (प्राइवेट लिमिटेड) के पक्ष में कार्य तथा सेवाओं एवं उपकरणों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया था और करार पर दिनांक 18.05.2011 को हस्ताक्षर हुए थे। ● SILO के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है और यह दिनांक 15.10.2019 से संचालित है। ● दिनांक 18.09.2020 को पीजी परीक्षण पूरा कर लिया गया है। **साइडिंग की स्थिति** **i.** महेशपुर में आरएलएस के साथ रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए मैसर्स राइट्स द्वारा स्वीकृति पत्र मैसर्स एचसीपीएल-एमबीपीएल (जेवी), देवघर को सौंपा गया है। ii. बीसीसीएल और पूर्व मध्य रेल के 25.9 एकड़ भूमि दिनांक 16.06.2020 को भूमि पट्टा करार हुआ। एजेंसी ने दिनांक 02.03.2020 से कार्य करना शुरू कर दिया। वर्तमान में कार्य चल रहा है। टूंडू अंडरपास से सिलो आउटपुट के लिए भूमि काटने का कार्य 60 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। **बाधाएं** • **डब्ल्यूबीएम रोड का निर्माण:** चिताही बस्ती को जोड़ने वाली मौजूदा ब्लैक टॉप रोड के विकल्प के रूप में डब्ल्यूबीएम रोड का निर्माण पूरा हो गया है। स्थानीय लोग डब्ल्यूबीएम रोड की जगह ब्लैक टॉप रोड की मांग कर रहे हैं। डब्ल्यूबीएम रोड पर ब्लैक टॉपिंग के लिए टेंडर खोल दिया गया है।

12.8 नयी स्वीकृत परियोजना

शून्य

12.9 पूंजीगत परियोजनाएं और योजनाएं

(i) वर्ष 2020-21 के दौरान अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से पूरी की गई खनन परियोजनाएं

शून्य

(ii) अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित वर्ष 2020-21 के दौरान रू. 20 करोड़ से अधिक की लागत वाली खनन परियोजनाएं जो शुरू हुई हैं।

शून्य

(iii) अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित वर्ष 2020-21 के दौरान स्वीकृत रू. 20 करोड़ से अधिक लागत वाली खनन परियोजनाएं

शून्य

(iv) अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित वर्ष 2019-20 के दौरान स्वीकृत रू. 20 करोड़ से अधिक लागत वाली गैर खनन परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजनाएं	अनुषंगी	अनुमोदन की तिथि	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रू. में)
1.	वर्तमान मुनीडीह वाशरी का नवीकरण	बीसीसीएल	25.03.2021	72.42
2.	पाथरडीह वाशरी में टैक होपर का नवीकरण	बीसीसीएल	25.03.2021	68.2011
3.	2.5 एमटीपीए कोकिंग कोल वाशरी के लिए मुनीडीह रेलवे साइडिंग हेतु रेल अवसंरचना का नवीकरण/प्रबलीकरण और एक आरओबी का निर्माण	बीसीसीएल	22.12.2020	54.15

(v) अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित वर्ष 2020-21 के दौरान स्वीकृत रू. 20 करोड़ से अधिक लागत वाली आरपीआर/आरसीइएस

शून्य

(vi) वर्ष 2020-21 के दौरान बंद परियोजनाएं

शून्य

12.10 बी सी सी एल में परियोजना गतिविधियों से संबंधित एमओयू (2020-21) पैरामीटर्स

क्र.सं.	परियोजना	क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)	विशेष उपलब्धि	कार्य पूरा करने का समय	अंतिम उपलब्धि
1.	मुनीडीह XV सीम यूजी	2.5	इंक्लाइन नं. 1 सुरंग मार्ग का निर्माण पूरा	मार्च, 21	**निर्माण कार्य पूरा** **लक्ष्य प्राप्त**
2.	मुराइडीह भूमिगत खदान (बरोरा क्षेत्र)	2.00	शाफ्ट सिंकिंग का कार्य पूरा	मार्च, 21	**125 मीटर में 90 मीटर** **लक्ष्य नहीं प्राप्त**
3.	मधुबन कोल वाशरी	5.0	मधुबन कोल वाशरी से उत्पाद भंडारण सिलो तक के लिए पीजी परीक्षण	मार्च, 21	**97.2 % निर्माण कार्य पूरा। पीजी परीक्षण नहीं हुआ।** **लक्ष्य नहीं प्राप्त**
4.	पाथरडीह एनएलडब्ल्यु वाशरी	5.0	आरएलएस निर्माण के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया	मार्च, 21	**लक्ष्य प्राप्त**
5.	एनटीएसटी ओसीपी	6.0	एनटी-एसटी कोलियरी के लिए परियोजना रिपोर्ट को तैयार करना (एकीकृति कुजामा कोलियरी)	मार्च, 21	**मसौदा प्रतिवेदन जमा।** **लक्ष्य प्राप्त**

12.11 सीएमएम/सीबीएम परियोजना

मुनीडीह कोलियरी के XVI सीम से मिथेन का पूर्व अपवहन

- एक प्रदर्शन परियोजना के रूप में मुनीडीह कोलियरी XVI टी सीम से मिथेन का पूर्व अपवहन किया गया।
- सीएमपीडीआई द्वारा पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तथा ग्लोबल बिड दस्तावेज (जीबीडी) तैयार किया गया था। जिसे बीसीसीएल बोर्ड ने 26.05.2018 को आयोजित अपनी 343 वीं बैठक में 60 करोड़ रू. की पूंजी लागत पर अनुमोदित किया था।
- दो बार निविदा जारी की गई थी, पहली 07.09.2018 को और दूसरी भावी बोलीदाताओं के साथ प्री-एनआईटी बैठक का आयोजन कर एनआईटी में संशोधन के बाद 09.07.2019 को। परंतु दोनों मौके पर निविदा रद्द कर दी गई थी। दो समय विस्तार के बाद भी कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के बाद 18.10.2019 को पुन: निविदा जारी की गयी। इस पर आगे की कार्यवाही जारी है।
- जारी एनआईटी के लिए संशोधित वैश्विक बोली दस्तावेज तैयार कर लिया गया है तथा 06.03.2020 को बीसीसीएल बोर्ड की 361 वीं बैठक में इसका अनुमोदन कर दिया गया है। 31.03.2020 को निविदा जारी की गयी।
- बोली 28.09.2020 को खोली गई, और एक बोलीदाता मेसर्स दीप सीएच 4 लिमिटेड ने निविदा में भाग लिया, लेकिन तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया गया, इसलिए बोली को अस्वीकार कर इसे 11.03.2021 को रद्द कर दिया गया।

झरिया सी बी एम/सीएमएम ब्लॉक से मिथेन का दोहन

- बीसीसीएल में कपूरिया, मुनीडीह, जरमा, सिंगरा ब्लॉकों के खनन पट्टाधारित लगभग 26.55 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को वाणिज्यिक विकास के लिए चिह्नित किया गया है।
- 26.55 वर्ग कि.मी. के इस चिह्नित क्षेत्र में 25 बिलियन क्युबिक मीटर (बीसीएम) के गैस-इन-प्लेस का अनुमान लगाया गया है। इस पूरे क्षेत्र के लिए एक विस्तृत 30 वर्षीय उत्पादन प्रोफाइल तैयार की गयी है।
- परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार की गयी है। परियोजना की कुल पूंजी लागत की गणना यूएस $ 289 मिलियन यानि 1879 करोड़ रुपये की गई है, जबकि ओपेक्स की गणना यूएस $ 169 मिलियन यानी 1098.50 करोड़ रुपये की गई है। 368.50 करोड़ रुपये (तीन सौ अड़सठ करोड़ पचास लाख रुपये) के अनुमानित पूंजी व्यय पर एमडीओ कॉन्सेप्ट के तहत परियोजना कार्यान्वित की जाएगी।
- परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट को दिनांक 03.08.2018 को आयोजित बीसीसीएल बोर्ड की 345 वीं बैठक में 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदित किया गया।।
- सीएमपीडीआई मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है।
- निविदा दिनांक 30.10.2020 को जारी की गयी और इसे दिनांक 06.01.2021 को खोला गया। इस निविदा में एक बोलीदाता मैसर्स प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने भागीदारी की।
- तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के मूल्यांकन के बाद मैसर्स पीईपीएल योग्य पाया गया और मूल्य बोली 16.02.2021 को खोली गई।
- मैसर्स पीईपीएल को कार्य सौंपने के लिए तकनीकी समिति द्वारा सिफारिश की गई और आगे की कार्रवाई के लिए सीएमडी, सीएमपीडीआई द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया है।
- इस प्रस्ताव की स्वीकृति का प्रस्ताव दिनांक 26.05.2021 को आयोजित 378वीं बोर्ड बैठक में रखा गया था।
- प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को पत्र संख्या WJA/MND/GM/SECY/F-74/2021/999 दिनांक 08.06.2021 के माध्यम से एलओए जारी किया गया है।
- निष्पादन सुरक्षा (बीजी) जमा करने के बाद कार्यादेश जारी किया जाएगा।

12.12 बीसीसीएल में कोल ब्लॉक

बीसीसीएल को आवंटित किए गए कोल ब्लॉक की स्थिति निम्नलिखित है:-

1. **एमएमडीआर के तहत आवंटित ब्लॉक**

कोयला मंत्रालय के पत्र दिनांक 12.01.2018 और 18.01.2018 के अनुसार बीसीसीएल को चार कोल ब्लॉक पीरपैंती, बरहाट, मंदार पर्वत, धुलिया उत्तर और मिर्जागांव आवंटित किए गए हैं। ये ब्लॉक गोड्डा (झारखंड) के अंतर्गत आने वाले राजमहल कोलफील्ड्स में और भागलपुर (बिहार) में अवस्थित हैं। रिजर्व सीम I से सीम X तक हैं और इन ब्लॉकों में सीम I, II, IX एवं X प्रमुख हैं। इन कोल ब्लॉकों को मिलाकर विक्रमशिला क्षेत्र का गठन किया गया है। इन ब्लॉकों के लिए कोयला मंत्रालय को अग्रिम राशि के तौर पर 500 करोड़ रूपये का भुगतान प्रति कोल ब्लॉक @ ₹ 125 करोड़ किया जा चुका है।

(क) धुलिया नार्थ और मिर्जागांव कोल ब्लॉक

- विभिन्न तकनीकी कारणों से 06.03.20 को हुई बीसीसीएल बोर्ड की 361वीं बैठक में धूलिया उत्तर और मिर्जागांव प्रखंडों को सरेंडर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- बीसीसीएल ने धूलिया उत्तर और मिर्जागांव कोयला ब्लॉकों को सरेंडर करने का अनुरोध किया, जिसे कोयला मंत्रालय ने पत्र सं. CBA1-13016/12/
- 2017 -CBA1 (FTS:336523) दिनांक 11.12.2020 दवारा स्वीकार कर लिया।
- कोयला मंत्रालय की सलाह के अनुरूप, इन दो कोयला ब्लॉकों के लिए भुगतान की गई अग्रिम राशि की वापसी के लिए कोयला मंत्रालय से पत्र संख्या- बीसीसीएल/डी(टी)पीएंडपी/एफ-33(बी)/2020/376 दिनांक 19.12.2020 द्वारा अनुरोध किया गया है।।
- पत्र सं. बीसीसीएल/डी(टी)पीएंडपी/एफ-33(बी)/2021/35 दिनांक 02.02.21 के माध्यम से पुन: कोयला मंत्रालय से अग्रिम राशि के भुगतान संबंधी एसबीआई से प्राप्त मूल दस्तावेजों के साथ अनुरोध किया गया है।

- कोयला मंत्रालय के अवर सचिव ने पत्र CBA1-13016/12/2017-CBA1 (FTS:336523) दिनांक 21.05.2021 के माध्यम से मंत्रालय के लेखा अधिकारी से अग्रिम राशि वापस करने का अनुरोध किया है। इसके बाद, कोयला मंत्रालय के अवर सचिव ने बीसीसीएल को २५०.०० करोड़ रुपये की अग्रिम राशि वापस करने के लिए पत्र संख्या - CBA1-13016/12/2017-CBA1 (FTS:336523) दिनांक 23.06.2021 के माध्यम से एक स्वीकृति आदेश जारी किया है। अभी अग्रिम राशि की वापसी प्रतीक्षित है।

(ख) पीरपैंती बाराहाट और मंदार कोल ब्लॉक:

- सीएमपीडीआई द्वारा पीरपैंती बाराहाट ओसीपी और मंदार पर्वत ओसीपी की परियोजना रिपोर्ट (पीआर) जमा कर दी गई है। इसकी जांच बीसीसीएल की तकनीकी समिति ने की है।
- परियोजना रिपोर्ट को दो विकल्पों विभागीय विकल्प और एमडीओ विकल्प के तहत तैयार किया गया है। लेकिन कोई भी विकल्प कंपनी द्वारा अनुमोदन के लिए निर्धारित 85% क्षमता पर 12% आईआरआर के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।
- बीसीसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 26.05.2021 को हुई बैठक में अनुमोदित वित्तीय व्यवहार्यता की कमी के कारण दोनों ब्लॉकों को वापस कर दिया गया है। सीआईएल को पत्र दिनांक 09.06.2021 के माध्यम से बीसीसीएल को अग्रिम राशि वापस करने के लिए कोयला मंत्रालय के साथ मामला उठाने का अनुरोध किया गया है।

सीएमएसपी अधिनियम के तहत आवंटित ब्लॉक

- कोयला मंत्रालय ने सीएमएसपी अधिनियम-2015 के अंतर्गत बीसीसीएल को पत्र सं.- सीबीए2-13011/1/2017-सीबीए2 दिनांक 03.10.2018 के माध्यम से ईस्ट दामागोरिया कोल ब्लॉक (कल्याणेश्वरी) आवंटित किया है। 26.09.2019 को कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकारी तथा बीसीसीएल के अधिकृत पदाधिकारी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- दिनांक 25.10.2019 को कोयला मंत्रालय को 50% अग्रिम भुगतान के एवज में 62.50 करोड़ रूपये तथा निर्धारित राशि के एवज में 17.341668 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा कार्य प्रदर्शन प्रतिभूति के तौर कोयला मंत्रालय को 124.33 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गयी है।
- आदेश सं.- एफ.नं. 103/2/2015-एनए-पार्ट (1) दिनांकित 21.11.2019 के माध्यम से कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटन आदेश निर्गत किया गया और यह 02.12.2019 को प्राप्त हुआ है।
- ·ईस्ट ऑफ दमागोरिया (कल्याणेश्वरी) ब्लॉक के तहत आंशिक भूमि वाली एक खनन योजना सीएमपीडीआई द्वारा तैयार की गई है और बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 06.05.2020 को अनुमोदित की गई है।
- इस कल्याणेश्वरी कोयला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सीतारामपुर ब्लॉक और सेल और ईसीएल के शेष लीजहोल्ड क्षेत्रों के साथ कल्याणेश्वरी ब्लॉक का एक ओवरलैप मुद्दा है।
- बीसीसीएल द्वारा कल्याणेश्वरी की ब्लॉक सीमा से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए और पत्र संख्या के माध्यम से बीसीसीएल को सीतारामपुर ब्लॉक के आवंटन के लिए पत्र संख्या-बीसीसीएल/डी(टी)पीएंडपी/एफ-42/2020/155 दिनांक 03.06.2020 और पत्र संख्या। बीसीसीएल/सीएमडी/एफ-22(ए)/20/1065-1069 दिनांक24.07.2020 के माध्यम से कोयला मंत्रालय को अनुरोध किया गया है।।
- पत्र सं. बीसीसीएल/सीएमडी/एफ-2(ए)/20/1079-1084 दिनांक 28.07.2020 द्वारा बीसीसीएल, ईसीएल और सीआईएल के बोर्ड की मंजूरी के साथ दामागोरिया (कल्याणेश्वरी) ब्लॉक के पूर्व में पड़ने वाले सबनपुर मौजा के 121.76 एकड़ के खनन पट्टे और सतही भूमि के ईसीएल से बीसीसीएल को हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया गया है।
- ·अध्यक्ष सीआईएल ने पत्र सं. सीआईएल:सीएच:1221 दिनांक 04.08.2020 और पत्र संख्या- सीआईएल:सीएच:1700 दिनांक 19.01.2021के माध्यम से कोयला मंत्रालय को सीतारामपुर कोल ब्लॉक को बीसीसीएल को आबंटित करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, मंत्रालय से पत्र संख्या- सीआईएल:सीएच: 1427 दिनांक 05.10.2020 द्वारा वर्तमान में ईसीएल के पास भूमि के हिस्से के संबंध में बीसीसीएल को सतही भूमि सहित खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया गया है।
- ईस्ट ऑफ दमागोरिया (कल्याणेश्वरी) ओसीपी की परियोजना रिपोर्ट सीएमपीडीआई में तैयार की जा रही है। कल्याणेश्वरी की ब्लॉक सीमा एवं सीतारामपुर ब्लॉक के आवंटन से संबंधित मुद्दों के संबंध में कोयला मंत्रालय से निर्णय लेने के बाद परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

12.13 उत्पादन रोड मैप: बीसीसीएल

बीसीसीएल द्वारा अगले चार वर्षों तक कोयला उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन-योजना बनायी गयी है:-

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
उत्पादन (मि.टन)	24.656	35.0	41.0	51.0	51.00
वृद्धि (%)		41.95	17.14	24.39	-

12.14 परिवहन अवसंरचना

1. महेशपुर साइडिंग (आरएलएस)	(i) पूर्व रेलवे और बीसीसीएल के बीच 25.9 एकड़ के लिए भूमि पट्टे का समझौता इस परियोजना की आगे की प्रगति के लिए एक प्रमुख मुद्दा था जिसे सुलझा लिया गया है और 16.06.2020 को पूर्वी रेलवे और बीसीसीएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। (ii) एचजेडएल की चारदीवारी के निर्माण और गांव की सड़क के डायवर्जन जैसी दो प्रमुख बाधाओं को दूर कर दिया गया है। (iii) साइट पर कई बाधाओं और कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद, भौतिक प्रगति की उपलब्धि आज की तारीख में 24% (सिविल कार्य) है।
2. एनएलओसीपी साइडिंग का विस्तार	दो प्रमुख बाधाओं में से जैसे: (i) नगरपालिका शौचालय केबिन को हटाना और ii) विवादित भूमि विवाद (41 डेसीमल) को हटाना, एक बाधा यानी नगर शौचालय केबिन को दूर कर दिया गया है। (ii) साइट पर उपरोक्त बाधाओं और कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद, भौतिक प्रगति की उपलब्धि आज की तारीख में 28% है।
3. पूर्वी झरिया क्षेत्र के सुदामडीह साइडिंग 5 के नवीनीकरण एवं विस्तार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।	रेक की लोडिंग शुरू हो गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने ट्रैक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जमा करने को कहा। उपरोक्त संदर्भ में, दिनांक 21.03.2020 को डीपीआर तैयार करने के लिए मैसर्स राइट्स को एलओए जारी किया गया है। मेसर्स राइट्स ने 31.12.2020 को ड्राफ्ट डीपीआर प्रस्तुत किया है जो सक्षम अनुमोदन के लिए प्रक्रिया में है।

12.15 भूमिगत

1. 0.5 लाख टन प्रतिवर्ष से कम उत्पादन करने वाली घाटे वाली भूमिगत खदानों से उत्पादन रोकना	(i) मुदीडीह कोलियरी, सिजुआ क्षेत्र:- भूमिगत उत्पादन 02.05.2020 से रोका गया और ओपनकास्ट विधि द्वारा काम करने का प्रस्ताव। (ii) भौरा उत्तर, ईजे क्षेत्र: भूमिगत उत्पादन 02.04.2020 से रोका गया।

13 भू-संपदा

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	दिए गए नियोजन	भूमि अधिग्रहण (हेक्टेयर में)			क्षतिपूर्ति (₹ करोड़ में)		पंजीकरण एवं अन्य लागत (₹ करोड़ में)	कुल राशि (₹ करोड़ में)
		एल. ए.	सी.बी.ए.	क्रय	भूमि के बदले में	नियोजन के बदले में		
2020-21	13	00	00	2.284	2.39	0.00	0.25	2.64

14 विदेशी सहयोग

बीसीसीएल में वर्तमान में विदेशी सहयोग से चलने वाली कार्यान्वयन के लिए कोई परियोजना नहीं है।

15 विपणन

15.1 कच्चे कोयले की आपूर्ति का विवरण

क्षेत्र	लक्ष्य (मिलियन टन)	वर्ष 2020-21 में वास्तविक (मिलियन टन)	% उपलब्धि	वर्ष 2019-20 में वास्तविक (मिलियन टन)	पिछले वर्ष से % वृद्धि
पॉवर	28.06	17.12	61%	23.63	-28%
सीपीपी	0.02	0.00	0%	0.01	-100%
स्टील	1.85	1.03	56%	0.65	58%
उर्वरक	1.10	0.94	86%	0.98	-3%
ई-ऑक्शन (एसएफई के अतिरिक्त)	1.10	0.95	87%	1.24	-23%
अन्य एन आर एस	1.00	0.46	45%	0.52	-13%
वाशरी के लिए	4.00	2.63	66%	1.72	53%
आंतरिक उपभोग	0.00	0.00	0%	0.01	-70%
कुल	**37.13**	**23.12**	**62%**	**28.76**	**-20%**

सीआईएल के एएपी लक्ष्य के अनुसार

15.2 बिक्री पर की गई वसूली

क्र.सं.	वर्ष	टर्नओवर (₹ करोड़ में)	वसूली (₹ करोड़ में)	वसूली का %
1	2020-21	8521.62	8005.91	93.95%
2	2019-20	12224.47	10091.60	83.93%
3	2018-19	12899.98	15046.94	116.64%
4	2017-18	10773.92	12056.97	111.91%
5	2016-17	11220.32	11300.80	101.00%

15.3 ई-नीलामी

वर्ष 2020-21 के दौरान, विभिन्न ई-नीलामी योजनाएं संचालित की गईं और ई-नीलामी के लिए कुल 333.51 लाख टन कोयले की पेशकश की गई और बेची गई वास्तविक मात्रा 25.61 लाख टन थी। विभिन्न ई-नीलामी का योजना-वार प्रदर्शन इस प्रकार है:

बीसीसीएल : वर्ष 2020-21 के दौरान योजना वार ई-नीलामी

योजना का नाम	प्रस्ताव की मात्रा (एमटी में)	बुक की गई मात्रा (एमटी में)	उठाव की मात्रा (एमटी में)	अधिसूचित मूल्य पर लाभ (₹ करोड़ में)
विशेष अग्रेषण ई-नीलामी	61.68	1.00	2.08	0.00
विशिष्ट ई-नीलामी	75.45	8.28	3.99	44.83
स्थल ई-नीलामी	50.40	9.98	6.22	73.74
विशिष्ट स्थल ई-नीलामी	45.07	1.00	0.27	1.49
आयात प्रतिस्थापन के लिए विशिष्ट स्थल ई-नीलामी	100.91	5.35	0.94	20.75
कुल	**333.51**	**25.61**	**13.51**	**140.81**

टिप्पणी: उठायी गयी मात्रा में पिछले वर्ष ई-नीलामी में किए गए प्रेषण भी सम्मिलित हैं।

15.4 वर्ष 2020-21 में एफएसए के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के उपभोक्तावार आपूर्ति

विद्युत कंपनी का नाम	वर्ष 2020-21 में एसीक्यु (लाख टन में)	कोयला और कोयला उत्पाद की आपूर्ति (लाख टन में)	% पूर्ति
डीवीसी	96.7	90.2	93%
एनटीपीसी	33.2	10.7	32%
डब्ल्यूपीडीसीएल	36.4	24.3	67%
यूपीआरवीयूएनएल	32.1	14.7	46%
पानीपत	11.6	0.4	4%
रोपर	3.3	1.3	40%
डीपीएल	7.9	8.7	111%
एमपीएल	16.6	12.4	75%
बज बज (इकाई-III)	4.1	2.0	49%
नाभा पावर	0.0	0.6	0%
तलवंडी साबो, टीएसपीएल	0.0	0.9	0%
एमजीटीपीपी	8.9	4.4	50%
कुल बिजली उपयोगिता	**250.7**	**170.7**	**68%**

15.4 क. 2020-21 में विपणन चुनौतियां:

- कोविड-19 महामारी के प्रसार और बाद में देश में लॉक डाउन के कारण बिजली क्षेत्र में मांग में भारी कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप 2020-21 के दौरान सभी बिजली उपभोक्ताओं को बीसीसीएल से कोयले का कम प्रेषण हुआ।
- 2020-21 के दौरान उपरोक्त कारण से गैर-विद्युत क्षेत्र में मांग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे गैर-विद्युत उपभोक्ताओं को कम प्रेषण हुआ।

15.5 ख. 2020-21 में बिक्री बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम:

- कोकिंग कोल की मांग को बढ़ावा देने के लिए, बीसीसीएल बोर्ड ने 2020-21 की पहली छमाही के दौरान विनियमित क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए कोकिंग कोल की कीमत में 10% की कमी की।
- ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की बिक्री बढ़ाने के लिए, बीसीसीएल ने विभिन्न ई-नीलामी योजनाओं के तहत कोयला और कोयला उत्पादों के आरक्षित मूल्य को कम किया।
- इसके अलावा, रेल मोड द्वारा प्रेषण को बढ़ावा देने के लिए, बीसीसीएल ने विभिन्न ई-नीलामी योजनाओं में रेल मोड के माध्यम से उठाए गए कोयले और कोयला उत्पादों के आरक्षित मूल्य पर 20% तक की छूट की पेशकश की।
- 22.01.2021 को हुई बैठक में जोखिम प्रबंधन समिति की सलाह के अनुसार मौजूदा एफएसए उपभोक्ताओं के अलावा विभिन्न बिजली घरों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करके बीसीसीएल के उपभोक्ता आधार का विस्तार करने के लिए कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप तलवंडी साबो और नाभा बिजली जैसे बिजली घरों ने 2020-21 के दौरान बीसीसीएल से कोयले की खरीद की।
- बीसीसीएल ने कोल इंडिया के निर्देश के अनुसार विभिन्न कोयला उपभोक्ताओं को यूज़ेंस एलसी की सुविधा भी प्रदान की ताकि महामारी की अवधि के दौरान तरलता संकट का सामना किया जा सके।

16. विदेशी मुद्रा का उपार्जन एवं व्यय

16.1 विदेशी मुद्रा का व्यय

मद	2020-21 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)
स्टोर, स्पेयर्स एवं कंपोनेंट	शून्य	शून्य
पूंजीगत माल	शून्य	शून्य

16.2 एचईएमएम की खरीद

विवरण	संख्या	तिथि
5-6 क्यु.मी. शॉवेल	12	31.08.2020
28 केएल वाटर स्प्रिंकलर	04	15.10.2020
410 हार्सपावर डोजर	05	08.12.2020
30 टन क्रेन	01	14.12.2020
10 केएल डीजल बाउजर	05	23.12.2020
60 यूएस टन (55 मीट्रिक टन लगभग), रियर डंपर	05	14.01.2021
40 टन क्रेन	01	29.01.2021
टायर हैंडलर	02	08.02.2021
5-6 क्यु.मी. शॉवेल	07	12.02.2021

16.2 एमओयू पारामीटर (2020-21)

मद संख्या – 9 :-

निष्पादन मानदंड	इकाई	एमओयू लक्ष्य 2020-21					वास्तविक
		सर्वोत्तम	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	खराब	
पिछले वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रतिशत।	%	25.00	20.00	15.00	10.00	5.00	10.66

वर्ष **2020-21** के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से माल की खरीद = ₹ **4080.04** लाख

पिछले वर्ष अर्थात **2019-20** के दौरान माल की कुल खरीद = ₹ **38258.12** लाख

17 गुणवत्ता नियंत्रण

17.1 नमूना एकत्रण (संयुक्त/तृतीय पक्ष द्वारा नमूना एकत्रण की स्थिति)

बीसीसीएल के सभी उपभोक्ताओं के लिए सभी लोडिंग पॉइंट्स पर थर्ड पार्टी सैंपलिंग का सफल कार्यान्वयन किया गया है। थर्ड पार्टी सैंपलिंग को कोयला प्रेषण के सभी माध्यमों में लागू किया गया है।

तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा किए गए नमूना एकत्रण एवं विश्लेषण के आधार पर वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए घोषित ग्रेड के अनुरूप कुल प्रतिशत इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	ग्रेड पुष्टि प्रतिशत (तृतीय पक्ष नमूना एकत्रीकरण)	
	संदर्भित परिणाम के बिना	संदर्भित परिणाम सहित
2019-20	54.64%	75.85%
2020-21 (29.04.2021 को)	66.45%	67%

इसके अलावा, वाशरीज और ई-नीलामी मोड के माध्यम से कोयला लेने वाले अधिकांश उपभोक्ताओं को प्रीमियम कीमतों पर कोयला भेजा जा रहा है, जो अपने घोषित ग्रेड के अनुसार कोयले को स्वीकार कर रहे हैं।

वर्ष 2020-21 के लिए, अक्टूबर' 20 के बाद से चुनौती दिए गए संदर्भित नमूने ए/सी सीआईएमएफआर के विश्लेषण के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए चुनौती दिए गए रेफरी के नमूने ए/सी क्यूसीआई के विश्लेषण परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

ग्रेड पुष्टिकरण की उपरोक्त प्रवृत्ति ग्रेड प्राप्ति में निरंतर सुधार दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संदर्भित विश्लेषण के परिणाम प्राप्त होने से और ग्रेड में सुधार होने से वसूली में और सुधार आएगा।

17.2 गुणवत्ता एवं उपभोक्ताओं की संतुष्टि में सुधार के लिए की गई कार्रवाई

(क) वर्ष 2020-21 के दौरान, विभिन्न कोलियरियों के 29 सीमों के आरओएम फ्रैक्शन के नये ग्रेड को अधिसूचित किया गया है।

(ख) ग्रेड के रखरखाव के लिए एसओपी तैयार किया गया है और बीसीसीएल के क्षेत्रों में वितरित किया गया है। एसओपी कोयला उत्पादन और प्रेषण के हर चरण में कार्यकारी (अधिकारियों) की जिम्मेदारियों को दर्शाता है।

(ग) थर्ड पार्टी सैंपलिंग के लिए इनेबलिंग कंडीशन उपलब्ध करायी गयी है।

(घ) गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा प्रेषित कोयले के ग्रेड की जांच नियमित तौर पर साईडिंगों में की जाती है और इसके बाद प्रेषित कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया जाता है।

(ङ) प्रत्येक क्षेत्र की ग्रेड स्लिपेज रिपोर्ट मासिक आधार पर संकलित की जाती है और सुधारात्मक उपाय करने के लिए इसे संबंधित क्षेत्रों को भेजा जाता है।

(च) प्रत्येक माह सभी क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधकों के साथ गुणवत्ता समन्वय बैठक का आयोजन किया जाता है उन्हें स्रोतवार/सीम-वार, ग्रेड स्लिपेज के विभिन्न कारणों पर नजर रखने तथा मामले दर मामले के आधार पर आवश्यकतानुसार जरूरी उपचारात्मक उपाय करने के लिए निदेश दिया गया है ताकि बेहतर बिक्री वसूली के लिए अधिसूचित ग्रेड की पुष्टि बनी रहे।

(छ) तृतीय पक्ष नमूना एकत्रण कार्य की निगरानी के लिए सभी लोडिंग केंद्रों पर प्रत्येक पाली में अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं कर्मचारियों का एक समर्पित दल तैनात किया गया है। टीम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश जाता है कि तृतीय पक्ष नमूना एकत्रण एजेंसी द्वारा नमूने को समुचित तरीके से एकत्र एवं तैयार किया जाता है।

(ज) उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारी को उसके कर्तव्य के प्रति जागरूक किया जाता है।

(झ) उत्पादन एवं डिस्पैच से सीधे तौर पर जुड़े सभी सुपरवाईजरी एवं प्रबंधकीय कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे निम्नलिखित माध्यम से केवल गुणवत्तापूर्ण कोयले का उत्पादन करें:-

1. चयनित खनन पद्धति अपनाएं
2. उचित ड्रिलिंग/ब्लॉस्टिंग पैटर्न को अपनाए
3. पत्थरों एवं शेल को अपने स्तर पर ही अलग कर दें
4. फेस एवं स्टॉक यार्ड में ट्रकों में लोडिंग के समय सावधानियां बरतें।

(ञ) कार्यस्थल/कोल डंप/रेलवे साइडिंग में उचित प्रकाश का प्रबंध है।

(ट) सीमों में आग एवं अन्य खनन समस्याओं के कारण समिश्रित कोयले का उचित तरीके से प्रबंध किया जाता है।

(ठ) फायरी एवं गैर-फायरी कोयले के लिए इनका अलग-अलग भंडार किया जाता है।

(ड) अग्नि प्रभावित सीम के मामले में, सीसीओ द्वारा आग और गैर-अग्नि क्षेत्रों के कोयला सीम विशेष के लिए अलग-अलग ग्रेड घोषित किए गए हैं।

(ढ) घोषित ग्रेड के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले के उत्पादन और प्रेषण हेतु उपचारात्मक उपायों के लिए प्रबंधन के सभी स्तरों पर विचार-मंथन कर ग्रेड स्लिपेज को कम किया जाता है।

(ण) उपभोक्ताओं की संतुष्टि को बढ़ावा देने के लिए, गुणवत्ता और आकार के प्रेषण और शिकायत निवारण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बीसीसीएल के उपभोक्ताओं के साथ बैठक (बैठकें), टेलीफोन / टेक्स्ट संदेश वार्तालाप किया जाता है।

(त) बिजली घर (घरों)/उपभोक्ताओं से प्राप्त बड़े आकार की असंगत सामग्री के साथ मिश्रित खराब गुणवत्ता वाले कोयले और बड़े आकार के कोयले की कथित प्राप्ति के संबंध में शिकायत तुरंत संबंधित प्राधिकारी को उसी दिन के भीतर भेजी जाती है। संबंधित प्राधिकारी को उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग और विपणन एवं विक्रय विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे साइडिंग, डंप और कोयले का आकलन करने के लिए संबंधित क्षेत्र का दौरा करते हैं और भविष्य के लिए शिकायत (शिकायतों) को खत्म करने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता और क्रश्ड कोयले के प्रेषण के संबंध में क्षेत्र के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है। ।

थ) गुणवत्ता नियंत्रण विभाग की टीम द्वारा लगातार निम्न ग्रेड वाली खदानों के सीम के नमूने एकत्र किए गए थे। विभाग मुख्यालय और ऐसी खदानों के घोषित ग्रेड के पुनर्मूल्यांकन के लिए एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशाला (प्रयोगशालाओं) में विश्लेषण किया गया। तदनुसार, ऐसी खदानों के ग्रेड प्रस्तावों को ग्रेड के पुनरीक्षण के लिए कोयला नियंत्रक कार्यालय को प्रस्तुत किया गया।

द) हर महीने के अंत में, बीसीसीएल और संबंधित बिजली घर के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न बिजली घरों में पत्थर का मूल्यांकन किया जाता है।

18. ऊर्जा संरक्षण

18.1 ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

(1) बीसीसीएल ने जीएलएस लैंप, ट्यूब फिटिंग, ट्यूब लाइट, जीएलएस लैंप एवं अन्य परंपरागत लाइट फिटिंग की खरीद को रोक दिया है और इनके स्थान पर सभी कार्यालय/ औद्योगिक परिसरों में एलईडी लाइट फिटिंग का लगाया जा रहा है।

(2) विभिन्न वाट क्षमता की लगभग 5000 एलईडी लाइटें पहले ही खरीदी जा चुकी हैं और बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों, टाउनशिप में चरणबद्ध तरीके से लगाई जा रही हैं।

(3) एलईडी आधारित फ्लड लाइट फिटिंग के साथ 58 हाई मास्ट लाइटिंग टावर निविदा प्रक्रिया के अधीन हैं। पूर्व में विभिन्न क्षेत्रों में एलईडी लाइट फिटिंग के साथ 25 हाई मास्ट लाइटिंग टावर स्थापित किए गए हैं।

(4) बीसीसीएल अब पारंपरिक सीलिंग फैन के स्थान पर ऊर्जा दक्ष सुपर फैन खरीद रहा है। वित्तीय वर्ष 20-21 में कुल 120 बीएलडीसी सीलिंग फैन खरीदे गए हैं।

(5) वित्तीय वर्ष 20-21 में बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एपीएफसी पैनल के साथ कैपेसिटर बैंक/इकाइयां खरीदी और स्थापित की गई हैं। कैपेसिटर बैंकों की स्थापना के बाद, पावर फैक्टर में 0.99 तक सुधार हुआ है, अधिकतम मांग और बिजली की हानि में काफी कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली बिल के लाखों रुपये की और बचत हुई है।

(6) इसके अलावा कैपेसिटर बैंक और कैपेसिटर की खरीद के नए प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी और निविदा की गई है, जिसके लिए पीओ जल्द ही रखा जाना है। कैपेसिटर बैंकों की आपूर्ति के बाद, पावर फैक्टर में सुधार के लिए इसे स्थापित किया जाएगा।

(7) बीसीसीएल ने गैर-कोयला वाले क्षेत्रों में बीसीसीएल कर्मचारियों के लिए केंद्रीकृत कॉलोनियों का निर्माण किया है ताकि कर्मचारियों को इन कॉलोनियों में स्थानांतरित करने के बाद, अनधिकृत कनेक्शन सहित खाली कॉलोनियों का बिजली कनेक्शन स्रोत से काट दिया जा सके।

18.2 वित्त वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में बीसीसीएल की विशिष्ट ऊर्जा खपत

विवरण	2020-21	2019-20
विशिष्ट ऊर्जा खपत (कि. वाट/टन) (कोयले के लिए)	32.96	29.50
विशिष्ट ऊर्जा खपत (कि. वाट/क्यू.मी.) (कोयले एवं ओबी के लिए)	6.71	7.97
कुल ऊर्जा खपत (एमकेडब्ल्यूएच)	812.65	818.14

18.3 बीसीसीएल में सोलर पावार प्लांट/ परियोजनाएं लगाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम

क्र. सं.	कार्य का नाम	क्षमता	स्थिति	अपेक्षित समय
	भवन की छत पर सौर संयंत्र			
1.	बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में 19 भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड 1.2 मेगावाट (1200KWp SPV) रूफ़टॉप सौर संयंत्रों की आपूर्ति, स्थापना एवं चालू करने का कार्य	1200 KW	26.04.2021 को निविदा जारी	दिसंबर, 2021
2.	बस्ताकोला, पश्चिमी झरिया और तेतुलमारी क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप 297 KWp SPV संयंत्रों की आपूर्ति, स्थापना और एवं चालू करने का कार्य	297 KW	21.04.2021 को निविदा जारी	नवंबर, 2020
3.	कोयला भवन एवं केंद्रीय चिकित्सालय, धनबाद की छत पर ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप 350 KWp SPV संयंत्रों की आपूर्ति, स्थापना एवं चालू करने का कार्य	350 KW	मार्च, 2021 में कार्य परा	
4.	बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के बारूद घरों में 110 KWp क्षमता के पावर प्लांट (ग्राउंड माउंटेड/रूफ टॉप) एवं सोलर ट्री (हाइब्रिड) प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना एवं उसे चालू करने की योजना।	110 KW	मूल्य बोली 06.04.2021 को खोली गयी। टीसीआर हस्ताक्षर होने की प्रक्रिया में	अक्टूबर 2021
	ग्राउंड माउंटेड सौर संयंत्र			
5.	भोजूडीह, में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर (25मेगावाट) की आपूर्ति, स्थापना एवं उसे चालू करने की योजना।	25 मेगावाट	निविदा 19.04.2021 को खुली और एसईसीआई द्वारा जांच की जा रही	मार्च, 2022
6.	दुग्धा कोल वाशरी में 20 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा की स्थापना और चालू करना	20 मेगावाट	भूमि का विवरण प्राप्त नहीं। रेसको मॉडल के निष्पादन के लिए ईईएसएल द्वारा रिपोर्ट जमा की गयी।	मार्च, 2023

❖ **वित्तीय वर्ष 2020-21 में रूफटॉप सौर संयंत्र और उत्पादित इकाई बिजली**

अनुषंगी कंपनी का नाम	परियोजना का नाम	स्थान	स्थापित क्षमता (किलोवाट)	उत्पादन (2020-21 में) (किलोवाट प्रति घंटा में)
बीसीसीएल	कोयला नगर नर्सरी में 6 किलोवाट सौर रूफटॉप परियोजना	कोयला नगर नर्सरी, धनबाद	6	9800
	350 केडब्ल्युपी ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर संयंत्र	केंद्रीय चिकित्सालय और कोयला नगर कार्यालय	350	40910

18.4 बिजली की खपत

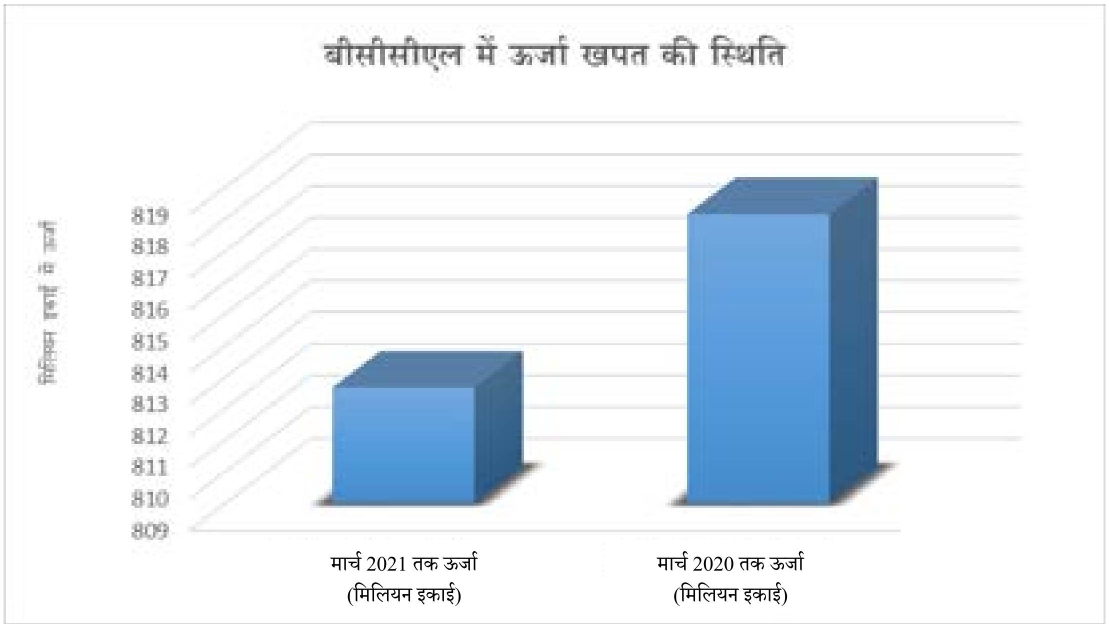

वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऊर्जा में 5.49 मिलियन यूनिट की कमी आयी।

18.5 ऊर्जा खपत

विवरण	2020-21	2019-20
खरीदी गई यूनिट (एमकेडब्लूएच)	812.65	818.14
कुल बिल राशि (₹ करोड़ में)	404.73	395.55
* डीवीसी द्वारा अक्तूबर, 2020 से शुल्क में वृद्धि के कारण बिल राशि में वृद्धि हुई है।		

19. सुरक्षा

19.1 पिछले 3 वर्षों के दौरान सुरक्षा संबंधी कार्यों के आंकड़े

दुर्घटना का विवरण	2020-21	2019-20	2018-19
प्राणघातक दुर्घटनाओं की संख्या	4	5	3
मृतकों की संख्या	5	5	3
गंभीर रूप से घायलों की संख्या	9	13	10
मृत्यु दर/एमटी	0.20	0.18	0.09

19.2 नियमानुसार खदानों में सुरक्षा स्थिति की मॉनिटरिंग की प्रक्रिया

कर्मियों, मशीनों और खदानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीसीसीएल की खदानों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(i)डीजीएमएस द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार नियमत: खनन गतिविधियों के पर्यवेक्षण, प्रबंधन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए वैधानिक कर्मियों की तैनाती।

(ii) डीजीएमएस द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार खदानों का संचालन।

(iii) सुरक्षा समिति और कामगार निरीक्षकों द्वारा खानों का निरीक्षण।

(iv) समय सारणी के अनुसार आईएसओ द्वारा खानों का निरीक्षण।

(v) आईएसओ अधिकारियों द्वारा खानों का बैकशिफ्ट निरीक्षण।

(vi) डीजीएमएस, आईएसओ और अन्य एजेंसियों द्वारा बताए गए उल्लंघनों का अनुपालन।

(vii) सक्षम प्राधिकारी को विभिन्न वैधानिक रिपोर्ट और रिकॉर्ड प्रस्तुत करना।

(viii) आईएसओ अधिकारियों द्वारा खानों का औचक निरीक्षण।

(ix) एसएमपी में खदान के जोखिमों की पहचान पहले ही की जा चुकी है।

(x) बीसीसीएल की सभी परिचालन खदानों ने साइट विशिष्ट, जोखिम आधारित एसएमपी तैयार किया है।

(xi) इसके अलावा प्रत्येक खान में प्रमुख खतरों की पहचान की गई है और एक व्यापक पीएचएमपी भी स्थापित किया गया है।

(xii) किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए माइंस रेस्क्यू स्टेशन को पर्याप्त बुनियादी ढांचे से लैस किया गया है।

(xiii) विभागीय और संविदात्मक दोनों कर्मचारियों को 'एचईएमएम ऑपरेटरों के लिए सिम्युलेटर प्रशिक्षण' प्रदान करने पर जोर दिया गया है।

19.3 2020-21 के दौरान खदानों में सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सुरक्षा विभाग के विशेष प्रयास

क. जनवरी-मार्च, 2021 के दौरान सुरक्षा जागरूकता आयोजन

आयोजन	अवधि
वार्षिक खदान सुरक्षा सप्ताह 2020	14-19 दिसंबर, 2020
एएमएसडब्ल्यु 2020 और 2019 का अंतिम दिन का समारोह	21 फरवरी, 2021 सिजुआ स्टेडियम

ख. पिछली दुर्घटनाओं पर वीडियो क्लिप्स -

I. पांच नंबर 2019 और 2020 में हुई बीसीसीएल की घातक दुर्घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म (3-4 मिनट की वीडियो क्लिप) बीसीसीएल के सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा जागरूकता में सुधार के लिए बनाई गई है। सीआईएल मुख्यालय की गाइडलाइन के अनुसार इन फिल्मों को विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से कर्मचारियों को साझा किया जा रहा है। आज तक लगभग। 35,000 कर्मचारियों (विभागीय + संविदा) को इन फिल्मों को अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा किया गया है।

II. उपरोक्त वीडियो क्लिप के अलावा, सीआईएल की अन्य सहायक कंपनियों में हुई विभिन्न दुर्घटनाओं पर लघु फिल्में भी बीसीसीएल के सभी जीवीटीसी में कोलियरी के कर्मचारियों को इन दुर्घटनाओं पर चर्चा के साथ दिखाई जा रही हैं।

III. इसके अलावा, इस तरह के 12 और वीडियो क्लिप @ 02 वीडियो क्लिप प्रति माह तैयार करने का कार्य आदेश मार्च, 2021 के महीने में जारी किया गया है।

ग. (i) सुरक्षा जागरूकता पर सीआईएल की हालिया पहल -

1. टास्क आईडी- 129 - अध्यक्ष, सीआईएल की अध्यक्षता में एक पहल जिसके तहत सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में सुरक्षा और मानसून की तैयारी के क्षेत्र में '05 सर्वोत्तम अभ्यास' की पहचान की गई है, जिनमें से बीसीसीएल की कुछ प्रथाओं को भी चुना गया है। नीचे-

सुरक्षा - (i) विद्युत प्रतिष्ठानों का सुरक्षा अंकेक्षण ,

(ii) शट डाउन प्रक्रिया में टैग आउट सिस्टम को लॉक आउट करें।

मानसून की तैयारी -

(i) मॉक रिहर्सल खदान वार किया गया।

(ii) मानसून गतिविधियों के संबंध में सुरक्षा प्रबंधन योजना की समीक्षा की जा रही है।

बीसीसीएल ने बीसीसीएल खानों में अन्य सहायक कंपनियों की अन्य सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए अपनी पहल शुरू कर दी है और सीआईएल की अन्य सहायक कंपनियां टास्क आईडी- 129 के तहत निर्देशित अपनी सहायक कंपनियों में बीसीसीएल के चयनित सर्वोत्तम अभ्यास को अपनाएंगी।

1. सुरक्षा मामलों पर मंथन सत्र- सीएमडी की 135वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, जनवरी से मार्च, 2021 के महीने में बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा जागरूकता पर ब्रेन स्टॉर्मिंग सत्र आयोजित किया गया है और परिणाम की समीक्षा आईएसओ, बीसीसीएल द्वारा की जा रही है।

(II) वर्ष 2020-21 में किए गए अन्य सुरक्षा उपाय -

क. डंप स्लोप मॉनिटरिंग – मुराइडीह ओसीपी, बरोरा क्षेत्र के फुलरीटांड खंड में साइड फॉल की खतरनाक घटना को देखते हुए, सितंबर, 2020 में बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों की बेंच ऊंचाई और डंप ढलान स्थिरता की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है और समिति की रिपोर्ट के आधार पर बीसीसीएल के सभी ओसीपी के लिए 'डंप ढलान स्थिरता का वैज्ञानिक अध्ययन' किया जा रहा है।

ख. बीसीसीएल की खदानों का औचक निरीक्षण एवं नियमित निरीक्षण जी.एम. (एस एंड आर) और आईएसओ के अन्य नोडल अधिकारी जनवरी-मार्च, 2021 की तिमाही के दौरान नियमित आधार पर किया गया।

ग. आग और बाढ़ पर मॉक रिहर्सल- जनवरी से दिसंबर, 2020 के दौरान आग और बाढ़ के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के मामले में तैयारियों की जांच करने के लिए कंपनी द्वारा विभिन्न खानों में कुल 22 मॉक रिहर्सल किए गए हैं। इस वर्ष फिर से इसे मई-जून, 2021 से फिर से शुरू किया जाएगा। अध्यक्ष, सीआईएल की अध्यक्षता में टास्क-आईडी 129 द्वारा बीसीसीएल के मॉक रिहर्सल अभ्यास को सुरक्षा के तहत सीआईएल के पांच 'सर्वोत्तम अभ्यासों' में से एक के रूप में पहचाना गया है।

घ. दिनांक 01.07.2020 से 31.08.2020 की अवधि के दौरान बहु-विभागीय अंतर-क्षेत्रीय टीम द्वारा बीसीसीएल की खदानों का सुरक्षा ऑडिट वर्ष 2020-21 में पूरा कर लिया गया है। सभी खदानों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। सेफ्टी ऑडिट 2021-22 के लिए जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा।

ङ. सबस्टेशन निरीक्षण - बीसीसीएल के सभी क्षेत्र के सभी सब-स्टेशनों का निरीक्षण करने के लिए डीजीएमएस के निर्देशानुसार एक कमेटी का गठन किया गया है। तद्नुसार समिति ने सभी सब-स्टेशनों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंप दी है। समिति की अनुशंसा के अनुसार उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

च. सुरक्षा वार्ता करना: सुरक्षित खनन कार्यों के लिए श्रमिकों के बीच सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और समर्पित श्रमिकों द्वारा खानों में प्रत्येक पाली की शुरुआत में सुरक्षा वार्ता की जाती है। बिजली के खंभों और ऊंचाई पर काम करते समय मशीनों के संचालकों द्वारा सीट बेल्ट और कर्मियों द्वारा सुरक्षा बेल्ट का उपयोग सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

छ. बीसीसीएल सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों और मुख्यालय के अधिकारियों के साथ-साथ खदान के अधिकारियों के साथ बीसीसीएल की खदानों / वाशरीज का निरीक्षण करने वाले द्वि-पक्षीय निरीक्षण (क्षेत्र स्तर) टीम का विवरण नीचे दिया गया है:

निरीक्षण की तारीख	वर्ष 2020-21 में निरीक्षण
19.06.2020	सिजुआ क्षेत्र की खदान
21.08.2020	पूर्वी झरिया क्षेत्र की खदान
21.09.2020	कतरास क्षेत्र की खदान
23.09.2020	पाथरडीह व भोजूडीह वाशरी
30.09.2020	गोविंदपुर क्षेत्र की खदान
07.10.2020	कुसुंडा क्षेत्र की खदान
09.10.2020	पी बी क्षेत्र की खदान
14.10.2020	सी वी क्षेत्र की खदान
18.11.2020	दुग्दा वाशरी
27.11.2020	बरोरा क्षेत्र की खदान
08.01.2021	लोदना
13.01.2021	पश्चिमी झरिया
20.01.2021	ब्लॉक-2
10.02.2021	मुनीडीह और महुदा वाशरी
24.02.2021	बस्ताकोला

(ज) सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2020-21 में डीजीएमएस अधिकारियों, प्रबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा समिति की उपस्थिति में क्षेत्रीय स्तर की त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गयीं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

2020-21 में बैठक की तारीख	क्षेत्र का नाम
शून्य (कोविड-19 महामारी के कारण)	

(झ) सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2020-21 में डीजीएमएस अधिकारियों, प्रबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा समिति की उपस्थिति में कंपनी स्तर की त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गयीं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

बैठक की तारीख	2020-21
29.08.2020	43वीं बैठक

(ञ) कंपनी स्तरीय द्विपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक

बैठक की तारीख	2020-21
20.05.2020	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सभी क्षेत्रों के महाप्रबंधकों ने भी बैठक में भागीदारी किया।

(ट) महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव) और आईएसओ के अन्य नोडल अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर औचक निरीक्षण किए गए हैं।

(ट) आकस्मिक स्थिति में तैयारियों की जांच के लिए निम्न विवरण के अनुसार कंपनी और डीजीएमएस द्वारा विभिन्न खदानों और सब-स्टेशनों में मॉक रिहर्सल (पूर्व अभ्यास) किए गए-

पूर्व अभ्यास की तारीख	खदान और सब स्टेशन का नाम	आयोजक
20.05.2020	एबीजीसी	कोलियरी प्रबंधन
06.06.2020	जीकेकेसी	कोलियरी प्रबंधन
08.06.2020	एएसपी कोलियरी (ओसीपी)	कोलियरी प्रबंधन
09.06.2020	एएसपी कोलियरी (यूजी)	कोलियरी प्रबंधन

पूर्व अभ्यास की तारीख	खदान और सब स्टेशन का नाम	आयोजक
12.06.2020	महेशपुर कोलियरी	कोलियरी प्रबंधन
12.06.2020	ईस्ट बसुरिया कोलियरी	कोलियरी प्रबंधन
16.06.2020	खरखरी कोलियरी	कोलियरी प्रबंधन
18.06.2020	तेतुलमारी कोलियरी	कोलियरी प्रबंधन
18.06.2020	एनटीएसटी जीनागोड़ा कोलियरी	कोलियरी प्रबंधन
22.06.2020	एनजीकेसी	कोलियरी प्रबंधन
23.06.2020	सलानपुर कोलियरी	कोलियरी प्रबंधन
23.06.2020	सलानपुर कोलियरी	कोलियरी प्रबंधन
26.06.2020	एना कोलियरी	कोलियरी प्रबंधन
29.06.2020	भौरा उत्तर यूजी	कोलियरी प्रबंधन
06.07.2020	एनएकेसी	कोलियरी प्रबंधन
07.07.2020	बस्ताकोला कोलियरी	कोलियरी प्रबंधन
08.07.2020	केशलपुर कोलियरी	कोलियरी प्रबंधन
31.07.2020	एकेडब्ल्यूएमसी	कोलियरी प्रबंधन
01.08.2020	जोगीडीह कोलियरी	कोलियरी प्रबंधन

(ड) निम्नलिखित विवरण के अनुसार बीसीसीएल की कॉलोनियों में सुरक्षा चौपाल/सुरक्षा जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया:

2020-21	
सुरक्षा चौपालसुरक्षा जागरूकता संगोष्ठी/ की तारीख	कॉलोनी का नाम (क्षेत्र)
20.01.2021	ब्लॉक-2 क्षेत्र
कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण वर्तमान में आयोजित नहीं की जा रही है।	

(ढ) बीसीसीएल की सभी इकाइयों में दिनांक 28.04.2020 को सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस आयोजित किया गया।

19.4 आरएमआर और ढलान स्थिरता के लिए वैज्ञानिक अध्ययन

रूफ रॉक के आर एम आर के निर्धारण और सभी ओसीपी के डंप स्लोप स्थिरता की निगरानी के लिए मुख्यालय और क्षेत्र स्तर पर एक भू तकनीकी सेल की स्थापना की गई है। वैज्ञानिक एजेंसियों बीआईटी सिंदरी, सीआईएमएफआर, बीएचयू, जादवपुर विश्वविद्यालय, आईआईटी-आईएसएम धनबाद द्वारा भूमिगत खदान में समर्थित अभिकल्प, डंप ढलान स्थिरता, खतरनाक क्षेत्रों में विस्फोट डिजाइन, वाइंडर्स का संरचनागत स्थिरता परीक्षण आदि के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है।

19.5 प्रशिक्षण कार्यक्रम

(क) प्रक्षिक्षण कार्यक्रम (प्रतिभागियों की संख्या)

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रकार	2019-20	2020-21
1	प्रबंधन प्रशिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण	6354	4326
2	आईआईसीएम	435	97
3	विदेश	04	00
	कुल	6793	4423

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रतिभागियों की संख्या)

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रकार	2019-20	2020-21
1	बेसिक	340	425
2	रिफ्रेशर	6493	5811
3	विशिष्ट एवं अन्य	1884	1157
4	सुरक्षा सम्मेलन के अनुसार	1994	1888
	कुल	10711	9281

(ग) संविदा कर्मियों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रकार	2020-21
भूमिगत सुरक्षा जागरूकता	386
ओसीपी सुरक्षा जागरूकता	1008
कुल	1394

(घ) एचईएमएम ऑपरेटरों के लिए सिम्युलेटर

एचईएमएम ऑपरेटरों के प्रकार	2020-21
डंपर ऑपरेटर	715
शॉवेल ऑपरेटर	156
कुल	871

19.6 वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित सुरक्षा सामग्रियों की खरीद के लिए कृत कार्रवाई की स्थिति

सामग्री का नाम	वर्ष 2020 में की गयी खरीद सामग्रियों संख्या	खरीद की स्थिति	जिस क्षेत्र में वितरण किया गया	टिप्पणी
गैस क्रोमैटोग्राफ	02	4.02.2020 को आपूर्त	पश्चिमी झरिया और कतरास	कतरास क्षेत्र में स्थापित। भौतिक गड़बड़ी के कारण स्थापित नहीं।
60 मिनट की अवधि का एससीएसआर	825	आपूर्ति पूरी की गयी।		मुनिडीह भूमिगत खदान में प्रयोग
अग्निशामक	365	107 की आपूर्ति	समस्त क्षेत्र	शेष के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा समय विस्तार मांगा लेकिन अभी तक आपूर्ति नहीं
फायर टेंडर	04	आपूर्ति की गयी	ब्लॉक- II, कतरास, लोदना और एमआरएस	
एल्कोहल मीटर / सांस विश्लेषक	21	आपूर्ति की गयी	सभी क्षेत्र	
मल्टी गैस डिटेक्टर	11	आपूर्ति की गयी	पुटकी बलिहारी और पश्चिमी झरिया	

सामग्री का नाम	वर्ष 2020 में की गयी खरीद सामग्रियों संख्या	खरीद की स्थिति	जिस क्षेत्र में वितरण किया गया	टिप्पणी
मिथेनोमीटर	43	आपूर्ति की गयी	यूजी खानों के लिए सभी क्षेत्र में	
इनबिल्ट आरओ सिस्टम के साथ वाटर स्टोरेज कूलर	35	आपूर्ति की गयी	सभी क्षेत्र	सभी स्थापित
खनन जूते	17000 जोड़ी + 21,000 जोड़ी के लिए नया आदेश दिया गया।	आपूर्ति की गयी	सभी क्षेत्र	21000 जोड़ी के लिए नया आदेश दिया गया, मार्च, 2021 में आपूर्ति संभावित।
हेलमेट	6000	आपूर्ति की गयी	सभी क्षेत्र	6325 की नयी आपूर्ति की गयी। वर्तमान में इनका परीक्षण और निरीक्षण हो रहा है।
गमबूट	11350 जोड़ी	आपूर्ति की गयी	सभी क्षेत्र	वर्ष 2020-21 के लिए दर अनुबंध 7333 जोड़े हेतु तकनीकी जांच की जा रही है।
डमी बॉडी	03	आपूर्ति की गयी	एमआरएस धनसार	
वाटर कूलर 80 लीटर क्षमता	01	आपूर्ति की गयी	एमआरएस धनसार	
एलईडी कैंप लैंप	7800	आपूर्ति की गयी	सभी भूमिगत खदानों के लिए	
माइनिंग टिबर	सभी भूमिगत खदानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की जाएगी। 01.11.2020 से 31.10.2021 की अवधि के लिए आरसी (दर अनुबंध) 24.09.2020 को पश्चिम बंगाल वन विकास निगम के साथ संपन्न हुई।			
इलेक्ट्रिक आर्क सुरक्षा किट	मार्च, 2021 में आपूर्ति किए गए 129 के लिए आदेश दिया गया, वर्तमान में परीक्षण और निरीक्षण के अंतर्गत है।			
एमआरएस, धनसार के लिए रेस्क्यू वैन	दिसंबर, 2020 में प्राप्त हुआ और परिचालन में है।			

19.7 स्टील सपोर्ट

2019-20 एवं 2010-21 के दौरान रूफ सपोर्ट के लिए स्टील सामग्रियों की खपत का ब्यौरा निम्नलिखित है :

	मद	2019-20	2020-21
क	20 एमएम टॉर स्टील	241.95 टन	197.17 टन
ख	होलो स्क्वायर स्टील ट्यूब	शून्य	शून्य
ग	स्टील चॉक	शून्य	शून्य
घ	1.6 एमएम एमएस शीट	7.08टन	1.63
ड.	6 एमएम एमएस प्लेट	42.93 टन	44.10
च	6 एमएमX150 एमएम एमएस फ्लैट	35.45 टन	36.36

19.8 माइंस रेस्क्यू स्टेशन बी सी सी एल

क. परिचय :- माइन्स रेस्क्यू स्टेशन (MRS) धनसार ने भारत के कोयला खनन उद्योगों को 1941 से 1985 तक सेंट्रल कोल माइन्स रेस्क्यू स्टेशन कमेटी, केंद्र सरकार की संस्था के तहत सेवाएं प्रदान किया। 1985 के बाद यह प्रशासनिक रूप से बीसीसीएल द्वारा नियंत्रित हो गया और बीसीसीएल, टाटा-स्टील झरिया डिवीजन और सेल -सीडी की सभी खानों को एमआरएस और इसके तीन बचाव कक्ष आरआर मुनीडीह, आरआर सुदामडीह और आरआर मधुबन के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

स्थान:- माइंस रेस्क्यू स्टेशन बीसीसीएल धनबाद-झरिया रोड के पश्चिम में धनसर में स्थित है, और धनबाद रेलवे स्टेशन से 4.0 किमी दूर है।

बचाव कक्ष मुनीडीह रेलवे स्टेशन धनबाद से लगभग 12 किमी की दूरी पर स्थित है। यह निकटतम रेलवे स्टेशन करकेंद से 6 किमी और मुनीडीह परियोजना बीसीसीएल के पास है।

बचाव कक्ष सुदामडीह धनबाद रेलवे स्टेशन, धनबाद से लगभग 19 किमी की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन भौरा के पास और क्षेत्रीय अस्पताल सुदामडीह के ठीक सामने है।

बचाव कक्ष मधुबन रेलवे स्टेशन धनबाद से लगभग 35 किमी की दूरी पर स्थित है। इसका निकटतम रेलवे स्टेशन जमुनी हाल्ट है।

ख. एमआरएस और इसकी तीन इकाइयों का कार्यक्षेत्र :-

क्रम सं.	इकाई का नाम	नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या	जिन कोलियरी में सेवा प्रदान की जानी है
1.	एमआरएस धनसार	9931188280	बस्ताकोला, कुसुंडा, लोदना, सिजुआ क्षेत्र और टाटा स्टील झरिया डिवीजन की सभी कोयला खदानें।
2.	आर आर मुनिडीह	9931188284	लोहापट्टी कोलियरी को छोड़कर पीबी क्षेत्र और डब्ल्यूजे क्षेत्र की सभी कोयला खदानें।
3.	आर आर सुदामडीह	9931188281	ईजे क्षेत्र और सेल-सीडी की सभी कोयला खदानें।
4.	आर आर मधुबन	9931188285	कतरास, गोविंदपुर, बरोरा, ब्लॉक II क्षेत्र और लोहापट्टी कोलियरी की सभी कोयला खदानें।

ग. एमआरएस के तहत कुल बचाव प्रशिक्षित कर्मचारी = 365 (बीसीसीएल = 292, टाटा-स्टील = 56, सेल-सीडी = 17)

घ. उपकरण विवरण: - एमआरएस धनसार और इसकी तीन इकाइयों में सभी उपकरण खान बचाव नियम 1985 नियम 11(1) और (2) अनुसूची-I और अनुसूची-II के अनुसार रखे जाते हैं।

ङ. उपलब्धि (2020-21)

1. 2020-21 के दौरान इमरजेंसी डीलिंग -

बचाव कार्य-

क) जमाडोबा 2 पिट यू/जी के सीलबंद क्षेत्र को फिर से खोलना।

ख) एडीआई में ऊंचाई से गिरे हुए व्यक्ति का बचाव।

ग) एडीआई के पास भूधंसान क्षेत्र में दबे व्यक्ति का बचाव।

घ) मॉक रिहर्सल अभ्यास - 04।

अग्निशमन -17 स्थान (शॉवेल आग, डंपर आग, कोयले के भंडार में आग, वैगन में आग, झाड़ी की आग आदि)

कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एनओएसीआई के साथ फायर टेंडर द्वारा स्वच्छता - बीसीसीएल कमांड क्षेत्र 75 स्थान पर ।

च. 2020-21 में पूंजीगत वस्तु की खरीद:-

i) एसी रेस्क्यू वैन - 1

ii) बकेट स्ट्रेचर- 2

iii) एयर लिफ्टिंग बैग- 2 सेट

iv) डमी बॉडी - 3

v) वाटर मिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर-2

vi) ट्रेड मिल - 1

vii) इलेक्ट्रिक सायरन-1

viii) मल्टी फंक्शन प्रिंटर - 1

ix) टेलीस्कोपिक टाइप लैडर - 1

x) आरओ/यूवी के साथ वाटर कूलर -1

xi) एलईडी सर्च लाइट -2

xii) इन्वर्टर और बैटरी -2

छ. अन्य उपलब्धियां:-

5 बैचों का एससीएसआर का व्यावहारिक प्रदर्शन परीक्षण आयोजित करना।

एमआरएस धनसार में प्राथमिक उपचार प्रतियोगिता का आयोजन करना।

20. कार्मिक

20.1 श्रमशक्ति से संबंधित सामान्य आंकड़े

बीसीसीएल की श्रमशक्ति 1 अप्रैल, 2020 को 43425 और 31 मार्च, 2021 को 41149 थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान इसमें 2276 (5.24%) की कमी आयी है।

श्रमशक्ति की स्थिति:

01.04.2020 की तुलना में 31.03.2021 को कंपनी की तुलनात्मक श्रमशक्ति निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	श्रेणी	स्थिति		वृद्धि/ह्रास
		1.04.2020	31.3.2021	अप्रैल,2020 से मार्च, 2021 तक
I	अधिकारी	1989	1879	-110
II	मंथली रेटेड	6779	6277	-502
III	डेली रेटेड	34073	32401	-1672
IV	पीस रेटेड	15	3	-12
V	प्रशिक्षु	569	589	+20
	कुल	**43425**	**41149**	**-2276**

01.04.2020 की तुलना में मौजूदा श्रमशक्ति में 2276 (5.24%) की शुद्ध कमी।

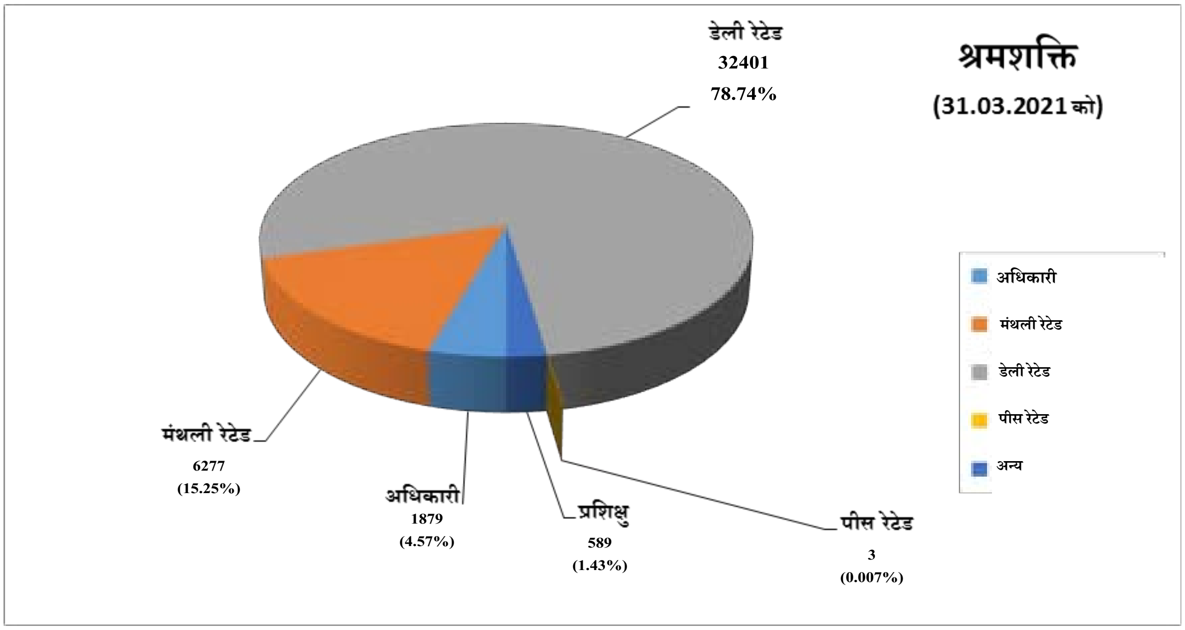

श्रमशक्ति में हुई कमी का विवरण			श्रमशक्ति में हुई वृद्धि का विवरण	
विवरण	1 अप्रैल,2020 से 31 मार्च, 2021 तक		विवरण	1 अप्रैल,2020 से 31 मार्च, 2021 तक
सेवानिवृत्त	2010		नई नियुक्ति	02
कंपनी से अलग होना (बर्खास्त एवं सेवा समाप्ति के कारण)	61		एनसीडब्लूए 9.3.0 के अंतर्गत आश्रित नियोजन (मृत्यु मामले)	270
त्यागपत्र	27		जमीन के बदले आश्रित नियोजन	10
मृत्यु	440		पुनर्बहाली/काम पर पुनः योगदान	03
अधिकारियों के लिए ईआरएस	01		वीआरएस (एफ)	01
अन्य कंपनी में स्थानांतरण	98		अन्य कंपनी से स्थानांतरित होकर आना	75
कुल कमी	**2637**		कुल वृद्धि	**361**

शुद्ध कमी (2020-21 के दौरान) = 2276

- कंपनी की श्रमशक्ति के आंकड़े को अद्यतन रखा जाता है एवं इसकी सूचना सीआइएल, कोयला मंत्रालय, सांविधिक निकायों एवं अन्य को नियमित रूप से भेजी जाती है।
- उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर वार्षिक कार्य-योजना, श्रमशक्ति अनुमान योजना, दीर्घकालिक योजना आदि जैसी योजना प्रक्रियाओं के लिए समय-समय पर संश्लेषित आंकड़े तैयार किए जाते हैं।
- क्षेत्र-वार अनुपस्थिति आंकड़ों की मासिक निगरानी की जाती है तथा क्षेत्रों की अनुपस्थिति के प्रतिशत को स्वीकार्य/अनुमत सीमा (यानि 20%) के भीतर रखने के उद्देश्य से विवेचनात्मक विश्लेषण किया जाता है।

20.2 श्रमशक्ति बजट (गैर-अधिकारियों के लिए)

क्र.सं.	मद	संख्या
(i)	31.01.2020 को वर्तमान में कुल श्रमशक्ति (अधिकारी को छोड़कर)	41932
(ii)	वर्ष 2020-21 में स्वीकृत कुल श्रमशक्ति	34545
(iii)	वर्ष 2020-21 में बजट में कुल श्रमशक्ति आधिक्य	7387

लक्षित उत्पादन कार्यक्रमों के लिए आने वाले वर्षों में खानों में मशीनीकरण के विस्तार को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध मशीनों एवं श्रमशक्ति स्रोतों पर श्रमशक्ति बजट आधारित होता है। प्रत्येक परियोजना अथवा स्थापना में श्रमशक्ति की आवश्यकता के अनुसार शून्य आधारित बजट की अवधारणा का पालन किया जाता है।

उत्पादन लक्ष्य और सहयोगी गतिविधियों को पूरा करने के लिए सांविधिक, पैरामेडिकल प्रमुख एवं आवश्यक पदनामों/श्रेणियों के लिए श्रमशक्ति का आवश्यकता आधारित प्रावधान बनाया जाता है। श्रमशक्ति बजट बनाते समय कंपनी में कम्प्यूटरीकरण के स्तर पर भी विचार किया जाता है।

20.3 नियुक्ति एवं चयन

1. वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित संख्या में भर्तियां की गई:-

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1	अनुकंपा के आधार नियोजन	310
2	नियोजन के बदले आर्थिक मुआवजा	12
3	सर्वेयर (विभागीय)	03
4	माइनिंग सरदार	04
	कुल	**329**

2. वर्ष 2020.21 के दौरान स्थानांतरण पदस्थापना

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	टिप्पणी
1.	अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण	607	i. अनुरोध पर स्थानांतरण -313 ii. अस्थायी स्थानांतरण (कोविड-19 के कारण)-294
2.	श्रमशक्ति युक्तिकरण	406	i. भूमिगत से सतह में परिवर्तन -137 ii. अंतर क्षेत्रीय -218 iii. अंतर कंपनी-51
3.	संवेदनशील स्थानांतरण	292	

3. दिनांक 01.01.2021 को श्रमशक्ति

1 जनवरी, 2021 को (कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण और पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान किए गए प्रोन्नति की संख्या:

समूह	कुल अनुसूचित जाति		कुल अनुसूचित जनजाति		कुल अन्य पिछडा वर्ग		पदोन्नत किए गए कर्मियों की संख्या		पदोन्नत किए गए अनुसूचित जाति		पदोन्नत किए गए अनुसूचित जनजाति	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
ए	270	241	84	390	337	487	कोल् इंडिया स्तर पर					
बी	245	291	387	475	721	883	145	190	21	30	36	49
सी	3118	3186	4803	4863	3291	3313	546	510	82	73	136	120
डी	4170	4349	5341	5740	3279	3637	576	614	147	156	126	146
कुल	7803	8067	10615	11468	7628	8320	1267	1314	250	259	298	315

4. प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सुविधाएं:

- केंद्रीय अस्पताल धनबाद में संचालित स्कूल ऑफ नर्सिंग, तकनीकी स्कूल द्वारा तीन वर्षीय नर्सिंग एंड मिडवाइफ का डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।
- झारखंड राज्य के आरक्षित अनु. जा./अनु. ज. जा. के छात्रों के लिए यह पूरा पाठ्यक्रम प्रति छात्र रू. 30,000/- के मामूली शुल्क पर प्रदान किया जाता है।
- **माइनिंग सरदार "प्रशिक्षुओं" का प्रशिक्षण**: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, बीसीसीएल ने चार वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य के 10 अनुसूचित जाति और 10 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का चयन करने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें सीआईएल की खनन सरदारों के लिए "प्रशिक्षु" तैयार करने की योजना के अनुसार खनन सरदारशिप योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। हालांकि, 20 में से केवल 18 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट किया है।।

क	बीसीसीएल द्वारा प्रशिक्षण पर होने वाले कुल खर्च का वहन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-	
	(i)	छात्रावास
	(ii)	खाद्य सामग्री (खाना)
	(iii)	पठन/पाठन सामग्री
	(iv)	प्रवेश लेने के लिए यात्रा-भत्ता
ख	प्रशिक्षण की अवधि के दौरान ''प्रशिक्षुओं'' को जेब खर्च हेतु निम्नलिखित दरों पर ''मासिक भत्ते'' का भुगतान किया जाता है:	
	(i)	प्रथम वर्ष के दौरान रू. 1000.00/- प्रतिमाह
	(ii)	द्वितीय वर्ष के दौरान रू. 1250.00/- प्रतिमाह
	(iii)	तृतीय वर्ष के दौरान रू. 1500.00/- प्रतिमाह
	(iv)	चौथे व अंतिम वर्ष के दौरान रू. 1750.00/- प्रतिमाह

- अ.जा./अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के कैरियर में विकास के लिए आवश्यक कौशल विकास हेतु मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडी) द्वारा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं।

5. शिकायत निवारण तंत्र:

- अ.जाति/अ.जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के (ओबीसी) कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एससी/एसटी/ओबीसी प्रकोष्ठ कंपनी मुख्यालय में चल रहा है। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्रों/प्रतिष्ठानों में एसटी कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए सक्षम पदाधिकारियों को नामित किया गया है।

- प्रभावी और समयबद्ध तरीके से अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी समेत सभी कर्मचारियों की समस्याओं के उचित समाधान हेतु एक केंद्रीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी मुख्यालय में कार्यरत है।
- मुख्यालय में उनकी समस्याओं के समाधान हेतु एसोसिएशन/फेडरेशन के साथ संरचित बैठकें भी आयोजित की जाती है। इसके अलावा मुख्यालय में संपर्क अधिकारियों द्वारा अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों की निपटान के लिए उनके साथ नियमित संवाद एवं वार्ता भी आयोजित की जाती है।

6. वार्षिक बैठकें

शिकायतों के निपटान के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के संघ/ महासंघों के साथ मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर वार्षिक संरचित बैठकों का आयोजन किया जाता है।
वर्ष 2020-21 के दौरान वर्तमान में कोविड-19 महामारी की वजह से बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी हैं।
तथापि, समस्याओं को दूर करने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी एसोसिएशनों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

7. कंपनी के सीएसआर के माध्यम से विकासपरक गतिविधियां:

बीसीसीएल उन क्षेत्रों में स्थित है जहां के अधिकांश इलाके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हैं। बीसीसीएल द्वारा सीएसआर की तमाम योजनाओं का विस्तार अनुसूचित जाति/जनजातियों तक उनके उन्नयन के लिए किया जाता है। सीएसआर के तहत की गई सभी गतिविधियों में समुदाय आधारित कार्यक्रम होते हैं जिससे बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को लाभ मिलता है।
कोविड 19 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों वाले ग्रामीण इलाकों में खाद्य पैकेजों का वितरण भी किया गया है। वर्ष 2020 की सर्दियों में धनबाद के 2000 बेघर लोगों को कंबल का वितरण किया गया।

8. भर्ती/पदोन्नति में छूट:

- कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एक सदस्य को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है ताकि अनुसूचित जातियों के रिक्तियों में आरक्षण एवं अन्य रियायतों से संबंधित विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा सके।
- इस विषय पर दिए गए आदेशों के अनुसार सभी पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए रोस्टर का प्रयोग किया जा रहा है।
- अन्य छूट एवं आरक्षण का प्रतिशत नीचे दिया गया है-
  1. सीधी भर्ती में आयु में छूट अनुसूचित जाति/जनजाति - 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग-03 वर्ष
  2. परीक्षा शुल्क में छूट - अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कोई शुल्क नही
  3. लिखित परीक्षा में अर्हता अंक में छूट
- सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को दी जाने वाली छूट/रियायतें झारखंड सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPTs) के कार्यालय द्वारा ज्ञापन सं.- 36017/2/2004-Estt(Res), दिनांक 05.07.2005 के अनुसार समूह ग एवं घ के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो आरक्षण निर्धारित है जैसे- अ.ज.12%, अ.ज.जा.- 26% एवं अ.पि. वर्ग- 12% के अनुसार उन्हें भर्ती में आरक्षण दिया जा रहा है।
- पदोन्नति में आरक्षण की प्रतिशत- अ.जा.के लिए 15%
  अनुसूचित ज.जा. के लिए- 7.5%

9. मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर आवास आवंटन समिति में सदस्यता:

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एक सदस्य को कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए आवास आवंटन समिति में शामिल किया जाता है।

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के निर्देशों का अनुपालन

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोगों से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन निर्धारित समय में किया जाता है।

11. वार्षिक उत्सव: डा. भीमराव रामजी अंबेडकर को कृतज्ञता एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बीसीसीएल द्वारा प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है।

21. मानव संसाधन विकास

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या के लक्ष्य और उपलब्धि

स्थान	2020-21			2019-20		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
मानव संसाधन विकास विभाग	1917	2918	152	3714	4940	133
समूह व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र	6543	10689	163	9536	11609	122
कुल	**8460**	**13607**	**161**	**13250**	**16549**	**125**

[कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 202-21 में एचआरडी और जीवीटीसी के लक्ष्यों को क्रमशः 1997 और 6543 प्रतिभागियों के लिए निर्धारित किया गया]

2. सांविधिक पदों के लिए प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या

विवरण	2020-21	2019-20
माइन मैनेजरशिप	90	66
ओवरमैनशिप	00	39
माइनिंग सरदारशिप	41	41
सर्वेयरशिप	00	09
बाइंडिंग इंजन ऑपरेटर	12	48
गैस टेस्टिंग	175	327
इलेक्ट्रिकल सुपरवाईजर	20	250
कुल	**338**	**780**

3. प्रशिक्षित की गई महिला कर्मचारियों की संख्या

विवरण	2020-21	2019-20
अधिकारी	90	251
सुपरवाइजर	101	91
श्रमिक	08	498
कुल	**199**	**840**

4. आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित कर्मी

संस्थान का नाम	2020-21	2019-20
एम.डी.डी.	1688	2434
एम.टी.डी.	547	836
इ.एम.टी.डी.	683	1670
कुल	**2918**	**4940**

टिप्पणी:- एम.डी.डी – प्रबंधन विकास प्रभाग,
एम.टी.डी. – खदान विकास प्रभाग,
ई.एम.टी.डी – उत्खनन एवं यांत्रिकीकरण प्रशिक्षण प्रभाग

5. बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षित कर्मचारी

बाह्य प्रशिक्षण	2020-21	2019-20
आई आई सी एम	97	435
देश में	187	621
विदेश	00	04
कुल	**284**	**1060**

6. जीवीटीसी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित कर्मी

विवरण	2020-21	2019-20
बुनियादी	425	340
पुनश्चर्या	5811	6493
विशेष एवं अन्य प्रशिक्षण	1157	1884
सुरक्षा सम्मेलन की अनुशंसा के अनुसार	3296	1994
कुल	**10689**	**11609**

7. जीवीटीसी में ठेका मजदूरों का प्रशिक्षण

2020-21	2019-20
1408	**898**

8. तकनीकी एवं प्रबंधन पाठ्यक्रम में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों को नि:शुल्क व्यावसायिक/ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन औद्योगिक प्रायोगिक प्रशिक्षण

2020-21	2019-20
316	875

9. वर्ष 2020-21 के दौरान प्रशिक्षण दिए गए अप्रेंटिस

एप्रेंटिस	ट्रेड	2020-21	2019-20
ट्रेड एप्रेंटिस (आईटीआई)	विभिन्न ट्रेड	861	1019
टेक्निशियन एप्रेंटिस (पीडीपीटी)	खनन	217	155
	गैर खनन	89	86
ग्रेजुएट अप्रेंटिस (पीजीपीटी)	खनन	00	01
	गैर खनन	60	46
कुल		**1227**	**1307**

10. सीआईएल के दिशा-निर्देश के अनुसार माइनिंग सरदार "प्रशिक्षु" की तैयारी हेतु बने प्रशिक्षण योजना के तहत पुटकी बलिहारी क्षेत्र में 18 अ.जा./ अ.ज.जा. श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें से 8 योग्य उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और 05 उम्मीदवारों ने खनन सरदार परीक्षा उत्तीर्ण की।

वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं-

1. श्री पारिजात किशोर, एडवोकेट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25-09-2020 को "नागरिक कर्तव्य जागरूकता कार्यक्रम" पर ऑनलाइन कार्यशाला।

2. श्री मयूर कार्तिक, इंटरनेशनल फैकल्टी, आर्ट ऑफ लिविंग, बेंगलुरु द्वारा 29-10-2020 को "जीवन शैली प्रबंधन" पर ऑनलाइन कार्यशाला।

3. दिनांक 30-10-2020 को "दृष्टिकोण / व्यवहार परिवर्तन - सतर्क भारत, समृद्ध भारत का एक तरीका" पर ऑनलाइन कार्यशाला। कार्यक्रम का उद्घाटन सीवीओ, बीसीसीएल द्वारा किया गया और संकाय सदस्य श्री असित बरन महापात्रा, प्रोफेसर, आईआईएम, रांची थे।

4. श्री ओम प्रकाश मिश्रा, महाप्रबंधक (सिविल), सीआईएल द्वारा 02-11-2020 को "निविदाओं और अनुबंधों का निष्पादन - कनिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शक उपकरण" पर ऑनलाइन कार्यशाला।

5. श्री विक्रांत सिंह तोमर, निदेशक, यूएमएस इंडिया द्वारा 18-11-2020 को "बीसीसीएल के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम" पर ऑनलाइन कार्यशाला।
6. आर्ट ऑफ लिविंग, बेंगलुरु द्वारा 26-11-2020 से 29-11-2020 तक "समग्र कल्याण कार्यक्रम" पर ऑनलाइन कार्यशाला।

7. श्री विक्रांत सिंह तोमर, निदेशक, यूएमएस इंडिया और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं द्वारा 12, 13, 19 और 20 दिसंबर, 2020 को "संयुक्त चेतना सम्मेलन"।

8. 24-12-2020 से 26-12-2020 के दौरान "श्रम कानून / कोड" पर ऑनलाइन कार्यशाला डॉ. निधि शुक्ला, सहायक प्रोफेसर, XISS रांची द्वारा।

9. "सर्वेक्षकों के लिए 3-डी टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनिंग (टीएलएस)" का आयोजन 11-01-2021 से 13- 01-2021 के दौरान ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से।

10. दिनांक 27-02-2021 को श्री के. के. श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल द्वारा "अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरूआत और बीसीसीएल के क्षेत्रों व मुख्यालय के अधिकारियों के लिए विभागीय जांच विधिकी प्रक्रिया" पर ऑनलाइन कार्यशाला।

11. श्री संजीव कुमार, नोडल अधिकारी, आईएसओ, सीएमपीडीआईएल द्वारा "प्रबंधन प्रणाली में आंतरिक लेखा परीक्षा कौशल (आईएसओ:9001, आईएसओ: 14001 और आईएसओ:45001)" पर ऑनलाइन कार्यशाला।

कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से प्राप्त प्रभाव/फीडबैक

22. कल्याण एवं सामुदायिक विकास गतिविधियां

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड उपकरणों के आधुनिकीकरण और कोयला खदानों के वैज्ञानिक विकास के माध्यम से गुणवत्ता और मात्रा के मामले में वैश्विक मांग और चुनौतियों को पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है।

संगठन की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कामगारों के साथ-साथ आसपास के ग्रामीणों के रहने की स्थिति में सुधार हेतु संगठन के भीतर और बाहर हमारे कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय कैसे किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य श्रमिकों को खुश, स्वस्थ, प्रतिबद्ध और निष्ठावान बनाना है।

बीसीसीएल द्वारा कल्याणकारी उपायों के लिए वैधानिक प्रावधानों का पालन करने का प्रयास किया जाता है और कर्मचारियों के लिए कई अन्य कल्याणकारी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं जैसे:

1. शैक्षिक सुविधाएं
2. सरकारी संस्थानों में बी/ई, बी/टेक या एमबीबीएस में प्रवेश पाने वाले कर्मचारी के आश्रित को वित्तीय सहायता
3. कर्मचारी हितग्राही निधि सोसायटी
4. कोल इंडिया छात्रवृत्ति योजना
5. खेल और मनोरंजन
6. कल्याण बोर्ड की बैठक
7. चिकित्सा सुविधाएं
8. सामुदायिक हॉल
9. सहकारी समितियां
10. बैंक/एटीएम
11. अन्य उपाय

1 .शैक्षिक सुविधाएं

शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से बीसीसीएल ने डीएवी स्कूलों, दिल्ली पब्लिक स्कूलों एवं सरस्वती विद्या मंदिर जैसी प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के साथ करार करके 08 प्रोजेक्ट व 3 सेमी प्रोजेक्ट स्कूलों को आधारभूत सुविधाएं और वित्तीय सहायता प्रदान किया है।

क्षेत्र एवं कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर प्रोजेक्ट स्कूलों का दौरा/निरीक्षण किया जा रहा है ताकि स्कूलों का स्तर बेहतर किया जा सके और स्कूलों में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

छात्राओं के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए, परियोजना स्कूलों में सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं, इससे उन्हें परेशानी मुक्त गतिविधि और लंबे समय तक स्कूली शिक्षा, कम अनुपस्थिति और अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

प्रोजेक्ट स्कूल

क्र. सं.	स्कूल का नाम	स्थान
1	डीएवी पब्लिक स्कूल	कुसुन्डा
2	डीएवी पब्लिक स्कूल	अलकुसा
3	डीएवी पब्लिक स्कूल	लोदना
4	डीएवी पब्लिक स्कूल	मुनीडीह
5	डीएवी पब्लिक स्कूल	दुग्दा
6	डीएवी पब्लिक स्कूल	कोयला नगर
7	सरस्वती विद्या मंदिर	भूली
8	सरस्वती विद्या मंदिर	गोविंदपुर

सेमी प्रोजेक्ट स्कूल

क्र. सं.	स्कूल का नाम	स्थान
1	डीएवी पब्लिक स्कूल	बरोरा
2	डीएवी पब्लिक स्कूल	महुदा
3	दिल्ली पब्लिक स्कूल	धनबाद

2. कर्मचारियों के बच्चों को वित्तीय सहायता

वेज-बोर्ड कर्मचारियों के जिन बच्चों ने आइआइटी, एनआईटी या किसी भी सरकारी संस्थान में बी. टेक या एमबीबीएस में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, उन्हें वर्ष 2009-10 से ट्यूशन फीस और छात्रावास शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 46 विद्यार्थियों को ₹ 28,76,772/- की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

3. कर्मचारी हितग्राही निधि सोसायटी

बीसीसीएल इम्पलाइज बिनेवोलेंट फंड सोसाइटी स्कीम के तहत बीसीसीएल लम्बी बीमारी के दौरान एवं मृत्यु हो जाने के मामले में छात्रवृति एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- मृत्यु के मामले में 300 लाभार्थियों को ₹ 1,49,20,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- 458 सेवानिवृत्त कर्मियों को ₹ 1000/- की दर से मानदेय प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत ₹ 4,58,000/- प्रदान किए गए।
- एक सदस्य को दो वर्ष की अवधि के लिए लंबी बीमारी के लिए ₹ 78,938/- की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।
- कर्मचारियों के 163 बच्चों को ₹ 2,49,000/- की छात्रवृति प्रदान की गई।

4. कोल इंडिया छात्रवृत्ति योजना

कर्मचारी प्रत्येक शैक्षिक-सत्र में अपने बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित आवेदन कर सकते हैं:-

(1) मेधा छात्रवृत्ति

(2)उपर्युक्त योजना के अंतर्गत सामान्य छात्रवृत्ति

(1) मेधा छात्रवृत्ति

यह छात्रवृत्ति उन अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है, जिन्होंने माध्यमिक/ हाईस्कूल या अन्य राज्य बोर्ड परीक्षा में 1 से 20वें स्थान के बीच रैंक प्राप्त की हो। आईसीएसई/ सीबीएसई/आईएससी (X या XI) बोर्ड के वैसे छात्रों को जिन्होंने 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो, जहां मेधा सूची घोषित नहीं की जाती है वहां अधिकतम साढ़े चार वर्ष अथवा अध्ययन पूरा होने की अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो की शर्त के आधार पर।

(2) सामान्य छात्रवृत्ति

यह छात्रवृत्ति कक्षा-V से ऊपर स्नातक/स्नातकोत्तर तक किसी भी विद्या के अध्ययन में लगे विद्यार्थियों के लिए मान्य है। अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के विभिन्न क्लास/स्टैण्डर्ड में निर्धारित अंकों में 10% की छूट दी जाती है।

5. खेलकूद एवं मनोरंजन

सभी स्तर के कर्मचारियों के समग्र विकास के लिए उनके मनोरंजन के साथ-साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए खेलकूद को कंपनी का एक अभिन्न अंग बनाया गया है।

खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए न केवल कर्मचारियों एवं उनके बच्चों को लाभान्वित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, बल्कि स्थानीय लोगों एवं उनके बच्चों के साथ -साथ खदानों के आस-पास रहने वाले को भी इसमें शामिल किया जाता है। संबंधित विभाग विभिन्न प्रकार के कोचिंग शिविर का आयोजन करता है, खेल-कूद का सामान /उपकरण मुहैया कराता है तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों को व्यापक रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इनमें जो सफल होते हैं, वे बीसीसीएल या अन्य अनुषंगी कंपनियों द्वारा द्वारा आयोजित सीआईएल/अखिल भारतीय पब्लिक सेक्टर प्रतियोगिताओं में बीसीसीएल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

6. कल्याण बोर्ड की बैठकें

कल्याण संबंधी मामलों पर चर्चा/समीक्षा करने के लिए तिमाही में एक बार बीसीसीएल कल्याण बोर्ड की बैठकें आयोजित की जाती थीं।

7. चिकित्सा सुविधाएं

31 मार्च 2021 को बीसीसीएल में 11 अस्पताल, 64 औषधालय, 762 बिस्तर, 137 डॉक्टर (82 जीडीएमओ और 53 विशेषज्ञ) 607 पैरामेडिकल स्टाफ और 63 एम्बुलेंस (विभागीय और संविदा दोनों) हैं।

8. **सामुदायिक हॉल**:

बीसीसीएल कर्मचारियों के लिए क्षेत्रों और मुख्यालय में 13 बहुद्देशीय सामुदायिक हॉल स्थापित किए गए हैं।

9. **सहकारी समितियां:**

बीसीसीएल में चल रही दो प्रमुख सहकारी समितियां निम्नलिखित हैं:

क. बीसीसीएल एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, जियलगोरा।

ख. धनबाद कोल बोर्ड को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी।

10. **बैंक/एटीएम:**

कर्मचारियों के वेतन और वेतन का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है। कर्मचारियों की सुविधा के लिए बैंकों के एटीएम क्षेत्रों में स्थित हैं।

11. **अन्य उपाय:**

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया गया है:

- 11 जनवरी 2021 को प्रोजेक्ट स्कूलों और सेमी प्रोजेक्ट स्कूलों में सेनेटरी वेंडिंग मशीनों का वितरण।
- 14 अप्रैल 2020 को डॉ भीमराव रामजी अम्बेडकर जयंती
- 01 मई, 2020 को खनिक दिवस
- 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस
- 02 अक्तूबर, 2020 को गांधी जयंती
- 1 नवंबर 2020 को सीआईएल स्थापना दिवस
- 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस
- 14 मार्च 2021 को बीसीसीएल बनाम डीजीएमएस के बीच टी-२० मैत्री क्रिकेट मैच।

12. कोरोना महामारी

कोविड-19 महामारी ने मानव के लिए एक अप्रत्याशित स्थिति ला दी है जिसने मानव जाति को उनके भविष्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में भय और अनिश्चितता की स्थिति में ला खड़ा किया है। इस दौरान शारीरिक दूरी और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए बीसीसीएल द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:-

- बीसीसीएल के सभी स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क, सेनिटाइजर का वितरण।
- कोविड-19 स्पेशल ट्रेनों में भोजन के पैकेटों और आस-पास के गांवों के निवासियों को सूखा राशन, फेस मास्क, और सैनिटाइज़र और हैंड वॉश का वितरण।
- केंद्रीय अस्पताल को कोविड-19 रोगी के उपचार के लिए समर्पित किया गया।
- आवासीय कालोनियों, कार्य स्थलों और एचईएमएम की नियमित सफाई और सफाई।
- नोटिस, बैनर और नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी आदि प्रस्तुत करके जागरूकता कार्यक्रम।
- आस-पास के स्कूलों और गांवों सहित सभी कार्यकारी इकाइयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में हाथ धोने की तकनीक का प्रदर्शन।
- कार्यालय के प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग और मास्क पहनने का अभ्यास अनिवार्य कर दिया गया है।
- अधिकांश बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई।

कोविड- 19 स्पेशल ट्रेनों में भोजन पैकेट का वितरण

प्रोजेक्ट और सेमीप्रोजेक्ट स्कूलों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन का वितरण

2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर निर्मला जनरल एंड लेप्रोसी हॉस्पिटल, धनबाद और वृद्धाश्रम, ओझाडीह, टुंडी में कपड़े, भोजन के पैकेट, मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का वितरण।

23. पेंशन

बीसीसीएल का पेंशन सेल, कंपनी में सीएमपीएफ एवं सीएमपीएस संबंधी सभी गतिविधियों का निवारण करता है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मिशन विस्वास के तहत पेंशन-दावे को जमा तथा उसके निपटाने के साथ-साथ विधवा/विधुर पेंशन, बाल पेंशन एवं अनाथ पेंशन के दावे को जमा एवं निपटान को सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग सीएमपीएफ अधिकारियों और क्षेत्रों/इकाइयों के बीच संपर्क सूत्र का भी काम करता है, ताकि सीएमपीएफओ द्वारा दावों को त्वरित एवं समयबद्ध निपटान के लिए इन दावों को आसानी से प्रस्तुत किया जा सके।

1. सीएमपीएफ ऑफिस में जमा किए गए पेंशन दावों के आंकड़े

वर्ष 2020-21 में पेंशन दावे का प्रस्तुतीकरण	वर्ष 2020-21 में पेंशन दावे का प्रस्तुतीकरण
2010	1868

2. सीएमपीएफ ऑफिस द्वारा निपटाए गए पेंशन दावों के आंकड़े

वर्ष 2020-21 में निपटाए गए पेंशन दावे	वर्ष 2020-21 में निपटाए गए पेंशन दावे
1868	2223*

*वर्ष 2020-21 के पहले के कुछ अनिर्णीत दावे इस निपटान में शामिल है।

विशेष उपलब्धियां

(क)वाईवाई स्टेटमेंट का वितरण:

वर्ष 2020-21 के वाईवाई स्टेटमेंट की प्रति का वितरण कर्मचारियों के बीच किया जा चुका है, ताकि प्रत्येक कर्मचारी को सीएमपीएफ एवं पेंशन के मद में किये गए उनके योगदान के बारे में पता चल सके।

(ख) सीपीई 03/2020 के लिए वार्षिक सीएमपीएफ वीवी स्टेटमेंट की प्रस्तुति:

सभी इकाइयों/क्षेत्रों से संबंधित सीपीई 03/2020 का वाईवाई स्टेटमेंट संबंधित क्षेत्रों को उनके कर्मचारियों में वितरण के लिए भेजा जा चुका है।

(ग)सेमिनार/कार्यशालाएं/समन्वय बैठकें:

पेंशन सेल समन्वय बैठक के दौरान संबंधित कर्मचारियों, अधिकारियों को दिशा-निर्देश देता है और कार्य-प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए यूनियन प्रतिनिधियों एवं सीएमपीएफओ के अधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का भी निवारण करता है। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए क्षेत्रों में केवल 5 समन्वय बैठकें/क्षेत्र का दौरा किया गया था। पीएफ एवं पेंशन संबंधी मामलों के निपटान/समन्वय के लिए पेंशन प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित समन्वय बैठकें/क्षेत्रीय दौरा किया गया था।

क्षेत्रों के नाम	दिनांक
बरोरा क्षेत्र एवं ब्लॉक।। क्षेत्र	26.02.2021
कतरास क्षेत्र एवं सिजुआ क्षेत्र	15.03.2021
वाशरी डिवीजन, सरायढेला	18.03.2021
लोदना क्षेत्र एवं ई. जे.क्षेत्र	19.03.2021
कुसुंडा क्षेत्र	24.03.2021

इसके अलावा, लंबित पीएफ एवं पेंशन मामलों के समन्वय और मंजूरी के लिए पेंशन सेल के अधिकारी नियमित रूप से सीएमपीएफ अधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए सीएमपीएफओ का दौरा करते हैं।

(घ) पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हेतु जागरूकता:

पेंशनभोगियों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के प्रति जागरूक पैदा करने के लिए प्रिंट मिडिया, डिजिटल मिडिया, बैनर आदि के माध्यम से अभियान चलाया गया था। पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए यूएसबी फिंगर प्रिंट स्कैनर का उपयोग करने के लिए क्षेत्रवार अभियान भी चलाया गया था।

(ङ) डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेशन कैंप :- पेंसन भोगियों की सुगमता और सुविधा के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट के सहयोग से बीसीसीएल के कमांड क्षेत्रो मे डिजिटल जीवन पत्र तैयार करने के लिए 24 शिविर लगाये गये, पेंसन भोगियों को उनके आसपास के क्षेत्रो मे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाकर सुविधा प्रदान की गयी।

(च) मिशन विश्वास के तहत पीएफ एवं पेंशन की प्रक्रिया शुरू करना:

मिशन विश्वास के तहत सेवानिवृत्ति-माह में सेवानिवृत्त कुल 1608 अधिकारियों/ कर्मचारियों के पीएफ एवं पेंशन दावों को सीएमपीएफओ के पास संसाधित/ अग्रसारित किया गया।

(छ) सॉफ्ट कॉपी में पीपीओ प्राप्त करना:

सीएमपीएफओ के अंचल कार्यालय से प्रत्येक महीने सॉफ्ट कॉपी में पीपीओ प्राप्त किए जा रहे हैं, जिसे बाद में सभी क्षेत्रों को ई-मेल द्वारा पेंशन निपटारे के रिकार्ड को अद्यतन बनाये रखने हेतु भेजा जाता है।

24. औद्योगिक संबंध और कानूनी अद्यतन

24.1 वर्ष 2020-21 में बीसीसीएल में औद्योगिक संबंध का परिदृष्य

24. औद्योगिक संबंध और कानूनी अद्यतन

24.1 वर्ष 2020-21 में बीसीसीएल में औद्योगिक संबंध का परिदृष्य

परस्पर संवाद तथा उत्पादन एवं उत्पादकता, सुरक्षा, कल्याण, नियोजन तथा अन्य कार्मिक संबंधी मामलों के निराकरण के लिए प्रबंधन एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक द्विपक्षीय फोरम का गठन किया गया है। पूरे वर्ष में पहले ही ट्रेड यूनियनों के साथ संरचनात्मक बैठकों के लिए एक कलेन्डर जारी किया गया है, तदनुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसके द्वारा कार्यस्थल पर प्रभावकारी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने तथा संगठनात्मक लक्ष्य व व्यक्तिगत लक्ष्य के बीच एक असाधारण संतुलन बनाने के लिए इकाई, क्षेत्र एवं कॉरपोरेट स्तर पर बैठकें आयोजित की जाती है।

वर्ष 2020-21 में, कोविड-19 के प्रकोप और उसके बाद भारत सरकार द्वारा जारी किए गए के दिशा-निर्देशों के कारण निर्धारित औद्योगिक संबंध (आइआर) की बैठकें अनुसूची के अनुसार आयोजित नहीं की जा सकीं। हालांकि, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रत्येक के साथ अलग-अलग और आभासी माध्यम से ट्रेड यूनियनों के साथ नियमित बातचीत सुनिश्चित की गई। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय सलाहकार समिति के साथ 05 बैठकें आयोजित की गई (अर्थात दिनांक 02.05.2020, 07.10.2020, 19.10.2020, 23.11.2020 और 21.12.2020 को)। यद्यपि, विवादों एवं शिकायतों के निपटान एवं समाधान के लिए प्रबंधन की ओर से पूरी कोशिश के साथ सकारात्मक पहल की गयी है। बीसीसीएल में एक ऑनलाइन और मोबाइल अनुकूल शिकायत निवारण पद्धति प्रचलित है जहां प्राप्त शिकायतों को पंजीकृत किया जाता है तथा समय सीमा के अंदर संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाता है। बीसीसीएल में दैनिक आईआर रिपोर्टिंग प्रणाली लागू है, जिसके तहत संबंधित क्षेत्रों से पूर्वाह्न में आईआर रिपोर्ट जमा लिया जाता है तथा किसी प्रतिकूल परिस्थिति के मामले में घटना के पहले ही उचित कदम उठाए जाते हैं ताकि दैनिक उत्पादन कार्य में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं हो। सम्मिलित प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2020-21 के दौरान बीसीसीएल में औद्योगिक संबंध मधुर सद्भाव पूर्ण तथा शांतिपूर्ण बना रहा और श्रमिकों तथा प्रबंधन के बीच परस्पर सद्भाव की समझ विकसित हुई।

औद्योगिक संबंध स्थिति रिपोर्ट

विवरण	2020-21	2019-20
हड़ताल	2	2
भूख हड़ताल	0	0
घेराव	0	0
प्रदर्शन	5	2
हमला	0	0
बाधा	0	0
धीरे चलो	0	0
संघर्ष	0	0
धरना	0	0
कामबंदी	0	3
अन्य, जैसे प्राणघातक दुर्घटना	4	9

	2020-21	2019-20
कार्यदिवस हानि-	86,295	41320
उत्पादन(टन) हानि-	83,351	2,01,598
वेतनहानि-	40,67,84,275	18,80,63,848

टिप्पणी:

वर्ष 2020-21 में कार्यदिवस हानि, उत्पादन-हानि और वेतन-हानि केवल जुलाई 2020 में सीटीयू द्वारा बुलाई गई अखिल भारतीय आम हड़ताल के कारण है। वर्ष 2019-20 में कार्यदिवस हानि, उत्पादन-हानि और वेतन-हानि, सितंबर, 2019 में सीटीयू द्वारा बुलाई गई अखिल भारतीय आम हड़ताल और तीन दिवसीय कामबंदी के कारण हुई है।

24.2 कानूनी अद्यतन:

1. **मुकदमों की संख्या को कम करने का प्रयास-** लोक अदालत, मध्यस्थता, वार्ता आदि जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के एक या एक से अधिक तरीकों को अपनाकर मुकदमेबाजी से पहले और मुकदमेबाजी के बाद दोनों चरणों में मुकदमेबाजी की संख्या को कम करने का प्रयास किया गया।
2. **वित्तीय विवेक-** अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर आवंटित बजट के भीतर काम करना।
3. **गैर-अनुपालन के कारण शून्य लागत-** माननीय न्यायालयों के आदेशों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया ताकि न्यायालय गैर-अनुपालन के लिए लागत न लगाए।
4. **कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना-** कंपनी के कर्मचारियों के बीच कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना। साथ ही, कई कार्यशालाओं/सम्मेलनों/सेमिनारों/शाम के व्याख्यानों का भी आयोजन किया गया जिसमें प्रख्यात कानूनी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था।
5. **डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना-** विधि विभाग के कार्यों में दक्षता, सुविधा एवं समीचीनता के लिए केस रिकॉर्ड, आधिकारिक पत्राचार आदि को बनाए रखने में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना।
6. **सर्वोत्तम कानूनी प्रथाओं को अपनाना-** सीपीएसई/प्रतिष्ठित निजी कंपनियों के कानूनी विभागों के प्रचलित और भविष्योन्मुखी सर्वोत्तम कानूनी प्रथाओं को अपनाना।
7. **समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना-** सीआईएल, एमओसी आदि से मांगी गई विभिन्न रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया गया।
8. **न्यायालय मामलों का अद्यतनीकरण-** सभी न्यायालय मामलों की स्थिति का नियमित अद्यतनीकरण सुनिश्चित किया गया और समाधान के लिए सभी क्षेत्रों/संबंधित विभागों को परिचालित किया गया।
9. **महत्वपूर्ण निर्णयों का मासिक बुलेटिन जारी करना-** कंपनी के संबंधित अधिकारियों के बीच जागरूकता लाने के लिए कोयला उद्योग के लिए लागू कानूनों से संबंधित मामलों पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों का मासिक बुलेटिन जारी करना।
10. **अदालत के बाहर मामलों के निपटारे के लिए एक समिति का गठन-** मामलों के अदालत के बाहर निपटान की संभावनाओं की खोज के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को मिलाकर एक समिति का गठन किया गया: -

    (क) महाप्रबंधक (कार्मिक/औ.सं.) - प्रमुख

    (ख) उप महाप्रबंधक (श्रमशक्ति एवं नियोजन) - सदस्य

    (ग) विभागाध्यक्ष (विधि) - सदस्य

    (घ) श्री रामानुज प्रसाद, उप प्रबंधक (कार्मिक एवं औ.सं./विधि) - समन्वयक

    [उनकी अनुपस्थिति में श्री प्रशांत एकराम, सहायक प्रबंधक (विधि)]
11. कंपनी के मामलों में माननीय न्यायालयों के आदेशों का अध्ययन करना और भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने तथा व्यवस्था में सुधार के लिए बिंदुओं को प्रसारित करना।
12. विभिन्न कानूनों के तहत अनुपालनों को संबंधित विभागों को प्रसारित गया और समय-समय पर इसके अनुपालन की निगरानी की गई।

विभिन्न न्यायालयों और न्यायिक मंचों के समक्ष बीसीसीएल से संबंधित मामलों के लंबित मामलों का तुलनात्मक विश्लेषण

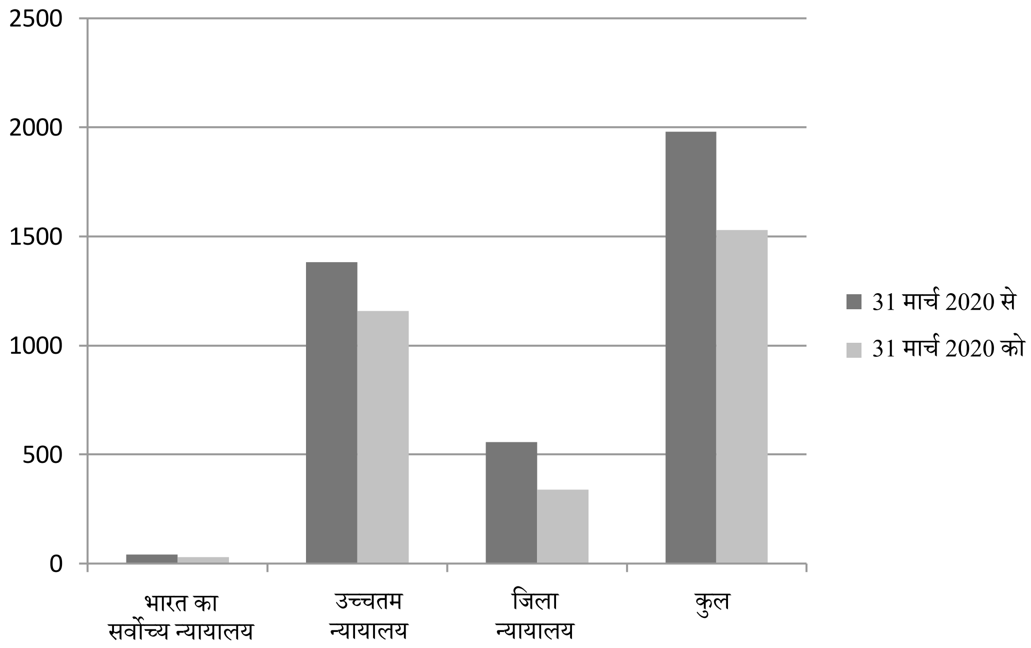

न्यायालय का नाम	31 मार्च, 2020 तक विचाराधीन	31 मार्च, 2021 तक विचाराधीन	वर्ष के दौरान वृद्धि कमी /	वर्ष के दौरान लंबित मामलों में प्रतिशत वृद्धि / कमी
भारत का सर्वोच्च न्यायालय	40	30	-10	25% की कमी
उच्च न्यायालय	1383	1158	-225	16% की कमी
जिला अदालत	558	340	-218	39% की कमी
कुल	1981	1528	-453	23% की कमी

25. चिकित्सा

बीसीसीएल के चिकित्सा विभाग की गतिविधि एवं उपलब्धियां:

आइएमइ एवं पीएमई

- 451 अभ्यर्थियों का आईएमई और 4519 कर्मचारियों का पीएमई किया गया।

न्यूमोकोनियोसिस'

- कोयला श्रमिकों में 'न्यूमोकोनियोसिस' का कोई नया मामला नहीं पाया गया है।

स्कूल स्वास्थ्य शिविर:

- बीसीसीएल के डीएवी स्कूल में दिनांक 19 मार्च, 2021 को हाथ धोने जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित स्कूल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल लाभार्थी 150 बच्चे थे।

रक्त दान शिविर:

- कोयला नगर अस्पताल में दिनांक 14 जनवरी, 2021 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। निदेशक (कार्मिक), बीसीसीएल सहित चालीस व्यक्तियों ने रक्तदान किया।

मधुमेह जांच शिविर

- 21 जनवरी, 2021 को बरोरा में एक मधुमेह जांच शिविर का आयोजित किया गया, जिसमें कुल 124 लाभार्थी थे।

बहुजन हिताय (ग्राम स्वास्थ्य शिविर):

- बीसीसीएल के कमान क्षेत्रों में 27 ग्राम स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 2665 लाभार्थी थे।

निशुल्क चिकित्सा

- क्षेत्रीय अस्पतालों और औषधालयों में आस-पास के गरीब लोगों को साल भर 'निशुल्क चिकित्सा' दी जा रही है। कुल लाभार्थी 15761 हैं।

एमएमआर टीकाकरण

- बीसीसीएल के अस्पतालों में जिला प्रशासन के सहयोग से बच्चों को एमएमआर टीकाकरण किया जा रहा है.

वंदे मातरम (नि:शुल्क प्रसव पूर्व जांच)

- प्रत्येक माह की 7 और 21 तारीख को मुनिडीह अस्पताल, पश्चिमी झरिया क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क प्रसव पूर्व जांच की जा रही है।

परिवार नियोजन जागरूकता शिविर

- परिवार नियोजन जागरूकता शिविर 12 मार्च, 2021 को भुली में आयोजित किया गया।

एंबुलेंस

- 02 बीएलएस एम्बुलेंस अक्टूबर, 2020 में आरएच बागमारा और आरएच जीलगोरा में खरीदी और तैनात की गई। बीसीसीएल में कुल 63 एम्बुलेंस (विभागीय और संविदात्मक दोनों) हैं।

टीबी परियोजना उन्मूलन के तहत गतिविधियां

- टीबी के प्रसार की रोकथाम के प्रति जागरूकता लाने और समय पर उपचार लेने के लिए सभी खान कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय अस्पतालों, औषधालयों और अन्य प्रतिष्ठानों पर पोस्टर प्रदर्शित किए गए।
- क्षेत्रीय अस्पतालों में मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाती है और उनकी जांच की जाती है और जरूरत के अनुसार एएफबी के लिए छाती का एक्स-रे और थूक जांच करने की सलाह रोगियों को दी जाती है।
- एचआरडी कल्याण भवन में चिकित्सकों द्वारा आरएनटीसीपी, डॉट्स (डीओटी) कार्यक्रम और टीबी की रोकथाम के संबंध में 35 डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को प्रशिक्षित किया गया।

डीएनबी कोर्स

- 3 छात्रों के नामांकन के साथ 2020-21 से जेनरल मेडिसीन में केंद्रीय अस्पताल, बीसीसीएल में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू हुआ।

एचएमएस (अस्पताल प्रबंधन प्रणाली)

एचएमएस (अस्पताल प्रबंधन प्रणाली) का विकास और प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है क्योंकि इसे जल्द शुरू किया जाएगा।

कोविड-19 से निपटने के उपाय

- कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए, मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी, स्वच्छता, आदि जैसे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, हमारे अस्पतालों और औषधालयों में डॉक्टर और पैरामेडिक्स 24×7 काम कर रहे हैं।
- धनबाद की जीवन रेखा अर्थात केंद्रीय अस्पताल, बीसीसीएल को कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे के प्रावधान के साथ एक समर्पित कोविड अस्पताल (एल3) में परिवर्तित कर दिया गया है।
- क्षेत्रीय अस्पताल, भूली को 50 बिस्तरों के साथ एक समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र (एल2) बनाया गया था।
- अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक समर्पित कोविड केंद्रों में 1561 मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया गया।
- पाइपयुक्त O2 के साथ 30 बिस्तरों वाला आईसीयू और ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त 40 बिस्तरों वाला गैर-आईसीयू वार्ड अक्टूबर, 2020 में स्थापित किया गया था।
- लॉकडाउन अवधि के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए आरएच बाघमारा और आरएच जीलगोड़ा को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था।
- अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग और आरटीपीसीआर टेस्ट नि:शुल्क किया जा रहा है।
- COVID-19 स्वास्थ्य केंद्रों में 55 डॉक्टरों, 35 पैरामेडिक्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ समर्पित टीमों को तैनात किया गया है।
- करीब 3300 लीटर सेनिटाइजर और 70.550 मास्क कर्मचारियों, आसपास के जरूरतमंद लोगों के बीच बांटे गए।
- हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया गया है।
- फरवरी, 2021 में जिला अधिकारियों की मदद से हमारे टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण 45-60 वर्ष/(सहरुग्णता के साथ) और 60 वर्ष से अधिक के लिए शुरू हुआ।

26. राजभाषा

बीसीसीएल में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हमारी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति की है। राजभाषा अधिनियम और नियमों की विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा, हमारी कंपनी ने सभी हितधारकों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने और सर्वोत्तम संभव सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए हिंदी को एक साधन के रूप में बढ़ावा देने और इसके उपयोग करने की पहल की है। हमारी कंपनी ने अपने वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम 2020-21 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सुनियोजित वार्षिक कार्य योजना तैयार की। विभिन्न स्तरों पर निरंतर निगरानी और नियमित प्रयासों के माध्यम से, कंपनी अपने वार्षिक कार्यक्रम के लगभग सभी प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही।

त्रैमासिक समीक्षा बैठकें:

कॉर्पोरेट स्तर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित त्रैमासिक बैठकें निर्धारित समय पर आयोजित की गई। वर्ष के दौरान 26 सितंबर 2020, 04 जनवरी 2021 और 09 मार्च 2021 को तीन त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। COVID-19 परिस्थितियों और प्रतिबंधों के कारण अप्रैल-जून तिमाही बैठक निर्धारित समय पर नहीं हो सकी। राजभाषा कार्यान्वयन समिति से प्राप्त मार्गदर्शन और सुझावों के तहत, समीक्षा वर्ष के दौरान कई नई पहलों पहलों की शुरुआत की गई। मुख्य पहलों में से एक के रूप में, नए नियुक्त कार्मिकों के लिए मानव संसाधन विकास (प्रशिक्षण केंद्र) द्वारा संचालित अभिप्रेरण/ आरम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा प्रशिक्षण के लिए एक सत्र रखने का निर्णय लिया गया। क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें निर्धारित वार्षिक राजभाषा-कैलेंडर के अनुसार आयोजित की गयीं।

कार्यशालाएं:

अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहे हैं, ताकि वे हिंदी में अपना नियमित काम आसानी से कर सकें। COVID-19 महामारी के कारण, इस वर्ष अधिकांश कार्यशालाएं ऑनलाइन और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग साधनों के माध्यम से आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदी में उपलब्ध तकनीकी और आईटी सुविधाओं जैसे यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग, वॉयस टाइपिंग, हिंदी ओसीआर, फॉन्ट कन्वर्टर, मशीन अनुवाद, ई-डिक्शनरी आदि के लिए गहन प्रशिक्षण भी दिया गया।

संगोष्ठियां, सम्मेलन और अन्य आयोजन:

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर 18 जनवरी 2021 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद के सहयोग से एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। इस ई-संगोष्ठी में लगभग 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वेबिनार का आयोजन तीन सत्रों में किया गया था जिनमें प्रसिद्ध हिंदी विद्वानों और शिक्षाविदों ने व्याख्यान दिए।

अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस के अवसर पर 23 फरवरी 2021 को विभागीय 'कवि सम्मेलन' के रूप में एक अन्य विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीसीसीएल के विभिन्न विभागों और क्षेत्रों के 8 प्रतिभाशाली कवियों ने काव्य पाठ प्रस्तुत किया। आयोजन के दौरान यथाआवश्यक COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन किया गया।

हिंदी प्रकाशन:

हमारी कंपनी नियमित रूप से अपनी अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका 'कोयला भारती' का प्रकाशन करती है। यह पत्रिका कॉर्पोरेट पत्रिकाओं के बीच एक लोकप्रिय हिंदी पत्रिका है। वर्ष 2020-21 के दौरान इस पत्रिका के 33वें और 34वें अंक प्रकाशित किए गये। पत्रिका के इन अंको का विमोचन क्रमश:
14 सितंबर 2020 और 21 फरवरी 2021 को किया गया। वर्ष के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद की अर्धवार्षिक पत्रिका 'राजभाषा संदेश' के भी दो अंकों का प्रकाशन किया है।

इन प्रकाशनों के अलावा, बीसीसीएल के लोदना और बस्ताकोला क्षेत्र द्वारा क्रमश: 'लोदना दर्पण' और 'कोल रश्मि' नाम से दो अन्य हिंदी पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया गया।

राजभाषा पखवारा:

01 सितंबर, 2020 से 15 सितंबर, 2020 के बीच कंपनी में राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पखवाड़ा के दौरान ऑनलाइन हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ऑनलाइन अनुवाद प्रतियोगिता, स्व-रचित हिंदी काव्य प्रतियोगिता, हिंदी ईमेल प्रतियोगिता आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजित किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता से सर्वश्रेष्ठ तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अन्य प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार तथा प्रतिभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किये गये।

वर्ष के दौरान अपने कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तीन क्षेत्रों और कंपनी मुख्यालय के तीन विभागों को "स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह स्मृति राजभाषा सम्मान" से सम्मानित किया गया । इन क्षेत्रों और कार्यालयों को कॉरपोरेट स्तरीय राजभाषा निरीक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार चुना गया था। पुरस्कार और शील्ड आदि 14 सितंबर 2020 को "हिंदी दिवस" के अवसर पर आयोजित राजभाषा पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर प्रदान किए गए।

केंद्रीय हिंदी पुस्तकालय और सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं :

हमारी कंपनी में एक सुव्यवस्थित और समृद्ध केंद्रीय हिंदी पुस्तकालय है। वर्तमान में साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बिक्री और विपणन, कंप्यूटर, जीवन प्रबंधन,. और अन्य विषयों की कुल 4577 मानक हिंदी पुस्तकें उपलब्ध हैं। हर साल सैकड़ों महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हिंदी पुस्तकें खरीदी जा रही हैं। पुस्तकालय में दैनिक समाचार पत्रों और आवधिक पत्रिकाएं भी उपलब्ध रहती हैं।

कंपनी में उपलब्ध सभी कंप्यूटर सिस्टम यूनिकोड मानक और द्विभाषी टाइपिंग सुविधायुक्त हैं। बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, इस साल हमने मुख्यालय के सभी विभागों के लिए माइक्रोफोन की सुविधायुक्त 50 हेडफ़ोन भी खरीदे हैं ताकि बोलकर हिंदी में टंकण की सुविधा के साथ ही ऑनलाइन बैठकें, कॉन्फ्रेंस आदि में भी आसानी हो सके।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास):

हमारी 'कंपनी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति – नराकास' के मंच के माध्यम से भी राजभाषा हिंदी के प्रचार और प्रसार में अग्रणी रही है। हमारी कंपनी के संयोजन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा भी पहचान मिली है और हमारे प्रयासों को सम्मान दिया गया है। वर्ष 2020-21 की पहली बैठक 10 अक्टूबर 2020 को और दूसरी बैठक 27 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी। COVID-19 के कारण, इन बैठकों का आयोजन गूगल-मीट और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से ऑनलाइन किया गया था। जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर "राजभाषा हिंदी और तकनीकी सुविधाएं" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार का भी आयोजित किया गया था।

निरीक्षण:
कंपनी में राजभाषा नियमों के अनुसार राजभाषा निरीक्षण भी किया गया है। आंतरिक निरीक्षण समिति ने वर्ष के दौरान 12 मुख्यालय विभागों सहित कुसुंडा, सिजुआ, पश्चिमी झरिया क्षेत्र तथा वाशरी संभाग (सीसीडब्ल्यूओ) का राजभाषा निरीक्षण किया है।

पुरस्कार और अन्य उपलब्धिया:
बीसीसीएल की अध्यक्षता में "नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति", धनबाद के तहत किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यो के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा नराकास, धनबाद को वर्ष 2019-20 के लिए प्रथम पुरस्कार हेतु चुना गया।
27 नवंबर 2020 को आयोजित अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद द्वारा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को प्रथम पुरस्कार (राजभाषा उत्कृष्टता पुरस्कार) से सम्मानित किया गया।

27. सतर्कता

निरोधात्मक सतर्कता, दंडात्मक कार्रवाई, निगरानी का पता लगाने तथा अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण:

प्रस्तावना
किसी भी संस्थान में सतर्कता विभाग प्रबंधन का एक अभिन्न अंग होता है तथा यह नैतिकता, सत्यनिष्ठा तथा पारदर्शिता में मूल्य आधारित उन्नयन के जरिए संस्था को इसके उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। इससे समाज में संस्था/कंपनी की बेहतर सार्वजनिक छवि निखारने में मदद मिलती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा ट्रांसपैरेंसी इंडेक्स को वर्तमान में विशेष महत्व दिए जाने के कारण यह किसी संस्था के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह अपने लेनदेन या कार्यों में साफ सुथरी छवि के सूचक के रूप में अति उच्च पैमाने पर अपनी पहचान बनाए। कंपनी के ध्येय एवं मिशन को पूरा करने के खयाल से सतर्कता विभाग/बीसीसीएल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत भ्रष्टाचार से लड़ने, इसकी रोकथाम, अनियमितताओं को दूर करने और समता, सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता के उन्नयन के लिए तीन स्तरीय रणनीति अपनायी है। जो इस प्रकार है : -

1. **निरोधात्मक:** जैसा कि यह शब्द स्वयं संकेत करता है यह एक ऐसी पहल है जिससे "सतर्कता के दृष्टिकोण" से भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाया जा सके। इस प्रविधि में जागरूक करने तथा अन्य व्यावहारिक उपाय जैसे जहां आवश्यक हो प्रबंधन के साथ मिलकर प्रणाली विकास के लिए समुचित दिशानिर्देश जारी कर भ्रष्टाचार से बचने के रास्ते बंद करना, विभिन्न स्तरों पर संस्था के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, परामर्श देना शामिल है।
2. **दण्डात्मक:** इस पहल के अंतर्गत उन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है जो भी "सतर्कता" के दृष्टिकोण से किसी गलत कार्य के लिए दोषी पाये जाते हैं। दण्डात्मक कार्रवाई प्रायः समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरूआत है।
3. **निगरानी:** यह तरीका शिकायत, समाचार पत्र आदि विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचना पर आधारित औचक निरीक्षण करने से संबंधित है। ऐसे निरीक्षण का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है और इससे भ्रष्ट कार्यों को रोका जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21के दौरान बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा अपने उपर्युक्त क्षेत्रों में की गई गतिविधियों का संक्षेप में नीचे वर्णन दिया गया है :-

1. निरोधात्मक सतर्कता

क. औचक जांच
वित्तीय वर्ष 2020-21 (01.04.2020 से 31.03.2021) के दौरान बीसीसीएल के सतर्कता विभाग ने पन्द्राह (15) औचक जांच किए। औचक निरीक्षण के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

i. रेलवे साइडिंग से कोयले के परिवहन में अनियमितताएं
ii. सिविल टेंडरिंग/मरम्मत कार्यों में अनियमितताएं
iii. वजन घर (वे-ब्रिज)
iv. कोल स्टॉक का मापन
v. डीजल की चोरी
vi. आउटसोर्सिंग पैच/सी एम सी में निविदा प्रक्रिया
vii. आईटी (IT) कार्यों का क्रियान्वयन

ख.गहन जांच
कार्यों के सी टी ई प्रकार की गहन जांच का महत्व एक प्रभावी निरोधात्मक सतर्कता तथा प्रणाली सुधार का उपाय है। सतर्कता विभाग ने सीटीई प्रकार की 03 जांच पूरी की। ये सभी विवेचनाधीन हैं।

ग. जागरूकता लाने के लिए सतर्कता संबंधी आयोजन:
सचिव, सीवीसी द्वारा निर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय ज्ञापन सं. 020/VGL/036 दिनांकित 08.09.2020 के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020 दिनांक 27.10.2020 से 02.11.2020 तक मनाया गया। इस जागरूकता सप्ताह की थीम “सतर्क भारत-समृद्ध भारत” थी और संगठनात्मक संरचना में ऊपर से नीचे स्तर

तक जागरूकता लाने और कार्यालयी व्यवहार तथा संबंधित गतिविधियों में भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता लाने के लिए, सीवीसी द्वारा संप्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 27-10-2020 से 02-11-2020 तक पूरे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में "सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020" का सफल आयोजन सुनिश्चित किया गया था। इस अवसर पर इस विषय पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं/गतिविधियों का आयोजन किया गया और सभी को नि:स्वार्थ एवं निष्पक्ष तरीके से सभी सरकारी कार्यों को करने के लिए शिक्षित करते हुए कारपोरेट स्तर के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर अधिकतम अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई और उनसे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में निरंतर प्रयास करने की अपील की गई।

सप्ताह के दौरान, संवेदीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस सप्ताह के उद्घाटन समारोह के अवसर पर बीसीसीएल मुख्यालय में एक समारोह में 'सत्य निष्ठा' शपथ ली गयी और इसी प्रकार से यह सप्ताह सभी क्षेत्रों/इकाइयों /कोलियरियों में मनाया गया, जिसमें बीसीसीएल के 45000 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया।

"सतर्कता जागरूकता सप्ताह- 2020" के कार्यक्रम का उद्घाटन दिनांक 27.10.2020 की सुबह बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में किया गया। इस कार्यक्रम की शुरूआत भारत के गणतंत्र के संस्थापक नेताओं में से एक सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देकर और कारपोरेट गीत बजाकर किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय स्तर पर बीसीसीएल के कार्यकारी निदेशकों सहित समस्त महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष और अन्य अधिकारीगण और संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधकों और विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय स्तर पर में अधिकारियों/कर्मचारियों ने शपथ ग्रहण किया। इस अवसर पर 'भ्रष्टाचार उन्मूलन' अभियान के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा से संबंधित जानकारी का अनावरण करने के साथ ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अनुपालन से संबंधित दिशानिर्देशों और सभी गतिविधियों / कार्यक्रमों के व्यापक का प्रचार-प्रसार का अनुरोध किया गया। इसके बाद कार्यकारी निदेशकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा गृह पत्रिका " चेतना" एवं "ई-संग्रह" का विमोचन किया गया।

सीवीओ और कार्यकारी निदेशकों द्वारा गुब्बारों को उड़ाना और 'सतर्कता रथ' का रवानगी: दिनांक 27-10-2020 को उद्घाटन समारोह के बाद, सीवीओ और कार्यकारी निदेशकों द्वारा नारे एवं जागरूकता के संदेशों से युक्त गर्म हवा के गुब्बारे भी उड़ाये गए और 'सतर्कता रथ' रवाना किया गया। विकास एवं समृद्धि की उंचाई को छूने के लिए भारत की अनेकता में एकता का प्रतिनिधित्व करने वाले गुब्बारे छोड़े गए।

इस अवसर पर विजिलेंस रथ को भी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विजिलेंस रथ एक चार पहिया वाहन है जो हर तरफ सतर्कता संदेशों के साथ कवर किया जाता है और एक सार्वजनिक ऑडियो डिवाइस के साथ पूरे सप्ताह के दौरान धनबाद शहर के विभिन्न इलाकों में घूमता रहता है, ताकि आम जनता को इस विषय और इससे संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में जागरूक किया जा सके।

निम्नलिखित सतर्कता रथ (एक चार पहिया वाहन जो सभी तरफ से सतर्कता संदेशों और एक सार्वजनिक ऑडियो डिवाइस से लैस होता है) आम जनता को जागरूक करने के लिए पूरे सप्ताह के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए चलाया गया:

स्थान, जहां से झंडी दिखाकर रवाना किया	क्षेत्रों के नाम
बीसीसीएल मुख्यालय	पूरे धनबाद शहर में
बरोरा क्षेत्र	बरोरा एवं ब्लॉक -II क्षेत्र
कुसुंडा	कुसुंडा, प. झरिया एवं पीबी क्षेत्र .
लोदना	लोदना, पूर्वी झरिया एवं बस्ताकोला क्षेत्र
सीवी	सीवी क्षेत्र
कतरास	सिजुआ, गोविंदपुर एवं कतरास क्षेत्र

कोविड-19 महामारी को देखते हुए शिकायत निवारण शिविर का आयोजन नहीं किया गया। हालांकि, बीसीसीएल द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2020 के दौरान शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया था, जिसमें कुल 250 कर्मचारियों/हितधारकों की शिकायतों को दर्ज किया गया और उनका निवारण/आंशिक रूप से निवारण किया गया।

1. प्रतियोगिताओं का आयोजन (संगठन के भीतर आयोजित गतिविधियां/कार्यक्रम):

शहरस्थान	विशिष्ट कार्यक्रम वक्तृत्व /विवाद-वाद) (पैनल चर्चा आदि/कला	प्रतिभागियों की सं .
बीसीसीएल मुख्यालय, धनबाद	अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता	16
बीसीसीएल मुख्यालय, धनबाद	जीवनसाथी के लिए निबंध प्रतियोगिता	03
बीसीसीएल मुख्यालय, धनबाद	कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता	15
बरोरा, धनबाद	गुगल मीट के माध्यम से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	60
ब्लॉक -II, धनबाद	निबंध प्रतियोगिता	22
ब्लॉक II, धनबाद	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	21
कतरास, धनबाद	कर्मचारियों के बीच निबंध प्रतियोगिता	30
कतरास, धनबाद	कर्मचारियों के बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता	30
कुसुंडा, धनबाद	निबंध प्रतियोगिता	18
कुसुंडा, धनबाद	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	16
प. झरिया क्षेत्र , धनबाद	डीएवी स्कूल, मुनीडीह के विद्यार्थियों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता	15
गोविंदपुर क्षेत्र, धनबाद	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	20
लोदना, धनबाद	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	19
पूर्वी झरिया क्षेत्र, धनबाद	निबंध प्रतियोगिता	11
सिजुआ क्षेत्र, धनबाद	काव्यपाठ प्रतियोगिता	8
सिजुआ क्षेत्र, धनबाद	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	12
बस्ताकोला क्षेत्र, धनबाद	वाद विवाद-प्रतियोगिता	22
बस्ताकोला क्षेत्र, धनबाद	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	15
पुटकी बलिहारी क्षेत्र, धनबाद	स्लोगन प्रतियोगिता	25
चांच विक्टोरिया क्षेत्र, बराकर (पश्चिम बंगाल)	निबंध प्रतियोगिता	12
	कुल 20 प्रतियोगिताएं	**376**

2. सेमिनार/ कार्यशालाएं

राज्य का नाम	शहर/नगर/गांव का नाम	आयोजित सेमिनारकार्यशालायों / .की सं	आयोजित गतिविधियों गतिविधियों की तिथि का) का (भी उल्लेख करें विवरण	शामिल जनतानागरियों / .की सं
झारखंड	आभासी माध्यम	1	आर्ट ऑफ लिविंग, बेंगलुरु द्वारा लाइफ स्टाइल " "मैनेजमेंट	62
झारखंड	आभासी माध्यम	1	आईआईएम रांची के प्रो द्वारा . बिहेवियरल /एटिट्यूडिनल" चेंज, ए वे टू विजिलेंट इंडिया, प्रॉपरस इंडिया"	65
झारखंड	आभासी माध्यम	1	"निविदाओं एवं अनुबंधों का निष्पादनजूनियर एवं मध्यम - स्तर के अधिकारियों के लिए "एक मार्गदर्शक उपकरण	62
झारखंड	आभासी माध्यम	1	दिनांक 30.10.2020 को बीसीसीएल में सतर्कता विभाग द्वारा कोयला उपभोक्ताओं, उपकरणस्पेयर आपूर्तिकर्ताओं/ बैठक का -के साथ विक्रेता आयोजन किया गया।	66
झारखंड	आभासी माध्यम	1	दिनांक 28.10.2020 को बीसीसीएल में सतर्कता विभाग द्वारा भाड़े पर लिए गए एचईएमएम एवं परिवहन- -ठेकेदारों के साथ विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया था।	63
कुल		**5**		**318**

3. सामूहिक संपर्क/दृश्यता गतिविधियां

क्र . .सं	गतिविधियां	विवरण
1.	**मानव श्रृंखला**	कोविड-19 वायरस के प्रकोप के कारण इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया।
2.	**मैराथनसाइकिल /वॉक-जागरूकता/ रैलियां आदि**	कोविड-19 वायरस के प्रकोप के कारण इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया।

3.	**बैनर / पोस्टर आदि का प्रदर्शन**	मुख्यालय के सभी कार्यालयों में प्रमुख स्थानों, बीसीसीएल के सभी 12 क्षेत्रों एवं वाशरियों में सतर्कता जागरूकता विषय पर बैनर एवं पोस्टर प्रदर्शित किए गए।
4.	**आयोजित शिकायत निवारण शिविरों की सं.**	कोविड-19 महामारी को देखते हुए शिकायत निवारण शिविर का आयोजन नहीं किया गया। हालांकि, बीसीसीएल द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2020 के दौरान शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया था, जिसमें कुल 250 कर्मचारियों/ हितधारकों की शिकायतों को दर्ज किया गया और आंशिक रूप से निवारण किया गया।/ उनका निवारण
5.	**सोशल मीडिया का प्रयोग**	कार्यक्रमों के आयोजन के समन्वय तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2020 के दौरान विभिन्न गतिविधियों की पोस्टिंग के लिए सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर का उपयोग किया गया।

घ. प्रणाली सुधार:-

कार्यक्षेत्रों, प्रणालियों में समग्र सुधार लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता विभाग की सिफारिश पर कार्यक्षेत्र / कार्यक्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित परिपत्र / दिशानिर्देश जारी किए गए थे:

1. अनधिकृत कब्जे वाली कंपनी के आवासों में सिविल कैपिटल / रेवेन्यू के काम को नहीं करने से संबंधित प्रणाली सुधार को लागू किया गया है।
2. बीसीसीएल की खदानों, अवैध खनन, कोयला चोरी आदि से संबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रणाली सुधार किया गया है।
3. कोयला परिवहन में लगे अनट्रेक्ट, कार्यशाला, ऑफ रोड वाहनों के संबंध में सुझाव दिये गए हैं।
4. ईंधन के नुकसान रोकने के लिए एकीकृत ईंधन प्रबंधन प्रणाली (आइएफएमएस) से संबंधित प्रणाली सुधार लागू किया गया है।
5. फीडर ब्रेकर के माध्यम से कोयले की 100% पिसाई सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है।
6. कोल डंप से साइडिंग / वाशरी तक परिवहन के दौरान कोयले का वजन दोनों तरफ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया था।
7. बीसीसीएल में एचएसडी तेल के इंडेंटिंग / रसीद / भंडारण और हैंडलिंग / निर्गम के संबंध में प्रणाली में सुधार से संबंधित एसओपी।
8. बीसीसीएल के कमान क्षेत्र में ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं के बिलों को स्वीकार/संसाधित/पास/भुगतान के लिए एसओपी निर्गत।

2.दण्डात्मक सतर्कता

वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसंधान/जांच-पड़ताल के लिए लिये गये मामलों के विवरणों का समेकित ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया गया है:

अनुसंधान के लिए लिए गए मामले		15	
पूरा हो चुके अनुसंधान की सं .		06	
अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु लिये गये मामलों की सं.		मामलें	व्यक्तियों की सं.
i)	बड़े	14	67
ii)	छोटे	5	22
पूरी की गयी विभागीय जांच की सं .		मामलें	व्यक्तियों की सं.
		10	95
वैसे मामले जिसमें दण्ड लगाए गए		मामलें	व्यक्तियों की सं.
i)	बड़ा दण्ड	14	67
ii)	छोटा दण्ड	05	22

औचक निरीक्षण/ निरीक्षण की सं.	15
कार्यों/संविदा की गहन जांच	16
मंजूर अभियोजन की संख्या	04

उपर्युक्त के अलावा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सी.बी.आई. ने चार (04) अधिकारियों के विरूद्ध गैरकानूनी परितोषण, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक कदाचार आदि से संबंधित तीन (03) मामले दर्ज किए।

3.निगरानी जांच

एस.पी., सीबीआई, धनबाद के परामर्श के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बीसीसीएल के संदिग्ध लोगों की सूची (एग्रीड लिस्ट) तैयार की गई। उक्त अवधि में संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की भी सूची तैयार की गयी।

4.सतर्कता अनापत्ति/ स्वीकृति

बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 (01.04.2020 से 31.03.2021) के दौरान 7368 अधिकारियों (अधिकारी एवं कर्मचारी) के संबंध में सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

28. बीसीसीएल में ट्रांजेक्शन ऑडिट पारास और सूचना का अधिकार मामलों की स्थिति

(संदर्भ: भारत सरकार के संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 24.01.2018)

क. 31.03.2020 तक लंबित भाग IIA IR पैरा (अनुच्छेदों) का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	आईआर की अवधि	पैरा सं.	पैरा का संक्षिप्त विवरण	वर्तमान स्थिति
1	एमएम	2014-16	1	सीईएनवीएटी क्रेडिट के प्रयोग का अवसर गंवाने के कारण ₹ 18.81 करोड़ की परिहार्य हानि।	जवाब प्रक्रियाधीन
2	एमएम	2014-16	2	वीएटी क्रेडिट के प्रयोग का अवसर गंवाने के कारण ₹ 8.71 करोड़ की परिहार्य हानि।	जवाब प्रक्रियाधीन
3	एम ऐंड एस	2017-20	1	स्वयं की वाशरी से लाभ का गलत निर्धारण और उपलब्ध क्षमता के कम उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ करोड़ के राजस्व की 19.52 परिहार्य हानि हुई।	जवाब प्रक्रियाधीन
4	वाशरी डिविजन	2016-20	1	कच्चे कोयले की कम प्राप्ति के कारण वाशरीज़ बेकार पड़ी हैं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.00 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई।	जवाब प्रक्रियाधीन

ख. 31.03.2020 तक लंबित भाग IIA IR पैरा (अनुच्छेदों) का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र इकाई/	आईआर का वर्ष	पैरा सं.	विषय	स्थिति	टिप्पणियां
1	बरोरा क्षेत्र	2015-17	1	एक अनुबंध का लापरवाह प्रबंधन।	पत्र सं. 1115-1117(H) दिनांक 23.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया।	निपटान के लिए लंबित।
2	सिजुआ क्षेत्र	2012-15	1	सेनवैट क्रेडिट का उपयोग न करने के कारण ₹ करोड़ की 27.72 परिहार्य हानि।	पत्र सं. 1058-61(H) दिनांक 21.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया।	निपटान के लिए लंबित।
3	लोदना	2013-16	1	एमएआरसी अनुबंध के तहत उपकरणों के कम उपयोग के कारण ₹ करोड़ की हानि। 7.16	पत्र सं. 1334-35(H) दिनांक 30.10.2020. के माध्यम से जवाब दिया।	निपटान के लिए लंबित।
4	लोदना	2013-16	2	मेसर्स एको (.वी.जे) देवप्रभा .टी. असामान्य रूप से उच्च दरों पर कार्य सौंपे जाने के कारण निविदा निरस्त न होने तथा कार्य प्रदान करने के कारण ₹ 32.96करोड़ का अतिरिक्त व्यय।	पत्र सं. 12-13(H) दिनांक 05.01.2021 के माध्यम से जवाब दिया।	निपटान के लिए लंबित।
5	सीवी	2016-19	1	दहीबारी वाशरी में कच्चे कोयले की कम फीडिंग के परिणामस्वरूप निजी ठेकेदार को ₹ **6.06** करोड़ की राशि के प्रतिबद्धता शुल्क का	पत्र सं. 1273-74(H) दिनांक 13.10.2020 के माध्यम से जवाब	निपटान के लिए लंबित।
				परिहार्य भुगतान हुआ।	दिया।	
6	प झरिया .	2012-17	1	सीपीपी के गैरसंचालन के - परिणामस्वरूप ₹ **48.70** करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियां बेकार पड़ीं।	पत्र सं. 1428-29(H) दिनांक 02.12.2020 के माध्यम से जवाब दिया।	निपटान के लिए लंबित।
8	निदेशक (कार्मिक)	2016-19	1	किराए के वाहन मालिक को ₹ 14.15 करोड़ का अधिक भुगतान।	पत्र सं. 1216-17(H) दिनांक 25.09.2020 के माध्यम से जवाब दिया।	निपटान के लिए लंबित।

9	निदेशक तक परिचालन	2017-19	1	तुला पुल की स्थापना में विलम्ब के कारण सेल द्वारा ₹ 35.41 करोड़ की राशि के कम दावे की स्वीकृति हुई।	पत्र सं. 1266(H) दिनांक 05.10.2020 के माध्यम से जवाब दिया।	निपटान के लिए लंबित।
10	निदेशक .परि (.तक) .एवं यो	2015-19	1	बीओएम ठेकेदारों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 12.81 करोड़ के मुआवजे का भुगतान हुआ।	पत्र सं. 619-20(H) दिनांक 07.05.2020 के माध्यम से जवाब दिया।	
11	वाशरी डिविजन	2016-20	1	कच्चे कोयले की कम प्राप्ति के कारण वाशरीज़ बेकार पड़ी हैं जिसके परिणामस्वरूप ₹ **14.00** करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई।	दिनांक 12.02.2021 को पैरा प्राप्त	

ग. दिनांक 31.03.2021 तक उत्तर के लिए लंबित भाग IIB IR पैरा का विवरण

क्र.सं	क्षेत्र इकाई/	आईआर का वर्ष	पैरा सं.	विषय	स्थिति
1	सिजुआ	2012-15	1	12 टिप्परों की खरीद पर ₹ 8.93 करोड़ का निष्फल व्यय।	जवाब प्रक्रियाधीन
2	सिजुआ	2012-15	2	ठेकेदारों को ₹ 26.8 लाख का अधिक भुगतान।	जवाब प्रक्रियाधीन
3	सिजुआ	2012-15	3	यूजी भत्तों का अनियमित भुगतान।/	जवाब प्रक्रियाधीन
4	सिजुआ	2012-15	4	एचईएमएम संविदा कर्मचारी को देय विभिन्न मजदूरी की गलत गणना।	जवाब प्रक्रियाधीन
5	कुसुंडा	2014-17	4	विभेदक मजदूरी की गलत गणना के कारण ₹ 68.29 लाख का अधिक भुगतान।	जवाब प्रक्रियाधीन
6	बस्ताकोला	2015-18	2	कोयले की कमी के कारण ₹ 7.31 करोड़ की हानि।	जवाब प्रक्रियाधीन

7	लोदना	2016-19	1	कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए संयुक्त अनुबंध को विभाजित करने के दायरे की खोज न करना।	जवाब प्रक्रियाधीन
8	लोदना	2016-19	2	चूककर्ता ठेकेदार के पास लम्बित बकाया देय राशि की अवसूली ₹ 6.34 करोड़।	जवाब प्रक्रियाधीन
9	लोदना	2016-19	3	वेतन वृद्धि और विलंब शुल्क का ₹ 4.60 करोड़ का अधिक भुगतान।	जवाब प्रक्रियाधीन
10	वाशरी मुख्यालय	2010-14	2	वाशरी लेंड पर प्राप्त कच्चे कोयले का ग्रेड स्लिपेज।	जवाब प्रक्रियाधीन
11	वाशरी डिविजन	2016-20	1	पाथेरडीह 5एमटीपीए नई वाशरी के कम उपयोग के कारण ₹ 63.08 लाख का दंडात्मक बिजली मांग शुल्क।	जवाब प्रक्रियाधीन
12	वाशरी डिविजन	2016-20	2	महुदा वाशरी के निष्फल संचालन के परिणामस्वरूप ₹ 4.43 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई।	जवाब प्रक्रियाधीन
13	वाशरी डिविजन	2016-20	3	सेल को निम्न श्रेणी के धुले कोयले की आपूर्ति के कारण ₹ 9.36 करोड़ के राजस्व की हानि।	जवाब प्रक्रियाधीन
14	डब्ल्यू .जेड.डब्ल्यू.	2012-14	3	हैंड पिक्ड रिजेक्ट पर मालभाड़ा शुल्क के भुगतान के कारण ₹ 274.98 लाख के राजस्व की हानि।	जवाब प्रक्रियाधीन
15	निदेशक (वित्त)	2012-13	7	अधिकारियोंकर्मचारियों द्वारा उनकी / -पात्रता से उपर के आवास पर कब्जा कम किराए की वसूली के कारण संभावित नुकसान।	जवाब प्रक्रियाधीन
16	निदेशक (कार्मिक)	2016-19	3	परियोजना विद्यालयों को घाटे से अधिक की वित्तीय सहायता के रूप में ₹ लाख का भुगतान। 404.18	जवाब प्रक्रियाधीन
17	निदेशक (कार्मिक)	2016-19	5	झरिया एक्शन प्लान के तहत अग्निशमन गतिविधियों के लिए गैर-लेखा निधि।	जवाब प्रक्रियाधीन

18	निदेशक (कार्मिक)	2016-19	7	भूमि मुआवजे के मद में भारी मात्रा में ब्याज का संचय।	जवाब प्रक्रियाधीन
19	सीएमसी	2018-20	1	वेतन वृद्धि की गणना के लिए गलत कारक पर विचार करने के कारण ₹ 2083 करोड़ का अधिक भुगतान।	जवाब प्रक्रियाधीन
20	सीएमसी	2018-20	2	एनआईटी के विभिन्न खंडों में अस्पष्टता क) योग्यता मानदंड। ख) निविदा प्रक्रिया को रद्द करने /जांच के संबंध में ईएमडी को रोकने के कारण एनआईटी खंड की अनुपस्थिति। ग) कार्यशील पूंजी में अस्पष्टता। घ) ईसी शर्त के उल्लंघन से संबंधित दंड खंड की अनुपस्थिति। ङ) बाधा घंट खंडें म अस्पष्टता।	जवाब प्रक्रियाधीन
21	सीएमसी	2018-20	3	₹ 17.20 करोड़ मूल्य के 66154 मिलियन टन कच्चे कोयले की कम प्राप्ति का समाधान न करना।	जवाब प्रक्रियाधीन
22	सीएमसी	2018-20	4	विलंब शुल्क और अंडरलोडिंगओवरलोडिंग प्रभारों का / परिहार्य भुगतान।	जवाब प्रक्रियाधीन
23	एम ऐंड एस	2017-20	1	कच्चे कोयले और वाशरी उत्पादों के मूल्य निर्धारण में देरी।	जवाब प्रक्रियाधीन
24	एम ऐंड एस	2017-20	2	कोयले की सुपुर्दगी की मानी गई मात्रा का मिलान न करना।	जवाब प्रक्रियाधीन
25	एम ऐंड एस	2017-20	3	क) बकाया देय राशि पर ब्याज की वसूली न होना। ख) कोयले की कम लोडिंग के कारण राजस्व की हानि।	जवाब प्रक्रियाधीन

घ. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निपटान के लिए लंबित सीएजी को दिए गए उत्तर के भाग IIB IR पैरा का विवरण।

क्र.सं.	क्षेत्रइकाई/	आईआर का वर्ष	पैरा सं.	विषय	स्थिति	टिप्पणियां
1 .	बरोरा	2015-17	1	उचित आवश्यकता विश्लेषण के बिना फीडर ब्रेकर की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।	पत्र सं. 1077-79 (H) दिनांक 22.07.2020. के माध्यम से जवाब दिया गया।	निपटान के लिए लंबित।
2	बरोरा	2015-17	2	खान बंद करने की योजना पर दिशा-अनुपालन।-निर्देशों के प्रावधान का गैर	वही	निपटान के लिए लंबित।

3	बरोरा	2015-17	3	दामोदा कोलियरी में तैनात जनशक्ति को वेतन मजदूरी और ओवरटाइम की राशि/ ₹ 44.79 करोड़ का व्यर्थ भगतान।	वही	निपटान के लिए लंबित।
4	बरोरा	2015-17	4	पूर्व में निर्दिष्ट कम लेड के स्थान पर उच्च लेड पर ओवरबर्डन की डंपिंग के कारण ₹ 14.77 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।	वही	निपटान के लिए लंबित।
5	बरोरा	2015-17	5	संविदा कर्मचारी को भुगतान के-संबंध में सीआईएल के निर्देश का पालन न करना।	वही	निपटान के लिए लंबित।
6	बरोरा	2015-17	6	क्षेत्रीय स्टोर, बरोरा क्षेत्र की सुरक्षा एवं स्वच्छता की खराब व्यवस्था।	वही	निपटान के लिए लंबित।
7	बरोरा	2015-17	7	बंद एचईएमएम के गैरनिपटान के - परिणामस्वरूप ₹ 0.99 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ ।	वही	निपटान के लिए लंबित।
8	बरोरा	2015-17	8	जले हुए तेल की कम वसूली के कारण ₹ 25.14 लाख की हानि।	वही	निपटान के लिए लंबित।
9	बरोरा	2015-17	9	बरोरा क्षेत्र के कोलनेट में डुप्लीकेट सामग्री कोड।	वही	निपटान के लिए लंबित।
10	बरोरा	2015-17	10	ऑफ रोड वाहनों के पंजीकरण में देरी।	वही	निपटान के लिए लंबित।
11	बरोरा	2015-17	11	अनसुलझे भूमि समस्याओं बने रहने के परिणामस्वरूप समय का बारबार - विस्तार होता है और आउटसोर्सिंग अनुबंध के संबंध में डीजल और वेतन वृद्धि का परिहार्य भुगतान औररोजगार की शर्तों का अनुपालन नहीं होता है।	वही	निपटान के लिए लंबित।
12	बरोरा	2015-17	12	आउटसोर्सिंग अनुबंधों में अनियमितताएं।	वही	निपटान के लिए लंबित।
13	ब्लॉक-II	2015-18	1	₹ 24.92 करोड़ के कोयले की कमी।	पत्र सं. 1065-67(H)) दिनांक 22.07.2020. के माध्यम से एफ .क्यू.	निपटान के लिए लंबित।

14	ब्लॉक-II	2015-18	2	पुर्जों की खरीद के लिए ₹ 35.44 लाख का अतिरिक्त भुगतान।	पत्र सं. 1065-67(H)) दिनांक 22.07.2020.के माध्यम से एफ.क्यू.	निपटान के लिए लंबित।
15	ब्लॉक-II	2015-18	3	संतोषजनक स्तर तक प्रदर्शन की कमी वाले 160 मिमी ड्रिल मशीन की खरीद।	पत्र सं. 1148-50(H) दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	निपटान के लिए लंबित।
16	ब्लॉक-II	2015-18	4	फिक्स्ड फीडर ब्रेकर के गुणवत्ता पैरामीटर को सुनिश्चित किए बिना भुगतान जारी करना।	पत्र सं. 1197-99(H) दिनांक 11.09.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	निपटान के लिए लंबित।
17	ब्लॉक-II	2015-18	5	कच्चे कोयले को वाशरी में भेजना और उसे धुले हुए बिजली कोयले के रूप में बेचना।	पत्र सं. 1065-67(H) दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से एफ .क्यू.	निपटान के लिए लंबित।
18	ब्लॉक-II	2015-18	6	डंपर की जब्ती और परिणामी नुकसान।	पत्र सं. 1148-50(H) दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	निपटान के लिए लंबित।
19	ब्लॉक-II	2015-18	7	(क) ईसी मंजूरी के बिना अधिक उत्पादन के कारण जुर्माना। (ख) ईसी शर्त के उल्लंघन के कारण धूल का भारी उत्सर्जन। (ग) अपशिष्ट और ई-ठोस अपशिष्ट और ई-प्रबंधन में कमी। (घ) ब्लॉक - II क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ।	पत्र सं. 1065-67(H) दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	
20	गोविन्दपुर	2016-19	1	ब्लॉक-IV के खानों में ₹ 1.61 करोड़ राशि के डीजल की अधिक खपत।	पत्र सं. 1040-42(H) दिनांक 18.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	
21	गोविन्दपुर	2016-19	2	आईओसीएल द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ न उठाना।	वही	
22	गोविन्दपुर	2016-19	3	जले हुए तेल की खराब वसूली के कारण ₹ 23.43 लाख के राजस्व की हानि।	वही	
23	गोविन्दपुर	2016-19	4	कोयले की कमी के कारण ₹ 91 लाख की हानि।	वही	

24	गोविन्दपुर	2016-19	5	महाप्रबंधक कार्यालय को नवनिर्मित केंद्रीकृत कार्यालय में स्थानांतरित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.48 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।	वही	
25	गोविन्दपुर	2016-19	6	₹ 34.11 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।	वही	
26	गोविन्दपुर	2016-19	7	₹ 98.52 करोड़ का निष्फल व्यय।	वही	
27	गोविन्दपुर	2016-19	8	₹ 3.11 लाख के पुर्जों की अप्राप्ति के परिणामस्वरूप ₹ 1.41 करोड़ की पूंजीगत लागत वाली मशीन का संचालन नहीं हुआ।	वही	
28	कतरास	2014-17	4	विद्युत प्रभारों के भुगतान के लिए शीघ्र भुगतान छूट का लाभ न लेने के परिणामस्वरूप ₹ 4.18 करोड़ बचाने के अवसर की हानि हुई।	वही दिनांक 19.05.2020 को एफ .क्यू. उठाया गया।	
29	गोविन्दपुर	2014-17	5	सामान्य अवलोकन।	वही	
30	सिजुआ	2012-15	5	आवश्यकता के उचित विश्लेषण के बिना बसों को किराए पर लेने के परिणामस्वरूप ₹ 94.03 लाख का अविवेकपूर्ण व्यय हुआ।	पत्र सं. 1037-39(H) दिनांक 18.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	
31	सिजुआ	2012-15	6	पानी के छिड़काव के लिए पाइप डालने के स्थान पर पानी के टैंकर के प्रयोग से ₹ 58.05 लाख प्रति वर्ष का आवर्ती परिहार्य व्यय।	वही	
32	सिजुआ	2012-15	7	अग्रिम रजिस्टर का अनुचित रखरखाव।	वही	
33	सिजुआ	2012-15	8	क्षेत्र की विभिन्न भूमिगत खदानों में तैनात श्रमिकों के भुगतान पर ₹ 83.26 लाख का परिहार्य व्यय।	वही	
34	कुसुंडा	2014-17	1	खान क्षमता और उत्पादन योजना के अनुचित विश्लेषण के परिणामस्वरूप ₹ 179.44 करोड़ की लागत पर एचईएमएम अनुबंध प्रदान किया गया।	पत्र सं. 1062-64(H) दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया। एफ .क्यू.	

35	कुसुडा	2014-17	2	गोंदुडीह पच पर एचईएमएम "पी" अनुबंध के फोरक्लोजर के कारण ₹ 111.78 करोड़ का परिहार्य व्यय।	वही	
36	कुसुंडा	2014-17	3	क)आश्चर्यजनक विश्राम दिन के गैर -कारण रविवार के उत्पादन और रखरखाव के परिहार्य भुगतान। ख)रविवार के उत्पादन और किराए के एचईएमएम के रखरखाव में तैनाती के लिए अनियमित भुगतान।	वही	
37	कुसुंडा	2014-17	5	मोबाइल फीडर ब्रेकर की खरीद पर ₹ 2.29 करोड़ का व्यर्थ व्यय।	पत्र सं. 1062-64(H) दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	
38	कुसुंडा	2014-17	6	खनिक क्वार्टर के निर्माण पर ₹ 22.70 करोड़ का अनुपयोगी व्यय।	पत्र सं. 1062-64(H) दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया। एफ.क्यू.	
39	कुसुंडा	2014-17	7	एचईएमएम ठेकेदारों को ₹ 29.47 लाख का अनुचित भुगतान।	वही	
40	कुसुंडा	2014-17	8	ग्रेड स्लिपेज के कारण परिहार्य हानि।	वही	
41	पीबी	2015-18	1	डंपिंग स्थानों को सुनिश्चित किए बिना ठेका देने के परिणामस्वरूप गोपालीचक फेज-I पैच को ₹ 17.36 करोड़ की हानि हुई।	पत्र सं. 1074-76(H) दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया। एफ.क्यू.	
42	पीबी	2015-18	2	सिविल कार्यों के विभिन्न अनुबंधों के संबंध में अनियमित भुगतान और भुगतान, ई एंड एम अनुबंधों की मरम्मत और रखरखाव और खनन उपकरण मशीन के लिए/पुर्जो की आपूर्ति।	वही	
43	पीबी	2015-18	3	बॉयलर में उच्च ग्रेड के कोयले के उपयोग और आंतरिक खपत के कारण ₹ 42.91 करोड़ की हानि।	वही	

44	पीबी	2015-18	4	रोड टैक्स और बीमा के भुगतान के लिए र 14.84 लाख का परिहार्य व्यय, ब्रेक-रोड वाहनों के लिए।-ऑफ	वही	
45	पीबी	2015-18	5	ईसी मंजूरी के बिना अधिक उत्पादन के कारण जुर्माना।	वही	
46	पीबी	2015-18	6	ईसी शर्त के उल्लंघन में अशोधित खदान के पानी का निर्वहन।	वही	
47	पीबी	2015-18	7	क)ओवर बर्डन डंपिंग शर्तों का गैर-अनुपालन। ख) सीआईएल के निदेशक मंडल के निर्देशों का पालन न करना। ग) कर्मचारियों को नवनिर्मित क्वार्टरों में स्थानांतरित न करना।	वही	
48	बस्ताकोला	2015-18	1	निजी ठेकेदार द्वारा कार्य के अनुचित निष्पादन के कारण ग्रेड फिसलन और विलंब शुल्क प्रभार और ठेकेदारों से उसकी वसूली न करने के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 175.58 करोड़ की हानि हुई।	पत्र सं. 1074-76(H) दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	
49	बस्ताकोला	2015-18	3	लंबी अवधि के अनुबंध के स्थान पर अल्पकालिक अनुबंध जारी करना।	एएफएम, बस्ताकोला क्षेत्र द्वारा पत्र सं. 44 दिनांक 02.06.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया। एफ .क्यू.	
50	बस्ताकोला	2015-18	4	बाधा पंजी के गैरअनुचित अनुरक्षण के / परिणामस्वरूप ₹ 24.78 करोड़ की राशि का आरोपण नहीं किया गया।	वही	
51	बस्ताकोला	2015-18	5	परिवहन ठेकेदार को ₹ 2.62 करोड़ का अनियमित भुगतान।	वही	
52	बस्ताकोला	2015-18	6	निष्पादित मात्रा को मापे बिना ठेकेदार को भुगतान जारी करना।	वही	

53	बस्ताकोला	2015-18	7	अनुभव प्रमाण पत्र का अनुचित निर्गमन।	वही	
54	बस्ताकोला	2015-18	8	यूजी भत्ते का अनियमित भुगतान।	पत्र सं. 1071-73(H) दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	
55	बस्ताकोला	2015-18	9	अवैध खनन का संचालन।	एएफएम, बस्ताकोला क्षेत्र द्वारा पत्र सं. 44 दिनांक 02.06.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया। एफ.क्यू.	
56	बस्ताकोला	2015-18	10	कम लदान प्रभारों के लिए ₹ 8.32 करोड़ का जुर्माना।	वही	
57	बस्ताकोला	2015-18	11	उपलब्धता की उच्च दर के बावजूद एचईएमएम का कम उपयोग।	पत्र सं. 1071-73(H) दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	
58	बस्ताकोला	2015-18	12	उपलब्ध क्षमता के साथ कम दूरी पर साइडिंग होने के बावजूद लंबी दूरी वाली रेलवे साइडिंग तक कोयले के परिवहन के कारण ₹ 10.504 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।	एएफएम, बस्ताकोला क्षेत्र द्वारा पत्र सं. 44 दिनांक 02.06.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	
59	बस्ताकोला	2015-18	13	क्वार्टरों का अनाधिकृत कब्जा और बिजली का अवैध दोहन।	पत्र सं. 1071-73(H) दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	
60	लोदना	2013-16	1	श्रमशक्ति की अनुचित तैनाती के कारण प्रति वर्ष ₹ 41.86 करोड़ की हानि।	पत्र सं. 1046-48 दिनांक 18.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	
61	लोदना	2013-16	2	सीआईएल द्वारा निर्धारित एचईएमएम की खरीद नहीं करना (स्कैनिया ट्रक) और इन ट्रकों के उपयोग केमामले में और खराब प्रदर्शन।	वही	

62	लोदना	2013-16	3	प्रबंधन द्वारा समय पर कार्रवाई करने में विलम्ब के कारण ₹ 15.59 करोड़ की धनराशि का अवरोधन, उत्पादन की हानि तथा कोयला उत्पादन की प्रति टन लागत में वृद्धि।	वही	
63	लोदना	2013-16	4	बीसीसीएल क्वार्टर के अनधिकृत कब्जे के कारण ₹ 5.88 करोड़ की हानि।	वही	
64	लोदना	2016-19	4	0.62 लाख टन तक कोयले की कमी।	पत्र सं. 1351-52(H) दिनांक 11.11.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	
65	लोदना	2016-19	5	एचईएमएम उपकरणों का कम उपयोग।	वही	
66	लोदना	2016-19	6	विद्युत प्रभारों का शीघ्र भुगतान करने पर छूट का लाभ न लेने के कारण ₹ 1.65 करोड़ की हानि।	वही	
67	लोदना	2016-19	7	जनशक्ति की अनुचित तैनाती।	वही	
68	लोदना	2016-19	8	पाथरडीह वाशरी में कोयले की कम प्राप्ति।	वही	
69	पू. झरिया	2010-13	13	वाहनों के लिए अर्थदंड एवं जुर्माने का परिहार्य भुगतान ₹34.29 लाख।	पत्र सं. 1043-45(H) दिनांक 18.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	
70	पू. झरिया	2015-18	1	बाहरी उपभोक्ताओं को वाशरी-II ग्रेड कोयले की अविवेकपूर्ण आपूर्ति के परिणामस्वरूप ₹ 87.88 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के अवसर की हानि हुई।	पत्र सं. 1043-45(H) दिनांक 18.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	
71	पू. झरिया	2015-18	2	एचईएमएम मशीनों का नुकसान।	वही	
72	पू. झरिया	2015-18	3	सेल के साथ काउंटर दावों का लंबित निपटान।	वही	
73	पू. झरिया	2015-18	4	दामोदर नदी के पास ओवर बर्डन डंपिंग।	वही	
74	सी.वी.	2013-16	1	भूतल परिवहन प्रभार नहीं (एसटीसी) वसूलने के कारण ₹ 11.40 करोड़ के राजस्व की हानि।	पत्र सं. 1052-54(H) दिनांक 18.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	

75	सी.वी.	2013-16	2	कम उपयोग के कारण सीवी क्षेत्र में 60 टन क्षमता के तीन डंपरों की खरीद पर ₹ 4.92 करोड़ की सीमा तक व्यर्थ निवेश।	वही	
76	सी.वी.	2013-16	3	सेनवैट और वैट क्रेडिट की अनुपलब्धता।	वही	
77	सी.वी.	2013-16	4	कम लदान के कारण ₹ 9.78 करोड़ के राजस्व की हानि।	वही	
78	सी.वी.	2013-16	5	जले हुए तेल की खराब वसूली के कारण ₹ 42.68 लाख के राजस्व की हानि।	वही	
79	सी.वी.	2013-16	6	अंडरग्राउंड अलाउंस के कारण ₹ 11.30 लाख का अनुचित भुगतान।	वही	
80	सी.वी.	2013-16	7	कर्मचारियों द्वारा लिए गए अग्रिम की वसूली में अत्यधिक विलंब।	वही	
81	सी.वी.	2016-19	1	₹ 14.92 करोड़ के अंडरलोडिंग - शुल्क का भुगतान।	पत्र सं .1055-57 (H) दिनांक 18.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	
82	सी.वी.	2016-19	2	₹ 1.71 करोड़ के डीजल की अधिक खपत।	वही	
83	सी.वी.	2016-19	3	अपंजीकृत भूमि के लिए नियोजन देना।	वही	
84	सी.वी.	2016-19	4	₹ 41.76 लाख की रॉयल्टी का दोहरा भुगतान।	वही	
85	प. झरिया	2012-17	1	मूनीडीह परियोजना से निकलने वाली मीथेन गैस के उपयोग की कार्रवाई का अभाव।	पत्र सं .1068-70(H) दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया। एफ क्य	
86	प. झरिया	2012-17	2	सेवा कर की वापसी का दावा न करने के कारण ₹ 18.15 का अनुपयोगी व्यय।	एएफएम, पक्षेत्र द्वारा पत्र .झ. .सं66 दिनांक 28.05.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	
87	प. झरिया	2012-17	3	कर्मचारियों द्वारा लिए गए अग्रिम की वसूली में अत्यधिक विलंब।	एएफएम, पक्षेत्र द्वारा पत्र .झ. .सं66 दिनांक 28.05.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया।	

88	प. झरिया	2012-17	4	सामान्य अनियमितताएं। (ए एवं बी)	4 (A) एएफएम, पक्षेत्र .झ. .द्वारा पत्र सं66 दिनांक 28.05.2020 के माध्यम से जवाब दिया गया। और 4 (B) एएफएम, प .क्षेत्र द्वारा पत्र सं .झ. 99 दिनांक 25.06.20 के माध्यम से जवाब दिया गया। और पत्र सं . 1068-70(H) दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से केवल 4(B) के लिए जबाब दिया गया।	
89	निदेशक (वित्त)	2010-12	6	अस्थायी अग्रिम के समायोजन में अनियमितताएं।	पत्र सं . 936(H) दिनांक 16.06.2020. के माध्यम से जबाब दिया गया।	
90	निदेशक (वित्त)	2012-13	8	एस्क्रो खाता खोलने में विलम्ब।	पत्र सं . 705(H) दिनांक 01.06.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
91	निदेशक (वित्त)	2012-13	13	सेवा कर की अनुचित प्रतिपूर्ति की वसूली और आगे की प्रतिपूर्ति को रोकना।	पत्र सं . 937(H) दिनांक 16.06.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
92	निदेशक (वित्त)	2013-14	1	मुनीडीह में सीपीपी के लीजिंग आउट करार में सेवा कर खंड को शामिल न करने के कारण ₹ 1.66 करोड़ के सेवा कर का परिहार्य भुगतान।	पत्र सं . 935(H) दिनांक 16.06.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
93	निदेशक (वित्त)	2013-14	2	₹ 57.70 लाख रुपए के दंडात्मक ब्याज सहित ₹ 480.10 लाख के सेवा	पत्र सं . 935(H) दिनांक 16.06.2020 के माध्यम से	

				कर के भुगतान का दायित्व।	जबाब दिया गया।	
94	निदेशक (वित्त)	2013-14	7	सामान्य अनियमितताएं	**बिंदु सं .5** पत्र सं .3453 दिनांक 17.02.2015 के माध्यम से जबाब दिया गया। **बिंदु सं .1** पत्र सं.257 (ए (दिनांक13.03.2018 के माध्यम से जबाब दिया गया। **बिंदु सं .03** महाप्रबंधक .द्वारा पत्र सं (प्रणाली)55 दिनांक 26.05.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया। **बिंदु सं .2, 4, 6 एवं 7** पत्र सं . 935 दिनांक 16.06.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
95	निदेशक (वित्त)	2017-20	1	गैर उपलब्धता और उपयोग सेनवैट और-वैट क्रेडिट के परिणामस्वरूप ₹ 56.48 करोड़ की हानि हुई।	पत्र सं .101 दिनांक 30.10.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
96	निदेशक (वित्त)	2017-20	2	एमएआरसी उपकरणों पर पर्यवेक्षण प्रभारों पर अनुचित बजटीय नियंत्रण के कारण ₹ 28.11 करोड़ का अधिक भुगतान।	पत्र सं.100 दिनांक 30.10.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
97	निदेशक (कार्मिक)	2016 -19	1	धनबाद नगर निगम को होल्डिंग टैक्स का भुगतान न करना।	निदेशक के तकनीकी (कार्मिक) के तकनीकी सचिव द्वारा पत्र सं61 दिनांक 23.06.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
98	निदेशक (कार्मिक)	2016-19	2	सरकारीअपंजीकृत भूमि के लिए / नियोजन देना।	वही	
99	निदेशक (कार्मिक)	2016-19	4	शिक्षु की भर्ती में कमी के परिणामस्वरूप ₹ करोड़ की अर्थदंड। 5.17	निदेशक के तकनीकी (कार्मिक) के तकनीकी सचिव द्वारा पत्र सं 687-689 दिनांक 22.08.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
100	निदेशक (कार्मिक)	2016-19	6	कोल इंडिया की सीएसआर नीति का उल्लंघन।	महाप्रबंधक (सीएसआर), बीसीसीएल द्वारा पत्र सं . 327(H) दिनांक 09.11.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया। आइएडी द्वारा दिनांक 17.11.2020 को इमेल किया गया।	

101	निदेशक (कार्मिक)	2016-19	7	भूमि मुआवजे के मद में भारी मात्रा में ब्याज का संचय।	वही	
102	निदेशक (कार्मिक)	2016-19	8	अनुचित जनशक्ति नियोजन के कारण जनशक्ति का व्यर्थ नियोजन।	निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव द्वारा पत्र सं61 दिनांक 23.06.20 20 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
103	निदेशक (कार्मिक)	2016-19	9	अवैध खनन का संचालन।	निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव द्वारा पत्र सं 687-689 दिनांक 22.08.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
104	निदेशक (कार्मिक)	2016-19	10	विविध अनियमितताएं।	वही	
105	निदेशक (कार्मिक)	2016-19	11	केएनटीए में दुकानों का अनुचित आवंटन।	वही	
106	परि एवं यो विभाग	2015-19	1	बीओबीआर रेक अनलोडिंग सिस्टम के लिए ट्रैक हॉपर के निर्माण में विलम्ब के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ -₹ 48.08 करोड़।	पत्र सं .621-23(H) दिनांक 07.05.20 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
107	परि एवं यो विभाग	2015-19	2	खदान के अधिशेष जल के बहुउद्देशीय उपयोग के प्रारंभ में विलम्ब।	पत्र सं .621-23(H) दिनांक 07.05.20 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
108	परि एवं यो विभाग	2015-19	3	पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन न करना।	पत्र सं .685 दिनांक 11.05.20 के माध्यम से जबाब दिया गया और पझरिया क्षेत्र द्वारा पत्र . 18 .संदिनांक 30.05.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
109	निदेशक तक परिचालन	2012-14	2	वाहनों के अपंजीकरण में विलम्ब के कारण ₹ 419.48 लाख के सड़क कर अर्थदंड का परिहार्य भुगतान।	पत्र सं .1330-31(H) दिनांक 30.10.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
110	निदेशक तक परिचालन	2012-14	3	मुनीडीह XVI सीम में परियोजना के निष्पादन में विलम्ब - ₹ 414.54 करोड़।	पत्र सं .1025(H) दिनांक 03.07.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	

111	निदेशक तक परिचालन	2017-19	2	व्यापार पर प्रतिबंध और एलसिंह .बी. और उनसे जुड़े लोग के स्वामित्व वाली फर्मों को काली सूची में डालना।	पत्र सं .702 (H) दिनांक 22.05.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
112	सीएमसी	2016-18	1	एक अपात्र ठेकेदार को एचईएमएम अनुबंध देने के परिणामस्वरूप असंतोषजनक प्रदर्शन हुआ और परिणामी उत्पादन का नुकसान हुआ।	पत्र सं .1175-77 (H) दिनांक 12.08.2020. के माध्यम से जबाब दिया गया।	
113	सीएमसी	2016-18	2	₹ 11.43 करोड़ का निष्फल व्यय और परिणामस्वरूप ₹ 2.97 करोड़ के ब्याज की हानि।	दिनांक 22.09.2020 को जबाब दिया गया।	
114	एमएम	2014-16	1	₹ 126.29 करोड़ की लागत से अधिक डंपरों की अविवेकपूर्ण खरीद के परिणामस्वरूप डंपरों का कम उपयोग हुआ।	पत्र सं .1332-33(H) दिनांक 30.10.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
115	एमएम	2014-16	2	स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में विफलता के परिणामस्वरूप एकल बोलीदाता मैसर्स बीईएमएल का एकाधिकार हो गया।	पत्र सं .205 दिनांक 17.09.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
116	एमएम	2014-16	3	₹ 0.67 करोड़ की बैंक गारंटी का नकदीकरण न करना।	पत्र सं .5003 दिनांक 27.02 .2017 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
117	एमएम	2014-16	4	स्कैनिया टिपर्स की खरीद के लिए बोली लगाते समय ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया।	पत्र सं .795 – 96 (H) दिनांक 27.05.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
118	एमएम	2017-19	1	मुनीडीह यूजी खानों के XVI सीम के डी-15 दंड के लिए संरचना के साथ कन्वेयर बेल्ट की खरीद में असामान्य देरी के कारण उत्पादन की हानि।	महाप्रबंधक .के पत्र सं (एमएम) 54-55 दिनांक 09.05.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
119	एमएम	2017-19	2	एनआईटी के प्रतिबंधात्मक तकनीकी	पत्र सं .1112-14(H) दिनांक	

				विनिर्देश।	23.07.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
120	एमएम	2017-19	3	ई -वेस्ट का गैर - निपटान।	वही	
121	एमएम	2017-19	4	स्कैनिया टिपर्स की खरीद पर ठेकेदार को अनुचित लाभ।	पत्र सं .795-96(H) दिनांक 27.05.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
122	एमएम	2017-19	5	हॉरिज़ॉन्टल पंप सेटों की समय पूर्व विफलता।	पत्र सं .1172-74(H) दिनांक 11.08.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
123	प वाशरी जोन . (डब्ल्यू डब्ल्यू जेड)	2012-14	1	डब्ल्यूडब्ल्यूजेड क्षेत्र में वाणिज्यिक संगठन और बाहरी लोगों से किराए की लंबी बकाया राशि ₹ 68.74 लाख।	पत्र सं .1143-45(H) दिनांक 28.07.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
124	प वाशरी जोन . (डब्ल्यू डब्ल्यू जेड)	2012-14	2	डब्ल्यूडब्ल्यूजेड क्षेत्र में पड़े ₹ 71.00 लाख मूल्य के संयंत्र और मशीनरी का उपयोग न करना।	-वही -	
125	प वाशरी जोन . (डब्ल्यू डब्ल्यू जेड)	2012-14	4	दुग्धा वाशरी में टेलिंग्स का गैर परिसमापन।	पत्र सं .1143-45 (H) दिनांक 28.07.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
126	प वाशरी जोन . (डब्ल्यू डब्ल्यू जेड)	2012-14	5	धुले कोयले के एकतरफा निश्चित बढ़े हुए मूल्य पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के कारण परिहार्य व्यय।	-वही -	
127	प वाशरी जोन (डब्ल्यू डब्ल्यू जेड)	2012-14	6	कम क्षमता उपयोग के बावजूद रविवार, छुट्टी और ओवरटाइम के लिए मजदूरी का भुगतान।	-वही -	
128	प वाशरी जोन . (डब्ल्यू डब्ल्यू जेड)	2012-14	7	इन्वेंटरी का अत्यधिक स्टॉक।	-वही -	
129	प वाशरी जोन . (डब्ल्यू डब्ल्यू जेड)	2012-14	8	सामान्य अनियमितताएं।	-वही -	
130	वाशरी मुख्यालय	2011-14	3	धुले हुए कोयले और धुले हुए बिजली के कोयले का निष्क्रिय स्टॉक l; सुदामडीह वाशरी में - ₹ 93.51 करोड़।	पत्र सं .1140-42(H) दिनांक 28.07.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
131	वाशरी मुख्यालय	2011-14	7	वाशरी का खराब प्रदर्शन और सेल के साथ प्राइसिंग फॉर्मूला विवाद।	पत्र सं .1140-42(H) दिनांक 28.07.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
132	वाशरी	2011-14	10	बकाया विविध अग्रिम।	पत्र सं .1140-42(H) दिनांक	

	मुख्यालय				28.07.2020 के माध्यम से जबाब दिया गया।	
133	वाशरी मुख्यालय	2011-14	11	सामान्य अनियमितताएं।	वही	

ङ वर्ष 2020-21 के लिए आरटीआई के आंकड़े

विवरण	सं.
प्राप्त आवेदन की सं.	1978
उत्तर दिये गए आवेदन की सं.	1439
अस्वीकृत आवेदन की सं.	96
प्राप्त अपील की सं.	186
निपटान किए गए अपील की सं.	156
नामित सीपीआईओ की सं.	16
एफएए की सं .	16

- वर्ष 2020-21 में कोई जुर्माना या किसी अन्य प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की गई, सिवाय एक मामले में जहां पीआईओ, कुसुंडा क्षेत्र पर आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत ₹ 1000/ (एक हजार मात्र) का जुर्माना लगाया गया है।

च. आरटीआई अधिनियम के तहत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) निम्नानुसार है:-

1. अनुकंपा नियुक्ति 9.4.3, 9.4.0 तथा भूमि के बदले नियोजन योजना से संबंधित प्रश्न।
2. निविदा विवरण से संबंधित।
3. पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि सेवाओं से संबंधित मामले।
4. पेंशन/सीएमपीएफ मामलों का भुगतान।
5. आउटसोर्सिंग एजेंसियों से संबंधित विवरण।
6. स्थानांतरण/पोस्टिंग से संबंधित विवरण।

29. बीसीसीएल में नयी वाशरियों का निर्माण

वर्ष 2021 में उपलब्धियां

5.0 एमटीपीए पाथेरडीह वाशरी का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया।

- संकल्पना, बीसीसीएल बोर्ड की स्वीकृति, टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर और टीएसएल की अप्रयुक्त धुलाई क्षमता का उपयोग करते हुए बीसीसीएल के अधिशेष कोकिंग कोयले की धुलाई के लिए बीसीसीएल-टीएसएल वाशिंग वेंचर का निष्पादन। इस धुलाई उद्यम ने देश को 2020-21 में इस्पात क्षेत्र में उपयोग के लिए 0.369 मीट्रिक टन धुले हुए कोकिंग कोयले के आयात को कम करने में मदद की।

- कोकिंग कोल को 14% राख के स्तर पर धोने के लिए 2.5 एमटीपीए मुनीडीह वाशरी की स्थापना के लिए निविदा जारी की गई।

- यह वाशरी कोल इंडिया लिमिटेड में पहली वाशरी होगी जो भारत में कोकिंग कोयले के आयात को कम करने की सुविधा के लिए 14% राख के स्तर पर कोकिंग कोल धोने के लिए स्थापित की जाएगी

बीसीसीएल में नयी वाशरियों का निर्माण

- **परिचय**

- बीसीसीएल अपने उपभोक्ताओं (स्टील प्लांट एवं पावर प्लांट) को बेहतर गुणवत्ता वाला एवं समान आकार के कोयले की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।
- बीसीसीएल स्वदेशी धुलाई वाले कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाकर इस्पात क्षेत्र के लिए कोकिंग कोयले के आयात को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- बीसीसीएल ने 2022-23 तक अपनी कोयला धुलाई क्षमता को बढ़ाकर 18.6 एमटीपीए करने की योजना बनाई है।
- 1.6 एमटीपीए दहिबारी वाशरी और 5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी को वाणिज्यिक संचालन के लिए रखा गया था।
- बीओएम अवधारणा के तहत 04 वाशरियों चालू होने के विभिन्न चरणों में हैं।

- **बीओएम आधार पर लागू होने के लिए बनने वाली नयी वाशरियों की वर्तमान स्थिति**

वर्तमान में, बीसीसीएल 12.0 एमटीपीए धुलाई क्षमता को बढ़ाने के लिए 04 वाशरियों को स्थापित करने में जुटा हुआ है। इन 4 वाशरियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	वाशरी	क्षमता (एमटीपीए)	बीओएम ऑपरेटर	वाशरी चालू होने की अपेक्षित तिथि	स्थिति
1.	मधुबन	5.0	एचईसी लि.	जुलाई, 21	कार्य प्रगति पर है (97.4% पूरा हो चुका है)।
2.	पाथरडीह II	2.5	एसीबी (इंडिया) लि.	जुलाई, 22	17% पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3.	भोजूडीह	2.0	एसीबी(इंडिया) लि.	मार्च, 22	25% पूरा हो चुका है। डिजाईनिंग तथा इंजीनियरिंग, सिविल एवं स्ट्रेक्चरल, उपकरणों की खरीद का काम प्रगति पर है।
4.	मुनिडीह	2.5	अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है	2023-24	दिनांक को 18.02.2021 निविदा जारी की गई।
	कुल	**12.0**			

वर्ष 2020-21 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां

क. बी.ओ.एम. अवधारणा के तहत नयी वाशरियों का निर्माण (बिल्ड-ऑपरेट-मेनटेन

1. 5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी

एमटीपीए पाथरडीह कोल वाशरी का वाणिज्यिक संचालन

भारत में उच्चतम क्षमता वाली कोकिंग कोल वाशरी और सीआईएल में बीओएम अवधारणा के तहत दूसरी वाशरी का वाणिज्यिक संचालन, यानी 5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी दिनांक 07.07.2020 को शुरू किया गया था।

2.2.5 एमटीपीए मुनिडीह वाशरी

1.4 एमटीपीए मुनीडीह वाशरी की स्थापना के लिए दिनांक 18.02.2021 को निविदा जारी की गई थी।

ख. रैपिड लोडिंग सिस्टम की स्थापना

दिनांक 02.03.2021 को 5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी में रैपिड लोडिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए मेसर्स मेरिट टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड को कार्य सौंपा गया।

ग. नई वाशरीज के लिए रेलवे साइडिंग का विकास

1. 2.0 एमटीपीए भोजुडीह वाशरी

i. दिनांक 28.05.2020 को सिविल पैकेज के लिए कार्यादेश मैसर्स त्रिवेणी इंजीकॉन प्रा.लि. को जारी किया गया था।

ii. दिनांक 12.06.2020 को साइट सुपुर्द करने के बाद सिविल कार्य प्रारंभ किया गया।

2. 5.0 एमटीपीए पाथेरडीह वाशरी

i. दिनांक 31.03.2021 को वार्फ वॉल साइडिंग को वाणिज्यिक संचालन के लिए रखा गया था।

3. 2.5 एमटीपीए मुनिडीह वाशरी

i. नई 2.5 एमटीपीए मुनीडीह वाशरी हेतु रेलवे साइडिंग के विकास के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के लिए मैसर्स राइट्स को कार्य प्रदान किया गया।

घ. पर्यावरण संबंधी अनुमति/अनापत्ति

➢ 2.5 एमटीपीए मधुवन वाशरी

- दिनांक 01.01.2021 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा टीओआर (संदर्भ की शर्तें) द्वारा प्रदान किया गया था।

वर्ष 2020-21 में नई वाशरीज के निर्माण में पूंजीगत व्यय

वाशरी का नाम	अनुमोदित बजट (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	% उपयोगिता
5.0 एमटीपीए मधुबन वाशरी	13	11.55	89%
	12	3.77	31%
2.5 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी	14.5	3.61	25%
5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी	68.5	64.25	94%
कुल	**108**	**83.18**	**77%**

नई पहल

बीसीसीएल-टीएसएल वाशिंग वेंचर

i. टीएसएल की वाशरीज के माध्यम से बीसीसीएल के कोकिंग कोल की धुलाई का कार्य टीएसएल को देने के लिए बीसीसीएल बोर्ड की स्वीकृति प्रदान की गई।

ii. दिनांक 12.09.2020 को टीएसएल को कार्य आदेश जारी किया गया था।

iii. दिनांक 17.09.2020 को टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

iv. दिनांक 17.09.2020 को धुले हुए उत्पादों के प्रेषण के लिए सेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष 2020-21 में बीसीसीएल-टीएसएल वाशिंग वेंचर का प्रदर्शन

i. टीएसएल वाशरीज को आपूर्ति किए गए कच्चे कोकिंग कोल- 0.55 मिलियन टन।

ii. धुले हुए उत्पादों का प्रेषण:

उत्पाद	**इस्पात संयंत्रों को धुले कोयले की आपूर्ति**	**धुला कोयला (पावर)**
मात्रा (मिलियन टन)	0.369	0.158

iii. आयात प्रतिस्थापन

वर्ष 2020-21 में इस्पात संयंत्रों/देश के लिए 0.369 मिलियन टन वाश्ड कोकिंग कोल।

iv. इस वाशिंग वेंचर के माध्यम से धुले हुए कोकिंग कोल की आपूर्ति के कारण सेल के इस्पात संयंत्रों में
स्वदेशी धुले कोकिंग कोयले की खपत 3600 टीपीडी से बढ़कर 5700 टीपीडी हो गई।

v. सेल ने इस वाशिंग वेंचर के माध्यम से आपूर्ति किए गए धुले हुए कोकिंग कोल [@ 18.5% राख स्तर] की निरंतर गुणवत्ता की सराहना की है।

बीसीसीएल में नई वाशरियों के निर्माण की तस्वीरें

5.0 एमटीपीए मधुबंन वाशरी

उत्पाद साइलो (03 सं.)

थिकनर-1
2.0 एमटीपीए भोजुडीह वाशरी

रॉ कोल् रिसीविंग टैंक हूपर का निर्माण

2.5 मीट्रिक टन पाथरडीह वाशरी

रॉ कोल रिसीविंग ट्रैक हूपर का निर्माण

रैपिड लोडिंग सिस्टम का निर्माण- 1

रैपिड लोडिंग सिस्टम का निर्माण 2

30. झरिया मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की स्थिति

आग, भू-धंसान एवं पुनर्वास से निपटने के लिए मास्टर प्लान

भारत सरकार द्वारा 12 अगस्त, 2009 को झरिया कोलफिल्ड के लिए ₹ 7,112.11 करोड़ और रानीगंज कोलफील्ड्स के लिए ₹ 2661.73 करोड़ के अनुमानित निवेश साथ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के पट्टाधारित क्षेत्र में आग, भू-धसान एवं पुनर्वास की समस्या से निपटने के लिए बनाये गए मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया था। इसकी कार्यान्वयन अवधि को 10+2 वर्ष निर्धारित किया गया है। मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की गतिविधियों की समीक्षा के लिए सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त केंद्रीय समिति की बैठकें आयोजित की गई। अब तक इसकी इक्कीस बैठकें हो चुकी हैं, पिछली बैठक दिनांक 04/03/2020 को हुई थी। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) मास्टर प्लान के तहत गैर-बीसीसीएल लोगों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पट्टाधारित क्षेत्र में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की संक्षिप्त स्थिति।

आग से निपटान: बीसीसीएल द्वारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद के माध्यम से झरिया कोलफील्ड में सतही कोयले की आग के चित्रण के लिए कोयला खदान अग्नि सर्वेक्षण / अध्ययन गई थी। वर्ष 2017 की इसकी रिपोर्ट के अनुसार कुल 34 सक्रिय अग्नि स्थल थे। बीसीसीएल ने इन स्थलों पर आग से निपटने के लिए कार्रवाई की है। एनआरएससी द्वारा वर्ष 2020-21 में आग का नया सर्वेक्षण किया जा रहा है और अक्टूबर, 2020 में एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार कुल सक्रिय आग स्थल 27 हैं। इन साइटों में आग से निपटने के लिए बीसीसीएल द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि स्वीकृत मास्टर प्लान में निर्धारित है। **पुनर्वास-** मास्टर प्लान के अनुसार 595 स्थानों में कुल 54,159 परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना था। सिंफर, आइएसएम, विज मंत्रा एवं जेआरडीए द्वारा वर्ष 2020 में 595 साइटों का सर्वेक्षण इस प्रकार पूरा किया है:

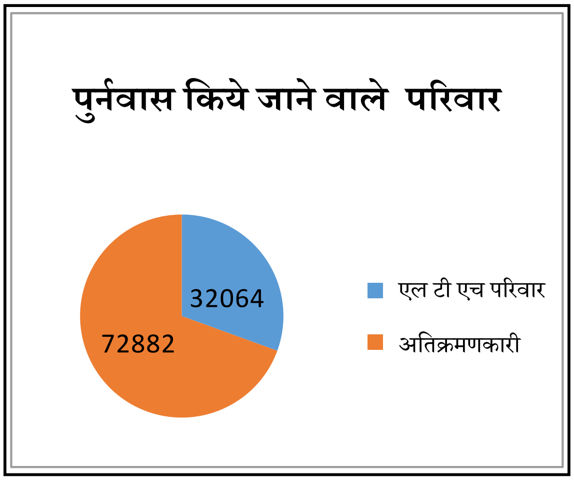

बेलगोरिया पुनर्वास टाउनशिप "झरिया विहार" में 6352 घरों का निर्माण किया गया है, जिसमें 2653 गैर एलटीएच परिवारों (अतिक्रमणकारियों) को प्रभावित क्षेत्रों से स्थानांतरित किया गया है। अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बीसीसीएल कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के लिए बीसीसीएल द्वारा गैर-कोयला धारित क्षेत्र में 7714 घर बनाए गए हैं और 4186 परिवारों को आग एवं भू-धंसान स्थानों से इन घरों में स्थानांतरित किया गया है। आगे बीसीसीएल द्वारा 8138 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और पूरा होने के विभिन्न चरणों में है।

31. पर्यावरण एवं परिस्थितिकी

बीसीसीएल की कॉरपोरेट पर्यावरण नीति का उद्देश्य सतत विकास की अवधारणा पर पर्यावरण प्रबंधन है, जो कंपनी के कर्मचारियों और समर्पित प्रबंधन प्रणाली के ठोस प्रयासों द्वारा प्राप्त किया जाता है। चूंकि कामकाजी वातावरण में परिवर्तन गतिशील हैं, इसलिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण नीति को समय-समय पर संशोधित किया जाता है और उसी के अनुसार पहल किया जाता है।

बीसीसीएल ने पर्यावरण सुधारने के लिए सतत और बड़े स्तर पर प्रयास किए हैं। पर्यावरणीय स्थिति/गतिविधियों का सारांश निम्न प्रकार है:-

क. बीसीसीएल की खदानों एवं वाशरियों के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति

बीसीसीएल ने पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करने के लिए अपनी सभी चालू, परित्यक्त एवं प्रस्तावित (पिट हेड वाशरियों सहित) खदानों को 17 क्लस्टरों का समूह बनाकर क्लस्टर की अवधारणा प्रतिपादित किया है। बीसीसीएल कोयला उद्योग में ईआईए-ईएमपी तैयार करने तथा पर्यावरण संबंधी अनुमति की स्वीकृति के लिए क्लस्टर की अवधारणा प्रतिपादित करने वाली अग्रणी कंपनी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलाय (एमओईएफसीसी) ने इस क्लस्टर अवधारणा का अनुमोदन दिसंबर, 2009 में किया है तथा पर्यावरण संबंधी अनुमति की मंजूरी हेतु इसके सभी क्लस्टरों के लिए ईआईए-ईएमपी तैयार करने की सलाह दी है।

खदानों की पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की स्थिति: आज की तारीख में

- सभी चालू, बंद तथा प्रस्तावित खदानों के 17 क्लस्टरों की पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त है। वर्ष के दौरान प्रस्तावित कल्याणेश्वरी ओपनकास्ट के लिए क्लस्टर XVII का पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया गया।
- वर्ष के दौरान क्लस्टर-IV की 3.706 एमटीपीए से 9.55 एमटीपीए तक क्षमता वृद्धि तथा क्लस्टर-VII की 8.161 एमटीवाई से 11.42 एमटीवाई तक की वृद्धि प्राप्त की।
- 17 क्लस्टरों के लिए कुल उच्चतम क्षमता अभी 93.04 एमपीपीए है।
- प्रत्येक खदान की ईसी क्षमता अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से सेंद्रा बांसजोड़ा, कनकनी, कुइयां, दोबारी ओसी, एकीकृत जयरामपुर कोलियरी (ओसी), अविभाजित सुदामडीह पाथरडीह ओसी, भौंरा (एम), गोपालीचक ओसी एवं केंदुआडीह ओसी को फैसिलिटेड करने के लिए इसके क्लस्टर क्षमता में परिवर्तन किये बिना, क्लस्टर- V, VII,VIII, IX, X, XI के ईसी में संशोधन करवाया गया।

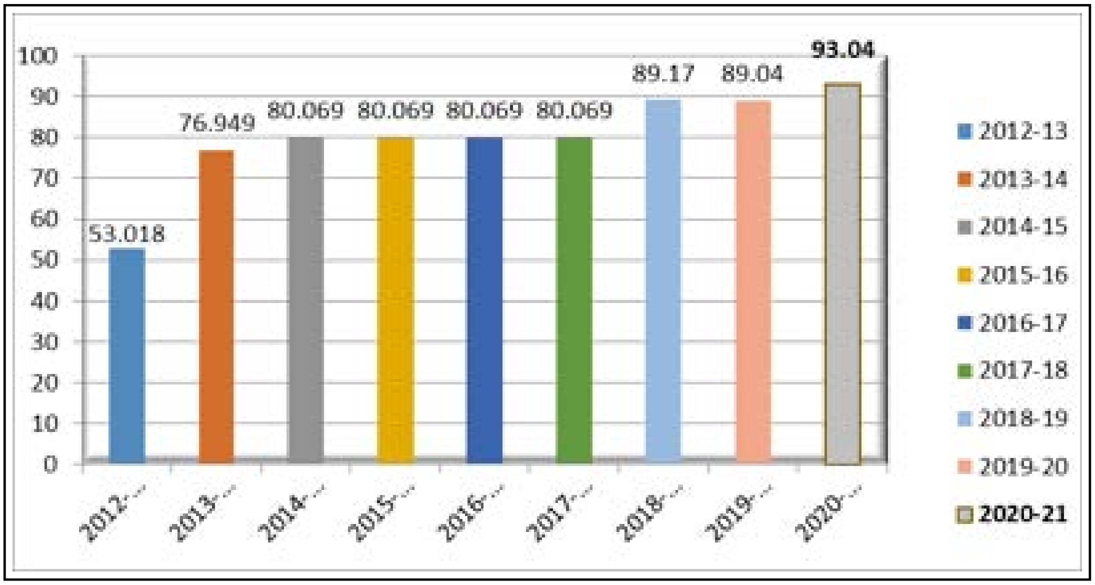

खानों के समूहों की कुल पर्यावरण मंजूरी क्षमता (एमटीपीए)

वाशरियों की पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की स्थिति: आज की तारीख में

- प्रत्येक 1.6 एमटीपीए की मानक क्षमता के लिए मुनिडीह वाशरी, सुदामडीह वाशरी और दहीबाड़ी वाशरी की पर्यावरणीय मंजूरी क्रमशः क्लस्टर XI, X और XVI के तहत उपलब्ध है।
- पाथरडीह कोल वाशरी 5.0 एमटीपीए तथा प्रस्तावित पाथरडीह कोल वाशरी 2.5 एमटीपीए, मधुबन कोल वाशरी 5.0 एमटीपीए, दुग्दा कोल वाशरी 2.5 एमटीपीए, भोजूडीह कोल वाशरी २ एमटीपीए के लिए पर्यावरणीय मंजूरी उपलब्ध है।
- न्यू मुनीडीह वाशरी 2.5 एमटीपीए हेतु क्लस्टर XI के विस्तार के लिए टीओआर प्राप्त, मसौदा ईएमपी तैयार किया जा रहा है।

पर्यावरणीय अनुपालन

बीसीसीएल द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी की सभी शर्तों के अनुपालन के लिए कार्रवाई की गई है और अनुपालन रिपोर्ट नियामक प्राधिकारियों को नियमित रूप से भेजी जा रही है। इसे बीसीसीएल के आधिकारिक वेवसाइट पर मंजूरी पत्रों के साथ अपलोड किया जाता है।

- ईसी की शर्तों के अनुसार, जेएसपीसीबी, रांची के परामर्श के आधार पर मॉनिटरिंग लोकेशन क्लस्टर आधार पर तय की जाती है। सीएमपीडीआई, आरआई-II को खदान/वाशरियों की पर्यावरणीय निगरानी का काम सौंपा गया है।
- पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक समर्पित पर्यावरण विभाग मौजूद है, जिसके द्वारा सभी क्षेत्रों में पर्यावरण इंजिनियरों को प्रतिनियुक्त किया गया है।
- ईसी के तहत आवश्यक अध्ययन किए जा रहे हैं। भूजल की निगरानी, उपग्रह आधारित भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण मानचित्रण, सड़क परिवहन को कम करके प्रदूषण में कमी आदि का काम सीएमपीडीआई को सौंपा गया है।
- एनआइओएच, अहमदाबाद द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी अध्ययन पूरा कर लिया गया है।
- एनइइआरआइ, नागपुर द्वारा शुरू किए गए स्रोत संविभाजन अध्ययन की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
- पारंपरिक चलंत जल छिड़काव के मौजूदा बेड़े के अलावा, 2019-20 में उत्खनन विभाग द्वारा मिस्ट सिस्टम के साथ 10 तथा 20-21 में 04 वाटर स्प्रिंकलर खरीदे गये।
- विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग द्वारा मोबाइल फॉग कैनन के पुनर्निविदा की प्रक्रिया चल रही है। बस्ताकोला क्षेत्र द्वारा 01 ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन की खरीद हेतु क्रय आदेश दे दिया गया है।
- चूंकि सभी बिडर तकनीकी संपुष्टि के लिए अपेक्षित दस्तावेज जमा करने में विफल रहें, इसलिए खदानों और साइडिंगों पर रखे जाने वाले 40 पीएम10 एनलाइजरों की खरीद के लिए निविदा रद्द कर दी गई। जेम पोर्टल पर पुनर्निविदा की गई और निविदा खुलने के बाद प्रक्रियाधीन है। जगजीवन नगर, कतरास क्षेत्र तथा कुसुंडा क्षेत्र में सीएएक्यूएमएस की खरीद भी निविदा के विभिन्न चरण में है।
- भूजल मॉनिटरिंग के लिए बीसीसीएल के कमान क्षेत्रों के खानों की क्लस्टर के लिए 23 पाइजोमीटर कुओं को स्थापित करने के लिए सिविल विभाग द्वारा ड्रिलिंग की पुन: निविदा निकाली जा रही है।

- एनआरएससी ने टाइम सीरिज कोल माइन फायर मैपिंग (थर्मल इंफ्रारेड) कर वर्ष 2014 तथा 2018 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है। समय-समय पर अध्ययन
- किया जा रहा है तथा अगली रिपोर्ट वर्ष 2021 में अपेक्षित है।

वायु प्रदूषण रोकने के लिए हरित क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट) विकसित किया जा रहा है।

(ख) भौतिक एवं जैविक पुनर्स्थापना (पारिस्थितिकी पुनरूद्धार)

विरासत में पुरानी खदानें मिलने के बाद बीसीसीएल ने पुनरूद्धार के लिए लगातार प्रयास किए हैं। प्रारंभिक चरण में वृक्षारोपनण कार्य मात्र हरियाली के उद्देश्य से किया गया था, चाहे वह किसी भी प्रजाति का हो। हालांकि विदेशज प्रजातियों के उपयोग से शुरूआत में तेजी से विकास दिखा परंतु साइट के पारिस्थितिक स्थापन में योगदान नहीं दिया। बीसीसीएल ने फारेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफआरआइ, देहरादुन से संपर्क किया तथा जुलाई, 2011 में संस्था के माध्यम से उत्खनित और विकृत भूमि के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया था।

बीसीसीएल अपने विकृत एवं उत्खनित भूमि पर पारिस्थितिकी पुनरूद्धार का काम करने के लिए खनन उद्योग की अग्रणी कंपनी है। पारिस्थितिकी पुनरूद्धार में त्रिस्तरीय वृक्षारोपण प्रक्रिया अपनायी जाती है, जिसमें सबसे निचले स्तर पर देशी प्रजाति के घास, मध्यम स्तर पर छोटे पौधे एवं सबसे ऊपरी स्तर पर वृक्ष होते है। इसका उद्देश्य जैव-विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, बनावट, क्षमता, सेवा एवं प्रक्रिया को पिछले मूल स्थिति में लाने के साथ वन पारिस्थितिकी तंत्र को प्राकृतिक रूप से स्थापित करना है, जैसा कि वह खनन से पहले की स्थिति में थी। इसलिए, उत्खनित भूमि का पारिस्थितिकी पुनरूद्धार करना पारिस्थितिकी एव सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त उपाय है। बीसीसीएल ने जुलाई, 2011 में अपने विकृत एवं उत्खनित भूमि पर पारिस्थितिकी पुनरूद्धार के लिए वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ), देहरादून के माध्यम से एक खाका तैयार कर इसके सफल कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया है।

वर्ष 2011में वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ), देहरादून के माध्यम से 8 हेक्टेयर के एक ओबी डंप पर एक आदर्श पारिस्थितिकी पुनरूद्धारकी परियोजना शुरू की गई थी, जो जुलाई, 2014 में पूरी हुई। ठीक उसी समय, विकृत पारिस्थितिकी प्रणाली की पर्यावरणीय प्रबंधन केंद्र (सीइएमडीई), दिल्ली विश्वविद्यालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परियोजना निदेशक प्रो. सी आर बाबू के कुशल नेतृत्व में दामोदा कोलियरी के लगभग 7 हे. ओबी डंप पर एक अन्य महत्वाकांक्षी (पायलट) परियोजना शुरू की गई है। परियोजना स्थल के इन दोनों जगहों पर पुन: हरियाली लाने के काफी बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं।

उपर्युक्त पायलट परियोजनाओं की सफलता के बाद, पारिस्थितिकी पुनरूद्धार के लिए इस प्रक्रिया को विभिन्न पुनरूद्धार स्थलों पर दोहराया जा रहा है, जिसमें वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ), देहरादून एक तकनीकी विशेषज्ञ / सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है। सहमति पत्र (एमओयू) के अनुसार एफआरआइ, देहरादून बीसीसीएल के पारिस्थितिकी पुनरूद्धार स्थलों की सतत मॉनिटरिंग करता आ रहा है तथा बीसीसीएल के पारिस्थितिकी पुनरूद्धार स्थलों के स्थापन एवं बढ़ोतरी के लिए तकनीकी इनपुट मुहैया करता है। एफआरआइ, देहरादून भौतिक-रसायन, गुण एवं कार्बन पृथक्करण माइक्रोबियल विश्लेषण आदि जैसे अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों की सतत मॉनिटरिंग करता आ रहा है। इन अनुसंधानों के परिणाम ने बीसीसीएल के कोयला क्षेत्रों में विकृत हो चुकी है खनिक भूमि के पुनरूद्धार के सकारात्मक संकेत दिये हैं।

स्थानीय प्रजाति के पौधों के विकास की सफलता को देखते हुए और अधिक उम्मीद जगी है और राज्य वन विभाग के माध्यम से स्थानीय प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण फिर से शुरू हुआ है, जो पारिस्थितिकी के अन्य स्थानीय प्रजाति के पौधों की बहाली को बढ़ावा देता है। अस्थायी ओबी डंप तक सीड बॉल के माध्यम से घास उगाने का विस्तार किया जा रहा है। वृक्षारोपण का विवरण इस प्रकार है::-

- बीसीसीएल ने अभी तक 31,55,986 पौधेरोपण कर 1459.16 हेक्टेयर (239.97 हेक्टेयर पारिस्थितिक पुनरूद्धार सहित) भूमि पर जैविक पुनरूद्धार किया है। इसके अतिरिक्त 29888 गैबियन प्लांटेशन भी किया गया।
- वर्ष 2020-21में, 1100 किलोग्राम ग्रास सीड्स तथा 295 कि.ग्रा. देशी प्रजाति के पेड़ और आडियों के बीज का बीसीसीएल के 80 हेक्टेयर अस्थायी ओबी डंप पर छिड़का गया। वर्ष 2021-22 के लिए 1870 कि.ग्रा. घास की खरीद शुरू।
- वर्ष 2021-22 में पौधरोपण हेतु कार्यादेश निर्गत:

क. 3276 पेड़ों (भविष्य में तसर की खेती और आजीविका सृजन के संभावित उपयोग) की कटाई के बदले में वन विभाग के माध्यम से पी. बी. क्षेत्र में 20 हेक्टेयर भूमि पर 33,320 अर्जुन के पेड़ का वृक्षरोपण।

ख. 1850 पेड़ो की कटाई के बदले में वन विभाग के माध्यम से सिजुआ क्षेत्र में 18000 पौधे नदी किनारे तथा 500 पौधे सड़कों के किनारे लगाये गए।

ग. 120 पेड़ों की कटाई के बदले में वन विभाग द्वारा लोदना क्षेत्र में 1200 पौधे सड़कों के किनारे लगाये गए।

घ. डीएफओ, धनबाद को दिए गए 54 पेड़ों की कटाई के बदले में वन विभाग के माध्यम से गोविंदपुर क्षेत्र में 388 पौधे सड़कों के किनारे लगाये गए।

ङ. राज्य वन विभाग के माध्यम से 55.5 हेक्टेयर उत्खनित विकृत भूमि (एनएकेसी), गोविंदपुर क्षेत्र में 23 हेक्टेयर ओबी डंप, एजीकेसीसी, कतरास क्षेत्र में 13 हेक्टेयर ओबी डंप, एएसपी कोलियरी, ई जे क्षेत्र में 19.5 हेक्टेयर भौतिक रूप से पुनरूद्धारित भूमि) पर पौधरोपण।

च. 377 पेड़ों की कटाई के बदले में राज्य वन विभाग द्वारा पू. झरिया क्षेत्र में रिवर साइड प्लांटेशन स्कीम के तहत 3900 पौधरोपण।

छ. 530 पेड़ों की कटाई के बदले में राज्य वन विभाग के माध्यम से कुसुण्डा क्षेत्र में 530 बेंबू रौबियन प्लांटेशन किया गया।

ज. ईसी अनुपालन हेतु राज्य वन विभाग के माध्यम से सिजुआ क्षेत्र में 530 बेंबू रौबियन प्लांटेशन।

वर्ष में किए गए कुल पौधरोपण 21-2020	वर्ष के लिए कुल आवंटित पौधरोपण 22-2021
• ब्लॉक- 54.5 हेक्टेयर (136250)	• ब्लॉक- 55.5 हेक्टेयर ओबी डंप/पुनरूद्धाधिरत भूमि पर
• सड़क किनारे- 1700	• ब्लॉक 20 हेक्टेयर यूजी माइन पर अर्जुन पौधे का रोपण
• अन्य- 7300	• रिवरसाइट स्ट्रीप प्लांटेशन- 14.6 हेक्टेयर
	• सड़क किनारे- 3178

❖ **ईको पार्क:**

बीसीसीएल द्वारा विकृत उत्खनित भूमि क्षेत्रों तथा ओबी डंप पर प्राकृतिक वनरोपण करने के साथ-साथ कुछ विकृत उत्खनित भूमि क्षेत्रों तथा ओबी डंप पर ईको-पार्क को भी विकसित किया जा रहा है। खनन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले स्थानीय समुदायों से जुड़ने, स्टेक होल्डरों के बीच कंपनी की छवि को बदलने तथा

लोगों को मनोरंजन एवं कायाकल्प का एक उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीसीसीएल में ईको-पार्क विकसित किए जा रहे हैं

1. गोकुल पार्क-कल्चरल पार्क, लोदना क्षेत्र:

क्षेत्र के स्थानीय लोगों को लाभान्वित करने तथा सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं को विकसित करने के लिए एक ईको-कल्चरल पार्क को विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में लोदना क्षेत्र के नार्थ तिसरा, साउथ तिसरा-जीनागोरा परियोजना में 10 हे. खनन की गयी भूमि पर पार्क का निर्माण किया गया था। पार्क विकसित करने का उद्देश्य स्थानीय लोगों को पार्क समर्पित करना है। स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और उन्हें पारिस्थितिक कार्य से जोड़ने के उद्देश्य से यहां सबसे ऊपरी भाग पर मां काली तथा अन्य देवताओं के मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर परिसर में एक यज्ञशाला तथा पूजा-पाठ में प्रयोग होने वाले पेड़-पौधे तथा फुलवारी को भी विकसित किया गया है। इसके अलावा फल का बगीचा, बांस, देशी प्रजातियों के पेड़, लिली तालाब, शैल, फूलों का बगीचा, पिकनिक स्थल तथा पार्क का निर्माण स्थानीय लोगों के मनोरंजन, शांति प्रदान करने के उद्देश्य हेतु विकसित किया गया है। यह पार्क अब स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समारोहों के केंद्र के रूप में काम करता है।

2. वृंदावन ईको-रीस्टोरेशन साइट, कुसुंडा:

शुरू में इस ईको-पार्क को पारिस्थितिक पुनरूद्धार स्थल के तौर पर विकसित किया गया था, परंतु अब इसे ईको-पार्क में बदल दिया गया है, जहां आस-पास के लोग मनोरंजन करते हुए तरोताजा हो सकते हैं। इस स्थल को विभिन्न क्षेत्रीय देशी प्रजातियों के वृक्षों का घना प्राकृतिक वृक्षारोपण कर विकसित किया गया है। इस ईको-पार्क में नर्सरी, मचान, ईको-कुटीर, वाकिंग ट्रेल तथा बेंच लगाया गया है। मौसम में इस ओबी डंप पर धान की खेती भी की जाती है।

3. पारसनाथ उद्यान, कतरास क्षेत्र:

यह पार्क मनोरंजन एवं कायाकल्प के लिए आसपास के समुदायों और पास के कतरास नगर के निवासियों के बीच लोकप्रिय है। इस पार्क में एक जलाशय, इको-हट, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया, जैसे स्विंग एवं आइड्स, पैदल चलने के रास्ते, बेंच, फूलों का बगीचा, हेजेज ग्रीन टनल आदि भी स्थापित किए गए हैं। यह भी देखा और बताया गया है कि इस इको-पार्क का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा मनोरंजन और कायाकल्प के अलावा योग और ध्यान के अभ्यास के लिए भी किया जाता है। वेस्ट-टू-वेल्थ की अवधारणा पर खदानों के स्क्रैप का उपयोग करके रेन डांस, फ्लोटिंग कैफेटेरिया, ओपन जिम, जैन मंदिर, फूलों के बगीचे आदि का विकास किया जा रहा है।

4. पंचवटी इको-पार्क:

उत्खनित क्षेत्रों में पारिस्थितिक पुनरूद्धार के लिए शिरिस, पलाश, आंवला, कटहल, बेर, शीशम, बेल, गुलमोहर इत्यादि के पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोयला नगर में एक केंद्रीकृत नर्सरी विकसित किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रो, इको-रेस्टोरेशन स्थलों पर नर्सरी भी स्थापित की गई है। समस्त क्षेत्रों, विभिन्न संस्थानों तथा स्थानीय लोगों को पौधे वितरित किए जाते हैं। कोयला नगर तथा आस-पास के क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित करने के लिए कोयला नगर स्थित बीसीसीएल की केंद्रीय नर्सरी में एक ईको-पार्क भी विकसित किया गया है। इस ईको-पार्क में विभिन्न फूलों की बाग, कैक्टस गार्डन, ईको हट, जॉगिंग ट्रैक, गुलाब के बाग,

लिली तालाब इत्यादि हैं। इस जगह को आस-पास के रहने वाले शहरी आबादी के लिए ध्यान एवं योग के एक केंद्र के तौर पर विकसित करने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। इस पार्क का और अधिक विकास किया जा रहा है और यह स्थानीय जनता को समर्पित किया जाएगा। यह ईको-पार्क 6 KW क्षमता वाले सौर पैनल द्वारा संचालित है।

5. तेतुलमारी जैव विविधता पार्क, सिजुआ क्षेत्र:

देशी किस्म के तीन स्तरीय वृक्षारोपण के साथ पारिस्थितिक पुनरूद्धार को सफलता पूर्वक लागू करने के बाद बीसीसीएल ने सिजुआ क्षेत्र के तेतुलमारी में मॉडल पारिस्थितिक पुनरूद्धार स्थल पर जैव विविधता को बढ़ाने के लिए एफ आर आई, देहरादून के जरिए काम प्रारंभ किया है। इस परियोजना की अवधि दो वर्षों की थी। एफआरआई, देहरादून ने जुलाई, 2018 में प्रस्तुत अपने परियोजना रिपोर्ट में यह पाया है कि कुल 103 पौधों की प्रजातियां जिसमें 37 पेड़, 15 झाड़ियां, 27 जड़ी बूटियां, 9 घास, 2 बांस, 2 फर्न, 1 लता है। साइट पर 10 आरोही लताएं भी देखी गई है। इन सभी में, दर्ज की गई 80 प्रजातियों के पौधों का एक या अन्य तरह से औषधीय उपयोग होता है। परियोजना स्थल पर पक्षियों (20), तितलियां (14), कीट-पतंगे (27), सरीसृप (1) तथा कुछ जानवरों के विभिन्न प्रजातियों को भी देखा गया है। इसी तरह कार्बन पृथक्करण के परिमाणन के संदर्भ में, 205.09 टन/हे. के पुनरूद्धार स्थल में 215.09 टन/हे. के बराबर C02 का पृथक्करण था।

6. अशोक वाटिका, कुइयां कोलियरी (विकासशील)

7. गोवर्धन ईको-पार्क, बेरा: (विकासशील)

(ग) वृक्षारोपण अभियान

दिनांक 23.07.2020 को माननीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह द्वारा वीडियो क्रांफेंसिंग के माध्यम से माननीय संसदीय कार्य कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में कोयला मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर:

(क) माननीय गृह मंत्री द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय कोयला मंत्री की उपस्थिति में अगस्त महीने में एकेडब्ल्यूएमसी, कतरास क्षेत्र के ओबी डंप पर 3.5 हेक्टेयर में फैले पारसनाथ उद्यान, एक ईको-पार्क का उद्घाटन किया गया।

(ख) बीसीसीएल के कुल 09 स्थानों को वृक्षारोपण अभियान, 2020 के लाइव वीडियो क्रांफ्रेसिंग से जोड़ा गया था।

(ग) मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में 13810 पौधरोपण किए गए।

(घ) मुख्यालय के साथ-साथ समस्त क्षेत्रों में 1400 बालवृक्ष वितरित किए गए।

(ङ) वन्य मंजूरी: बीसीसीएल द्वारा राज्य वन विभाग, राज्य भू-राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार वन भूमि की पहचान की जा रही है और आवश्यकतानुसार वानिकी मंजूरी प्राप्त की जा रही है।

- पत्र सं.- 5-JHC 188/2010-BHU/3913 दिनांकित 24.04.2020 के माध्यम से मुरलीडीह कोलियरी, पश्चिमी झरिया क्षेत्र में 6.41 हेक्टेयर वन भूमि को द्वितीय चरण की वन्य मंजूरी दी गई है।
- कुइयां कोलियरी, बस्ताकोला क्षेत्र में 16.49 हेक्टेयर वन्य भूमि के लिए आवेदन झारखंड सरकार द्वारा वांछित एफआरए 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र नोडल अधिकारी/पीसीसीएफ, रांची के पास है।
- मुराईडीह कोलियरी, बरोरा क्षेत्र में 133.69 हेक्टेयर वन भूमि, एकीकृत ब्लॉक-II ओसीपी, ब्लॉक-II क्षेत्र में 179.36 हेक्टेयर वन भूमि, मुनीडीह कोलियरी, पश्चिमी झरिया क्षेत्र में 80.55 हेक्टेयर वन भूमि, दहीबाड़ी बसंतीमाता ओसीपी, सी वी क्षेत्र में 136.02 हेक्टेयर वन भूमि (जमादेही मौजा) के लिए ऑनलाइन आवेदन परिवेश पोर्टल पर जमा किया गया है। भू-अभिलेखों तथा अपेक्षित प्रमाणीकरण के लिए जिला राजस्व प्राधिकारियों से नियमित संपर्क किया जा रहा है, ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके।

(घ) खान बंदी योजना का कार्यन्वयन

बीसीसीएल ने खदानों/खानों के समूह के लिए 56 खान बंदी योजनाएं तैयार की है तथा इन्हें क्रमिक कार्यान्वयन के लिए रखा है। इस उद्देश्य के लिए खोले गए एस्क्रों खाते में वार्षिक बंदी लागत को जमा रखा जा रहा है और बीसीसीएल ने खान बंदी के कार्य के कार्यान्वयन के लिए एस्क्रो खाते में प्रतिभूति जमा के रूप में 31.03.2021 तक ₹ 440.63 करोड़ जमा किया है, जो बीसीसीएल के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आइ आइ ई एस टी, शिबपुर द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट किया जा रहा है तथा कुल ₹ 83.10 करोड़ (अनुमानित) सीसीओ प्रस्तुत कर दिया गया। सीसीओ ने प्रगतिशील बंदी गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के एवज में 20 खदानों के ₹ 36.415 करोड़ तदर्थ प्रतिपूर्ति निर्गत की है।

(ड.) पर्यावरण संबंधी जगरूकता

बेहतर पर्यावरण विकसित करने हेतु बीसीसीएल द्वारा सभी स्टेक होल्डरों को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(क) बीसीसीएल का पर्यावरण संबंधी न्यूज-लेटर:

पर्यावरण पर बीसीसीएल की तिमाही न्यूज-लेटर "पर्यावरण दर्पण" का प्रकाशन लोगों में पर्यावरण एवं खनन की विविध संकल्पनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। यह वर्ष 2015 से सर्वोत्तम कार्य अभ्यास तथा पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जागरूकता फैलाने का मंच प्रदान कर रहा है। यह न्यूज-लेटर कोयला मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुषंगी कंपनियों, नियामक प्राधिकारियों को भेजा जा रहा है तथा इसे बीसीसीएल के वेबसाइट पर अपलोड भी किया जा रहा है।

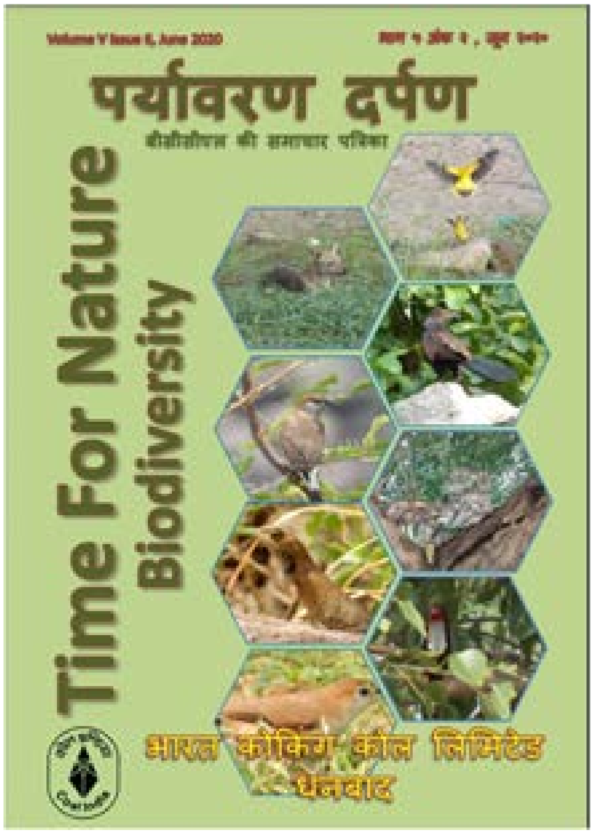

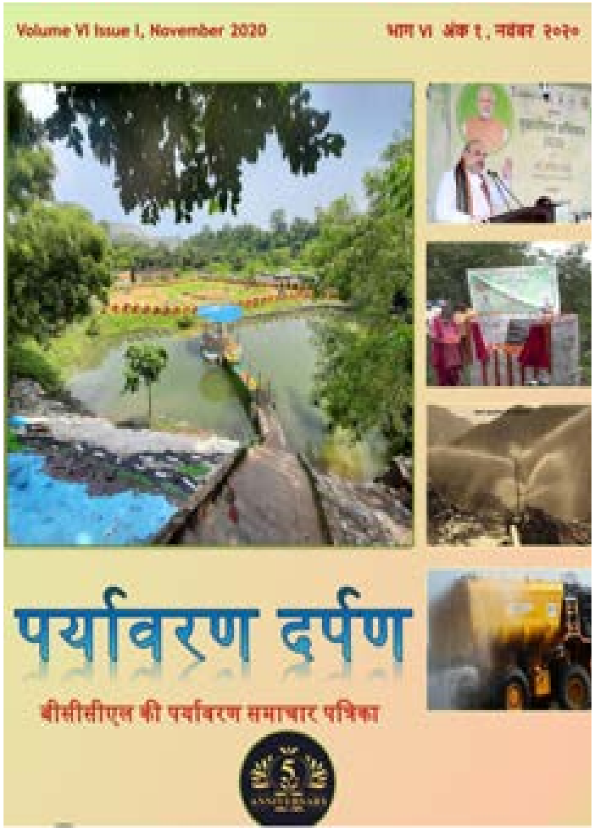

(ख) पर्यावरण संबंधी जागरूकता लाने के लिए, आस-पड़ोस के लोगों तथा अन्य स्टेक होल्डरों को संवेदनशील बनाने तथा कंपनी की छवि पर्यावरण मित्र की बनाने के लिए बीसीसीएल का पर्यावरण विभाग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता है तथा सेमिनारों एवं कार्यक्रमों में भाग लेता है। कर्मचारियों एवं उनके परिवारों, स्कूली बच्चों की सक्रिय सहभागिता में विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव का आयोजन किया गया।

(ग) ईको-माइनिंग परिभ्रमण (Eco Mining Tourism):

वर्ष 2016-17 से बीसीसीएल अपने खनन क्षेत्रों और पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थलों पर ईको माइनिंग पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य कंपनी और अन्य हित धारकों के बीच खाई को पाटना तथा खनन गतिविधियों को प्रदर्शित कर कंपनी की सकारात्मक छवि बनाना और पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थलों/ ईको पार्क को विकसित करना है। प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्कूल, कॉलेज तथा व्यावसायिक संस्थानों से लोग इस पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थल तथा ईको-पार्क को यह जानने के लिए देखने आते हैं कि विकृत हो चुकी खनित क्षेत्रों को किस तरह से मनोरम भू-दृश्य में पुनरुद्धारित किया गया है।

वर्ष 2020-21में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर बीसीसीएल ने अपनी खदानों तथा पारिस्थितिक पुनरुद्धार/ईको पार्क के लिए धनबाद के विभिन्न स्कूलों तथा कालेजों के लिए वर्चुअल इको साइडिंग टूर का आयोजन किया। ईको-माइनिंग पर्यटन कार्यक्रम के तहत डीएवी मुनिडीह; धनबाद पब्लिक स्कूल; सैंमबॉसिस पब्लिक स्कूल, धनबाद एवं डीएवी कोयला नगर, धनबाद के विद्यार्थियों ने ज्ञानवर्धन के लिए और बीसीसीएल के खनन एवं उनके द्वारा किए जा रहे पारिस्थितिक पुनरुद्धार कार्य के बारे में जानने के लिए खदानों का वर्चुअल भ्रमण किया।

घ. सभी पर्यावरणीय मंजूरी, पर्यावरणीय मंजूरी अनुपालनों को जन सूचना के लिए बीसीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इसे क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तरों पर लगे सूचनापटों पर प्रदर्शित भी किया जाता है। बीसीसीएल की वेबसाइट पर बीसीसीएल प्रबंधन की विभिन्न पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाता है।

च. आईएसओ प्रमाणन

बीसीसीएल संपूर्ण कंपनी को आईएसओ प्रमाणन कर रहा है। एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए संशोधित एकीकृत परिचालन मैनुअल, एकीकृत रखरखाव मैनुअल और एकीकृत प्रबंधन प्रणाली मैनुअल अनुमोदित किया गया है जो एक साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों- आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और आईएसओ 45001 का अनुपालन करता है। मैनपावर तैयारी के लिए जागरूकता प्रशिक्षण तथा आंतरिक लेखा प्रमाणन पाठ्यक्रम आयोजित।

छ. प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

i. पर्यावरण संरक्षण के लिए कोयले के पिरिवहन के दौरान उड़ने वाली धूल को कम से कम करने के लिए ट्रकों में लदे कोयले के उपर पानी का छिड़काव करने के उद्देश्य से ओवरहेड स्प्रिंकलर की स्थापना की गई है, जो एक अनूठी पहल है। ये स्प्रिंकलर विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद रेलवे साइडिंग्स के प्रवेश एवं निकास द्वार पर स्थापित किए गए हैं। इस स्थान पर ओवरहेड स्प्रिंकलर की स्थापना का उद्देश्य परिवहन के दौरान ट्रकों से उड़ने वाली कोयले की धूल को कम एवं नियंत्रित करके साइडिंग एवं सीएचपी तक गीले कोयले का परिवहन करना है। इसके अलावा, जब कोई ट्रक आग लगे हुए कोयले को लेकर इन पानी के फव्वारे के नीचे से गुजरता है तो कोयले में लगी आग पूरी तरह से बुझ जाती है, जिससे कोयले की धूल (कोल डस्ट) हवा में नहीं उड़ती है और इससे अंततः वायु प्रदूषण कम हो जाता है। वर्तमान में, बीसीसीएल में अपनाई गई यह प्रणाली धूल एवं आग के रोकथाम हेतु एक बेहद ही कारगर एवं प्रभावकारी प्रणाली में से एक है।

ii. परिसर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रेलवे साइडिंग में हरी चादर का उपयोग किया जा रहा है।

iii. परिवहन वाले रास्तों (हॉल रोड) पर उड़ने वाली धूल को कम करने के उद्देश्य से इसपर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने के लिए मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर को लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में, फुहारे लगे 10 वाटर स्प्रिंकलर तथा वर्ष 2020-21 में 04 वाटर स्प्रिंकलर की खरीद की गई है।

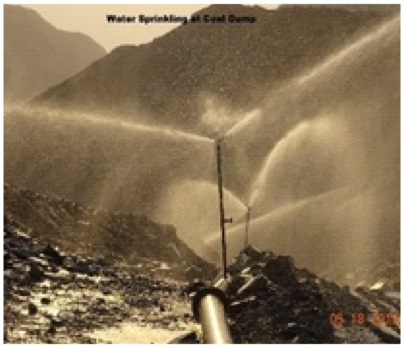

iv सीएचपी से बाहर उड़ने वाले कोयले के धूल (कोल डस्ट) की रोकथाम के लिए कोल हैंडलिंग संयंत्रों (सीएचपी) की घेराबंदी की जा रही है।

v डस्ट इक्स्ट्रैक्टर युक्त ड्रिल/गीला ड्रिलिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है।

vi धूल उत्सर्जन के रोकथाम के लिए निष्क्रिय ओवर बर्डेन (ओबी) पर घास उगाया जाता है।

vii वायु-गुणवत्ता की निगरानी के लिए नियमित रूप से परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की जा रही है और कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

ख. जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

i. बीसीसीएल की विभिन्न खानों के कार्मशालाओं से निकलने वाले तेल एवं ग्रीस के रोकथाम से जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा रहा है।

ii. बहते हुए तेल एवं ग्रीस के अवशेष से तेल को इकट्ठठा करने के लिए अवशेष को ड्रमों में एकत्र किया जाता है और उसे एक उंची एवं पक्की जगह पर रखा जाता है और उसके बाद इसके तलछट वाले तेल को जमा किया जाता है। वाहनों एवं एचइएमएम के रखरखाव के दौरान उपयोग किए गए तेल एकत्र किए जाते हैं और इसे लीक प्रूफ ड्रम में ढक्कन बंद करके रखा जाता है। उपयोग किए गए तेल, जो हानिकारक अपशिष्ट (श्रेणी 5.1) की श्रेणी में आता है, के भंडारण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग विधिवत रूप से प्राधिकार-पत्र लिया जाता है। इस्तेमाल किये गए इस तेल को ई-नीलामी के माध्यम से अधिकृत रिसायकलरों को नीलाम किया जाता है, ताकि इसका किसी न किसी रूप में पुन: प्रयोग हो सके।

iii. बीसीसीएल में 10 रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, 6 स्लो सैंड फिल्टर और 53 प्रेशर फिल्टर स्थापित किए गए हैं ताकि खदान के पानी को इलाके में आपूर्ति से पहले इसे उपचारित किया जा सके। स्थापित किये गए 69 फिल्टरों की कुल क्षमता 13.11 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रति दिन) है।

iv. बीसीसीएल ने सिंफर, धनबाद के सहयोग से पुटकी बलिहारी क्षेत्र में 4000 लीटर प्रति घंटे की क्षमता का एक जल उपचार संयंत्र स्थापित किया है, ताकि खदान के पानी को आवश्यक उपचार के उपरांत इसे आरओ (RO) के पानी जैसा पीने योग्य बनाया जा सके।

ग. तेलयुक्त खतरनाक ठोस अपशिष्ट का निपटान

यह खतरनाक अपशिष्ट श्रेणी 5.2 के तहत आता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधिवत अनुमति लिया जाता है और इन अपशिष्टों को खास तौर पर बनाए गए शेडों में रखा जाता है और राज्य में उपलब्ध अधिकृत सार्वजनिक संग्रह एवं निपटान स्थल के माध्यम से निपटान किया जाता है।

घ. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

उपकरणों से निकलने वाली ध्वनियों को नियमित रखरखाव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्लास्टिंग का कार्य केवल 14:00 से 15:00 बजे के बीच, यानी पाली परिवर्तन के दौरान किए जाते हैं। कर्मचारियों को जहां भी आवश्यकता होती है वहां ईयर-मफ और ईयर-प्लग दिए जाते हैं।

ङ. विविध

सभी हितधारकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक सतत विकास प्रकोष्ठ भी गठित किया गया है। यह प्रकोष्ठ खनन एवं खनन के बाद के परिदृश्य में समुदायों के लाभ के लिए नई पहल की पहचान कर रहा है।

32. सिविल

मास्टर प्लान के तहत बीसीसीएल खदानों के आस-पास जोखिम वाले क्षेत्र (कोयला धारित क्षेत्र) से गैर-कोयला धारित क्षेत्र में निर्मित आवासों में कर्मचारियों का स्थानांतरण

क्र.सं.	मास्टर प्लान के अंतर्गत निर्मित आवासों का विवरण	निर्माण स्थल	31.03.2021 तक ग्रहण किए गए आवासों की संख्या	टिप्पणी
1	गैर कोयला धारित (एनसीबी) क्षेत्रों में बीसीसीएल के मौजूदा विभिन्न कॉलोनियों में 344 इकाइयों (96 बी टाइप तथा 248 माइनर्स क्वार्टस) का निर्माण (मास्टर प्लान बजट)	भूली 96 बी टाइप	96	शिफ्टिंग पूरा हुआ
		कोल डंप कालोनी कतरास- 248 माइनर्स क्वार्टर्स	248	शिफ्टिंग पूरा हुआ
2	एनसीबी क्षेत्रों में बीसीसीएल में मौजूदा विभिन्न कॉलोनियों में 1152 माइनर्स आवासों का निर्माण (मास्टर प्लान बजट)	कतरास- 360 माइनर्स क्वार्टर्स	360	शिफ्टिंग पूरा हुआ
		कुसुंडा - 600 माइनर्स क्वार्टर्स	600	शिफ्टिंग पूरा हुआ
		लोदना - 192 माइनर्स क्वार्टर्स	192	शिफ्टिंग पूरा हुआ
3	बीसीसीएल के मौजूदा विभिन्न कॉलोनियों के अंदर तीन साइटों पर मास्टर प्लान के तहत (प्रत्येक 12 इकाइयों के तीन मंजिला ब्लॉक में) 4080 घरों का निर्माण (माइनर्स आवास) (मास्टर प्लान बजट)	कतरास - 240 माइनर्स क्वार्टर्स	240	शिफ्टिंग पूरा हुआ
		मुरली नगर - 396 माइनर्स क्वार्टर्स	396	शिफ्टिंग पूरा हुआ
		जग जीवन नगर 568 माइनर्स क्वार्टर्स	568	शिफ्टिंग पूरा हुआ
		कार्मिक नगर – 1268 माइनर्स क्वार्टर्स	634	शिफ्टिंग प्रगति पर है
		गोविंदपुर - 156 माइनर्स क्वार्टर्स	शून्य	शिफ्टिंग प्रगति पर है
		कुसुम विहार - 1452 माइनर्स क्वार्टर्स	352	शिफ्टिंग प्रगति पर है
4	बीसीसीएल के एनसीबी जमीन पर पूर्वी झरिया क्षेत्र, गोविंदपुर क्षेत्र, लोदना क्षेत्र, चांच विक्टोरिया क्षेत्र तथा बस्ताकोला क्षेत्र के अंतर्गत करमाटांड टाउनशिप पर मास्टर प्लान के अंतर्गत (प्रत्येक 12 इकाइयों के तीन मंजिला ब्लॉक में) 4020 इकाइयों माइनर्स आवासों का निर्माण (मास्टर प्लान बजट)	सीवी क्षेत्र - 420 माइनर्स क्वार्टर्स	222	शिफ्टिंग प्रगति पर है
		लोदना क्षेत्र - 360 माइनर्स क्वार्टर्स	90	जलापूर्ति व्यवस्था तथा बिजली कनेक्शन किया जाना है।
		गोविंदपुर क्षेत्र - 1428 माइनर्स क्वार्टर्स	71	विद्युत कनेक्शन कार्य प्रगति पर है।
		कोयला नगर - 1116 माइनर्स क्वार्टर्स	शून्य	जलापूर्ति व्यवस्था तथा विद्युत कनेक्शन कार्य प्रगति पर है।
		कुसुंडा क्षेत्र - 480 माइनर्स क्वार्टर्स	6	जलापूर्ति व्यवस्था तथा बिजली कनेक्शन किया जाना है।
		बस्ताकोला क्षेत्र - 216 माइनर्स क्वार्टर्स	शून्य	जलापूर्ति व्यवस्था तथा बिजली कनेक्शन किया जाना है।
5	2248 इकाई आवासों का निर्माण (एनसीबी क्षेत्र में बीसीसीएल के विभिन्न जगहों में बी, सी तथा डी टाइप आवास) (मास्टर प्लान तथा कैपिटल बजट)	बी टाइप- 1584	89	बी 231, 20 सी एवं डी टाईप 4 आवासों का आबंटित कर दिया गया है।
		सी टाइप- 520	21	
		डी टाइप- 144	शून्य	
6	करमाटांड मौजा में 4008 इकाई माइनर्स आवासों का निर्माण (कैपिटल बजट)	करमाटांड- 4008 माइनर्स आवास	शून्य	कार्य प्रगति पर है (कार्य अंतिम चरण में है)
	निर्मित कुल आवास	**15852 इकाई**	**4185**	**आवास 7031आबंटित**

बीसीसीएल के गैर 31 कोयला धरित क्षेत्र में-मार्च, 2021 तक आवासों के पूरी तरह से मरम्मत की संपूर्ण स्थिति					
कार्य के प्रकार	**मरम्मत किये जाने वाले आवास**	**मरम्मत हेतु दिये गए आवास**	**अधिकृत आवास**	**मरम्मत किये गए आवास**	**मार्च, में मरम्मत किये गए आवास 21**
संपूर्ण मरम्मत	**17810**	**17810**	**12960**	**12731**	**-**
टारफेल्टिंग	**11355**	**11355**	**10592**	**10592**	**पूरा हुआ**

33. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

बीसीसीएल के वित्तीय विवरणों के भाग में नोट -2 के महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट-38 के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के संदर्भ में।

यह पुष्टि की जाती है कि:

क. वार्षिक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इसमें से किसी भी प्रकार के भौतिक तथ्यों को नहीं हटाया गया है।

ख. इस प्रकार की लेखाकरण नीतियों का चयन किया एवं उनका प्रयोग लगातार कर रहे हैं एवं औचित्य पूर्ण निर्णय लिये गए है तथा प्राक्कलन तैयार किया गया है ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति तथा उस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ-हानि का सत्य एवं सही चित्र प्रस्तुत हो सके।

ग. कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा उनके अनुरक्षण, धोखाधड़ी और अनियमितताओं का पता करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण के अभिलेखों का पर्याप्त अन्वीक्षण हेतु समुचित एवं भरपूर ध्यान रखा है।

घ. चालू कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

ङ. 31 मार्च, 2021 समाप्त हुए वर्ष के दौरान अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का उल्लेख किया है, इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है, जिनका संचालन प्रभावी तरीके से किया जाता है।

च. लागू सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली की खोज की है, जो पर्याप्त है और जिनका संचालन प्रभावी तरीके से होता है।

34. बीसीसीएल के वार्षिक लेखा का निरीक्षण

कोल इंडिया लिमिटेड के किसी अंशधारक की मांग पर उनके निरीक्षण हेतु बीसीसीएल के कंपनी सचिवालय में वार्षिक लेखा उपलब्ध रहेगा।

35. सत्य निष्ठा समझौता का कार्यान्वयन

बीसीसीएल में सत्यनिष्ठा संधि लागू है। सत्यनिष्ठा संधि को लागू करने के लिए दिनांक 04 मार्च, 2009 को धनबाद में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया था।

पिछले वर्ष की तुलना में सत्यनिष्ठा संधि में शामिल की गई निविदाओं (वस्तुओं, सेवाओं और अनुबंधों सहित) का प्रतिशत निम्नानुसार है।

वर्ष	निविदा का कुल मूल्य (₹ लाख में)	आई.पी.के तहत निविदाओं का कुल मूल्य (₹ लाख में)	आई.पी. बनाम निविदाओं का कुल मूल्य को शामिल करते हुए निविदाओं का प्रतिशत
2020-21	830907.76	808232.96	97.27%
2019-20	122177.65	116197.77	95.10%

36. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा कंपनी (लागत लेखाकरण अभिलेख) नियम, 2013 के नियम 2 के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सेंट्रल कास्ट ऑडिटर द्वारा दिनांक 22.12.2020 को लागत लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट को दिनांक 19.01.2021 को एक्सबीआरएल मोड में एम सी ए सहित दाखिल किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉड्र्स कंपनी द्वारा बनाए और अनुरक्षित किए जाते हैं।

आभार

कंपनी की लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में भारत सरकार खासकर कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड को उनके द्वारा दिए गए अपरिमित सहयोग तथा बहुमूल्य दिशा-निर्देश के लिए आपके निदेशकगण धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण राज्य सरकार तथा इसके जिला स्तरीय अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को उनके सहयोग तथा कंपनी के बहुमूल्य सहायता के लिए भी आभार प्रकट करते हैं। निदेशकगण सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा भारत सरकार के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से मिले रचनात्मक परामर्श के लिए भी उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं तथा उनके सतत सहयोग के लिए ऋणी है। वर्ष के दौरान कंपनी में उत्पादन तथा अन्य सभी गतिविधियों में अपनी पूर्ण आस्था के साथ सहयोग देने वाले कर्मचारियों एवं ट्रेड यूनियनों को भी धन्यवाद दिया जाता है।

परिशिष्ट

इस रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित संलग्न है : -

- सी एस आर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट।
- अनुसंधान एवं विकास।
- कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट
- प्रबंधन का विश्लेषण एवं वार्ता रिपोर्ट।
- स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत सरकार के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां तथा भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग द्वारा लेखा की समीक्षा।
- सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

कंपनी की वार्षिक विवरणी का संक्षिप्त संस्करण निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध है:

www.bcclweb.in

कृते, निदेशक मंडल की ओर से
ह/-
(पी. एम. प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : धनबाद।

अनुलग्नक - I

1. बीसीसीएल में सीएसआर की संक्षिप्त रूपरेखा

दुनिया के वर्तमान कारोबारी परिदृश्य में, व्यावसायिक संगठन लाभ कमाने के विभिन्न रास्ते के साथ-साथ सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यावसायिक संगठनों के रूप में अपनी छवि सुधारने के लिए अपनी रणनीतियां बनाते हैं, क्योंकि किसी भी संगठन का भलाई उस समाज की भलाई पर भी निर्भर करती है जिसमें वह अपना व्यवसाय संचालित करता है। बीसीसीएल अपनी कोयला खनन गतिविधियों को अंजाम देते हुए सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से अपने कोयला खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

बीसीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की विशेषताओं को शामिल करते हुए सीआईएल, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के साथ-साथ डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है, का अनुपालन करते हुए अपनी सीएसआर गतिविधियों को क्रियान्वित करते समय मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल करता है :

i. भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन; रोग निवारण और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना।

ii. विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं

iii. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना करना; वृद्धाश्रम, डे-केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं मुहैया कराना तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के प्रति होने वाली असमानताओं को दूर करने के लिए उपाय करना।

iv. पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और मिट्टी, वायु एवं जल की गुणवत्ता को बनाए रखने सहित गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 'स्वच्छ गंगा फंड' में योगदान देना।

v. राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की सुरक्षा सहित ऐतिहासिक महत्व वाले इमारतों, एवं स्थलों की देख-रेख करना और कला-कार्यों सहित सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प के प्रचार और विकास करना।

vi. सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय करना।

vii. ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालम्पिक्स खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना।

viii. सामाजिक-आर्थिक विकास और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत और कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य कोषों में योगदान देना।

ix. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी एजेंसी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के इनक्यूबेटरों और सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के तत्वावधान में स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा स्वायत्त निकायों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएइ), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान में लगे संस्थानों को योगदान या धन उपलब्ध कराना।

x. ग्रामीण विकास परियोजनाओं में योगदान देना।

xi. मलिन बस्ती (स्लम क्षेत्र) का विकास करना।

xii. राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।

बीसीसीएल अपनी विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से सामाज को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहने वाला एक जिम्मेदार कारपोरेट रहा है। विगत कई वर्षों से बीसीसीएल ने शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आकांक्षी जिला गिरिडीह के विकास से संबंधित सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से समाज को लाभान्वित करने के लिए निवेश किया है तथा एक प्रमुख गतिविधियों में से एक विश्व में फैले कोविड-१९ महामारी से समाज को इसके खतरे से संघर्ष करना था।

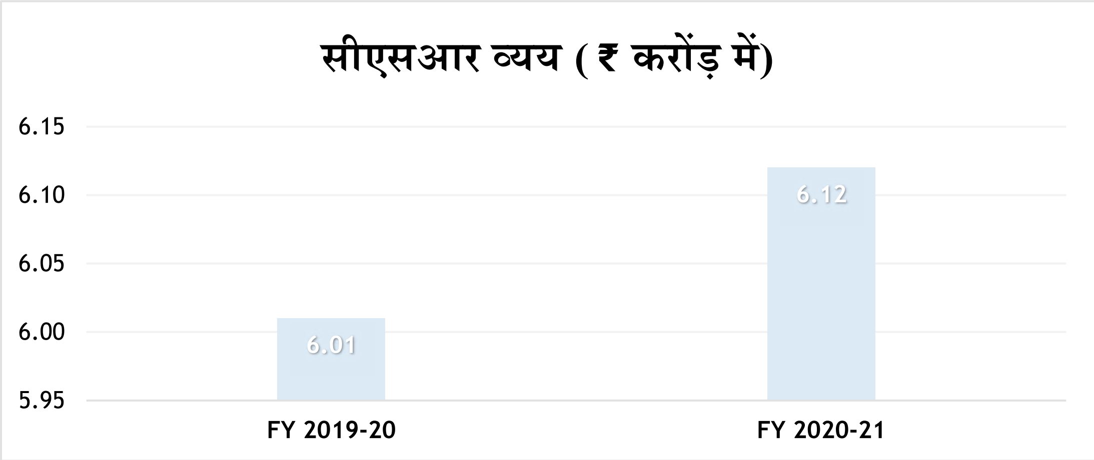

चित्र 1 – वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में सीएसआर व्यय

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि सीएसआर व्यय 2019-20 में ₹ 6.01 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 6.12 करोड़ हो गया जो कि 1.83% की वृद्धि है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गई कुछ प्रमुख सीएसआर गतिविधियां इस प्रकार है:-

क. आसपास के क्षेत्र में सफाई - सीएसआर के तहत कुल ₹ 6.40 लाख की लागत से 20 मीट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर की खरीद की गयी जिसमें से 12.5 मीट्रिक ब्लीचिंग पाउडर नगर आयुक्त, धनबाद को स्वच्छचा अभियान को वितरित किया गया तथा बचे हुए ब्लीचिंग पाउडर को आवासीय एवं कार्यालय परिसर की स्वच्छता के उद्देश्य से कंपनी के क्षेत्रों/ मुख्यालय में वितरित किया गया।

ख. जिला प्रशासन, धनबाद को वित्तीय सहायता - कोविड-19 के अंतर्गत विभिन्न मामलों से निपटने के लिए जिला प्रशासन, धनबाद को न्यास (डिपॉजिटरी) मोड के माध्यम से ₹ 200.00 लाख की वित्तीय सहयोग किया गया।

ग. जिला प्रशासन, गिरीडीह को वित्तीय सहायता - बीसीसीएल ने आकांक्षी जिला यानि गिरीडीह के विकास के लिए की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए जिला प्रशासन, गिरीडीह को न्यास (डिपाजिटरी) मोड के माध्यम से ₹ 121.82 लाख का वित्तीय सहयोग प्रदान किया है।

घ. शुष्क भोजन के पैकेट का वितरण - कोविड-19 के प्रकोप और भारत सरकार द्वारा देश में घोषित लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए आसपास के लोगों के बीच 24,000 भोजन के पैकेट वितरित करने का प्रावधान किया गया था।

ङ. फेस मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर/हैंड वाश का वितरण - वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मुख्यालय/क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के बीच मास्क व तरल हैंड वाश/हैंउ सैनिटाइजर का वितरण किया गया।

च. भोजन के पैकेट के साथ पानी/जूस का वितरण - धनबाद स्टेशन पर विभिन्न श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा कर रहे प्रवासी मजदूरों को 16,600 भोजन के पैकेट वितरित किए गए।

छ. केंद्रीय अस्पताल, धनबाद में आईसीयू बेड का अधिष्ठापन - बीसीसीएल ने केंद्रीय चिकित्सालय, धनबाद (सीएचडी) में कोविड-19 के लिए 100 बेड का एक वार्ड समर्पित किया है। इस उद्देश्य के लिए बीसीसीएल ने सीएचडी में 30 आईसीयू बेड लगाने के लिए डिपॉजिटरी मोड के तहत जिला प्रशासन, धनबाद को ₹ 88.05 लाख की वित्तीय मदद प्रदान की।

ज. फ्रंटलाइन वर्कर्स को भोजन और आवास की सुविधा प्रदान करना - बीसीसीएल ने सीएचडी के कोविड वार्ड में नियुक्त किए गए फ्रंटलाइन वर्कर्स (डॉक्टर, पारामेडिकल कर्मचारी आदि) के लिए भोजन और आवास का प्रबंध किया।

2. सीएसआर समिति का गठन

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान संपन्न सीएसआर समिति बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठक में भाग लेने वालों की संख्या
1	डा. क्षमा देवी शंकर राव खोब्रागड़ (05.09.2020 तक)	अध्यक्ष / स्वतंत्र निदेशक	4	3
2	लेफटिनेंट जनरल नरेंद्र सिंह (20.10.2020 से)	अध्यक्ष / स्वतंत्र निदेशक		4
3	श्री आर एस महापात्र (31.05.2020 तक)	सदस्य / निदेशक (का.)		1
4	श्री राकेश कुमार	सदस्य/निदेशक (तक.)/(संचा.)		4
5	श्री समीरन दत्ता	सदस्य / निदेशक (वि.)		4
6	श्री चंचल गोस्वामी	सदस्य / निदेशक (तक.)/ (परि.व यो.)		4
7	श्री पी वी के आर मल्लिकार्जुन राव (08.06.2020 से निरंतर)	सदस्य / निदेशक (का.)		3

3. वेबलिंक - जहां सीएसआर समिति के गठन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति तथा सीएसआर परियोजनाओं (वार्षिक कार्य योजना) की जानकारी कंपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है-

Web-link - http://www.bcclweb.in/?page-id=4625

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुपालन में संपन्न सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि लागू हो। - लागू नहीं।

5. कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो - लागू नहीं।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹ में)
1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ :

अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ ₹ -192.36 करोड है।

7. (क) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत :

कंपनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत ₹ -192.36 करोड़ है जैसा कि उपर्युक्त बिंदु (4) पर गणना की गई है। इस प्रकार अधिनियम की धरा 135(5) के अनुसार बीसीसीएल के औसत शुद्ध लाभ का 2% ₹ -3.85 करोड़ होगा।

बीसीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है तथा सीएसआर के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की नीति का अनुपालन करती है। इसकी सीएसआर नीति के तहत बीसीसीएल नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सीएसआर फंड का आवंटन करेगा-:-

सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के लिए, सीएसआर के लिए निधि का आवंटन निम्नलिखित दो राशियों में से जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाएगा:

i. कंपनी अधिनियम के अनुसार, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%; अथवा

ii. तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कोयला उत्पादन ₹ 2.00 प्रति टन।

अपनी सीएसआर नीति का पालन करते हुए, बीसीसीएल ने ऊपर दिए गए बिंदु (ii) के आधार पर सीएसआर निधियों का आवंटन निम्नानुसार किया:

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोयला उत्पादन ---------------------------- 2,77,28,900 टन

वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 2.00 प्रति टन कोयला उत्पादन ------------ ₹ 5,54,57,800.00

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बीसीसीएल के कोयला उत्पादन के अनुसार सीएसआर बजट ---- ₹ 5.55 करोड़।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष में सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से बाकी अधिशेष - शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित (सेट-ऑफ) की जाने वाली राशि, यदि कोई हो - शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग) - शून्य

8. (क) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई अथवा अव्ययित सीएसआर राशि

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि (₹ करोड़ में)	**अव्ययित (खर्च न की गयी) राशि (₹ करोड़ में)**				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरण की गई कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे उपबंध के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरण की गई राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
6.12	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के खिलाफ खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण - शून्य

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**अधिनियम की अनुसूची VII की गतिविधियों की सूची से मद (आइटम)**	**स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)**	**परियोजना का स्थान**		**परियोजना अवधि**	**परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ करोड़ में)**	**चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)**	**धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ करोड़ में)**	**कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)**	**कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से**	
				राज्य	**ज़िला**						**नाम**	**सीएसआर पंजीकरण संख्या**
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण - अनुबंध "क" में विस्तार से - ₹ 6.12 करोड़।

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि - शून्य

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो - लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) 6.12 करोड़।

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र. सं.	**विवरण**	**राशि (₹ करोड़ में)**
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत *	0.00
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	6.12
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	6.12
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से बाकी अधिशेष, यदि कोई हो	0.00
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	6.12

* **नोट:** जैसा कि ऊपर उप-खंड (क)के खंड (क) में बताया गया है, बीसीसीएल के सीएसआर बजट के आंकड़े सीआईएल की सीएसआर नीति के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए निकाले गए हैं।

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	**पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष**	**धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ करोड़ में)**	**आलोच्य वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)**	**धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो**			**आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (₹ करोड़ में) (*)**
				निधि का नाम	**राशि (₹ करोड़ में)**	**अंतरण की तारीख**	
1	2019-20	लागू नहीं	6.01	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	2018-19	लागू नहीं	1.43	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	2017-18	लागू नहीं	2.74	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(*) वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 में, पहले के 03 वर्षों का औसत नकारात्मक कर पूर्व लाभ (पीबीटी) होने के कारण, सीएसआर खर्च के लिए कोई दायित्व नहीं था। वित्त वर्ष 2017-18 में इसके ₹ 9.98 करोड़ रुपये के बजट में से ₹ 2.74 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। कंपनी अधिनियम के अनुसार ₹ 9.98 करोड़ के सीएसआर बजट के सामने तीन वित्तीय वर्षों में कुल ₹ 10.18 करोड़ खर्च किए गए जो कि अधिक है।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण - अनुलग्नक "ख" में विस्तार से - ₹ 0.21 करोड़। ये कार्य पहले से ही अनुलग्नक 'क' में शामिल हैं और यह तालिका अनुलग्नक 'क' का एक उप-समुच्चय है।

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

ह./-	ह./-	ह./-
(अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक)	(अध्यक्ष सीएसआर समिति)	[अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां लागू हो)

वित्त वर्ष 2020-21 में किया गया कार्यवार व्यय "(प्रारूप, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुसार"

अनुलग्नक - I

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)
क्रमांक	चिह्नित की गयी सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं या कार्यक्रम		राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार (₹ लाख)	परियोजना कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप-शीर्ष (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (₹ लाख) (2) परियोजना के लिए अन्य मद (ओवरहेड्स) (₹ लाख)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (₹ लाख)	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			स्थानीय क्षेत्र या अन्य	उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरू किए गए थे		प्रत्यक्ष	अन्य मद (ओवरहेड्स)		
1	धनबाद में आस-पास के गांवों में फेस मास्क और हैंड वाश / सैनिटाइजर का वितरण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	6.28	1.96	-	1.96	प्रत्यक्ष
2	धनबाद में आसपास के ग्रामीणों के बीच सूखे भोजन के पैकेट वितरण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	48.00	44.60	-	44.60	प्रत्यक्ष
3	धनबाद स्टेशन के माध्यम से विभिन्न श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों को पानी/जूस आदि के साथ भोजन के पैकेटों का वितरण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	9.98	5.66	-	5.66	प्रत्यक्ष
4	कोविड-19 अस्पताल, धनबाद (CHD) में 04 जल-शोधक यंत्रों की स्थापना	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	1.67	1.67	-	1.67	प्रत्यक्ष
5	स्वच्छता के उद्देश्य से 20 मीट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर की खरीद	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	6.40	6.40	-	6.40	प्रत्यक्ष
6	धनबाद जिले में कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए किए जाने वाले कार्यों हेतु धनबाद जिला प्रशासन को डिपॉजिटरी मोड वित्तीय सहायता	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	200.00	200.00	-	200.00	कार्यान्वयन एजेंसी (धनबाद जिला प्रशासन)

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)
क्रमांक	चिह्नित की गयी सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं या कार्यक्रम		राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार (₹ लाख)	परियोजना कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप-शीर्ष (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (₹ लाख) (2) परियोजना के लिए अन्य मद (ओवरहेड्स) (₹ लाख)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (₹ लाख)	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			स्थानीय क्षेत्र या अन्य	उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरू किए गए थे		प्रत्यक्ष	अन्य मद (ओवरहेड्स)		
7	केंद्रीय अस्पताल धनबाद में 30 आईसीयू बेड की स्थापना के लिए धनबाद जिला प्रशासन को डिपोजिटरी मोड हस्तांतरण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	88.05	88.05	-	88.05	कार्यान्वयन एजेंसी (धनबाद जिला प्रशासन)
8	कोविड-19 के तहत अस्थायी रूप से नियुक्त चिकित्सक (डॉ. प्रेम शंकर सिंह) को मानदेय का भुगतान	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	2.07	2.07	-	2.07	प्रत्यक्ष
9	कोविड-19 के संदेश प्रदर्शित करने के लिए आईईसी सामग्री (पोस्टर/बैनर/बिलबोर्ड)	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	1.73	1.73	-	1.73	प्रत्यक्ष
10	जीरामुरी ग्राम, रतनपुर पंचायत, गोविंदपुर प्रखंड में सामुदायिक भवन का निर्माण	Rural development	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	17.89	0.03	-	0.03	प्रत्यक्ष
11	आरबीबी हाई स्कूल, राजगंज, धनबाद में शौचालय, सबमर्सिबल पंप के साथ गहरे बोरवेल, ऑडिटोरियम, क्लासरूम, लड़कियों के लिए कॉमन कक्ष और साइकिल स्टैंड का निर्माण	Rural development	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	110.38	9.34	-	9.34	प्रत्यक्ष
12	2019 में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान की गई विभिन्न आईईसी गतिविधियां	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	0.37	0.37	-	0.37	प्रत्यक्ष
13	2020 में स्वच्छता माह के दौरान की गई विभिन्न आईईसी गतिविधियां	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	0.23	0.23	-	0.23	प्रत्यक्ष
14	2020 की सर्दी में शीत लहर के दौरान धनबाद के बेघर लोगों के बीच कंबल का वितरण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	4.04	4.04	-	4.04	प्रत्यक्ष

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)
क्रमांक	चिह्नित की गयी सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं या कार्यक्रम		राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार (₹ लाख)	परियोजना कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप-शीर्ष (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (₹ लाख) (2) परियोजना के लिए अन्य मद (ओवरहेड्स) (₹ लाख)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (₹ लाख)	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			स्थानीय क्षेत्र या अन्य	उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरू किए गए थे		प्रत्यक्ष	अन्य मद (ओवरहेड्स)		
15	आकांक्षी जिला गिरिडीह में की जाने वाली निम्नलिखित गतिविधियों के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन को डिपॉजिटरी मोड में धन का हस्तांतरण - 1. जल निकासी एवं फुटपाथ ब्लॉक रोड का निर्माण, चहारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाना एवं नेत्रहीन विद्यालय अजीडीह के पुराने भवन का जीर्णोद्धार एवं पुनर्संरक्षण 2. बधिर विद्यालय अजीडीह के पुराने आवास भवन का जीर्णोद्धार एवं पुर्नसंरक्षण 3. समर्थ आवासीय विद्यालय, अजीडीह के पुराने भवन का जीर्णोद्धार एवं पुर्नसंरक्षण 4. गर्ल्स हाई स्कूल में 4 कक्षाओं का निर्माण - सर जे सी बोस स्कूल, गिरिडीह 5. यूएमएस थानसिंगडीह, तिसरी में 4 कक्षाओं का निर्माण	विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	121.82	121.82	-	121.82	कार्यान्वयन एजेंसी (गिरिडीह जिला प्रशासन)
16	माइनिंग सरदारों के लिए प्रशिक्षुओं (अजा/अजजा) का प्रशिक्षण	विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	42.32	6.69	-	6.69	प्रत्यक्ष
17	सिजुआ क्षेत्र में स्थानीय विद्यालयों और सिजुआ क्षेत्र की कॉलोनियों के आसपास पौधों का वितरण	पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि-वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी के कायाकल्प के लिए स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान शामिल है।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	0.31	0.31	-	0.31	प्रत्यक्ष
18	बरवा गांव, गोविंदपुर, धनबाद में ग्रीन हाट का विकास	Rural development	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	4.71	4.71	-	4.71	प्रत्यक्ष
19	कोविड-19 अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रहने और खाने की व्यवस्था करना	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	95.97	95.97	-	95.97	प्रत्यक्ष
20	कोविडअस्पताल धनबाद में इलाजरत कोविड-19 रोगियों के लिए हेमोडायलिसिस व्यवस्था	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	6.00	6.00	-	6.00	प्रत्यक्ष
21	क्षेत्रों के माध्यम से सीएसआर के तहत चिकित्सा शिविर (वित्त वर्ष 2019-20)	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	स्थानीय	झारखंड, धनबाद	10.50	10.50	-	10.50	प्रत्यक्ष
		कुल			778.72	612.15		612.15	

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

अनुलग्नक - क

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रमांक	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों की सूची में से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ लाख)	कार्यान्वयन का तरीका -	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
			(हाँ/नहीं)	राज्य	ज़िला		प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	धनबाद में आस-पास के गांवों में फेस मास्क और हैंड वाश / सैनिटाइजर का वितरण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	हाँ	झारखंड	धनबाद	1.96	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
2	धनबाद में आसपास के ग्रामीणों के बीच सूखे भोजन के पैकेट वितरण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	हाँ	झारखंड	धनबाद	44.60	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
3	धनबाद स्टेशन के माध्यम से विभिन्न श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों को पानी/जूस आदि के साथ भोजन के पैकेटों का वितरण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	हाँ	झारखंड	धनबाद	5.66	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
4	कोविड-19 अस्पताल, धनबाद (CHD) में 04 जल-शोधक यंत्रों की स्थापना	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	हाँ	झारखंड	धनबाद	1.67	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
5	स्वच्छता के उद्देश्य से 20 मीट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर की खरीद	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	हाँ	झारखंड	धनबाद	6.40	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रमांक	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों की सूची में से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ लाख)	कार्यान्वयन का तरीका -	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
			(हाँ/नहीं)	राज्य	ज़िला		प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
6	धनबाद जिले में कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए किए जाने वाले कार्यों हेतु धनबाद जिला प्रशासन को डिपॉजिटरी मोड वित्तीय सहायता	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	हाँ	झारखंड	धनबाद	200.00	नहीं	धनबाद जिला प्रशासन	लागू नहीं
7	केंद्रीय अस्पताल धनबाद में 30 आईसीयू बेड की स्थापना के लिए धनबाद जिला प्रशासन को डिपोजिटरी मोड हस्तांतरण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	हाँ	झारखंड	धनबाद	88.05	नहीं	धनबाद जिला प्रशासन	लागू नहीं
8	कोविड-19 के तहत अस्थायी रूप से नियुक्त चिकित्सक (डॉ. प्रेम शंकर सिंह) को मानदेय का भुगतान	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	हाँ	झारखंड	धनबाद	2.07	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
9	कोविड-19 के संदेश प्रदर्शित करने के लिए आईईसी सामग्री (पोस्टर/बैनर/बिलबोर्ड)	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	हाँ	झारखंड	धनबाद	1.73	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
10	जीरामुरी ग्राम, रतनपुर पंचायत, गोविंदपुर प्रखंड में सामुदायिक भवन का निर्माण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है।	हाँ	झारखंड	धनबाद	0.03	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
11	आरबीबी हाई स्कूल, राजगंज, धनबाद में शौचालय, सबमर्सिबल पंप के साथ गहरे बोरवेल, ऑडिटोरियम, क्लासरूम, लड़कियों के लिए कॉमन कक्ष और साइकिल स्टैंड का निर्माण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है।	हाँ	झारखंड	धनबाद	9.34	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
12	2019 में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान की गई विभिन्न आईईसी गतिविधियां	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है।	हाँ	झारखंड	धनबाद	0.37	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रमांक	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों की सूची में से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ लाख)	कार्यान्वयन का तरीका -	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
			(हाँ/नहीं)	राज्य	ज़िला		प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
13	2020 में स्वच्छता माह के दौरान की गई विभिन्न आईईसी गतिविधियां	विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	नहीं	झारखंड	गिरीडीह	0.23	नहीं	गिरीडीह जिला प्रशासन	लागू नहीं
14	2020 की सर्दी में शीत लहर के दौरान धनबाद के बेघर लोगों के बीच कंबल का वितरण	पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि-वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करना, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी के कायाकल्प के लिए स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान शामिल है।	हाँ	झारखंड	धनबाद	4.04	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
15	आकांक्षी जिला गिरिडीह में की जाने वाली निम्नलिखित गतिविधियों के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन को डिपॉजिटरी मोड में धन का हस्तांतरण - 1. जल निकासी एवं फुटपाथ ब्लॉक रोड का निर्माण, चहारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाना एवं नेत्रहीन विद्यालय अजीडीह के पुराने भवन का जीर्णोद्धार एवं पुनर्संरक्षण 2. बधिर विद्यालय अजीडीह के पुराने आवास भवन का जीर्णोद्धार एवं पुर्नसंरक्षण 3. समर्थ आवासीय विद्यालय, अजीडीह के पुराने भवन का जीर्णोद्धार एवं पुर्नसंरक्षण 4. गर्ल्स हाई स्कूल में 4 कक्षाओं का निर्माण - सर जे सी बोस स्कूल, गिरिडीह 5. यूएमएस थानसिंगडीह, तिसरी में 4 कक्षाओं का निर्माण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	हाँ	झारखंड	धनबाद	121.82	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
16	माइनिंग सरदारों के लिए प्रशिक्षुओं (अजा/अजजा) का प्रशिक्षण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	हाँ	झारखंड	धनबाद	6.69	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
17	सिजुआ क्षेत्र में स्थानीय विद्यालयों और सिजुआ क्षेत्र की कॉलोनियों के आसपास पौधों का वितरण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	हाँ	झारखंड	धनबाद	0.31	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रमांक	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों की सूची में से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ लाख)	कार्यान्वयन का तरीका -	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
			(हाँ/नहीं)	राज्य	ज़िला		प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
18	बरवा गांव, गोविंदपुर, धनबाद में ग्रीन हाट का विकास	विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	हाँ	झारखंड	धनबाद	4.71	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
19	कोविड-19 अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रहने और खाने की व्यवस्था करना	ग्रामीण विकास	हाँ	झारखंड	धनबाद	95.97	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
20	कोविडअस्पताल धनबाद में इलाजरत कोविड-19 रोगियों के लिए हेमोडायलिसिस व्यवस्था	विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	हाँ	झारखंड	धनबाद	6.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
21	क्षेत्रों के माध्यम से सीएसआर के तहत चिकित्सा शिविर (वित्त वर्ष 2019-20)	ग्रामीण विकास	हाँ	झारखंड	धनबाद	10.50	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
		कुल				612.15			

पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

अनुलग्नक - ख

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रमांक	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (लाख)	आलोच्य वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (लाख)	आलोच्य वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (लाख)	परियोजना की स्थिति - पूर्ण / जारी
1	कोई नहीं	आरबीबी हाई स्कूल, राजगंज, धनबाद में शौचालय, सबमर्सिबल पंप के साथ गहरे बोरवेल, ऑडिटोरियम, क्लासरूम, लड़कियों के लिए कॉमन रूम और साइकिल स्टैंड का निर्माण	2018	270 दिन	110.38	9.34	104.92	पूर्ण
2	कोई नहीं	जीरामुरी ग्राम, रतनपुर पंचायत, गोविंदपुर प्रखंड में सामुदायिक भवन का निर्माण	2018	120 दिन	17.89	0.03	16.76	पूर्ण
3	कोई नहीं	माइनिंग सरदारों (अ.जा./अ.ज.जा.) के प्रशिक्षुओं लिए प्रशिक्षण	2017	1461 दिन	42.32	6.69	31.64	पूर्ण
4	कोई नहीं	बरवा गांव, गोविंदपुर, धनबाद में ग्रीन हाट का विकास	2018	10 दिन	4.71	4.71	4.71	पूर्ण
कुल					175.30	20.77	158.03	

अनुलग्नक- II

2020-21 के दौरान अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

बीसीसीएल के कमान क्षेत्र के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की स्थिति (31.03.2021 तक)

(1) परियोजना का शीर्षक: - "शुष्कता और रासायनिक सज्जीकरण के माध्यम से निम्न श्रेणी के भारतीय कोयले का उन्नयन।"

परियोजना का उद्देश्य:- परियोजना प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य कोयले के मोटे आकार के टुकड़ों के लिए एक शुष्क सज्जीकरण प्रौद्योगिकी (एयर डेंस मीडियम फ्लूइडाइज्ड बेड सेपरेटर) विकसित करना है, स्वच्छ कोयले के उत्पादन को अधिकतम करने और बेकार (रिजेक्ट) कोयले को कम करने के लिए चूरे को झाग प्लवनशीलता और रासायनिक लीचिंग के साथ उपचारित किया जाएगा।

प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी: - आईआईटी-केजीपी

उप-कार्यान्वयन एजेंसी: - सीएमपीडीआईएल, एमसीएल, बीसीसीएल

परियोजना की स्थिति :- 30-10-2020 को सहमति पत्र जारी

परियोजना में उप-कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में बीसीसीएल की भूमिका:

(क) बीसीसीएल की विभिन्न कोयला खदानों/ओसीपी से कोयले के नमूनों की पहचान।

(ख) पहचान की गई खानों / ओसीपी से, सीआईएल अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत इस परियोजना के लिए परियोजना टीम द्वारा इंगित आवश्यक मात्रा में कोयले के तीन नमूने (प्रत्येक नमूना 1 टन का) उपलब्ध कराए जाएंगे (नमूनों की लागत आईआईटी खड़गपुर द्वारा वहन की जाएगी)।

(ग) इस प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए बीसीसीएल से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है।

(2) परियोजना का शीर्षक: - "कार्बन मूल्य की प्राप्ति के लिए कोकिंग कोल वाशरी के पत्थर युक्त कोयले (मिडलिंग) और चूरे का प्रभावी उपयोग।"

परियोजना का उद्देश्य:-

परियोजना प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य है - (i) कोकिंग कोल वाशरियों के पत्थर युक्त कोयले (मिडलिंग) से लगभग 18% राख का धुला कोयला प्राप्त करने की संभावना का पता लगाना, (iii) कार्बन रिकवरी बढ़ाने के लिए 18% राख वाले उत्पाद के उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया प्रवाह विकसित करना, और (iv) धुले हुए कोयले की सतह की नमी में कमी करना।

प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी: - सीएसआईआर-एनएमएल, जमशेदपुर

उप-कार्यान्वयन एजेंसी: - सीएमपीडीआईएल, बीसीसीएल

परियोजना की स्थिति :- 18.02.2021 को सहमति पत्र जारी

परियोजना में उप-कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में बीसीसीएल की भूमिका:

(क) दो कोकिंग कोल वाशरी से पत्थर युक्त कोयले (मिडलिंग) के दो और चूरा कोयले के दो नमूनों की पहचान करना।

(ख) इस सहयोगी परियोजना के लिए दो कोकिंग कोल वाशरियों से लगभग 1 टन प्रत्येक पत्थर युक्त कोयले (मिडलिंग) और चूरा कोयला उपलब्ध कराना तथा नमूने एकत्र करने की सुविधा प्रदान करना (नमूनों की लागत एनएमएल द्वारा वहन की जाएगी)।

(ग) इस प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए बीसीसीएल से किसी भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है।

(3) परियोजना का शीर्षक: - "मॉडलिंग और सिमुलेशन विश्लेषण के माध्यम से सीआईएल के अंतर्गत कोकिंग कोल वाशरी के प्रदर्शन में सुधार पर अध्ययन।"

परियोजना का उद्देश्य: -

परियोजना का मुख्य उद्देश्य कोयले की धुलाई में इकाई संचालन (क्रशिंग, वर्गीकरण, घनत्व ण पृथक्करण, प्लवनशीलता) के लिए एक स्थिर-अवस्था संयंत्र पैमाना मॉडल विकसित करना, सिमुलेशन विश्लेषण करना और कोयला धुलाई संयंत्र के प्रदर्शन में सुधार के लिए इष्टतम मापदंडों की भविष्यवाणी करना है।

प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी: - सीएसआईआर-एनएमएल जमशेदपुर और सीएमपीडीआईएल

उप-कार्यान्वयन एजेंसी: - बीसीसीएल

परियोजना की स्थिति :- 18.02.2021 को सहमति पत्र जारी

परियोजना में उप-कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में बीसीसीएल की भूमिका:

(क) कोकिंग कोल वाशरी की पहचान (1 वाशरी) ।

(ख) चिन्हित वाशरी के आसपास संयंत्र अध्ययन, नमूनाकरण के दौरान आवश्यक सहायता प्रदान करना।

(ग) कोयले के नमूने के संग्रह के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।

(घ) इस प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए बीसीसीएल से किसी भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है।

(4) परियोजना का शीर्षक: - उच्च राख वाले भारतीय कोयले के सज्जीकरण के लिए एक नोवल एयर डेंस मीडियम फ्लुइड़ाइज्ड बेड सेपरेटर का डिजाइन और विकास।

परियोजना का उद्देश्य:-

परियोजना का मुख्य उद्देश्य है-(i) स्वदेशी रूप से नए बैच और सतत एडीएमएफबी विभाजक की डिजाइन और निर्माण, (ii) सज्जीकरण तंत्र को समझने के लिए एडीएमएफबी विभाजक में टुकड़ों के पृथक्करण हेतु एक सीएफडी मॉडल विकसित करना और एडीएमएफबी प्रदर्शन में सुधार के लिए विभिन्न ज्यामितीय और संचालन मापदंडों में भिन्नता के साथ सिस्टम प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी करना।

प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी: - आईआईटी-आईएसएम

उप-कार्यान्वयन एजेंसी: - बीसीसीएल

परियोजना की स्थिति: 24.03.2021 को सहमति पत्र जारी

परियोजना में उप-कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में बीसीसीएल की भूमिका:

(क) बीसीसीएल उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए उप-कार्यान्वयन एजेंसी होने के लिए सहमत है।

(क) बीसीसीएल अधिमानतः 20% से अधिक राख युक्त 20 किलो प्रत्येक के 25 कोयले के नमूने उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है। कोयले के नमूनों की लागत आईआईटी (आईएसएम) द्वारा वहन की जाएगी।

(ग) इस प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए बीसीसीएल से किसी भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक- III

कॉरपोरेट गवर्नेंस 2020-21 पर रिपोर्ट

01. कॉरपोरेट दर्शन

बीसीसीएल विधि, नियम एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर मूल्य, नैतिक व्यवहार पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण सुनिश्चित करने हेतु कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए वचनबद्ध है।

02. निदेशक मंडल

बीसीसीएल के संस्थागत अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के खंड 31 (ग) के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या दो से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं। हालांकि, कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद 15 से अधिक निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है।

03. बोर्ड का गठन

31 मार्च 2021 तक, निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष, 4 कार्यात्मक निदेशक, 2 गैर-कार्यकारी निदेशक और 1 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

04. बोर्ड की बैठक

वर्ष के दौरान 14 (चौदह) बोर्ड की बैठकें क्रमशः 24.04.2021, 06.05.2020, 29.05.2020, 08.06.2020, 23.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 20.10.2020, 22.12.2020, 07.01.2021, 27.01.2021, 05.02.2021, 05.03.2021, और 25.03.2021 को आयोजित की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आमसभा में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की श्रेणी	2020-21 के दौरान बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए	गत वार्षिक आमसभा में उपस्थित रहे या नहीं
1	श्री पी. एम. प्रसाद	अध्यक्ष	10	हाँ
2	श्री गोपाल सिंह	अध्यक्ष	04	नहीं
3	श्री भबानी प्रसाद पति	गैर - कार्यकारी निदेशक	12	नहीं
4	श्री बिनय दयाल	गैर - कार्यकारी निदेशक	12	हाँ
5	डॉ. के.एस. खोबरागड़े	स्वतंत्र निदेशक	7	हाँ
6	श्री नरेंद्र सिंह	स्वतंत्र निदेशक	14	हाँ
7	श्री राकेश कुमार	निर्देशक	14	हाँ
8	श्री आर.एस. महापात्र	निर्देशक	03	नहीं
9	श्री समीरन दत्ता	निर्देशक	14	हाँ
10	श्री चंचल गोस्वामी	निर्देशक	14	हाँ
11	श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव	निर्देशक	11	हाँ

05. लेखा परीक्षा समिति:

(क) गठन

बीसीसीएल के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन वर्ष 2002 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 क और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 175 के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता के अनुसरण में किया गया है। बीसीसीएल की लेखापरीक्षा समिति में एक स्वतंत्र निदेशक, दो कार्यात्मक निदेशक,

एक कोल इंडिया से नामित निदेशक और एक सरकारी नामित निदेशक शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक समिति का अध्यक्ष होता है। 31 मार्च 2021 तक, लेखा परीक्षा समिति (बीसीसीएल निदेशक मंडल की एक उप-समिति) में निम्नलिखित सदस्य हैं:

i.	श्री नरेन्द्र सिंह	:	अध्यक्ष
ii.	श्री बी. पी. पति	:	सदस्य
iii.	श्री विनय दयाल	:	सदस्य
iv.	डॉ. के. एस. खोबरागड़े	:	सदस्य
v.	श्री राकेश कुमार	:	सदस्य
vi.	श्री चंचल गोस्वामी	:	सदस्य
vii.	श्री समीरन दत्ता	:	सदस्य

समिति के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की बैठक में निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष एवं सांविधिक लेखा परीक्षक आमंत्रित किए जाते हैं। जब समिति को कोई जरूरी जानकारी देनी होती है तो आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता हैं।

(ख) लेखा परीक्षा समिति का कार्य क्षेत्र:

- कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश;
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी;
- वित्तीय विवरण की जांच और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट;
- संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन;
- अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा;
- कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं आवश्यक हो;
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
- सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना;

(ग) लेखा परीक्षा समिति की बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान क्रमशः 24.04.2020, 28.05.2020, 08.06.2020, 23.06.2020, 31.07.2020 31.08.2020, 16.09.2020, 01.10.2020, 20.10.2020, 22.12.2020, 07.01.2021, 27.01.2021, 05.02.2021 और 05.03.2021 को लेखा परीक्षा समिति की चौदह बैठकें आयोजित की गई। लेखा परीक्षा समिति में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	वर्ष 2020-21 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हए
1.	श्री नरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष	14
2.	श्री भवानी प्रसाद पति	अध्यक्ष	11
3.	श्री बिनय दयाल	सदस्य	12
4.	डॉ. के. एस. खोबरागड़े	सदस्य	6
5.	श्री राकेश कुमार	सदस्य	14
6.	श्री चंचल गोस्वामी	सदस्य	14

6. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

7. व्हीसिल ब्लॉअर नीति :

बीसीसीएल के निदेशक मंडल ने 24.05.2014 को आयोजित अपनी 307वीं बोर्ड बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाया।

8. जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक एवं उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 22.01.2021 को जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक बैठक आयोजित की गई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रबंधन समिति की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्री नरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष	1
2	श्री राकेश कुमार	सदस्य	1
3	श्री समीरन दत्ता	सदस्य	1
4	श्री चंचल गोस्वामी	सदस्य	1

9. अधिकार प्राप्त उप-समिति:

ईएससी (टी) की बैठक एवं उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 06.05.2020, 29.05.2020, 30.07.2020, 07.01.2021 और 25.03.2021 को ईएससी (टी) की पांच बैठकें आयोजित की गई।

ईएससी (टी) की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ईएससी (टी) की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्री भवानी प्रसाद पति	अध्यक्ष	5
2	श्री राकेश कुमार	सदस्य	5
3	श्री समीरन दत्ता	सदस्य	5
4	श्री चंचल गोस्वामी	सदस्य	5
5	श्री नरेन्द्र सिंह	सदस्य	5

आईडी सहित निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक और उपस्थिति।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 22.12.2020 और 07.01.2021को आईडी सहित निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति की दो बैठकें आयोजित की आईडी सहित निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक और भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	2020-21 के दौरान आईडी सहित निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्री गोपाल सिंह	अध्यक्ष	2
2	श्री भवानी प्रसाद पति	सदस्य	1
3	श्री बिनय दयाल	सदस्य	2
4	श्री नरेन्द्र सिंह	सदस्य	2
5	श्री राकेश कुमार	सदस्य	2
6	श्री समीरन दत्ता	सदस्य	2
7	श्री चंचल गोस्वामी	सदस्य	2

10. आम सभा की बैठक :

गत 3 वार्षिक आम सभा की बैठकों की तिथि, समय एवं स्थान निम्नलिखित हैं:

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2019-20	07.08.2020	10:00 बजे पूर्वाह्न	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद
2018-19	08.07.2019	12:00 बजे दोपहर	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद
2017-18	13.07.2018	11:30 बजे पूर्वाह्न	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद

11. बीसीसीएल के शेयर होल्डिंग पैटर्न :

बीसीसीएल के 100% शेयर कोल इंडिया लिमिटेड और उसके नामांकित व्यक्ति के पास हैं।

11.कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत नियम (8)(5)(iiiक) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के संबंध में विवरण:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के तहत उप-नियम 5 के संदर्भ में, बोर्ड की राय है कि वर्ष 2019-20 के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशक श्री नरेंद्र सिंह के पास कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता, सत्यनिष्ठा और अनुभव है। इसके अलावा, श्री नरेंद्र सिंह, स्वतंत्र निदेशक ने स्वयं को IICA के साथ पंजीकृत करा लिया है और 2020-21 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 की उप-धारा (1) के तहत IICA द्वारा आयोजित ऑनलाइन दक्षता स्व-मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

अनुलग्नक- IV

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

I. औद्योगिक संरचना एवं विकास

बीसीसीएल, सीआईएल की सहायक कंपनियों में से एक, कोयला खनन और संबद्ध गतिविधियों में लगी हुई है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल- एक मिनीरत्न पीएसयू) कोकिंग कोयले का एक प्रमुख उत्पादक है जो कि कोयले खनन और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है और भारत के सबसे पुराने कोयला क्षेत्रों में से एक है। इसकी खदानें झारखंड स्थित झरिया कोलफील्ड में 273 किमी² और रानीगंज कोलफील्ड, झारखंड (19 किमी²) तथा पश्चिम बंगाल (13 किमी²) 32 किमी² में फैली हुई हैं। इसके प्रमुख उत्पाद रन ऑफ माइन (ROM) कोयला, धुला हुआ कोयला और धुला हुआ विद्युत कोयला (WPC) हैं। कोकिंग कोल एवं गैर कोकिंग कोल के राष्ट्रीयकरण के समय परंपरागत रूप से निजी मालिकों द्वारा अवैज्ञानिक विधि से चलायी जा रही छोटी-छोटी असंगठित कोयला खदानें इस कंपनी को विरासत के तौर पर मिली। इनका संचालन ऊपरी सतह तक ही सीमित था, जिसके कारण इसके भूमिगत पुराने कार्यस्थल में आग लगने तथा पानी भर जाने की समस्या आम थी। इस कोयला क्षेत्र में आबादी का घनत्व काफी अधिक है और यहां टाउनशिप, महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क, राष्ट्रीय-राजमार्गों और राज्य-राजमार्गों सहित सड़कों की भी बहुलता है। इस कारण से यहां कोयले का उत्खनन करना, खनन इंजीनियरों के लिए बेहद जटिल एवं चुनौती पूर्ण है। किंतु खनन क्षेत्र में इस कंपनी का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोल उत्पादक कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। बीसीसीएल अपने कुल कोयला उत्पादन का लगभग 85%, कोकिंग कोल के रूप में करता है। बीसीसीएल में मुख्य रूप से दो प्रकार के कोकिंग कोल का उत्पादन होता है- प्राइम कोकिंग कोल (PCC) और मध्यम कोकिंग कोल (MCC), जिसमें कम वाष्पशील पदार्थ मौजूद होता है। कुल कोकिंग कोल के उत्पादन में प्राइम कोकिंग कोल (PCC) की मात्रा 10% और मध्यम कोकिंग कोल (MCC) की मात्रा 90% होती है।

II. ताकत और कमजोरी

ताकत (एस)	कमजोरी (डब्ल्यू)
• आयात समता मूल्य से कम पर कोयला प्रदान करने की क्षमता • सुरक्षित बाजार वाले प्राइम कोकिंग कोयले का एकमात्र स्रोत • 40 कि.मी. त्रिज्या के दायरे में कोयला संसाधनों का उपलब्धता • अच्छी कार्य संस्कृति वाले कुशल और प्रशिक्षित श्रमशक्ति • ऊपरी संस्तर में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले कोयले और निचले संस्तर में निम्न गुणवत्ता वाले कोयले का पाया जाना • प्रचुर मात्रा में भंडार की प्रमाणित श्रेणी, इसलिए उपयुक्त योजना बनाई जा सकती है। • मास्टर प्लान के माध्यम से कोयला धारित क्षेत्र में अवस्थित संरचनाओं को हटाने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। • ऊपरी खंड विकसित। जमीन उपलब्ध होने के बाद, उच्च श्रेणी के कोयले का आसानी से खनन किया जा सकता है। • अनुकूल भौगोलिक स्थिति, अच्छी सड़क रेल कनेक्टिविटी। • सकारात्मक मानसिकता के लिए अग्रणी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों के बीच बढ़ती चेतना। • सीएमएस और सीबीएम उत्पादन के लिए संभावित क्षेत्र/भंडार।	• पुरानी खदानें 100 वर्षों से अधिक समय से चल रही हैं। • पूर्व में अवैज्ञानिक खनन। • कोयला धारित क्षेत्र में घनी आबादी है और ज्यादातर अनधिकृत कब्जें हैं, जिससे खनन गतिविधि की सुचारू प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। • विरासत में मिली अधिकांश छोटी एवं भूमिगत खदानों का आसानी से मशीनीकरण नहीं किया जा सकता है। • अधिकांश सीमें आग एवं जल-जमाव से प्रभावित हैं। • श्रमशक्ति की तर्कसंगत तैनाती में ट्रेड यूनियनों द्वारा बाधा उत्पन्न करना। • बाहरी ओबी डंप के लिए भूमि का उपलब्ध नहीं होना। • आंशिक रूप से खाली, महत्वपूर्ण, सरफेस कीचर से नीचे पीलर पर आंशिक रूप से खड़ा। • सीएएस और आरएस खतियान में अलग-अलग प्रविष्टियां अनावश्यक कानूनन परेशानी और भू-अधिग्रहण में विलंब का कारण बनती है।

III. अवसर एवं चुनौतियाँ

अवसर	चुनौतियाँ
• लंबी अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में आसानी से उपलब्ध एक संपूर्ण बाजार • अगर सरकारी नीति अनुमति देती है तो मास्टर प्लान के लागू होने पर निकलने वाले प्राइम कोकिंग कोल से घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के बाद इसका निर्यात किया जा सकता है जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है। • दीर्घकालिक पूंजिगत परियोजनाओं और वाशरी के लिए पीएसयू/प्राइवेट उद्यमियों के साथ संयुक्त उपक्रम। • इस्पात क्षेत्र में कोकिंग कोल के बाजार की स्थिति अनुकूल है क्योंकि अंतरराट्रीय बाजार में कीमत बढ़ रही है और देश मुश्किल से अर्जित विदेशी मुद्रा को इसके लिए वहन नहीं कर सकता है। • मुनीडीह- सिंगरा-कपूरिया और महुदा बेसिन में गहराई में जमा भंडार की निकासी के लिए उच्च क्षमता वाली भुमिगत खदानों को चालू किया जा सकता है।	• खनन उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहीत भूमि पर भौतिक कब्जा करने में असमर्थता। • मास्टर प्लान के निष्पादन में किसी प्रकार के विलंब होने पर कोई राष्ट्रीय आपदा की घटना घट सकती है, जो जीवन और संपत्तियों के साथ-साथ लंबे समय तक कंपनी के संचालन को भी खतरे में डाल सकती है। • कोयला सीम का स्वत:स्फूर्त ताप।

IV. खंडवार या उत्पादवार प्रदर्शन

कच्चे कोयले का उत्पादन प्रदर्शन

2020-21 की तुलना में 2019-20 के दौरान बीसीसीएल की कच्चे कोयले का उत्पादन, उत्पादकता तथा उठाव (आफटेक) प्रदर्शन:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2020-21			2019-20	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि	
			लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि (%)	वास्तविक	शुद्ध	%
i)	कच्चा कोयला (खदान के प्रकार के अनुसार)							
	यूजी	मि.टन	1.15	0.61	52.83	1.04	-0.43	-41.64
	ओसी	मि.टन	35.98	24.05	66.84	26.69	-2.64	-9.89
	कुल	मि.टन	37.13	24.66	66.40	27.73	-3.07	-11.08
ii)	कोयले के प्रकार के अनुसार							
	कोकिंग कोल	मि.टन	31.79	23.38	73.55	25.95	-2.56	-9.87
	नन कोकिंग कोल	मि.टन	5.34	1.27	23.82	1.78	-0.51	-28.70
		मि.टन	37.13	24.66	66.40	27.73	-3.07	-11.08
iii)	ओबी हटाई (आर/एच के अलावा)	घन मी.	140.00	103.84	74.17	82.65	21.19	25.64
iv)	उत्पादकता (ओएमएस)							
	यूजी	टन	0.35	0.14	39.68	0.24	-0.10	-41.67
	आसी	टन	8.16	7.43	91.04	6.75	0.68	10.09
	समग्र	टन	4.70	3.31	70.46	3.32	-0.01	-0.30
v)	कोयले का उठाव	मि.टन	37.13	23.13	62.29	28.76	-5.63	-19.59

कोयला धुलाई एवं वाशरी उत्पादों का कार्य प्रदर्शन

(मिलियन टन)

प्रकार	2020-21		20219-20	
उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
धुला कोयला (सी)	0.684	0735	0.861	0.664
धुला पावर कोयला	1.021	1.462	1.292	0.812
कुल	1.705	2.197	2.154	1.476
कोयले का उठाव				
धुला कोयला (एलटी)		7.48		8.35

V. दृष्टिकोण

क. उत्पादन दृष्टिकोण

- 2016-17 से प्रत्येक वर्ष बीसीसीएल कोयला उत्पादन में गिरावट की ओर दिखता रहा है।
- वर्ष 2016-17 में कोयले का उत्पादन 37.04 मीट्रिक टन से घटकर 2020-21 के दौरान 24.66 मीट्रिक टन हो गया।
- वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक कोयला उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई गई है जहां लक्ष्य उत्पादन 51 मीट्रिक टन होगा।

उत्पादन वृद्धि का विश्लेषण

प्रकार	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
यूजी	1.68	1.08	0.9	1.04	0.92	1.18	3.13	4.51
विभागीय ओसी	11.62	9.73	9.96	7.72	7.72	8.25	8.63	7.9
हायर किए गए ओसी	23.74	21.8	20.18	18.97	20.36	25.57	29.23	38.59
कुल ओसी	35.36	31.53	30.14	26.59	28.08	33.82	37.87	46.49
कुल	37.04	32.61	31.04	27.73	29.0	35.0	41.0	51.0

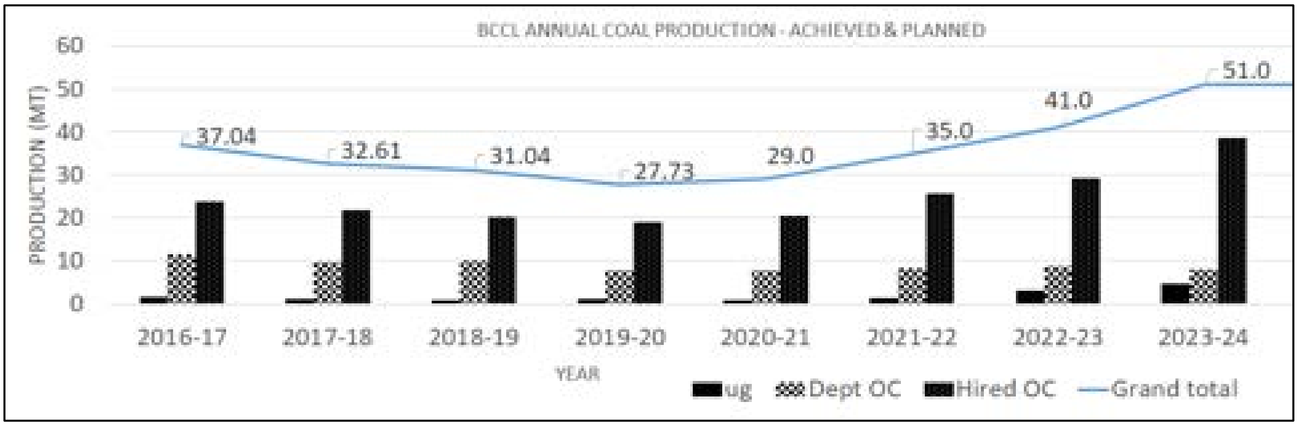

ख. विपणन दृष्टिकोण (आउटलुक)

➢ **धुला हुआ कोयला**

- आगामी वर्षों में धुले कोयले के उठाव के लिए अतिरिक्त उपभोक्ताओं से संपर्क करने की आवश्यकता होगी।

➢ **धुला हुआ कोयला (पावर)**

- तर्कसंगत कीमतों पर बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के साथ समझौता
- धुला कोयला आधारित सीपीपीएस स्थापित करने के लिए डीवीसी/एनटी पीसे के साथ संयुक्त उद्यम

➢ **वाशरी अपशिष्ट (रिजेक्ट)**

- जहां तक रिजेक्ट्स की कीमत का संबंध है, इसे हाल ही में कम किया गया है और अनग्रेडेड रिजेक्ट्स के मूल्य निर्धारण और उठाव के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया गया है।
- तर्कसंगत मूल्य के साथ दूर वाले रिजेक्ट्स के उपभोक्ताओं के साथ दीर्घकालिक समझौता
- वाशरी रिजेक्ट्स आधारित सीपीपी को स्थापित करने के लिए डीवीसी/एनटीपीसी/एनएलसी के साथ संयुक्त उद्यम

➢ **ई-ऑक्शन**

- एक मासिक ई-ऑक्सन कैलेंडर को अंतिम रूप दे दिया गया है और भविष्य में इसका पालन किया जाएगा।
- ई-ऑक्सन बुकिंग को बढ़ाने के लिए, स्पॉट ई-ऑक्सन का सुरक्षित मूल्य, अनन्य ई-ऑक्सन, आयात के लिए विशेष स्पॉट ई-ऑक्सन को कम किया गया है और लागू अधिसूचित मूल्य से 10% ऊपर तय किया गया है।
- कुल बोली मात्रा का 100 % उत्थापन सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है और उसके अनुसार क्षेत्रों को संवेदनशील बनाया जा रहा है।
- समय पर विक्रय आदेश जारी करने तथा डिस्पैच बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा कोयले की परेशानिमुक्त उठान के लिए एसओपी तैयार किया गया है।

➢ **एफएसए बिक्री में बढ़ोत्तरी करना**

- उपभोक्ताओं द्वारा उठाये गए मुद्दों को हल करने के लिए नियमित रूप से उपभोक्ताओं के साथ बैठक करना।
- एफएसए उपभोक्ताओं को गुणवतापूर्ण बेहतर कोयले की आपूर्ति तथा सड़क मार्ग द्वारा 100% उठाव को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय महाप्रबंधक तथा क्षेत्रीय सेल्स प्रबंधक के साथ बैठक की जा रही है।
- इसे प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए धुले पावर कोयले की कीमत की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। यह विभिन्न वाशरियों में वर्तमान उच्च स्टॉक परिशोधन करने में मदद करेगा तथा दिन-प्रतिदिन के कार्यों को संभालने में मदद करेगा।
- बीसीसीएल बोर्ड ने बीसीसीएल के विभिन्न वाशरियों में पड़े स्टॉक को समाप्त करने के लिए जी-15 और उससे नीचे की वाशरी रिजेक्ट्स की कीमत में गिरावट को भी मंजूरी दे दी है।
- बीसीसीहएल प्रबंधन उन विनियमित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अधिसूचति मूल्य पर छूट देने के विकल्पों पर विचार कर रहा है जो मियादी एलसी की सुविधा का लाभ उठाएंगे और बीसीसीएल को अग्रिम भुगतान करेंगे। मामला सीआईएल को भेज दिया गया है और उसके अनुसार बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

ग. सतत विकास संबंधी दृष्टिकोण

बीसीसीएल की कॉरपोरेट पर्यावरण नीति का उद्देश्य सतत विकास की पर्यावरण प्रबंधन अवधारणा है, जिसे बीसीसीएल के कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों तथा समर्पित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्थिरता के साथ विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी परिसर में सोलर पावर एनर्जी के प्रतिष्ठापन पर बल दिया जा रहा है और उस दिशा में कई पहल की गई है जैसा कि रिपोर्ट में अन्यत्र देखा जा सकता है। इसी प्रकार, कंपनी अत्याधुनिक 6 नई वाशरियां स्थापित कर रही है जो या तो चालू है या पूरा होने के विभिन्न चरणों में है जो कि स्वच्छ कोयले के उत्पादन में लंबा रास्ता तय करेंगी। इससे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकेगा।

VI. जोखिम और खतरे

राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि के दौरान बेहतर गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल सीम पर काम पहले ही किया गया था।

अवैज्ञानिक खनन → कोयला सीम का स्वतःस्फूर्त ताप → बेहतर गुणवत्ता वाले बचे हुए कोकिंग कोल का अवरुद्ध (लॉक) होना

पूर्व में भूमिगत पद्धति द्वारा ऊपरी सीमों पर काम किया गया है → आंशिक रूप से समाप्त, महत्वपूर्ण सतह के नीचे आंशिक रूप से पिलरों पर स्थित → विरासत में मिली छोटी भूमिगत खदानें मशीनीकरण के लिए आसान नहीं हैं

ओपेनकास्ट खनन सहित दोहन के लिए कोयला भंडार निम्न कारणों से बंद है :-

- डी. सी. रेलवे लाइन, मुख्य जे. सी. रेलवे लाइन तथा आद्रा-गोमों रेलवे लाइन कोयला क्षेत्र से होकर गुजरती है।
- कोलफील्ड क्षेत्र की प्राकृतिक प्रवाह प्रणाली की मुख्य नदी/नाला (खुदिया नाला, जमुनिया नदी, कतरी जोर, सेंद्रा जोर, कारी जोर, चटकरी जोर इत्यादि)
- राष्ट्रीय राजमार्ग-३२ तथा महत्वपूर्ण डी. बी. सड़कों का एक नेटवर्क कोयलाधारित क्षेत्र से होकर गुजरता है।
- कोयलाधारित क्षेत्रों पर अनेक नगर (भौंरा, डिगवाडीह, पाथरडीह, झरिया, करकेंद बाजार, केंदुवा, पुटकी, कतरास, सिजुआ, लोयाबाद इत्यादि) का विकास किया गया है।

भू-अधिग्रहण- एक बड़ा मुद्दा

- समय पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण कुछ पैचों का उत्पादन प्रभावित हुआ। कुछ बड़े पैचों का नाम नीचे दिए गए हैं:-

  I) बरोरा क्षेत्र में फुलारीटांड पैच

  ii) गोविंदपुर क्षेत्र में न्यू आकाशकिनारी तथा ब्लॉक IV पैच

  iii) कतरास क्षेत्र में कांटापहाड़ी पैच

  iv) कतरास क्षेत्र इत्यादि में तेतुलमारी तथा चैतूडीह पैच

- सीएस और आरएस खतियान में भिन्न-भिन्न प्रविष्टियां अनावश्यक कानूनी पचड़े और भूमि अधिग्रहण में देरी का कारण बनती है।
- एलए अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि तथा निहित भूमि पर था तो स्थानीय लोग, ग्रामीणों या स्थानीय राजनीतिक नेताओं द्वारा उनके निहित स्वार्थ के कारण कब्जा करने नहीं दिया जा रहा है।

क्षमता में वृद्धि

क्षमता (1 अप्रैल को) बीसीसीएल के उत्पादन की तुलना में					
	2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
क्षमता (मि.टन)	51.981	46.047	47.030	40.50	40.406
उत्पादन (मि. टन)	37.04	32.61	31.04	27.73	24.66
क्षमता उपयोग का प्रतिशत	71.26	70.82	66.00	68.40	71.77

बीसीसीएल की उत्पादन क्षमता में लगातार गिरावट आई है।

2016-17 के बाद किराये पर लिए गए पैच के माध्यम से क्षमता निर्माण में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई।

भूमि तथा अन्य समस्याओं के कारण कुछ एचईएमएम पैच नहीं आ सका, परिणामस्वरूप क्षमता का एक भाग मृत समान हो गया।

2019-20 से अतिरिक्त एचईएमएम की पहचान कर लेने का प्रयास किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 2020-21 के दौरान क्षमता में वृद्धि हुई है तथा 2021-22 में क्षमता में उससे अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

बीसीसीएल की क्षमता में वृद्धि हेतु अपनाये गए दो आयामी दृष्टिकोण

1. अल्पकालिक क्षमता वृद्धि योजना:- छोटे एच-एचईएमएम पैचों के माध्यम से कम अवधि में उत्पादन बढ़ाएं-

		वार्षिक क्षमता (एमटीवाई)	2021-22 के लिए यथानुपात क्षमता (एमटी)
भाड़े पर लिए गए एचईएमएम	चालू पैच	30.66	30.66
	कार्य विवरण	6.850	6.666
	पहले से की गई निविदा	8.397	6.109
	निविदा किया जाना है	8.945	5.227
	कुल योग	54.852	48.662
विभागीय ओपनकास्ट		12.50	12.50
कुल अंडरग्राउंड		1.31	1.31
कुल क्षमता		**68.662**	**62.472**

VII. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनका उपयोग

विनियामक और सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ कॉरपोरेट शासन को उच्चतम स्तर प्रदान करने के लिए हमारी कंपनी के पास एक बेहतरीन स्थापित और मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रियाएं हैं। निर्बाध निर्णय के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन विस्तृत रूप से किया गया है। संचालन दक्षता की निगरानी आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। यह लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कामकाज पर नजर रखती है। कंपनी का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) के निर्देशों के अनुरूप, कंपनी के नव नियुक्त निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

VIII. संचालन कार्य प्रदर्शन से संबंधित वित्तीय प्रदर्शन पर परिचर्चा

क. कुल आय

कंपनी की कुल आय में संचालन एवं अन्य आय से प्राप्त राजस्व शामिल हैघ्। कुल आय के उपर्युक्त दो मदों के तहत, कंपनी के प्रमुख राजस्व में कोयले की बिक्री से प्राप्त आय, अन्य संचालन राजस्व जैसे ग्राहकों से प्राप्त लोडिंग एवं परिवहन शुल्क, निकासी सुविधा शुल्क बैंकों में सावधि जमा पर अर्जित ब्याज, आदि शामिल हैं। शामिल थे। वित्त वर्ष 2020-21 का कुल आय 6958.08 करोड़ है, जो पिछले वर्ष 10192.76 करोड़ की तुलना में 33.70% कम है, जो 5.63 मिलियन टन (वित्त वर्ष 2019-20 में 28.76 मिलियन टन की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में 23.13 मिलियन टन) कम ऑफ-टेक के कारण दर्ज की गई। आय के प्रमुख तत्वों पर विश्लेषण निम्नलिखित है:

1. संचालन से प्राप्त राजस्व

क. कोयले की बिक्री

रॉयल्टी, जीएसटी मुआवजा उपकर, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी), जिला खनिज फाउंडेशन सहित अतिरिक्त रॉयल्टी सहित बिक्री को सकल बिक्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। (डीएमएफ) और अन्य लेबी आदि।

भारतीय लेखा मानक- 115, 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व' दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी। कोयले की बिक्री से होने वाली आय मुख्य रूप से निर्धारण एवं उत्पादन तथा वितरण पर निर्भर करती है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष में 28.76 मिलियन टन की तुलना में 23.13 मिलियन टन का ऑफ-टेक हासिल किया, जो 5.63 मिलियन टन यानी 19.58% से अधिक की गिरावट को दर्शाता है। इसके अलावा, दिनांक 25.04.2020 से प्रभावी मूल्य वसूली का पूरे वर्ष प्रभाव मूल्य वसूल का पूरे वर्ष प्रभाव, ग्रेड स्लिपेज का नियंत्रण, गुणवत्ता के लिए कम प्रावधान आदि के मद में औसत वसूली में वृद्धि हुई।

पिछले वर्ष में ₹ 12224.47 करोड़ की सकल बिक्री की तुलना में वर्ष 2020-21 में कंपनी की सकल बिक्री ₹ 8521.62 करोड़ रही। पिछले वर्ष ₹ 8967.56 करोड़ की शुद्ध बिक्री (सभी लेवी का शुद्ध) की तुलना में वर्ष के दौरान शुद्ध बिक्री (सभी लेवी का शुद्ध) ₹ 6149.81 करोड़ थी।

ख. अन्य संचालन राजस्व:

लोडिंग एवं अतिरिक्त परिवहन शुल्क

अन्य संचालन राजस्व का अधिकांश अंश ग्राहकों से वसूल किए गए परिवहन शुल्क के मद से है। प्रेषण स्थलों तक कोयले की ढुलाई के लिए दूरी एवं तदनुरूप दरों के विभिन्न स्लैबों के तहत कंपनी द्वारा परिवहन लागत शुल्क लगाया जाता है। वसूले गए लोडिंग एवं परिवहन शुल्क (सभी लेवियों का शुद्ध) पिछले वर्ष 315.17 करोड़ की तुलना में वर्ष ₹ 304.62 करोड़ था। यह ह्रास ऑफ-टेक की मात्रा में कमी के कारण हुई थी।

निकासी सुविधा शुल्क

रैपिड लोडिंग व्यवस्था के माध्यम से किये प्रेषण (डिस्पैच) को छोड़कर, सभी प्रेषण पर ₹ 50 प्रति टन के हिसाब से निकासी सुविधा शुल्क लगाया जाता है। पिछले वर्ष ₹ 143.28 करोड़ की तुलना में, वर्ष के दौरान निकासी सुविधा शुल्क (सभी लेवियों को शुद्ध) के मद में कुल राजस्व ₹ 112.86 करोड़ था। यह ह्रास प्रेषण की मात्रा में कमी के कारण हुई थी।

1. अन्य आय

वर्ष 2019.20 में 766.76 करोड़ की तुलना में, वर्ष के दौरान अन्य आय ₹ 190.79 करोड़ थी, जो ₹143.28 करोड़ यानी 75.12% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से बैंक जमा के औसत निवेश में वृद्धि के कारण हुई। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 पहले प्रदान किए गए प्रावधानों/देनदारियों से संबंधित जो प्रतिलेखन (राइट बैक) था, अब उसकी आवश्यकता नहीं है।

ख. व्यय

व्यय के प्रमुख तत्वों का विवरण निम्नलिखित है:

(क) कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय, कुल लागत में सबसे बड़ा घटक है, जो लागत का लगभग 66.77% है। ₹ 57.61 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान, कर्मचारी लाभ लागत ₹ 5565.72 करोड़ था।

सामान्य वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते (डीए) मे वृद्धि आदि के बावजूद, कर्मचारी पारिश्रमिक लागत में गिरावट की प्रवृत्ति मुख्य रूप से वर्ष के दौरान, 2276 कर्मचारियों की कमी के कारण दिखाई गई।

(ख) संविदात्मक व्यय

संविदात्मक व्यय में मुख्य रूप से तीसरे पक्ष के ठेकेदारों द्वारा किया गया कोयला, बालू तथा अन्य सामग्रियों का परिवहन शुल्क, बैगन लोडिंग संचालन से संबंधित ठेकेदार खर्च, हैवी अर्थ मोविंग मशीनरी से कोयला निष्कर्षण तथा ओवरबर्डन हटाने की गतिविधियों के लिए हायरिंग शुल्क और तीसरे पक्ष के ठेकेदारों द्वारा किये गए अन्य विविध कार्यों की लागत से संबंधित व्यय शामिल है, जैसे खानों के आस-पास हॉल रोड का रखरखाव तथा अस्थायी प्रकाश व्यवस्था आदि। वर्ष 2019-20 के ₹ 1211.50 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में संविदात्मक व्यय ₹ 1476.37 करोड़ रहा जो ₹ 264.87 करोड़ यानी 21.86% तक की वृद्धि को दर्शाता है। संविदात्मक खर्चों में वृद्धि मोटे तौर पर कोयले और ओबी के उत्पादन की समग्र मात्रा में 25.01% की वृद्धि के कारण 2019-20 में 78.68 एमसीयूएम से बढ़कर 2020-21 में 98.36 एमसीयूएम हो गई। इसके अलावा एचएसडी में वृद्धि ने पिछले वर्ष की तुलना में संविदात्मक लागत की वृद्धि में योगदान दिया।

(ग) वित्त लागत

1. उधारियां

	31.03.2021	**31.03.2020**
अधिमानी शेयरों के ऋण हिस्से की अनविंडिंग लागत	0.00	188.07
नकद ऋण पर ब्याज	64.90	1.40
कुल	**64.90**	**189.47**

(घ) स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन

स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (संदर्भ 2.19) के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक मिलियन टन तथा उससे अधिक मूल्य क्षमता वाली खदानों के लिए गणना की जानी है। स्ट्रिपिंग की लागत प्रत्येक खदान में तकनीकी रूप से मूल्यांकन किए गए औसत स्ट्रिपिंग अनुपाल पर ली जाती है जिसमें खदानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात-भिन्नता लेखा के लिए उचित समायोजन होता है।

वर्तमान में पांच खदानों में ऐसा समायोजन किया जा रहा है जिसके लिए आवश्यक आंकड़े इस प्रकार हैं-

	31.03.2021		31.03.2020	
	कोयला (एलटी)	ओबीआर (एसीयूएम)	कोयला (एलटी)	ओबीआर (एलसीयूएम)
मुराईडीह ओसीपी, बरोरा क्षेत्र	13.42	15.58	10.54	11.67
एकेडब्लूएमसी ओसीपी, कतरास क्षेत्र	31.29	77.14	42.12	72.18
गोलकडीह/कुइया ओसीपी, बस्ताकोला क्षेत्र	18.01	77.64	19.24	62.35
नार्थ तिसरा साउथ तिसरा विस्तारित परियोजना, लोदना क्षेत्र	22.81	119.34	25.48	121.26
दहीबारी बसंतीमाता ओसीपी, सी वी क्षेत्र	8.27	20.76	7.87	15.42
कुल	**93.80**	**310.46**	**105.25**	**282.88**

** 31.03.2020 में 2.69 के मुकावले 31.03.2021 में औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबीआर/कोयला) 3.31 है।*

(ङ) अन्य व्यय

वर्ष के दौरान अन्य व्यय 12.53% यानी 2019-20 में 654.14 करोड़ ₹ से बढ़कर 736.13 करोड़ ₹ हो गए जो मुख्य रूप से जोखिम और हार्डशिप भत्ता (विपत्ति) (01.07.2017 से 28.02.2020 से प्रभावी) के भुगतान से उत्पन्न सीआइएस एक व्यय में वृद्धि तथाप वाशरी (1.54 एमटी से 2.54 एमटी तक) में कोयला प्रेषण में वृद्धि होने की वजह से करों में वृद्धि हुआ।

(च) नकदी प्रवाह (सारांश)

(₹' करोड़ में)

विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	
	2021	2020
आरंभिक नकदी और नकदी समतुल्य	(548.77)	86.49
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(2471.94)	(889.31)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	1096.07	342.57
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	1973.31	(67.68)
नकद और नकदी समतुल्यों में परिवर्तन	48.67	(548.77)

IX. मानव संसाधन में भौतिक विकास, औधोगिक संबंध के फ्रंट, नियोजित लोगों की संख्या सहित

मुख्य रिपोर्ट में शामिल

X. पर्यावरणीय बचाव एवं संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय उर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

मुख्य रिपोर्ट में शामिल

XI. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

सीएसआर के लिए एक अलग परिशिष्ट दिया गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग)
धनबाद-826005 (झारखंड)
CIN No. U10101972GOI000918

मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल
बीसीसीएल, धनबाद।

एतद्द्वारा, 31 मार्च, 2021 को समाप्त चतुर्थ तिमाही/वर्ष के लिए बीसीसीएल के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त चतुर्थ तिमाही/वर्ष के लिए अपने अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में संबंधित क्षेत्रों/इकाइयों के महाप्रबंधकों तथा क्षेत्रीय वित्त प्रबंधकों के प्रमाणन के आधार पर, हम पी. एम. प्रसाद, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), बीसीसीएल और समीरन दत्ता, निदेशक (वित्त) एवं मुख्यवित्त अधिकारी (सीएफओ), बीसीसीएल, जो वित्तीय मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, यह प्रमाणित करते हैं कि:-

क. हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्तचतुर्थ तिमाही/वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है, जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

i. इन विवरणों में वस्तुतः कोई भी असत्य विवरण शामिल नहीं है अथवा किसी भी वास्तविक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा ऐसे विवरणों को शामिल नहीं किया गया है, जो भ्रामक हों;

i. ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास में 31 मार्च, 2021 को समाप्तचतुर्थ तिमाही/वर्षके दौरान, कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन-देन, कंपनी आचार संहिता के तहत धोखाधड़ी, अवैध या उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता है।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा उसे बनाये रखने का दायित्वस्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंगसे संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हम उक्तआंतरिक नियंत्रणों या संचालन की कमियों के संबंध में भी लेखा परीक्षकों तथा लेखा समिति के समक्षखुलासा करते हैं, यदि कोई हो तो, ताकि वे इस बात से अवगत रहें औरइन कमियों को दूर करने हेतु उचित कदम उठा सकें।

घ. हमने लेखा-परीक्षकों तथा लेखा समिति को यह सूचित किया है कि:-

i. संदर्भित अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है,

ii. सारवान (मैटेरियलिटी) नीति को छोड़कर अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463 (ई) दिनांक 24 जुलाई, 2020 के अनुसार सारवानता की परिभाषा को भारतीय लेखा मानक 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, में प्रतिस्थापित किया गया है।

iii. हमें अनुलग्नक- 1 में यथा संलग्न के अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी के किसी भी बड़ी धोखाधड़ी में शामिल होने की जानकारी नहीं है:

निदेशक (वित्त) **एवं मुख्यवित्त अधिकारी (सीएफओ), बीसीसीएल**	**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक** **एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), बीसीसीएल**

स्थान: धनबाद
दिनांक: 26.05.2021

अनुलग्नक-1

निम्नलिखित कर्मचारी वर्ष 2020-21 के दौरान उल्लिखित धोखाधडी के मामलों में शामिल हैं:

क्र.सं.	मामला संख्या	मामला दर्ज करने की तिथि	मामले का विवरण	कर्मचारी का नाम, कर्मी संख्या और पदनाम
1.	CB/06/2020	05-06-2020	कुसुंडा क्षेत्र के धनसर ओसीपी में डीजल वितरण में कथित अनियमितता	श्री ए. के. सिंह, कर्मी संख्या-90075995, मुख्य प्रबंधक (उत्खनन)
2.		05-06-2020		श्री सुजीत कृष्ण श्रीवास्तव , कर्मी संख्या-90076142, मुख्य प्रबंधक (उत्खनन)
3.		05-06-2020		श्री विवेक कुमार सिंह, कर्मी संख्या-90229444, उप प्रबंधक (उत्खनन)
4.		05-06-2020		श्री दिलीप कुमार, कर्मी संख्या-01475888, वरिष्ठ स्टोर कीपर
5.		05-06-2020		श्री राजू कुमार सिंह, कर्मी संख्या-01259829, स्टोर कीपर
6.		05-06-2020		श्री प्रभु सिंह, कर्मी संख्या-01235340, सहायक फोरमैन
7.		05-06-2020		श्री काशी महतो, कर्मी संख्या-02822484, चालक
8.	CB/07/2020	05-06-2020	समामेलित ब्लॉक II ओसीपी में डीजल वितरण के एचएसडी ईंधन प्रबंधन में कथित अनियमितताएं	श्री सत्य चरण सिंह, कर्मी संख्या-90192154, मुख्य प्रबंधक (उत्खनन)
9.		05-06-2020		श्री अरोहित कुमार, कर्मी संख्या-90213844, उप प्रबंधक (खनन)
10.		05-06-2020		श्री अरुण कुमार, कर्मी संख्या-90255159, अवर अभियंता (उत्खनन)
1 1।		05-06-2020		श्री गोरेलाल प्रसाद, कर्मी संख्या-90255233, अवर अभियंता (उत्खनन)
12.		05-06-2020		श्री संतोष कुमार, कर्मी संख्या-01274687, सहायक स्टोर कीपर
13.		05-06-2020		श्री मनोज सिन्हा, कर्मी संख्या-00076893, वरिष्ठ स्टोर कीपर
14.	CB/08/2020	20-08-2020	हुरिलाडीह कोलियरी, पीबी क्षेत्र में कंपनी की जमीन पर कथित अवैध कब्जा	श्री आईपी उपाध्याय, कर्मी संख्या-90072844, मुख्य प्रबंधक (खनन)
15.		20-08-2020		श्री सुनील कुमार किशोरी, कर्मी संख्या-01336841, सर्वेक्षक
16.		07-10-2020	2003-04 के दौरान डीजीएमएस, धनबाद से	श्री अर्जुन कुमार, कर्मी संख्या-01426196, माइनिंग सरदार

17.	CB/09/2020	07-10-2020	माइनिंग सरदार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप	श्री मेघलाल मंडल, कर्मी संख्या-01423912, माइनिंग सरदार
18.		06-01-2021		आशा भुइया, हैम. मैन, 02978369
19.		06-01-2021		घुरा राम, Anux. Fan ऑपरेटर, 02887651
20.		06-01-2021		विद्यात्तम कुमार, लिपिक, 01401470
21.		06-01-2021		जसीम अंसारी , स्पॉट मजदूर, 03012192
22.		06-01-2021		मीतन सिंह, सामान्य मजदूर, 01272533
23.		06-01-2021		इलियास अंसारी, फिटर, 01290790
24.		06-01-2021	जाली दस्तावेजों के आधार	धनंजय कु. चौधरी , लिपिक, 01403369
25.	CB/01/2021	06-01-2021	पर कर्मचारियों के मूल	मो. सिराज़ुद्दीन आलम , सर्वे मजदूर, 02952943
26.		06-01-2021	वेतन में कथित फर्जीवाड़ा	नेहरू शुक्ला, बीसी मैन, 01328988
27.		06-01-2021		दिवाकर मोदी , पंप ऑपरेटर I, 02944239
28.		06-01-2021		शत्रुघ्न दास, पंप ऑपरेटर, 02862068
29.		06-01-2021		गुरुपोदो बौरी , पंप ऑपरेटर, 02943835
30.		06-01-2021		गोपाल मुंडा, पंप ऑपरेटर, 03030814
31.		06-01-2021		चंद्र भुइया , एस/मैन, 02949212
32.		06-01-2021		ललन प्रसाद सॉ, फिटर हेल्पर, 01425180

33.		06-01-2021		प्रताप सिंह, ऑनसेटर , 01315423
34.		06-01-2021		प्रीतामा भुइया , भूतल मजदूर , 02980746
35.		06-01-2021		लालू राजभर , ड्रिलमैन , 03002185
36.		06-01-2021		संजय पासवान , टीसीआई, 03008679
37.		06-01-2021		धनेश्वर मिस्त्री , एसडीएल ऑपरेटर, 01302900
38.		06-01-2021		कुवर भुइयां, विस्फोटक वाहक, 02989580
39.		06-01-2021		जितेंद्र पासवान , टीआर ट्रामर , 02857662
40.		06-01-2021		मुख्तार मिया, यूजी ट्रामर , 02914620
41.		06-01-2021		कौल धारी भर, टीआर ट्रामर , 02512374
42.		06-01-2021		धनंजय बौरी, विस्फोटक वाहक, 03040839
43.		06-01-2021		मोतीलाल रतन , फिटर, 01383371
44.		06-01-2021		शंकर रवानी , टिंडेल , 02410956
45.		06-01-2021		अर्जुन पासवान, टिंडेल , 029577629
46.		06-01-2021		राजपति धारी, ड्रिलमैन , 02461713
47.		06-01-2021		मटुकधारी केवट, विस्फोटक वाहक, 03035342
48.		06-01-2021		बिनोद बेलदार, ड्रेसर, 03030939

49.		06-01-2021		पूरन भुइया, ड्रिलर, 02961765
50.		06-01-2021		मोहम्मद सिराज, ईपी फिटर, 01217116
51.		06-01-2021		निजाम अंसारी, यूजी लाइन पीएसी, 02509362
52.		06-01-2021		महेश पासवान, Thou/Op, 02856540
53.		06-01-2021		योगेंद्र कु. बिन, मैक. फिटर, 01323864
54.		06-01-2021		राम गिरीश भर, टीआर ट्रामर , 02930121
55.		06-01-2021		राज कुमार सिंह, फिटर हेल्पर, 01382175
56.		06-01-2021		बिजय बहादुर सिंह, वरिष्ठ मैकेनिक, 00963413
57.		06-01-2021		कैलाश रबीदास , टीआर ट्रामर , 03004447
58.		06-01-2021		अरबिंद कुमार, डंपर ऑपरेटर, 01419274
59.		06-01-2021		लक्ष्मण भुइयां, आरबीटीएल मजदूर,02971133
60.		06-01-2021		हीरा राजवंशी, सामान्य मजदूर, 02829190
61.		06-01-2021		कैलाश भुइया, एसडीएल ऑपरेटर, 02964344
62.		06-01-2021		राज कुमार साही, ईपी फिटर, 01216506
63.		06-01-2021		राम बालक पंडित, टीआर ट्रामर , 02825958
64.		06-01-2021		भोला लोहार , विद्युत सहायक, 01435403

65.		06-01-2021		किशोर कुमार, सहायक फिटर, 02936110
66.		06-01-2021		संजीत भुइया, यूजी ट्रामर , 03029352
67.		06-01-2021		अंगद कुमार सिंह, यूजीजी मजदूर , 01413830
68.		06-01-2021		शकुंतला मोदी, एसबीए, 01342831
69.		06-01-2021		शिव शंकर पासवान, टीआर ट्रामर, 02858611
70.		06-01-2021		बिनोद भुइया, यूजी ट्रामर , 03012234
71.		06-01-2021		जयराम कुमार सिंह, ईपी मजदूर, 01402841
72.		06-01-2021		राज नंदन चौधरी, एसडीएल हेल्पर, 01342849
73.	CB/02/2021	12-01-2021	एबीओसीबी खदान ब्लॉक-II में आवास आवंटन में कथित अनियमितता	प्रवीण कुमार झा, उप प्रबंधक (कार्मिक), कर्मी संख्या-90292699
74.		12-01-2021		अजय सिंह यादव, सहायक प्रबंधक (कार्मिक), कर्मी संख्या-90368309
75.		12-01-2021		गणेश महतो, डीईओ, कर्मी संख्या-01385715

अनुलग्नक-VI

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
सेवा में, **भारत कोकिंग कोल के सदस्य** **एकल वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट** **अभिमत** हमने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है, इसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र,उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि विवरण(अन्य व्यापक आय सहित), उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं (इन्हें अब 'एकल वित्तीय विवरण' कहा जाएगा) सम्मिलित हैं। इसमें कंपनी के क्षेत्र/इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा कुल 17 (सत्रह) यथा, बरोरा क्षेत्र, ब्लॉक-2 क्षेत्र, गोविन्दपुर क्षेत्र, कतरास क्षेत्र, सिजुआ क्षेत्र, कुसुन्डा क्षेत्र, पी. बी. क्षेत्र, बस्ताकोला क्षेत्र, लोदना क्षेत्र, पूर्वी झरिया क्षेत्र, सी वी क्षेत्र, दाहीबाड़ी वाशरी, पश्चिमी झरिया क्षेत्र, वाशरी डिवीजन, मधुबन कोल वाशरी, माइंस रेस्क्यू स्टेशन तथा भूली टाउनशिप क्षेत्र में उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए किया गया लेखा परीक्षण विवरण भी शामिल है। हमारे अभिमत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के मुताबिक और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण यथा-आवश्यक विधि से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की अपेक्षानुसार सूचनाएं प्रदान करता है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को हानि व कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा इसका नकदी प्रवाह अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("भारतीय लेखा मानक") के साथ पढ़ा जाए और कंपनी मामलों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और स्पष्ट है। **अभिमत के लिए आधार** हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्युट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी नीति संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नीतिपरक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं के अनुरूप अपने अन्य नैतिक दायित्वों और आईसीएआई की नीति संहिता का अनुपालन किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।	
महत्वपूर्ण मामले	
हम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं: - क) व्यापार प्राप्य तथा व्यापार देय के अंतर्गत निर्विवाद बकाया का लंबित अनुमोदन/समाधान, इस तरह के बकाया का अनुमोदन/समाधान के परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, पता लगाने योग्य नहीं है।	व्यापार देय संबंधी सभी शेष राशि की संपुष्टि के लिए पत्र जारी किए गए थे। व्यापार प्राप्तियों का समाधान निरंतर होता है। लंबित समाधान में तेजी लाने, सार्वजनिक जीवन में सामान्य स्थिति को वापस लाने के प्रयास किए गए हैं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
ख) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 38.5.(1), कंपनी परिचालन पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव तथा प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन किए गए परिणामों का वर्णन करता है।	इसे वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 38(5.12)-कोविड-19 में दर्ज किया गया है। अत: कोई और टिप्पणी आवश्यक नहीं।
ग) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी सं. 38.3.बी(ii), जिसमें कर्मचारियों के पोस्ट रिटायर्डमेंट मेडिकल बेनिफिट (सीपीआरएमएसई-एनई) का वर्णन किया गया है। कंपनी ने सेवारत (ऑल-रोल) कर्मचारियों के लिए सीपीआरएमएसई-एनई हेतु बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता को मान्यता नहीं दी है। बीमांकिक मूल्यांकन के अभाव में राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।	आज की तारीख में, सीपीआरएमएस-एनई के लिए सेवारत (ऑन-रोल) कर्मचारियों के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कोई दायित्व नहीं है। किंतु दिनांक 31.03.2021 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों में बीसीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से संचित ₹ 220.93 करोड़ राशि की देनदारी ली थी। हमारे आकलन के अनुसार, सेवारत (ऑन-रोल) कर्मचारियों के लिए सीपीआरएमएस-एनई हेतु बीमांकिम मूल्यांकन का पूर्व प्रदत्त देयता के अतिरिक्त वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और इन पर हमारी राय बनाने पर ध्यान दिया गया था, और हमने इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं किया है।हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को नीचे प्रदर्शित किया है।

क्र. सं.	मुख्यलेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1	**स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय / समायोजन** ओपनकास्ट खनन के मामले में, कोयले की सीम तक पहुंचने और उसके निष्कर्षण के लिए खदान मलबा सामग्री ("ओवरबर्डन") जिसमें कोयला सीम के शीर्ष पर मिट्टी और चट्टान होती है, को हटाया जाना आवश्यक है। मलबा हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। ओपनकास्ट खानों में, कंपनी को खदान के चालू रहने तक (तकनीकी रूप से अनुमानित) इस तरह के खर्चों को उठाना पड़ता है। इसलिए एक नीति के रूप में, खदान से राजस्व प्राप्त होना शुरू होने के बाद स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट और रेशियो वेरिएंस एकाउंट के लिए उचित समायोजन के साथ प्रत्येक खदान के लिए एक मिलियन टन प्रति वर्ष और इससे अधिक की क्षमता वाले खदानों में, स्ट्रिपिंग की लागत का मूल्यांकन तकनीकी रूप से मूल्यांकन औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (OB: COAL) पर किया जाता है। बैलेंस शीट तारीख में स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट और रेशियो वेरिएंस के कुल शेष को गैर-प्रचलित प्रावधान/अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां जैसा भी मामला हो शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग एक्टिविटी समायोजन के रूप में दिखाया गया है। रिकार्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखांकन के लिए अनुपात की गणना करने के तौर पर माना जाता है जहां रिपोर्ट की गई मात्रा और मापी गयी मात्रा के बीच विचरण अनुमेय सीमा के भीतर है। हालाँकि, जहाँ विचरण ऊपर की अनुमेय सीमाओं से परे है, मापी गई मात्रा को माना जाता है। वित्तीय विवरणों में लाभ और हानि और नोट 10 का विवरण देखें	**मूललेखा परीक्षा प्रक्रिया** हमने निम्नलिखित मूल प्रक्रियाएं कीं : • स्ट्रिपिंग समायोजन के सक्रिय आंकड़ों को प्राप्त कर जाँच किया कि वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय को कोयला उत्पादन और ओवरबर्डन के बीच आवंटित किया गया है। अनुपात की गणना में विचार किए गए खर्चों की सटीकता और पूर्णता के बारे में सुनिश्चित किया गया। • जाँच की गयी कि अनुपात भिन्नता की गणना ओवरबर्डन को आवंटित राशि के आधार पर की गयी और वर्ष के दौरान ओबी मात्रा को सही ढंग से निकाला गया। • विश्लेषणात्मक प्रक्रिया और स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन गणना पर खर्चों के औचित्य के विवरण का परीक्षण किया। • जांच की गई कि स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के लिए इस्तेमाल की गई लेखांकन नीति और प्रबंधन के निर्णय उचित हैं। अपनायी गयी प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन के संबंध में स्वयं को संतुष्ट पाया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट			प्रबंधन की टिप्पणी
2	**ग्राहकों के अनुबंध से राजस्व** राजस्व लेखा मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों के पहचान, चिह्नित प्रदर्शन दायित्वों के लेन-देन संव्यवहार मूल्य का निर्धारण, वर्ष के दौरान अभिज्ञात राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए गए पैमाने का औचित्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। एकल वित्तीय विवरणों के लिए संदर्भ सं. 38.15.(1) देखें	**<u>मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया</u>** हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्न शामिल हैं: • नये राजस्व लेखा मानक के कार्यान्वयन संबंधी प्रक्रियाओं तथा आंतरिक नियंत्रणों की परिकल्पना एवं क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया। • ग्राहकों के साथ मौजूदा अनुबंधों के लिए नमूने का चयन कर राजस्व स्ट्रीम पर प्रबंधन द्वारा किए गए विस्तृत विश्लेषण का मूल्यांकन किया तथा उन राजस्व स्ट्रीम संबंधी वर्तमान अवधि में राजस्व मान्यता नीति पर विचार किया। • राजस्व मानक के तहत प्रदान किए गए प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया एवं प्रासंगिक प्रकटीकरण की संपूर्णता तथा गणितीय विशुद्धता का आकलन किया। हमने यह पाया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन के आकलन एवं निर्णयों को आय के अभिज्ञान में उचित है।	
3	**अनिश्चित कर स्तरों का मूल्यांकन** कंपनी के पास विवादित मामलों सहित मूर्त अनिश्चित कर स्थिति है, जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। एकल वित्तीय विवरणों के लिए 38.4.(a) संदर्भ का अवलोकन करें।	<u>मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया</u> हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्न शामिल हैं:- • आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान और पुनर्प्राप्ति तथा वर्तमान कर प्रावधान संबंधी नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं डिजाइन का मूल्यांकन किया। • अनिश्चित कर स्थिति के लिए प्रबंधन के मूल्यांकन के प्रावधानों की वैधता एवं पर्याप्तता पर विचार किया गया, मूल्यांकन के आधार की जांच करना और प्रासंगिक पत्राचार और कानूनी सलाह की समीक्षा करना, जहां उपलब्ध हो, इसमें प्रासंगिक कर अधिकरण में समान मामले से संबंधित कोई भी सूचना उपलब्ध हो। • आस्थगित कर संपत्ति के समर्थन में पर्याप्त आगामी कर योग्य आय उत्पन्न करने की संभावना सहित प्रबंधन के पूर्वानुमान और प्राकल्लन की उपयुक्तता का आकलन किया। उपर्युक्त कार्य प्रक्रिया के आधार पर हमने वर्तमान और आस्थगित कर शेषों और अनिश्चित कर स्थितियों के प्रावधानों के विषय में प्रबंधन के आकलनों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त लेखा साक्ष्य प्राप्त किया।	
4	**कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ योजना दायित्व का मूल्यांकन** परिभाषित लाभ योजनाओं का लेखांकन, बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है जो दायित्व को मापने, नियोजित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने तथा संबंधित बीमांकिक लाभ हानि की गणना करने के लिए आवश्यक है। कंपनी में परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में कटौती दर, मुद्रास्फीति दर तथा मृत्यु दर सहित महत्वपूर्ण आकलन किए जाते हैं। कंपनी समुचित पूर्वानुमान और दायित्व की गणना में सहायता के लिए बाहरी बीमांकिक विशेषज्ञ को संलग्न करती है। इन मामलों का प्रभाव जोखिम मूल्यांकन के अतिरिक्त है तथा परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में आकलन की एक उच्च डिग्री है क्योंकि यह मान्यताओं की पूर्वाधारणाओं के अनुरूप है।	<u>मूल लेखा परीक्षा प्रक्रिया</u> हमारे लेखा प्रक्रियाओं में शामिल है:- • लागू गाइडेंस नोट के अनुसार (कटौती दर, मुद्रास्फिति दर, मृत्यु दर) लागू मूल मान्यताओं का मूल्यांकन किया। • कंपनी के बीमांकिक विशेषज्ञ की क्षमता, स्वतंत्रता एवं अखंडता का मूल्यांकन किया। • बीमांकिक पुर्वानुमान का अनुमोदन तथा समीक्षा पर नियंत्रण तथा भौतिक बीमांकिक को प्रदान किए गए डेटा की पूर्णता व एकरूपता तथा विशेषज्ञों की गणना में उपयोग किए गए डेटा के सामंजस्य का परीक्षण किया गया। • निर्धारित लाभ योजना के कारण अर्जित देयता के विषय में प्रबंधन से चर्चा की गई और यदि पुर्वानुमान में कोई विसंगति थी तो उसका आकलन किया गया। • भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार विवरणों में कंपनी के प्रकटीकरण की उपयुक्तता सत्यापित है। सम्मिलित लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि मूल्यांकन संबंधी प्रबंधन द्वारा किया गया पुर्वानुमान उपलब्ध साक्ष्य	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट			प्रबंधन की टिप्पणी
2	ग्राहकों के अनुबंध से राजस्व	मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया	
	एकल वित्तीय वक्तव्यों के लिए 38.3 के टिप्पणी देखें।	द्वारा समर्थित है।	

वित्तीय विवरण और इन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट और उसके अनुबंध, सीएसआर रिपोर्ट, अनुसंधान व विकास और कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। निदेशक की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक, सीएसआर रिपोर्ट, अनुसंधान और विकास और कॉर्पोरेट प्रशासन और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट पर रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की तारीख तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गयी है और उम्मीद की जाती है कि इस लेखा रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध होगी।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इन पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गयी अन्य सूचनाएं जब उपलब्ध हो जाएं, तो इन्हें पढ़ें और ऐसा करके विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हमें निदेशक की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक, सीएसआर रिपोर्ट, आर एंड डी और कॉर्पोरेट प्रशासन और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हुए और हमने इन्हें पढ़ा,यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को संबंधित व्यक्ति (those charged with governance) के पास ले जाना होगा और स्वीकार्य कानूनों और विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई के बारे में बताना होगा।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) और इस अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानकों समेत भारतीय लेखा मानक और भारत में सामान्यतः लागू अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जवाबदेह है जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य प्रदर्शन, कुल आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सत्य एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं पता लगाना, पर्याप्त लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयोग, उचित एवं न्यायसंगत मामलों का निर्णय एवं आकलन करना और वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता प्रस्तुत करें, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण सम्मिलित है। जो कि वित्तीय गलतियों से मुक्त हो, चाहे वह कपट से अथवा भूलवश ही क्यों न किया गया हो, भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन चालू प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, यथा स्वीकार्य, चालू प्रतिष्ठान से संबंधित मामले और लेखा का चालू प्रतिष्ठान आधार पर प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन कंपनी को बेच देने का या परिचालन बंद करने का या कोई वास्तविक विकल्प न होने का इरादा रखता हो।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेश मंडल भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, ऐसे दुर्व्यवहार चाहे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, तथा एक ऑडिटर रिपोर्ट जारी करना भी हमारा उद्देश्य है जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक खातों के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा वित्तीय गलतियों (होने पर) का पता लगाएगा। गलती धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में, इनसे वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित होने यथोचित अपेक्षा हो।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम:

- वित्तीय विवरणों की गलतियों से होने वाले जोखिमों की पहचान तथा उनका आकलन करते हैं चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करते हैं तथा ऑडिट सबूत प्राप्त करते हैं जो

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
हमारी राय में आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी की वजह से वित्तीय गलतियों को न पकड़ पाने का जोखिम एक से अधिक गलतियों के रूप में आता है, जैसे कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है। • इन परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इस तरह के नियंत्रणों के लिए परिचालन प्रभावशीलता है। • उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं। • प्रबंधन के चालू प्रतिष्ठान आधार पर लेखा उपयोग की उपयुक्तता और इस पर आधारित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर निष्कर्ष निकालते हैं, कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित मैटेरियल अनिश्चितता विद्यमान है जो कि चालू प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण रूप से संदेह युक्त है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई मैटेरियल अनिश्चितता मौजूद है, तो हमारे द्वारा वित्तीय विवरणों में संबंधित डिस्क्लोजर के लिए अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा, हमारे अभिमत में परिवर्तन के लिए ऐसे डिस्क्लोजर अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं।हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं। • डिस्क्लोजर सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत और प्रदर्शित किया गया है। मैटिरियलिटी वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण त्रुटि (मैग्नीट्युड ऑफ मिसस्टेटमेंट) है , जो कि वैयक्तिक या समेकित रूप से संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन में, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान की गयी त्रुटि के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक मैटिरियलिटी और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं। हम जिम्मेदार लोगों से (those charged with governance)अपनी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञातअन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध कार्यक्षेत्रव समय और आंतरिक नियंत्रण में किन्हीं महत्वपूर्ण त्रुटियों समेत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा तथ्योंके बारे में सूचित करते हैं। हम जिम्मेदार लोगों को एक विवरण भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी रिश्तों और अन्य मामलों के संबंध में सूचित किया है जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा उपायों जहां लागू हो, के लिए यथोचित रूप से विचारणीय हैं। जिम्मेदार लोगों को सूचित किए गए मामले में, हम वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं, का निर्धारण करते हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण करने से नहीं रोकते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में जन हित मामले के अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों के कारण किसी मामले को नहीं दिया जाना चाहिए।	
अन्य मामले (i) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित दिनांक 26 मई, 2021 के एकल वित्तीय विवरण पर हमारे रिपोर्ट को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टिप्पणियों के आलोक में हमने एक नए बिंदु सं. (ग) को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण मामलों को संशोधित किया है। यह लेखा रिपोर्ट दिनांक 26 मई, 2021 के मूल लेखापरीक्षा रिपोर्ट के स्थान पर है। मूल रिपोर्ट की तिथि के बाद की हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया मात्र इस पैरा में उल्लिखित संशोधनों तक ही सीमित है। (ii) कोविड-19 महामारी और सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण, इस वर्ष के रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया कंपनी के क्षेत्रों/ कार्यालयों के स्थान पर प्रबंधन द्वारा डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराये गये आंकड़ों / विवरणों/ सूचनाओं/ रिकॉर्डों के आधार पर दूरस्थ स्थानों से की गई थी। (iii) हमने कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल उन 17 क्षेत्रों/इकाइयों के वित्तीय विवरण/सूचनाओं का अंकेक्षण नहीं किया है, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना यह दर्शाती है कि 31 मार्च, 2021 तक उनकी कुल परिसंपत्तियां ₹ 5,107.75 करोड़ रुपया है और इस तिथि तक समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 6,743.30 करोड़ रुपया, जैसा कि वित्तीय विवरणों में दिया गया है। इन क्षेत्रों/इकाइयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का अंकेक्षण क्षेत्र/इकाइयों के लेखा	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
परीक्षकों द्वारा कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है और इन क्षेत्रों/इकाइयों से संबंधित शामिल किए गए राशि एवं प्रकटीकरण के संबंध में हमारा मंतव्य भी पूरी तरह उक्त क्षेत्र / इकाई के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इस मामले में हमारे मंतव्य में कोई संशोधन नहीं किया गया है।	
अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट **1.** जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है, हमने परिशिष्ट -I में लेखा की सुझायी कार्यप्रणाली के अनुपालन के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेश एवं अतिरिक्त निर्देशों और इसके बाद हुई कार्रवाई तथा कंपनी के खाते एवं भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर एक विवरण दिया है। यह विवरण कंपनी के क्षेत्र / इकाई लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को उनके लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों में शामिल करके तैयार किया गया है। **2.** जैसा कि कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार की केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की आवश्यकतानुसार हमअनुलग्नक - II में लेखा के तहत वर्ष के लिए लागू सीमा के क्रम सं.3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है। **3.** अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि: **क.** हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों कोप्राप्त किया,जो हमारे लेखा के उद्देश्यों के लिए हमारी जानकारी और विश्वास के लिए श्रेष्ठ थे। **ख.** हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून के अनुसारउपयुक्त बही-खाता को अभी तक रखा गया है,क्योंकि यह हमारे द्वारा इन बही-खता की जांच से प्रतीत होता है तथा लेखा प्रयोजन के लिए पर्याप्त समुचित रिटर्न को हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए क्षेत्र/इकाइयों से प्राप्त किया है। **ग.** क्षेत्र / इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत अंकेक्षित कंपनी के क्षेत्र/ इकाइयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने इन पर सही तरीके से काम किया है। **घ.** बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा दिए गए नकदी प्रवाह के विवरण के प्रासंगिक बही खाते और हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए क्षेत्रों/इकाइयों से प्राप्त रिटर्न से तालमेल रखते हैं। **ङ.** हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (लेखा) अधिनियम 2014 के नियम- 7 के साथ पढ़ा जाए। **च.** 31 मार्च, 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2021 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं हुए हैं। **छ.** कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "परिशिष्ट -III" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है। **ज.** कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) अधिनियम, 2014, यथा संशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय हमारी जानकारी और ऑडिट के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरण:	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है - एकल वित्तीय विवरणों के अनुसार 38.4.(a) नोट का संदर्भ लें; ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी मूर्त त्रुटि नुकसानदेह थी – एकल वित्तीय विवरण के नोट 38.4.(e).ii का संदर्भ लें। iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाना आवश्यक थी।	

कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302081 ई

(सीए अरविन्द कुमार)
साझेदार,
सदस्यता सं. 402203
यूडीआईएन- 21402203AAAABQ6352

तारीख : 15.07.2021
स्थान : धनबाद

कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

समीरन दत्ता
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआइएन 08519303

तारीख : 15.07.2021
स्थान : धनबाद

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्टके लिए अनुलग्नक-I

वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा निर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत निदेश तथा अतिरिक्त दिशा-निर्देशों के विवरण पर लेखा रिपोर्ट की "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं" के पैरा 1में संदर्भित जैसा कि कंपनी के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दिया गया है।

परिशिष्ट-क : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश

विवरण	लेखा परीक्षक का प्रेक्षण	वित्तीय विवरणों पर की गई कार्रवाई एवं उसका प्रभाव
1) क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	हां, कंपनी ने अपने सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए, एक प्रचलित ईआरपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 'कोलनेट' को लागू किया है। सिस्टम विभाग द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह एप्लीकेशन व्यापार प्रक्रिया को सुचारु एवं कुशलता से चलाने के लिए कंपनी को आवश्यक आंकड़ों/ सूचनाओं को त्वरित गति से उपलब्ध कराता है। इस एप्लीकेशन की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित अनुप्रयोगों को प्रमुखता से शामिल किया गया हैं: वित्त, बिक्री और विपणन, पेरोल, सामग्री प्रबंधन, कार्मिक और अन्य। हालांकि कोलनेट को विभिन्न कार्यात्मक मॉड्यूलों को एकीकृत करने के लिए चालू किया गया है, हालांकि, पूर्ण एकीकरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और जैसा कि हमें सूचित किया गया है, न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ विभिन्न मॉड्यूलों में डाटा के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए यह एक सतत प्रक्रिया है। हालांकि, जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया है, मॉड्यूल के बीच लेखांकन लेनदेन के स्वचालित प्रवाह के लिए विभिन्न कार्यात्मक मॉड्यूल का कोई एकीकरण नही है, वित्तीय विवरणों में इस तरह के लेनदेन के वित्तीय प्रभावों को आवधिक अंतराल पर अलग-अलग दैनिक वाउचर के माध्यम से लिया जाता है। वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, अनिश्चित हैं। हालाँकि, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, संभावना है कि स्वचालन न होने के कारण उपर्युक्त कुछ लेन-देन का लेखांकन होने से छूट जाए।	वित्तीय वर्ष 2021 में कंपनी को ईआरपी के क्रियान्वयन को शुरू करने के लिए चिह्नित किया गया है और इस संबंध में प्रारंभिक कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। ईआरपी के अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूलों के पूर्ण समामेलन सहित लेखांकन लेनदेन की कुल प्रक्रिया आईटी प्रणाली के तहत होगी। हालांकि, मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, सभी लेनदेन को लेखांकित करने के लिए उचित ध्यान दिया गया है और इसलिए किसी वित्तीय प्रभाव का पता नहीं चला है।
2) क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता केकारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण या छूट के मामलों का पुनर्गठन / ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि का कोई पुनर्गठन है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।	वित्तीयवर्ष 2020-2021 के दौरान मौजूदा ऋण या छूट के मामले / ऋण को बट्टे-खाते में डालना/ऋण/ब्याज इत्यादि के पुनर्गठन के इन मामले नहीं देखे गए हैं।	वित्तीय विवरणों में प्रकट करने के अलावा कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
3) क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया है?विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से कोई धन प्राप्त / प्राप्य नहीं हुआ है। यद्यपि, सीआईएल के माध्यम से कोयला मंत्रालय से विशिष्ट योजनाओं के लिए पूर्व वर्षों में प्राप्त निधि को इसकी नियम और शर्तों के अनुसार समुचित तरीके से प्रयोग किया गया।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी **चार्टर्ड अकाउंटेंट** फर्म पंजीकरण सं. 302081 ई		**कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड**

कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण सं. 302081 ई

(सीए अरविन्द कुमार)

साझेदार,

सदस्यता सं. 402203

यूडीआईएन- 21402203AAAABQ6352

तारीख : 15.07.2021

स्थान : धनबाद

कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

समीरन दत्ता

निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

डीआइएन 08519303

तारीख : 15.07.2021

स्थान : धनबाद

अनुलग्नक-ख : कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (5) के तहत अतिरिक्त दिशा-निर्देश

विवरण	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	वित्तीय विवरणों पर की गई कार्रवाई एवं उसका प्रभाव
1) क्या समोच्च नक्शा की दृष्टि से कोयला स्टॉक की माप की गयी है? क्या फिजिकल स्टॉकमापी रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च नक्शा के साथ जुड़ी है? वर्ष के दौरान तैयार किया गया यदि कोई, नया हीप है तो क्या उसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्राप्त किया गया है?	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हीप के कोयला स्टॉक की माप समोच्च नक्शा के अनुसार किया जा रहा है। कोल स्टॉक डंप को कोलियरी द्वारा निर्धारित स्थलों पर बनाया जाता है, इसके लिए अग्रिम रूप से कोयले की डंपिंग से पहले समोच्च प्लान तैयार किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है। फिर भी कुछ मामलों में छोटे स्टॉक जिसकी रेखागणितीय आकृति जटिल है और वे समोच्च नक्शा/लेवल सेक्शन का प्रयोग करते हुए मापनके लिए उपयुक्त नहीं है, को परंपरागत तरीके से मापा जा रहा है, चाहे ऐसे स्टॉक का समोच्च नक्शा प्लान हो तोभी। स्टॉक मापन रिपोर्ट समोच्च प्लान के साथ होती है। वाशरी के लिए स्लरी रिजेक्ट्स और मिडलिंग का स्टॉक बीसीसीएल द्वारा अपने नियंत्रण में लेने से पहले से ही वाशरी के प्रारंभ होने के समय से ही तैयार किया जा रहा है। हीप, विशेष तौर पर रिजेक्ट, स्लरी, मिडलिंग आदि के, का आकार और आकृति बड़ी होती है। सभी आकार एवं आकृति के हीप का समोच्च नक्शानहीं है, उनको परंपरागत तरीके से मापा जा रहा है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान बनाए गए नए हीपों को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
2) क्या कंपनी ने क्षेत्र के विलय/विखंडित/पुनर्संरचना के वक्त संपत्ति एवं परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया? यदि हाँ तो क्या संबंधित अनुषंगी ने आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया है ?	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान, बीसीसीएल के किसी भी क्षेत्र का विलय/बिखंडन/पुनर्संरचना करने का कोई मामला नहीं है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
3) क्या सीआइएल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग एस्क्रो खाता बना कर रखा गया है। साथ ही खाता की निधि के उपयोग की भी जांच होती है।	हां, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक खदान बंदी योजना (माइन क्लोजर प्लान) के बदले खदानवार अलग-अलग एस्क्रो खाता बैंक ऑफ बड़ौदा तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में संचालित है। आईआईईएसटी, शिबपुर द्वारा तीसरे पक्ष के ऑडिट के बाद एस्क्रो खाते से ₹ 36.42 करोड़ की राशि की निकासी की गई है और उसे साल-दर-साल आधार पर प्रगतिशील खान बंदी के लिए किए गए व्यय से बनाए गए "प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर एक्सपेंसेस इन्कर्ड" (अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत स्थित) के साथ समायोजित किया गया है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
4) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध खनन हेतु लगाए गए दंड पर विधिवत तरीके से विचार किया गया और लेखा-जोखा दिया गया है।	डब्ल्यू.पी (सी) सं. 114/2014 सामान्य उपबंध बनाम भारतीय संघ एवं अन्य में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 02.08.2017 को दिए गए फैसले के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कंपनी की 47 परियोजनाओं/खदानों/कोलियरियों से संबंधित 17344.46 करोड़ रुपये की डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं। उपर्युक्त डिमांड नोटिस के क्रियान्वयन को एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 के खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 55 (5) के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर अगले आदेश तक रोका गया है। तदनुसार, उपर्युक्त राशि को नोट सं. 38.4.(a).ii. द्वारा उपयुक्त प्रकटीकरण के साथ आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302081 ई
(सीए अरविन्द कुमार)
साझेदार,
सदस्यता सं. 402203
यूडीआईएन- 21402203AAAABQ6352
तारीख : 15.07.2021
स्थान : धनबाद

कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
समीरन दत्ता
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआइएन 08519303

तारीख : 15.07.2021
स्थान : धनबाद

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सदस्यों को दी गई स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

[हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं" पैरा-2 में निर्दिष्ट है]

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
हमारी राय में ऐसी समुचित जांच-पड़ताल एवं हमारी अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान हमें दी गई सूचना/जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि : **(i) अचल परिसंपत्तियों के संबंध में:** **ख.** कंपनी अचल परिसंपत्तियों के गुणात्मक विवरणों एवं स्थिति को शामिल करते हुए संपूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले रिकार्डों को रख रही है। **ग.** हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। ऐसे सत्यापन में किसी प्रकार की वास्तविक विसंगतियां नहीं पायी गई हैं।	
घ. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। भूमि के अधिकार-पत्रों के बारे में जैसा कि हमें क्षेत्रीय लेखा परीक्षको द्वारा सूचना और स्पष्टीकरण दिये गये हैं, उनके अनुसार कुछ विलेखों को छोड़कर जो कि विभिन्न न्यायालयों में भूमि संबंधी मुकदमों के कारण लंबित हैं और जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि वे कंपनी के नाम पर हैं। कंपनी के नाम पर की भूमि के स्वामित्व विलेख की प्रतियां क्षेत्रों के पास हैं। पूर्व में अधिग्रहित अनुबंधित 814.378 हेक्ट. भूमि के स्वामित्व विलेख कंपनी के पक्ष में तैयार नहीं किये गए हैं, इसलिए वे कंपनी के कब्जे में नहीं है। राष्ट्रीयकरण के पूर्व/बाद में विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि का अधिकार-पत्र (टाइटल डीड) सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा क्षेत्रों में उपलब्ध अधिकार पत्र का परिसंपत्ति रजिस्टर से मिलान करना बाकी है। इसके अलावा बस्ताकोला क्षेत्र में सभी 89 विलेख की प्रमाणित प्रतियां झारखंड सरकार के संबंधित विभाग से प्राप्त की गई। सत्यापन के लिए हमारे समक्ष मात्र 60 अधिकार-पत्र प्रस्तुत किया गया है और शेष 29 अधिकार-पत्र को ट्रांसलेटर से प्राप्त करना बाकी है।	पंजीकरण अधिनियम, 1908 तथा संपत्ति अधिनियम, 1880 के हस्तांतरण के प्रावधानों के तहत प्रत्यक्ष क्रय के माध्यम से बीसीसीएल द्वारा नये सिरे से अधिग्रहित/खरीदी गई भूमि कंपनी के नाम पर रखी गई है। कंपनी के पक्ष में 814.378 हेक्टेयर जमीन का पंजीकरण कराने के लिए बीसीसीएल कार्रवाई कर रही है। इसी बीच, सीवी क्षेत्र में 1.98 हेक्टेयर अनुबंधित भूमि को पंजीकृत किया गया है। हालांकि खनन एवं इससे संबद्ध गतिविधियों के लिए ये सभी जमीन कंपनी के भौतिक कब्जे में है।
(ii) जैसा कि हमें बताया गया कि कोयले, धुले हुए कोयले, वाशरी उत्पादों तथा भंडार एवं पूर्जों के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर किया गया है। प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार की वस्तुपरक विसंगतियां नहीं पायी गई है।	क्षेत्र से उपलब्ध अधिकार पत्र का समाधान जल्द पूरा हो जाएगा और अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसका अनुपालन किए जाने की संभावना है।
(iii) हमें दीगई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत तैयार की गई पंजी में दर्ज किसी कंपनी, फर्म, लिमिटेड देयता साझेदार अथवा पार्टियों को किसी प्रकार के सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण मंजूर नहीं किया है।	
(iv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों के अनुसार अन्य कारपोरेट निकाय अथवा व्यक्तियों द्वारा लिये गए ऋण के मामले में किसी ऋण की न तो मंजूरी दी है, अथवा न ही निवेश किया है अथवा न कोई गारंटी दी है अथवा न कोई सुरक्षा प्रदान की है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(iv) लागू नहीं होता है।	
(v) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।	
(vi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (i) के तहत केंद्र सरकार ने कॉस्ट रिकार्ड के रख-रखाव का निर्धारण किया है। हमारी राय में कंपनी इसके अनुसार इस प्रकार के लेखा एवं रिकार्ड तैयार कर रही है तथा उसका रख-रखाव कर रही है।	
(vii) (क) कंपनी पी एफ, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, संपदा कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर, वस्तु एवं सेवाकर और अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद सांविधिक बकाया उचित प्राधिकारों के पास जमा करने में नियमित है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अपनी देय तिथि से 6 महीने से भी अधिक के लिए 31 मार्च, 2021 तक वैसा कोई वैधानिक बकाया नहीं था। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा कानून कंपनी पर लागू नहीं है।	

<table>
<tr><th>लेखा परीक्षक की रिपोर्ट</th><th>प्रबंधन का जवाब</th></tr>
<tr><td>
(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर का कोई वास्तविक बकाया नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण सक्षम प्राधिकारी के पास जमा नहीं किया गया है। फिर भी, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, विक्रयकर, उत्पाद शुल्क, सेवाकर एवं मूल्य वर्धित कर केजिन बकाये को कंपनी द्वारा विवाद के मद में जमा नहीं किया गया है, उन्हें परिशिष्ट- IIक में दिया गया है।

(viii) वर्ष के दौरान कंपनी के पास डिबंचर धारकों से बकाया या किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार से ऋण या उधार नहीं है।

(ix) वर्ष के दौरान कंपनी ने आईपीओ अथवा एफपीओ (डेट इंस्ट्रूमेंट सहित) तथा सावधि ऋण के रूप में कोई राशि नहीं प्राप्त की है। इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3 (ix) लागू नहीं होता है।

(x) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं पायी गई। तथापि सतर्कता विभाग ने दिनांक 22-04-2021 के अपने पत्र के जरिए कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ किए गए धोखाधड़ी के निम्नलिखित मामलों की जानकारी हमें दी है जिनके विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:-

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>मामला (केस) सं./एफआइआर नं.</th><th>मामले का विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सीए/02/2020</td><td>इस मामले में यह आरोप है कि गोविंदपुर क्षेत्र के अंतर्गत आकाश किनारी कांटा से महेशपुर पेट्रोल पंप तक एनएच-32 मार्ग की सफाई में कथित तौर पर अनियमितताएं की गयी हैं। जिसके अनुसार ''गोविंदपुर क्षेत्र के अंतर्गत आकाश किनारी कांटा से महेशपुर पेट्रोल पंप तक एनएच-32 मार्ग की सफाई'' कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार करने तथा निविदा आमंत्रित करने में घोर अनियमितताएं की गयी, जिस कारण बेकार का व्यय हुआ और इसके बाद पिछली तिथि से कार्यादेश को रद्द कर दिया गया। गोविंदपुर क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों से टुंडू साइडिंग तक कोयले का परिवहन ठेका एजेंसी द्वारा किया जाता है। निविदा आमंत्रण सूचना/निविदा दस्तावेज की खंड 41.13 के विशेष नियम व शर्तों के अनुसार सभी सड़कों की सफाई, जल निकासी, वृक्षारोपण इत्यादि सहित पूरे संयंत्र की सफाई करना ठेकेदार का काम है। उक्त प्रावधानों के अनुसार सभी सड़कों की सफाई ठेकेदार के कार्य क्षेत्र में आता है, तदनुसार परिवहन के लिए प्रयोग की जाने वाली सभी सड़कों की सफाई परिवहन एजेंसी द्वारा किया जाना था।

उक्त प्रावधानों के बावजूद गोविंदपुर क्षेत्र के अधिकारियों ने ''गोविंदपुर क्षेत्र के अंतर्गत आकाशकिनारी कांटा से महेशपुर पेट्रोल पंप तक एनएच-32 सड़क की सफाई'' का प्रस्ता भेजा, जिसमें यह कहा गया था कि स्वस्थ वातावरण बनाये रखने के लिए सड़क से कोयले की धूल तथा अन्य कार्बनयुक्त पदार्थों की सफाई करने की जरूरत है। ट्रांसपोर्टिंग रोड की सफाई का कार्य परिवहन-ठेकेदार को था, किंतु इसे मेसर्स महतो कंस्ट्रक्शन को टेंडर करके सौंप दिया गया है। मामले की पड़ताल करने पर यह पाया गया है कि कार्य की प्रकृति के अनुसार यह एक सिविल टाइप अनुबंध है और क्षेत्रीय स्तर पर सिविल विभाग पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है, बावजूद इसके यह संविदा क्षेत्रीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सीबी/06/2020</td><td>इस मामले में यह आरोप है कि कुसुंडा क्षेत्र के धनसार ओसीपी, में डीजल वितरण में कथित तौर पर अनियमितताएं की गई हैं। दस्तावेजों के</td></tr>
</table>
</td><td>कर्मचारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन द्वारा मामले की जांच की जा रही है।</td></tr>
</table>

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट				प्रबंधन का जवाब
		830 ली. का अंतर था। दैनिक स्टॉक रजिस्टर और आइओसीएल/बीपीसीएल के योगमापी (टोटलाइजर) रीडिंग में बहुत बड़ा अंतर था। बिना मांग पर्ची के ही मशीन/एचईएमएम के लिए एचएडडी तेल जारी किया गया था। मशीन/एचइएमएम में अलग-अलग भरी गई आइ-आइएसडी तेल की मात्रा को मांग पर्ची जारी करने के स्थान पर एक हस्तलिखित रिकार्ड (कच्चा पेपर) में दर्ज किया जा रहा था, जो कार्यालय आदेश सं. 318 दिनांकित 15 1805.2010, 238 दिनांकित 13.06.2011 तथा 300 दिनांकित 27.05.2013 का उल्लंघन है। आइ-आइएसडी तेल निर्गत करने के लिए एचएसडी वितरण इकाई/पंप को उपभोक्ता विभाग (डंपर सेक्शन) को सौंप दिया गया था और एचएसडी तेल निर्गत करने के लए डीप डिफरेंस रीडिंग (डंपर/स्कैनिया के फ्लीट को भरने से पहले अंडरग्राउंड डीप तथा डंपर/स्कैनिया भरने के बाद अंतिम अंडरग्राउंड डीप) का काम भी इसी विभाग द्वारा किया जाता था, जो स्टोर मैनुअल/कंपनी दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। दिनांक 03.05.2019 को आइओसीएल तथा बीपीसीएल डीडीयू दोनों के बुक स्टॉक बही में दर्ज रीडिंग और दोनों डीजल वितरण इकाई के टोटलाइजर रिकार्डिंग में अंतर था यानि डीडीयू टोटलाइजर रिकार्ड में हेराफेर की गई थी। दिनांक 02.05.2019 को डंपर/स्कैनिया टीपरों में एचएसडी तेल की बढ़ी हुई मात्रा के लिए मांग-पर्ची निर्गत किया जा रहा था, जो उस दिन के 3010 लीटर एचएसडी तेल की वास्तविक भरी हुई मात्रा से 830 ली. अधिक है।		
3.	सीबी/07/2020	इस मामले में यह आरोप है कि एकीकृत ब्लॉक-2 ओसीपी में डीजल वितरण के एचएसडी फ्यूल मैनेजमेंट में कथित तौर पर अनियमितताएं की गयी हैं। जिसके अनुसार दिनांक 15.05.2019 को 6.10 बजे टैंकर डब्ल्यूबी 39 बी 3900 से आइ-आईएसडी तेल का शोधन सफाई समिति सदस्य की गैर-हाजिरी में किया गया था। मानक प्रक्रिया से अलग अंडरग्राउंड टैंक में टैंकर डब्ल्यूबी 39 बी 3900 से 24 ली. आइ-आइएसडी तेल शोधन के दौरान विभागीय बोजर (यूपी 16 सीटी 4689) में एक साथ आइ-आइएसडी तेल भरा गया। अनौपचारिक रिकार्ड के अनुसार (कच्च पेपर) टैंक-1 तथा टैंग-2 के 14.05.2019 की क्लोजिंग डीप रीडिंग/ 15.05.2019 की ओपनिंग डीप रीडिंग क्रमश: 12.0 तथा 9.4 के रूप में दर्शाया गया है तथा आईओसीएल टैंग-1 की ओपनिंग डीप रीडिंग 12.0 से.मी. तथा टैंक-2 18.4 से.मी. था। अधिशेष 2428.29 लीटर (248 30.07 के बुक स्टॉक परिमाण तथा 27258.36 लीटर एचएसडी तेल के भौतिक स्टॉक के अंतर 2410 एचएसडी तेल शोधन के बाद) एचएसडी तेल अंडरग्राउंड आईओसीएल टैंक-1 और 2 में था जो कि धोर अनियमितता है। एचएसडी स्टॉक बही का गैर-रखरखाव अद्यतन अर्थात दिनांक 14.05.2019 के क्लोजिंग स्टॉक और दिनांक 15.05.2019 के ओपनिंग स्टॉक का गैर-रखरखाव रिकार्ड।		
4.	सीबी/08/2020	इस मामले में यह आरोप है कि होरलाडीह कोलियरी, पीबी क्षेत्र में कंपनी की जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा है। जनवरी, 2017 से मार्च, 2017 के दौरान होरलाडीह मौजा सं. 132, खाता सं.- 91 तथा बीसीसीएल के प्लॉट सं.- 225 पर इमामी बुल सीमेंट लिमिटेड द्वारा अवैध निर्माण किया गया है। कब्जा की गई भूमि 0.85 हेक्टेयर है। केस नं.-24/2018 के माध्यम से एस्टेट कोर्ट, पी बी क्षेत्र में बेदखली का मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा। बोर्रागढ़ ओपी में एफआईआर भी दर्ज किया गया था।		

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट			प्रबंधन का जवाब
		धनबाद से माइनिंग सरदार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप पत्र सं. 2384/03/06(A)/2017-D दिनांकित 17.08.2020 के माध्यम से 19.08.2020 को सीबीआई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें दो कर्मचारियों के विरूद्ध मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई थी।	
6.	सीबी/01/2021	इस मामले में यह आरोप है कि जाली दस्तावेज के आधार पर कर्मचारी के मूल वेतन में वृद्धि कर धोखाधड़ी की गई। जाली दस्तावेजों के आधार पर बीसीसीएल के कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी संबंधी धोखाघड़ी के मामलों की जांच बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा किया गया है।	

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि तात्कालिक मामले दो भागों में है:-

क) पहला भाग जनवरी, 2017 से अप्रैल, 2017 के दौरान मूल वेतन में वृद्धि के लिए ईडीपी विभाग, बीसीसीएल, कोयला भवन से एकत्र किए गए 19 अग्रेषण पत्रों की जांच सतर्कता से संबंधित है, जिसके साथ जाली पदोन्नति आदेश और 91 कर्मचारियों (06 डुप्लीकेट नाम हटाकर 85 कर्मचारियों के नाम तय किया गया) के नाम वाले इडीपी प्रारूप संलग्न है।

दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार प्रथम भाग में वसूली योग्य/वसूली गई राशि का विवरण निम्न है:-

कुल मामले	वैसे मामलो की संख्या जिसमें मूल वेतन में गलत तरीके से वृद्धि की गई थी	वसूली योग्य कुल राशि (में)
85	63	20,79,730.92

वसूल की गई कुल राशि (₹ में)	शेष राशि (₹ में)
20,79,730.92	शून्य

भाग (क) माले में आगे की जॉंच के आधार पर अधिकारियों के नाम और उनकी भागीदारी/भूमिका की पहचान की गई है जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है। कंपनी के प्रमाणित स्थायी आदेश के अनुसार बड़ा जुर्माना कार्रवाई के तहत 55 अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मामले का दूसरा भाग ऐसे सभी मामलों के लेखा जॉंच का परिणाम है जहॉं 01.01.2012 से 31.03.2018 के दौरान कर्मचारियों को एक से अधिक वेतन वृद्धि का भुगतान किया गया था। सतर्कता विभाग के परामर्श के अनुसार आंतरिक अंकेक्षण विभाग, बीसीसीएल द्वारा अंकेक्षण किया गया है। 31.05.2021 तक के मामले की वसूली योग्य/वसूली गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

कुल मामले	वसूली योग्य कुल राशि (₹ में)
986	9,56,62,871

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट			प्रबंधन का जवाब
		<table><tr><td>वसूली गई राशि (₹ में)</td><td>शेष राशि (₹ में)</td></tr><tr><td>8,86,64,318</td><td>69,98,553</td></tr></table> प्रथम भाग (9) कर्मचारियों के नाम वाले फर्जी दस्तावेजों का 19 सेट में उल्लिखित मामले की विजिलेंस जांच की गई है (06 डुप्लीकेट नाम हटाकर 85 कर्मचारियों के नाम तय किया गया), जिसे सतर्कता विभाग द्वारा ईडीपी विभाग से प्राप्त किया गया था तथा दूसरे भाग के 986 मामलों की गणना आंतरिक अंकेक्षण विभाग द्वारा की गई थी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। आगे किसी भी फर्जी/जाली दस्तावेजों के अभाव में सतर्कता जांच मामला भाग (ख) का काम पूरा नहीं किया जा सका, जैसा कि उपर्युक्त (क) के मामले में उपलब्ध है। लेखा वसूली की पहचान मामला (ख) में वहां की गई है जहां एक कैलेंडर वर्ष में कर्मचारियों को एक से अधिक वेतन वृद्धि का भुगतान किया गया था, परंतु स्थानीय प्रबंधन या संबंधित कर्मचारियों द्वारा इसके समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु इस मामले को सीबीआई, धनबाद को भी भेज दिया गया है।	
7.	सीबी/02/2021	इस मामले में यह आरोप है कि एबीओसीबी खदान ब्लॉक-2 में आवास आवंटन में कथित अनियमितता की गयी है। कुछ सेवारत कर्मचारियों को उनकी जानकारी के बगैर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का आवास आवंटन किया गया है तथा कथित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बकाया राशि भी निर्गत कर दिया गया। सेवारत कर्मचारियों को किसी भी हैंडओवर/टेकओवर दस्तावेजों के विषय में जानकारी नहीं था, उन्होंने संबंधित आवंटन आदेश के दस्तावेजों को हैंडओवर तथा टेकओवर करने से इंकार कर दिया है। इस प्रकार, उक्त आवासों का आवंटन तथा हैंडओवर/टेकओवर की प्रक्रिया को गलत तरीके से तैयार किया गया।	
(xi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के एक केंद्रीय लोक उपक्रम होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतः धारा 197 के प्रावधानों जिसे अधिनियम की अनुसूची v के साथ पढ़ा जाए, के द्वारा आज्ञापित वांछित अनुमोदन लागू नहीं है। (xii) हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तद्नुसार आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं है। (xiii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा रिकार्ड के अनुसार कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 177 तथा 188 के प्रावधानों के अनुरूप कोई संबंधित पार्टी लेन देन नहीं हुआ है। कंपनी द्वारा इसकी होल्डिंग कंपनी के साथ किए गए लेन देन को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के दायरे से छूट दी गई है। प्रबंधन के प्रकटीकरण के अनुसार यह लेन देन नियमित व्यवसाय में और सहयोगी आधार पर हुए थे । (xiv) हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों को अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण अथवा आंशिक रूप से विनिमेय डिबेंचर नहीं किया है। (xv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ गैर-नकद लेन देन की शुरुआत नहीं हुई है। तद्नुसार आदेश का पैरा 3 (xv) लागू नहीं है। (xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत कंपनी को पंजीकत करने की आवश्यकता नहीं है।			

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत कंपनी को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।	

कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302081 ई

(सीए अरविन्द कुमार)
साझेदार,
सदस्यता सं. 402203
यूडीआईएन- 21402203AAAABQ6352

तारीख : 15.07.2021
स्थान : धनबाद

कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

समीरन दत्ता
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआइएन 08519303

तारीख : 15.07.2021
स्थान : धनबाद

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अनुलग्नक - III

[हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं" के अनुच्छेद 3(छ) का अवलोकन करें]

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट

विवरण	प्रबंधन का उत्तर
1. हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ-साथ उस तिथि को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण किया है। **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व** 2. इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण हेतु जारी मार्गदर्शन में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण कसौटियों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं उसे बनाये रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुरूप ,इसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण करते हुए, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाने एवं उसकी रोकथाम करने हेतु लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता/परिशुद्धता एवं परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार समय पर विश्वस्त वित्तीय सूचनाओं को तैयार करना शामिल करते हुए इसके व्यवसाय को सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक चलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से परिचालित किए जा रहे थे। **लेखा परीक्षकों का दायित्व** 3. हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने का है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शक नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित होने योग्य हैं, के अनुरूप आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक अपना लेखा परीक्षा किया है, ये दोनों ही आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं और दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं। इन मानक एवं मार्ग-दर्शननोट की अपेक्षा के अनुसार हम नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और इस बारे में औचित्य पूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनाते हैं एवं लेखा परीक्षण करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गये हैं तथा उसे बनाये रखा गया है या नहीं, और यदि ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित किए गये हों। 4. हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, जोखिम निर्धारण जिसमें बड़ी कमजोरी विद्यमान हो तथा निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावकारिता की जांच एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण ही भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में बड़ी गलतियों जैसे बड़े जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल हैं। 5. हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए है, उसके बारे में हमें विश्वास है कि वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अंकेक्षण संबंधी राय देने के आधार के लिए पर्याप्त और उचित हैं।	

विवरण	प्रबंधन का उत्तर
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ: 6. वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयार से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु तैयारी की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल रहती है जो (1) अभिलेखों के रख रखाव से संबंधितहो, जिसमें समुचित विवरण हो और इनमें कंपनी परिसंपत्तियों के लेन देन तथा प्रबंध की वास्तविक और पूर्ण झलक मिल सके, (2) उचित	

विवरण	प्रबंधन का उत्तर
आश्वासन दें जिसमें कि सामान्य तौर से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण की तैयारी करने हेतु लेन-देन का रिकार्ड अनिवार्यतः तौर पर किया जाता है तथा कंपनी की प्राप्तियां एवं खर्चे कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के एवं अनुमोदन के अनुसार हैं तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहण का समय पर पता लगाना अथवा उसकी रोकथाम करना, कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रयोग एवं प्रबंध जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में उचित आश्वासन देना। **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं** 7. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं जिसमें सांठ-गांठ अथवा नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधन की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी वजह से वित्तीय गलतियां हो जाने जैसी घटना घट जाए और उसका पता नहीं भी लग सकता है। भावी अवधियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रदर्शन भी जोखिम वाले हो सकते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त होने अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट जैसे जोखिम हो सकते हैं। **अभिमत/राय** 8. हमारी राय में, हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस प्रकार की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जहां 31 मार्च, 2021 को प्रभावी तरीके से परिचालित हो रही थी जो इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक केआवश्यक अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग की कसौटियों पर आधारित हैं।	

कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302081 ई

(सीए अरविन्द कुमार)
साझेदार,
सदस्यता सं. 402203
यूडीआईएन- 21402203AAAABQ6352

तारीख : 15.07.2021
स्थान : धनबाद

कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

समीरन दत्ता
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआइएन 08519303

तारीख : 15.07.2021
स्थान : धनबाद

अनुलग्नक-IIA

31.03.2019 तक विवादित कानूनी बकायों की सूची

आयकर अधिनियम, 1961

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
1	ब्लॉक-II	Notice U/s 226 (3) of IT Act , दिनांक 02.11.2016	0.01	0.01	2007-08	सीआईटी (ए), धनबाद
2	कुसुंडा	TDS CPC	0.23	-	2007-20	टी आर ए सी ई एस (ट्रैसेस)
3	वाशरी डिवीजन	Letter no. 967 , दिनांक 17-03-2017	0.05	0.05	2017-18	एसीआईटी, धनबाद
4	वाशरी डिवीजन	23092020/00484/CD	0.03	-	2010-15	जेसीआईटी टीडीएस धनबाद
5	एम सी डब्ल्यू	TDS CPC	0.12	-	2007-21	टी आर ए सी ई एस (ट्रैसेस)
6	भूली टाउनशिप	TDS CPC	0.01	-	2007-12	टी आर ए सी ई एस (ट्रैसेस)
7	केंद्रीय लेखा	CIT(A), Dhanbad/10071/2017-18 , दिनांक 12.04.17	6.86	6.86	2006-07	आईटीएटी, रांची
8	केंद्रीय लेखा	CIT(A), Dhanbad/10072/2017-18 , दिनांक 12.04.17	32.97	32.97	2007-08	आईटीएटी, रांची
9	केंद्रीय लेखा	CIT(A), Dhanbad/10073/2017-18 , दिनांक 12.04.17	39.62	39.62	2008-09	आईटीएटी, रांची
10	केंद्रीय लेखा	CIT(A), Dhanbad/10074/2017-18 , दिनांक 12.04.17	41.36	41.36	2009-10	आईटीएटी, रांची
11	केंद्रीय लेखा	CIT(A), Dhanbad/10075/2017-18 , दिनांक 12.04.17	47.22	47.22	2010-11	आईटीएटी, रांची
12	केंद्रीय लेखा	CIT(A), Dhanbad/10076/2017-18 , दिनांक 12.04.17	24.83	24.83	2011-12	सीआईटी (ए), धनबाद
13	केंद्रीय लेखा	CIT(A), Dhanbad/10077/2017-18 , दिनांक 12.04.17	5.95	5.95	2012-13	सीआईटी (ए), धनबाद
14	केंद्रीय लेखा	CIT(A), Dhanbad/10078/2017-18 , दिनांक 12.04.17	43.63	43.63	2013-14	सीआईटी (ए), धनबाद
15	केंद्रीय लेखा	405113091040119	65.50	53.15	2015-16	सीआईटी (ए), धनबाद
16	केंद्रीय लेखा	ITA/Ran/2017 , दिनांक 20.11.2017	296.03	296.03	2011-12	आईटीएटी, रांची
17	केंद्रीय लेखा	ITA/Ran/2018 , दिनांक 09.05.2018	47.06	47.06	2013-14	आईटीएटी, रांची

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
18	केंद्रीय लेखा	ITBA/AST/S/156/2019-20/1022994521 (1) , दिनांक 24.12.2019	78.88	15.78	2016-17	सीआईटी (ए), धनबाद
19	केंद्रीय लेखा	631057681010618 , दिनांक 01.06.2018	8.46	1.69	2007-08	सीआईटी (ए), टीडीएस
20	केंद्रीय लेखा	631069631010618 , दिनांक 01.06.2018	7.02	1.40	2008-09	सीआईटी (ए), टीडीएस
21	केंद्रीय लेखा	631082721010618 , दिनांक 01.06.2018	5.33	1.07	2009-10	सीआईटी (ए), टीडीएस
22	बिक्री लेखा	454912971160318 , दिनांक 16.03.2018	6.31	1.89	2012-13	सीआईटी (ए), टीडीएस
23	बिक्री लेखा	455099701160318 , दिनांक 16.03.2018	11.85	3.55	2013-14	सीआईटी (ए), टीडीएस
24	बिक्री लेखा	455150331160318 , दिनांक 16.03.2018	10.26	3.08	2014-15	सीआईटी (ए), टीडीएस
25	बिक्री लेखा	455061401160318 , दिनांक 16.03.2018	6.18	1.85	2015-16	सीआईटी (ए), टीडीएस
26	बिक्री लेखा	455323201160318 , दिनांक 16.03.2018	4.90	1.47	2016-17	सीआईटी (ए), टीडीएस
27	बिक्री लेखा	455363681160318 , दिनांक 16.03.2018	0.27	0.08	2012-13	सीआईटी (ए), टीडीएस
28	बिक्री लेखा	455388711160318 , दिनांक 16.03.2018	2.73	0.82	2013-14	सीआईटी (ए), टीडीएस
29	बिक्री लेखा	455489361160318 , दिनांक 16.03.2018	1.19	0.36	2014-15	सीआईटी (ए), टीडीएस
30	बिक्री लेखा	388531321070218 , दिनांक 07.02.2018	3.81	3.81	2014-15	सीआईटी (ए), टीडीएस
31	बिक्री लेखा	388562631070218 , दिनांक 07.02.2018	7.46	7.46	2015-16	सीआईटी (ए), टीडीएस
32	बिक्री लेखा	388820841070218 , दिनांक 07.02.2018	9.61	9.61	2016-17	सीआईटी (ए), टीडीएस
		कुल	**815.73**	**692.67**		

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
झारखंड वैट अधिनियम, 2005						
1	बरोरा	KT-VAT-17/12-13	0.36	-	2006-07	डीसीसीटी कतरास
2	बरोरा	KT-VAT-06-10-11	2.15	-	2007-08	डीसीसीटी कतरास
3	बरोरा	KT-VAT-03/11-12	1.83	0.10	2008-09	डीसीसीटी कतरास
4	बरोरा	KT-VAT-03/13-14	4.69	0.45	2009-10	जेसीसीटी धनबाद
5	बरोरा	KT-VAT-14/14-15	4.39	0.88	2010-11	जेसीसीटी धनबाद
6	बरोरा	KT-VAT-30/16-17	0.40	0.18	2011-12	जेसीसीटी(ए) धनबाद
7	बरोरा	KT-VAT-13/15-16	0.55	-	2012-13	जेसीसीटी धनबाद
8	बरोरा	KT-VAT-01/2018-19	3.24	0.97	2010-11	जेसीसीटी(ए) धनबाद
9	बरोरा	KT-VAT-17/2018-19	0.46	0.14	2013-14	जेसीसीटी(ए) धनबाद
10	बरोरा	KT-VAT-28/2014-15	4.54	-	2011-12	डीसीसीटी कतरास
11	बरोरा	KT-VAT-16/2018-19	(0.11)	-	2014-15	जेसीसीटी(ए) धनबाद
12	बरोरा	KT-VAT-04/2019-20	(0.27)	-	2015-16	जेसीसीटी(ए) धनबाद
13	ब्लॉक-II	KT ST 13/2008-09 , दिनांक 05.12.2008	0.07	-	2003-04	संयुक्त आयुक्त (अपील)
14	ब्लॉक-II	KT ST 08/2009-10 , दिनांक 29.06.2009	1.52	-	2004-05	संयुक्त आयुक्त (अपील)
15	ब्लॉक-II	KT ST /2009-10 , दिनांक 09.06.2009	2.46	-	2005-06	संयुक्त आयुक्त (अपील)
16	ब्लॉक-II	KT VAT 12/2009-10 , दिनांक 22.07.2009	2.91	-	2006-07	संयुक्त आयुक्त (अपील)
17	ब्लॉक-II	KT VAT 07/10-11 , दिनांक 12.06.2010	1.73	-	2007-08	संयुक्त आयुक्त (अपील)
18	ब्लॉक-II	KT VAT 05/11-12 , दिनांक 21.07.2011	3.42	-	2008-09	संयुक्त आयुक्त (अपील)
19	ब्लॉक-II	KT VAT 04/13-14 , दिनांक 29.04.2013	4.77	0.50	2009-10	संयुक्त आयुक्त (अपील)
20	ब्लॉक-II	KT VAT 15/14-15 , दिनांक 10.03.2014	3.38	0.49	2010-11	संयुक्त आयुक्त (अपील)
21	ब्लॉक-II	KT VAT 29/14-15 , दिनांक 24.03.2015	16.88	0.30	2011-12	संयुक्त आयुक्त (अपील)
22	ब्लॉक-II	KT VAT 30/15-16 , दिनांक 03.03.2016	2.74	0.15	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील)
23	ब्लॉक-II	KT VAT 11/16-17 , दिनांक 23.12.2016	6.75	1.40	2013-14	संयुक्त आयुक्त (अपील)
24	ब्लॉक-II	Audit objection No 82/2015-16 , दिनांक 28.09.2016	0.33	0.06	2013-14	संयुक्त आयुक्त (अपील)
25	ब्लॉक-II	KT VAT 02/18-19 , दिनांक 14.02.2019	0.18	0.05	2010-11	संयुक्त आयुक्त (अपील)
26	ब्लॉक-II	KT VAT 15/18-19 , दिनांक 08.02.2019	1.41	0.42	2014-15	संयुक्त आयुक्त (अपील)
27	ब्लॉक-II	KT VAT 05/19-20 , दिनांक 26.03.2019	0.65	0.18	2015-16	संयुक्त आयुक्त (अपील)
28	गोबिंदपुर	3613 , दिनांक 05.03.2014	0.03	0.03	1999-00	संयुक्त आयुक्त (अपील)
29	गोबिंदपुर	3633 , दिनांक 05.03.2014	0.07	0.08	2000-01	संयुक्त आयुक्त (अपील)
30	गोबिंदपुर	3636 , दिनांक 05.03.2014	0.02	0.05	2001-02	संयुक्त आयुक्त (अपील)
31	गोबिंदपुर	3615 , दिनांक 05.03.2014	0.23	0.23	2003-04	संयुक्त आयुक्त (अपील)
32	गोबिंदपुर	5223 , दिनांक 27.03.2009	0.80	0.25	2004-05	संयुक्त आयुक्त (अपील)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
33	गोबिंदपुर	3620 , दिनांक 05.03.2014	0.08	0.08	2005-06	संयुक्त आयुक्त (अपील)
34	गोबिंदपुर	5556 , दिनांक 31.03.2009	1.38	0.08	2006-07	संयुक्त आयुक्त (अपील)
35	गोबिंदपुर	17622 , दिनांक 20.03.2010	1.13	-	2007-08	संयुक्त आयुक्त (अपील)
36	गोबिंदपुर	1319 , दिनांक 27.08.2012	3.23	0.54	2008-09	संयुक्त आयुक्त (अपील)
37	गोबिंदपुर	6071 , दिनांक 05.03.2013	1.88	0.35	2009-10	संयुक्त आयुक्त (अपील)
38	गोबिंदपुर	3135 , दिनांक 17.12.2013	0.56	0.11	2010-11	संयुक्त आयुक्त (अपील)
39	गोबिंदपुर	3105 दिनांक, 07.2.2015	1.81	0.10	2011-12	संयुक्त आयुक्त (अपील)
40	गोबिंदपुर		0.86	-	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील)
41	गोबिंदपुर	KT-VAT-18/2018-19	1.36	0.41	2013-14	संयुक्त आयुक्त (अपील)
42	गोबिंदपुर	KT-VAT-14/2018-19	0.40	0.12	2014-15	संयुक्त आयुक्त (अपील)
43	गोबिंदपुर	KT-VAT-06/2019-20	0.05	0.02	2015-16	संयुक्त आयुक्त (अपील)
44	कतरास	3329 , दिनांक 09.01.2014	2.44	0.25	2009-10	डीसीसीटी (कतरास)
45	कतरास	KT-VAT-7/15-16 , दिनांक 09.04.2016	1.48	0.35	2010-11	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
46	कतरास	KT-VAT-31/14-15 , दिनांक 24.03.2015	3.26	0.30	2011-12	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
47	कतरास	KT-VAT-37/15-16 , दिनांक 21.06.2016	3.73	0.25	2012-13	डीसीसीटी (कतरास)
48	कतरास	KT-VAT-20/16-17 , दिनांक 31.01.2017	10.98	2.15	2013-14	डीसीसीटी (कतरास)
49	कतरास	KT-VAT-03/2018-19 , दिनांक 15.02.2019	0.06	0.02	2008-09	डीसीसीटी (कतरास)
50	कतरास	KT-VAT-13/2018-19 , दिनांक 06.12.2018	0.97	-	2014-15	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
51	कतरास	12997 , दिनांक 29.03.2019	2.10	0.59	2015-16	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
52	कतरास	HSD used for non mining , दिनांक 31.03.2021	-	0.05	2017-2018	डीसीसीटी (कतरास)
53	कतरास	HSD used for non mining , दिनांक 31.03.2021	-	0.08	2018-2019	डीसीसीटी (कतरास)
54	कतरास	HSD used for non mining , दिनांक 31.03.2021	-	0.07	2019-2020	डीसीसीटी (कतरास)
55	कतरास	HSD used for non mining , दिनांक 31.03.2021	-	0.05	2020-2021	डीसीसीटी (कतरास)
56	सिजुआ	11/91-92	0.66	0.16	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
57	सिजुआ	12/92-93	1.43	0.13	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
58	सिजुआ	13/93-94	0.83	0.30	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
59	सिजुआ	14/98-99	0.08	-	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
60	सिजुआ	15/2002-03	0.50	0.02	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
61	सिजुआ	24/2003-04	0.08	0.12	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
62	सिजुआ	25/2004-05	0.05	0.05	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
63	सिजुआ	16/2005-06	0.41	0.05	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
64	सिजुआ	2006-07	2.37	3.03	2006-07	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
65	सिजुआ	2007-08	1.25	-	2007-08	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
66	सिजुआ	2008-09	3.68	-	2008-09	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
67	सिजुआ	2009-10	4.96	0.16	2009-10	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
68	सिजुआ	2010-11	5.08	0.60	2010-11	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
69	सिजुआ	VAT 34/2014-15	3.36	0.04	2011-12	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
70	सिजुआ	VAT 82/2015-16	5.49	1.10	2011-12	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
71	सिजुआ	2012-13/VAT	0.68	0.63	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
72	सिजुआ	2013-14/VAT	6.13	1.00	2013-14	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
73	सिजुआ	287/10-11/JVAT	1.59	0.48	2010-11	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
74	सिजुआ	3933/14-15/JVAT	3.21	0.96	2014-15	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
75	सिजुआ	12459/15-16/VAT	0.88	0.25	2015-16	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
76	सिजुआ	14846/16-17/VAT 23.03.2020	0.05	0.01	2016-17	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
77	कुसुंडा	DH-VAT-49/14-15 DH CST-30/14-15	9.28	1.09	2006-07	अपीलीय न्यायालय
78	कुसुंडा	DH-VAT-36/13-14 DH-CST-26/13-14	3.77	0.05	2007-08	अपीलीय न्यायालय
79	कुसुंडा	DH VAT-01/2014-15	2.50	-	2010-11	जेसीसीटी (अपील न्यायालय)
80	कुसुंडा	DH VAT 84/14-15	1.64	0.60	2011-12	जेसीसीटी (अपील न्यायालय)
81	कुसुंडा	DH VAT 59/2014-15	0.07	0.07	2008-09	जेसीसीटी (अपील न्यायालय)
82	कुसुंडा	DH VAT-96/2015-16	1.03	0.02	2012-13	डीसीसीटी (निचली अदालत)
83	कुसुंडा	APPEAL CASE NO.- DH VAT-63/2016-17	20.93	0.80	2013-14	डीसीसीटी (निचली अदालत)
84	कुसुंडा	SRA-II-29/13-14/PARA-28	0.02	0.50	2009-10	डीसीसीटी (निचली अदालत)
85	कुसुंडा	APPEAL CASE NO.- DH VAT-71/2016-17	27.63	4.86	2009-10	डीसीसीटी (निचली अदालत)
86	कुसुंडा	AUDIT OBJ. FOR F.Y. 2011-12 SRA-II-11/15-16 PARA 2	0.96	0.14	2011-12	डीसीसीटी (निचली अदालत)
87	कुसुंडा	DH VAT-24/2017-18	0.19	0.62	2014-15	डीसीसीटी (निचली अदालत)
88	पुटकी बलिहारी	DH/VAT-46/2016-17 , दिनांक 03.01.2017	7.28	0.85	2010-11	सीसीटी, रांची
89	पुटकी बलिहारी	7043 , दिनांक 02.03.2015	5.72	1.43	2011-12	सीसीटी, रांची
90	पुटकी बलिहारी	7042 , दिनांक 02.03.2015	0.49	0.12	2011-12	सीसीटी, रांची
91	पुटकी बलिहारी	01/2012-13 , दिनांक 23.08.2016	17.72	0.04	2012-13	सीसीटी, रांची
92	पुटकी बलिहारी	44 , दिनांक 26.06.2019	0.20	0.06	2015-16	डीसीसीटी, धनबाद सर्कल
93	बस्ताकोला	1444 , दिनांक 12/12/2011-755/2012	1.25	-	2004-05	सीसीटी, रांची
94	बस्ताकोला	1446 , दिनांक 12/12/2011 -752/2012	1.55	-	2005-06	सीसीटी, रांची

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
95	बस्ताकोला	1448 , दिनांक 12/12/2011-750/2012	2.87	2.87	2006-07	सीसीटी, रांची
96	बस्ताकोला	1949 , दिनांक 28/01/2010	0.34	0.34	1985-86	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
97	बस्ताकोला	1847 , दिनांक 22/1/10	0.12	-	1986-87	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
98	बस्ताकोला	03 11-12	2.06	0.10	2008-09	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
99	बस्ताकोला	JHVAT/02/2007-08	3.37	0.02	2007-08	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
100	बस्ताकोला	5517 , दिनांक 10.11.16	0.08	-	2009-10	जेसीसीटी (अपील) धनबाद
101	बस्ताकोला	VAT 8/16-17	4.61	1.06	2010-11	जेसीसीटी (अपील) धनबाद
102	बस्ताकोला	JH VAT 13	5.17	0.88	2011-12	जेसीसीटी (अपील) धनबाद
103	बस्ताकोला	JH VAT 07	1.71	0.30	2012-13	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
104	बस्ताकोला	JH VAT-19/16-17	0.34	0.03	2008-09	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
105	बस्ताकोला	44/13-14	1.51	-	2009-10	आयुक्त (प्रशासन), रांची
106	बस्ताकोला	2015-16	0.61	-	2015-16	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
107	बस्ताकोला	JH VAT 07	-	0.20	2013-14	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
108	बस्ताकोला	5555 , दिनांक 16.11.16	-	0.30	2014-15	जेसीसीटी (अपील) धनबाद
109	लोदना	4192 , दिनांक 27.03.2008	5.39	-	2003-2004	डी सी सी टी, धनबाद
110	लोदना	3208 , दिनांक 20.01.2009	0.13	-	2004-2005	डी सी सी टी, धनबाद
111	लोदना	3764 , दिनांक 31.03.2009	0.26	-	2005-2006	डी सी सी टी, धनबाद
112	लोदना	6609 , दिनांक 11.03.2020	0.18	0.05	2008-2009	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
113	लोदना	4137 , दिनांक 26.11.2019	1.60	1.34	2009-2010	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
114	लोदना	6609 , दिनांक 11.03.2020	2.48	0.93	2010-2011	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
115	लोदना	6609 , दिनांक 11.03.2020	10.96	3.79	2011-2012	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
116	लोदना	5898 , दिनांक 15.09.2015	5.84	1.00	2012-2013	डी सी सी टी, धनबाद
117	लोदना	5241 , दिनांक 24.10.2016	8.18	0.80	2013-2014	डी सी सी टी, धनबाद
118	लोदना	5560 , दिनांक 16.11.2016	18.27	0.30	2014-2015	डी सी सी टी, धनबाद
119	लोदना	7604 , दिनांक 03.01.2015	10.55	-	2013-2014	डी सी सी टी, धनबाद
120	लोदना	5056 , दिनांक 26.03.2019	0.34	0.10	2015-2016	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
121	लोदना	6682 , दिनांक 21.03.2020	0.01	-	2016-17	डी सी एस टी, धनबाद
122	पूर्वी झरिया क्षेत्र	JH/VAT-03/18-19	0.11	0.04	2010-11	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
123	पूर्वी झरिया क्षेत्र	4254 दिनांक, 01.02.2019	1.17	0.19	2011-12	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
124	पूर्वी झरिया क्षेत्र	3782 दिनांक, 26.08.2016	0.50	0.10	2011-12	न्यायाधिकरण, रांची
125	पूर्वी झरिया क्षेत्र	4255 दिनांक, 01.02.2019	29.81	1.80	2013-14	जेसीसीटी (अपील), धनबाद

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
126	पूर्वी झरिया क्षेत्र	4256 दिनांक, 01.02.2019	6.26	0.65	2014-15	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
127	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	JVAT/2010-11	0.03	0.00	2010-11	डी सी सी टी, धनबाद
128	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	JVAT/2011-12	0.03	0.01	2011-12	डी सी सी टी, धनबाद
129	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	JVAT/2014-15	0.41	0.04	2014-15	जेसीसीटी (अपील)
130	चाँच विक्टोरिया	Rejection of JVAT 404	0.19	0.05	2011-12	डी सी सी टी, धनबाद
131	चाँच विक्टोरिया	Audit Objection Interest on VAT	0.17	0.04	2011-12	न्यायाधिकरण, रांची
132	चाँच विक्टोरिया	Rejection of JVAT 404	1.78	0.44	2015-16	जेसीसीटी, (अपील)
133	चाँच विक्टोरिया	Rejection of JVAT 404	0.04	-	2010-11	डीसीएसटी, चिरकुंडा
134	चाँच विक्टोरिया	Rejection of JVAT 404	-	0.01	2014-15	जेसीसीटी, (अपील)
135	चाँच विक्टोरिया	6445 , दिनांक 13.03.2020	0.70	0.01	2016-17	जेसीसीटी, (अपील)
136	वाशरी डिवीजन	DU-ST-23/08-09	1.43	-	2003-04	जेसीसीटी, धनबाद
137	वाशरी डिवीजन	DU-ST-65/08-09	1.55	-	2004-05	जेसीसीटी, धनबाद
138	वाशरी डिवीजन	DU-ST-10/09-10	0.75	-	2005-06	जेसीसीटी, धनबाद
139	वाशरी डिवीजन	DU-VAT-24/09-10	1.04	-	2006-07	जेसीसीटी, धनबाद
140	वाशरी डिवीजन	CC(S)114/2019	0.17	0.03	2008-09	डी सी सी टी, धनबाद
141	वाशरी डिवीजन	DU-VAT-25/13-14	0.95	0.10	2009-10	जेसीसीटी, धनबाद
142	वाशरी डिवीजन	DN/27/2015	1.39	1.39	2010-11	सीसीटी/ न्यायाधिकरण
143	वाशरी डिवीजन	DH VAT-36/2016-17	0.53	0.11	2011-12	जेसीसीटी, धनबाद
144	वाशरी डिवीजन		2.37	0.40	2012-13	जेसीसीटी, धनबाद
145	वाशरी डिवीजन	KTST07/09-10	3.46	-	2004-05	जेसीसीटी, धनबाद
146	वाशरी डिवीजन	KTST06/09-10	3.18	-	2005-06	जेसीसीटी, धनबाद
147	वाशरी डिवीजन	KTVAT15/09-10	1.85	-	2006-07	जेसीसीटी, धनबाद
148	वाशरी डिवीजन	KTVAT04/10-11	1.63	-	2007-08	जेसीसीटी, धनबाद
149	वाशरी डिवीजन	KTVAT04/11-12	0.06	-	2008-09	जेसीसीटी, धनबाद

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
150	वाशरी डिवीजन	KTCST07/13-14	0.21	0.07	2009-10	जेसीसीटी, धनबाद
151	वाशरी डिवीजन	KTVAT-33/14-15	11.56	1.26	2011-12	जेसीसीटी, धनबाद
152	वाशरी डिवीजन	KTVAT-19/18-19	0.30	0.09	2013-14	जेसीसीटी, धनबाद
153	वाशरी डिवीजन	KT VAT 10/2018-19	0.06	0.02	2014-15	जेसीसीटी/डीसीसीटी
154	वाशरी डिवीजन	DHVAT-97/09-10	0.04	-	2006-07	जेसीसीटी, धनबाद
155	वाशरी डिवीजन	DHVAT-23/10-11	1.19	0.01	2007-08	जेसीसीटी, धनबाद
156	वाशरी डिवीजन		0.10	0.02	2008-09	जेसीसीटी, धनबाद
157	वाशरी डिवीजन	DH VAT -35/2016-17	0.12	0.00	2009-10	डी सी सी टी, धनबाद
158	वाशरी डिवीजन	DH VAT-65/2016-17	1.55	0.30	2010-11	जेसीसीटी, धनबाद
159	वाशरी डिवीजन	CC(S)34/2019	3.48	0.70	2012-13	डी सी सी टी, धनबाद
160	वाशरी डिवीजन	CC(S)36/2019	2.23	0.45	2012-13	एसीसीटी
161	वाशरी डिवीजन	CC(S)33/2019	0.00	0.00	2014-15	एसीसीटी
162	वाशरी डिवीजन	DU-ST-68/08-09	0.03	-	2004-05	जेसीसीटी, धनबाद
163	वाशरी डिवीजन	DU-ST-11/09-10	0.03	-	2005-06	जेसीसीटी, धनबाद
164	वाशरी डिवीजन	DU-VAT-22/09-10	0.00	-	2006-07	जेसीसीटी, धनबाद
165	वाशरी डिवीजन	CC(S)119/2019	0.10	0.02	2008-09	डी सी सी टी, धनबाद
166	वाशरी डिवीजन	DN/29/2015	1.31	1.31	2010-11	सीसीटी/ न्यायाधिकरण
167	वाशरी डिवीजन	DH VAT-35/2016-17	0.14	0.03	2011-12	जेसीसीटी, धनबाद
168	वाशरी डिवीजन	DH VAT-28/2016-17	0.42	0.08	2011-12	जेसीसीटी, धनबाद
169	वाशरी डिवीजन	DH VAT-27/2016-17	1.39	0.30	2011-12	जेसीसीटी, धनबाद
170	वाशरी डिवीजन		0.39	0.08	2012-13	जेसीसीटी, धनबाद
171	वाशरी डिवीजन	JH-VAT-6/10-11	0.03	-	2006-07	जेसीसीटी, धनबाद

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
172	वाशरी डिवीजन	JH-VAT-3/10-11	0.04	-	2007-08	जेसीसीटी, धनबाद
173	वाशरी डिवीजन		0.03	-	2008-09	जेसीसीटी, धनबाद
174	वाशरी डिवीजन	JH-VAT-02/13-14	1.36	0.30	2009-10	जेसीसीटी, धनबाद
175	वाशरी डिवीजन	JH VAT-06/2016-17	0.91	0.35	2010-11	जेसीसीटी, धनबाद
176	वाशरी डिवीजन	JH VAT-07/2016-17	2.93	0.65	2011-12	जेसीसीटी, धनबाद
177	वाशरी डिवीजन		0.42	0.02	2012-13	जेसीसीटी, धनबाद
178	वाशरी डिवीजन	JH VAT 02/2018-19	0.25	0.08	2014-15	जेसीसीटी/डीसीसीटी
179	वाशरी डिवीजन	DU/VAT-01/19-20 , दिनांक 20.03.2020	0.13	0.04	2015-16	डीसीसीटी दुग्धा
180	वाशरी डिवीजन	DH/VAT-46/19-20 , दिनांक 18.03.2020	0.21	0.06	2015-16	डीसीसीटी मुनीडीह
181	वाशरी डिवीजन	DU/VAT-03/2019-20 , दिनांक 14.06.2019	3.82	0.02	2011-12	डीसीसीटी पाथरडीह
182	वाशरी डिवीजन	102 , दिनांक 17.03.2020	1.36	0.21	2009-10	डीसीसीटी सुदामडीह
183	वाशरी डिवीजन	104 , दिनांक 17.03.2020	0.13	0.03	2010-11	डीसीसीटी सुदामडीह
184	वाशरी डिवीजन	106 (SD VAT-15/14-15) , दिनांक 17.03.2020	0.04	0.01	2011-12	डीसीसीटी सुदामडीह
185	वाशरी डिवीजन	JH/VAT-03/19-20 , दिनांक 26.03.2019	0.20	0.02	2015-16	डीसीसीटी सुदामडीह
186	वाशरी डिवीजन	DU VAT -11/2019-20 , दिनांक 06.02.2020	0.71	0.39	2013-14	डीसीसीटी दुग्धा
187	मधुबन कोल वाशरी	1362 दिनांक, 17.03.2005	0.51	-	2000-01	जेसीसीटी, धनबाद
188	मधुबन कोल वाशरी	4135 दिनांक, 20.02.2003	0.02	0.00	1999-00	जेसीसीटी, धनबाद
189	मधुबन कोल वाशरी	1191 दिनांक, 27.02.2006	0.30	0.06	2001-02	जेसीसीटी, धनबाद
190	मधुबन कोल वाशरी	6371दिनांक, 19.03.2007	0.03	-	2002-03	जेसीसीटी, धनबाद
191	मधुबन कोल वाशरी	6042 दिनांक, 20.03.2008	2.44	0.29	2003-04	जेसीसीटी, धनबाद
192	मधुबन कोल वाशरी	1190 दिनांक, 27.02.2006	0.01	-	2001-02	जेसीसीटी, धनबाद

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
193	मधुबन कोल वाशरी	6370 दिनांक, 19.03.2007	0.04	-	2002-03	जेसीसीटी, धनबाद
194	मधुबन कोल वाशरी	KT VAT-08/2010-11 , दिनांक 04.07.2010	0.43	0.05	2007-08	जेसीसीटी, धनबाद
195	मधुबन कोल वाशरी	KT VAT-12/2010-11 , दिनांक 04.07.2010	2.22	0.07	2007-08	जेसीसीटी, धनबाद
196	मधुबन कोल वाशरी	KT VAT-08/2011-12 , दिनांक 28.09.2012	0.70	0.03	2008-09	जेसीसीटी, धनबाद
197	मधुबन कोल वाशरी	6041 दिनांक, 20.03.2008	0.06	-	2003-04	जेसीसीटी, धनबाद
198	मधुबन कोल वाशरी	KT VAT-34/2015-16 , दिनांक 31.05.2016	3.29	0.50	2012-13	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
199	मधुबन कोल वाशरी	KT VAT-26/2016-17 , दिनांक 05.06.2017	2.09	0.41	2011-12	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
200	मधुबन कोल वाशरी	KT VAT-25/2015-16 , दिनांक 03.03.2016	11.06	0.37	2009-10	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
201	मधुबन कोल वाशरी	KT VAT-11/2018-19 , दिनांक 08.02.2019	0.08	0.02	2014-15	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
202	मधुबन कोल वाशरी	KT VAT-08/2019-20 , दिनांक 25.03.2019	0.04	0.01	2015-16	डीसीसीटी (अपील), धनबाद
203	मधुबन कोल वाशरी		0.53	0.15	2016-17	डीसीसीटी (अपील), धनबाद
		कुल	**464.93**	**61.89**		

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है

बीएसटी अधिनियम, 1959

1	बरोरा	KT-ST-21/08-09	0.02	-	2004-05	डीसीसीटी कतरास
2	कुसुंडा	966	0.00	0.00	1980-81	डीसीसीटी (निचली अदालत)
3	कुसुंडा	DH-ST-122/90-91 DH-CST-139/90-91	0.39	0.12	1987-88	अपीलीय न्यायालय
4	कुसुंडा	DH-ST-78/91-92 DH-CST-86/91-92	0.58	0.68	1988-89	अपीलीय न्यायालय

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
5	कुसुंडा	DH-ST-26/05-06 DH-CST-44/05-06	1.15	1.37	1989-90	निचली अदालत
6	कुसुंडा	DH-ST-87/96-97 DH-CST-52/96-97	0.60	0.14	1990-91	अपीलीय न्यायालय
7	कुसुंडा	DH-ST-88/96-97 DH-CST-53/96-97	0.11	0.14	1991-92	अपीलीय न्यायालय
8	कुसुंडा	DH-ST-110/00-01 DH-CST-69/00-01	0.78	0.01	1992-93	अपीलीय न्यायालय
9	कुसुंडा	DH-ST-92/97-98 DH-CST-87/97-98	1.45	-	1993-94	अपीलीय न्यायालय
10	कुसुंडा	DH-ST-87/98-99 DH-CST-79/98-99	0.07	0.04	1994-95	अपीलीय न्यायालय
11	कुसुंडा	DH-ST-118/00-01 DH-CST-78/00-01	0.10	0.13	1997-98	निचली अदालत
12	कुसुंडा	DH-VAT-12	0.17	0.01	1999-00	अपीलीय न्यायालय
13	कुसुंडा	DH-ST-05/03-04 DH-CST-4/03-04	0.02	-	2000-01	अपीलीय न्यायालय
14	कुसुंडा	DH-ST-36/05-06 DH-CST-58/05-06	2.21	2.21	2001-02	अपीलीय न्यायालय
15	कुसुंडा	DH-ST-30/08-09 DH-CST-38/08-09	0.26	-	2002-03	अपीलीय न्यायालय
16	कुसुंडा	DH-ST-35/13-14	0.00	0.06	2003-04	अपीलीय न्यायालय
		कुल	**7.91**	**4.92**		

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956

1	बरोरा	KT-CST-18/08-09	0.04	-	2002-03	डीसीसीटी कतरास
2	बरोरा	KT-CST-02/09-10	0.23	-	2005-06	डीसीसीटी कतरास
3	बरोरा	KT-CST-27/12-13	0.68	-	2006-07	डीसीसीटी कतरास
4	बरोरा	KT-CST-06-10-11	0.96	-	2007-08	डीसीसीटी कतरास

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
5	बरोरा	KT-CST-6234/11-12	0.46	0.10	2008-09	डीसीसीटी कतरास
6	बरोरा	KT-CST-10/2015-16	2.33	0.80	2009-10	जेसीसीटी धनबाद
7	बरोरा	KT-CST-04/14-15	8.02	1.60	2010-11	जेसीसीटी धनबाद
8	बरोरा	KT-CST-16/2014-15	24.68	1.74	2011-12	जेसीसीटी धनबाद
9	बरोरा	KT-CST-19/15-16	2.65	0.10	2012-13	जेसीसीटी धनबाद
10	बरोरा	KT-CST-11/2018-19	1.66	0.50	2013-14	जेसीसीटी(ए) धनबाद
11	बरोरा	KT-CST-10/2018-19	1.88	0.56	2014-15	जेसीसीटी(ए) धनबाद
12	बरोरा	KT-CST-04/2019-20	1.58	0.47	2015-16	जेसीसीटी(ए) धनबाद
13	बरोरा	Appeal is in process	1.00	0.28	2016-17	जेसीसीटी(ए) धनबाद
14	बरोरा	KT-CST-05/2020-21	0.16	0.03	2017-18	जेसीसीटी(ए) धनबाद
15	बरोरा	KT-CST-06/2020-21	0.06	0.01	2018-19	जेसीसीटी(ए) धनबाद
16	बरोरा	KT-CST-07/2020-21	0.22	0.04	2019-20	जेसीसीटी(ए) धनबाद
17	ब्लॉक-II	KT CST 24/2008-09 , दिनांक 05.12.2008	2.35	-	2003-04	संयुक्त आयुक्त (अपील)
18	ब्लॉक-II	KT CST 10/2009-10 , दिनांक 29.06.2009	6.22	-	2004-05	संयुक्त आयुक्त (अपील)
19	ब्लॉक-II	KT CST /2009-10 , दिनांक 09.06.2009	9.06	-	2005-06	संयुक्त आयुक्त (अपील)
20	ब्लॉक-II	KT CST 15/2009-10 , दिनांक 22.07.2009	11.96	-	2006-07	संयुक्त आयुक्त (अपील)
21	ब्लॉक-II	KT CST 07/10-11 , दिनांक 12.06.2010	5.30	-	2007-08	संयुक्त आयुक्त (अपील)
22	ब्लॉक-II	KT CST 02/11-12 , दिनांक 21.07.2011	5.00	-	2008-09	संयुक्त आयुक्त (अपील)
23	ब्लॉक-II	KT CST 03/13-14 , दिनांक 29.04.2013	5.50	0.45	2009-10	संयुक्त आयुक्त (अपील)
24	ब्लॉक-II	KT CST 14/14-15 , दिनांक10.03.2014	2.66	0.35	2010-11	संयुक्त आयुक्त (अपील)
25	ब्लॉक-II	KT CST 15/14-15 , दिनांक 24.03.2015	21.14	1.45	2011-12	संयुक्त आयुक्त (अपील)
26	ब्लॉक-II	KT CST 03/15-16 , दिनांक 28.09.2015	0.75	0.15	2013-14	संयुक्त आयुक्त (अपील)
27	ब्लॉक-II	KT CST 18/15-16 , दिनांक 03.03.2016	7.71	0.15	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील)
28	ब्लॉक-II	KT CST 06/16-17 , दिनांक 23.12.2016	2.90	0.60	2013-14	संयुक्त आयुक्त (अपील)
29	ब्लॉक-II	KT CST 09/18-19 , दिनांक 08.02.2019	0.01	0.00	2014-15	संयुक्त आयुक्त (अपील)
30	ब्लॉक-II	KT CST 05/19-20 , दिनांक 26.03.2019	0.03	0.01	2015-16	संयुक्त आयुक्त (अपील)
31	ब्लॉक-II	KT CST 02/2020-21	0.02	0.00	2017-18	संयुक्त आयुक्त (अपील)
32	ब्लॉक-II	KT CST 03/2020-21	0.09	0.02	2018-19	संयुक्त आयुक्त (अपील)
33	ब्लॉक-II	KT CST 04/2020-21	0.33	0.07	2019-20	संयुक्त आयुक्त (अपील)
34	गोबिंदपुर	3612 , दिनांक 05.03.2014	0.06	0.06	1999-00	संयुक्त आयुक्त (अपील)
35	गोबिंदपुर	3632 , दिनांक 05.03.2014	-	0.01	2000-01	संयुक्त आयुक्त (अपील)
36	गोबिंदपुर	3637 , दिनांक 05.03.2014	0.23	0.27	2001-02	संयुक्त आयुक्त (अपील)
37	गोबिंदपुर	3614 , दिनांक 05.03.2014	0.77	0.87	2003-04	संयुक्त आयुक्त (अपील)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
38	गोबिंदपुर	5222 , दिनांक 27.03.2009	2.28	0.03	2004-05	संयुक्त आयुक्त (अपील)
39	गोबिंदपुर	3621 , दिनांक 05.03.2014	0.11	0.11	2005-06	संयुक्त आयुक्त (अपील)
40	गोबिंदपुर	5557 , दिनांक 31.03.2009	7.96	0.40	2006-07	संयुक्त आयुक्त (अपील)
41	गोबिंदपुर	17623 , दिनांक 20.03.2010	1.27	-	2007-08	संयुक्त आयुक्त (अपील)
42	गोबिंदपुर	1320 , दिनांक 27.08.2012	0.29	0.06	2008-09	संयुक्त आयुक्त (अपील)
43	गोबिंदपुर	6072 , दिनांक 05.03.2013	1.99	0.40	2009-10	संयुक्त आयुक्त (अपील)
44	गोबिंदपुर	3136 , दिनांक 17.12.2013	1.03	0.25	2010-11	संयुक्त आयुक्त (अपील)
45	गोबिंदपुर	3106 दिनांक, 07.2.2015	4.79	0.30	2011-12	संयुक्त आयुक्त (अपील)
46	गोबिंदपुर	Bank Attachment	1.38	0.11	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील)
47	गोबिंदपुर	KT-CST-02/2018-19	0.33	0.10	2008-09	संयुक्त आयुक्त (अपील)
48	गोबिंदपुर	KT-CST-12/2018-19	2.08	0.62	2013-14	संयुक्त आयुक्त (अपील)
49	गोबिंदपुर	KT-CST-08/2018-19	0.68	0.20	2014-15	संयुक्त आयुक्त (अपील)
50	गोबिंदपुर	KT-CST-06/2019-20	0.17	0.05	2015-16	संयुक्त आयुक्त (अपील)
51	गोबिंदपुर	CST/14845/23-03-20	0.50	0.14	2016-17	संयुक्त आयुक्त (अपील)
52	गोबिंदपुर	CST/7787/10-10-20	0.02	0.00	2018-19	संयुक्त आयुक्त (अपील)
53	गोबिंदपुर	CST/7788/10-10-20	0.08	0.02	2019-20	संयुक्त आयुक्त (अपील)
54	गोबिंदपुर	CST/7786/10-10-20	0.05	0.01	2017-18	संयुक्त आयुक्त (अपील)
55	कतरास	KT-CST-4/15-16 , दिनांक 09.04.2016	1.76	0.45	2010-11	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
56	कतरास	3330 , दिनांक 09.01.2014	0.38	0.25	2009-10	उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास
57	कतरास	KT-CST-13/2014-15 , दिनांक 24.03.2015	0.51	-	2011-12	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
58	कतरास	KT-CST-13/2015-16 , दिनांक 21.06.2016	1.03	1.68	2012-13	डीसीसीटी (कतरास)
59	कतरास	KT-CST-09/2016-17 , दिनांक 31.01.2017	2.81	1.30	2013-14	डीसीसीटी (कतरास)
60	कतरास	KT-CST-25/07-08 , दिनांक 14.06.2008	7.68	1.76	2001-02	डीसीसीटी (कतरास)
61	कतरास	KT-CST-22/07-08 , दिनांक 14.06.2008	8.59	1.97	2002-03	डीसीसीटी (कतरास)
62	कतरास	KT-CST-07/18-19 , दिनांक 06.12.2018	1.64	-	2014-2015	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
63	कतरास	12998 , दिनांक 29.03.2019	2.50	0.80	2015-2016	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
64	कतरास	KT/CST-09/2020-21	0.03	0.01	2017-2018	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
65	कतरास	KT/CST-10/2020-21	0.03	0.01	2018-2019	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
66	कतरास	KT/CST-11/2020-21	0.14	0.03	2019-2020	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
67	कतरास	KT/CST-18/2020-21	0.54	0.16	2016-2017	जेसीसीटी (अपील), धनबाद

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
68	सिजुआ	19/91-92	0.86	0.14	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
69	सिजुआ	20/92-93	0.20	0.14	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
70	सिजुआ	21/93-94	1.00	0.09	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
71	सिजुआ	22/98-99	0.01	0.02	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
72	सिजुआ	23/2002-03	0.31	0.02	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
73	सिजुआ	24/2003-04	2.96	0.12	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
74	सिजुआ	25/2004-05	1.95	0.05	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
75	सिजुआ	26/2005-06	13.85	0.05	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
76	सिजुआ	2006-07	3.99	2.75	2006-07	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
77	सिजुआ	2007-08	3.45	0.04	2007-08	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
78	सिजुआ	2008-09	6.41	-	2008-09	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
79	सिजुआ	2009-10	2.29	-	2009-10	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
80	सिजुआ	2010-11	3.47	0.60	2010-11	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
81	सिजुआ	CST 10/2014-15	6.70	0.04	2011-12	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
82	सिजुआ	39/2012-13/CST	2.18	0.50	2012-13	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
83	सिजुआ	17/2013-14/CST	0.80	0.16	2013-14	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
84	सिजुआ	3922/2014-15/CST	0.54	0.16	2014-15	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
85	सिजुआ	12460/15-16/CST	0.23	0.06	2015-16	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
86	सिजुआ	14847/16-17/CST 23.03.2020	1.09	0.31	2016-17	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
87	सिजुआ	7797/17-18/CST 10.10.2020	0.55	0.11	2017-18	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
88	सिजुआ	7796/18-19/CST 10.10.2020	0.03	0.01	2018-19	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
89	सिजुआ	7795/19-20/CST 23.03.2020	0.13	0.03	2019-20	संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद
90	कुसुंडा	D.NO. 963	0.01	0.01	1980-81	डीसीसीटी (निचली अदालत)
91	कुसुंडा	CC(S)-349/91-92	0.27	0.28	1979-80	अपीलीय न्यायालय
92	कुसुंडा	CC(S)-249/91-92	0.63	0.63	1983-84	अपीलीय न्यायालय
93	कुसुंडा	DH-ST-122/90-91 DH-CST-139/90-91	0.30	-	1987-88	अपीलीय न्यायालय
94	कुसुंडा	DH-ST-87/96-97 DH-CST-52/96-97	0.11	-	1990-91	अपीलीय न्यायालय

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
95	कुसुंडा	DH-ST-88/96-97 DH-CST-53/96-97	0.63	-	1991-92	अपीलीय न्यायालय
96	कुसुंडा	DH-ST-92/97-98 DH-CST-87/97-98	-	0.06	1993-94	अपीलीय न्यायालय
97	कुसुंडा	DH-ST-87/98-99 DH-CST-79/98-99	0.17	-	1994-95	अपीलीय न्यायालय
98	कुसुंडा	DH-ST-132/97-98 DH-CST-135/97-98	0.17	0.02	1995-96	अपीलीय न्यायालय
99	कुसुंडा	DH-ST-37/05-06 DH-CST-59/05-06	0.72	0.14	1996-97	अपीलीय न्यायालय
100	कुसुंडा	DH-ST-26/05-06 DH-CST-44/05-06	0.20	0.40	1998-99	अपीलीय न्यायालय
101	कुसुंडा	DH-ST-118/00-01 DH-CST-78/00-01	0.04	-	1997-98	अपीलीय न्यायालय दतोपरांत निचली अदालत
102	कुसुंडा	APPEAL FILED	0.11	-	1999-00	अपीलीय न्यायालय
103	कुसुंडा	DH-ST-05/03-04 DH-CST-4/03-04	0.08	-	2000-01	अपीलीय न्यायालय
104	कुसुंडा	DH-ST-36/05-06 DH-CST-58/05-06	1.88	1.88	2001-02	अपीलीय न्यायालय
105	कुसुंडा	DH-CST-25/13-14	0.19	0.44	2003-04	अपीलीय न्यायालय
106	कुसुंडा	DH-ST-138/09-10 DH CST -166/09-10	1.25	0.14	2004-05	अपीलीय न्यायालय दतोपरांत निचली अदालत
107	कुसुंडा	DH-ST-139/09-10 DH CST165/09-10	4.22	0.63	2005-06	अपीलीय न्यायालय दतोपरांत निचली अदालत
108	कुसुंडा	DH-VAT-49/14-15 DH CST-30/14-15	0.49	-	2006-07	अपीलीय न्यायालय
109	कुसुंडा	DH-VAT-36/13-14 DH-CST-26/13-14	0.05	-	2007-08	अपीलीय न्यायालय
110	कुसुंडा	14/13-14	0.72	0.72	2012-14	जेसीसीटी (अपील न्यायालय)
111	कुसुंडा	DH CST-02/14-15	5.58	1.12	2010-11	जेसीसीटी (अपील न्यायालय)
112	कुसुंडा	DH CST43/14-15	8.07	1.52	2011-12	जेसीसीटी (अपील न्यायालय)
113	कुसुंडा	DH CST 31/2014-15	0.05	0.03	2008-09	जेसीसीटी (अपील न्यायालय)
114	कुसुंडा	DH CST- 1 to 3/2015-16	2.50	0.15	2012-13	डीसीसीटी (निचली अदालत)
115	कुसुंडा	DH CST-45/2016-17	0.09	-	2013-14	डीसीसीटी (निचली अदालत)
116	कुसुंडा	D.NO. 7135	0.04	-	2014-15	डीसीसीटी (निचली अदालत)
117	कुसुंडा	8/14-15	3.79	0.30	2013-14 & 2014-15	डीसीसीटी (निचली अदालत)
118	कुसुंडा	8/14-15 U/S 10A	0.25	0.10	2013-14 & 2014-15	डीसीसीटी (निचली अदालत)
119	कुसुंडा	DH CST-77/2015-16	1.45	0.06	2012-13	डीसीसीटी (निचली अदालत)
120	कुसुंडा	APPEAL CASE NO.- DH CST-45/2016-17	9.18	0.65	2013-14	डीसीसीटी (निचली अदालत)
121	कुसुंडा	SRA-II-29/13-14 PARA 4 PERIOD 2009-10	0.59	-	2009-10	डीसीसीटी (निचली अदालत)
122	कुसुंडा	DH CST-25/12-13	-	0.70	2009-10	डीसीसीटी (निचली अदालत)
123	कुसुंडा	D.NO.8905	7.88	5.23	2014-15	डीसीसीटी (निचली अदालत)
124	कुसुंडा	8281 , दिनांक 15.02.2019	6.12	2.29	2015-16	जेसीसीटी (अपील न्यायालय)
125	कुसुंडा	3780 , दिनांक 14.10.2020	0.02	0.00	2017-18	जेसीसीटी (अपील न्यायालय)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
126	कुसुंडा	3781 , दिनांक 14.10.2020	0.06	0.01	2018-19	जेसीसीटी (अपील न्यायालय)
127	कुसुंडा	8782 , दिनांक 14.10.2020	0.28	0.06	2019-20	जेसीसीटी (अपील न्यायालय)
128	पुटकी बलिहारी	3122 , दिनांक 16.08.2017	0.10	0.10	2003-04	सीसीटी, रांची
129	पुटकी बलिहारी	3123 , दिनांक 16.08.2017	1.17	1.17	1992-93	सीसीटी, रांची
130	पुटकी बलिहारी	7068 , दिनांक 03.03.2015	0.01	-	2002-03	सीसीटी, रांची
131	पुटकी बलिहारी	7665 , दिनांक 03.03.2015	0.01	-	2008-09	सीसीटी, रांची
132	पुटकी बलिहारी	7665 , दिनांक 03.03.2015	0.04	-	2008-09	सीसीटी, रांची
133	पुटकी बलिहारी	6107 , दिनांक 29.10.2016	1.69	-	2010-11	सीसीटी, रांची
134	पुटकी बलिहारी	422 , दिनांक 16.03.2019	2.97	0.83	2014-15	जेसीसीटी, धनबाद
135	पुटकी बलिहारी	45 , दिनांक 26.06.2019	6.74	1.89	2015-16	जेसीसीटी, धनबाद
136	बस्ताकोला	754/2012	2.89	2.89	2004-05	सीसीटी, रांची
137	बस्ताकोला	1445 , दिनांक 12/12/2011 -751/2012	0.07	-	2004-05	सीसीटी, रांची
138	बस्ताकोला	751/2012	3.94	3.94	2005-06	सीसीटी, रांची
139	बस्ताकोला	1447 , दिनांक 12/12/2011-- 749/2012	0.06	-	2006-07	सीसीटी, रांची
140	बस्ताकोला	749/2012	7.53	7.53	2006-07	सीसीटी, रांची
141	बस्ताकोला	1449 , दिनांक 12/12/2011	0.01	-	2006-07	सीसीटी, रांची
142	बस्ताकोला	1950 , दिनांक 28/01/2010	0.24	0.24	1985-86	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
143	बस्ताकोला	201 , दिनांक 6/3/2010	0.60	0.27	1986-87	डीसीसीटी, झरिया सर्कल

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
144	बस्ताकोला	1848 , दिनांक 22/1/10	0.22	-	1987-88	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
145	बस्ताकोला	CST /11/12-13	0.05	-	2011-12	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
146	बस्ताकोला	02/11-12	0.32	0.05	2008-09	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
147	बस्ताकोला	JHCST/01/2007-18	1.93	0.01	2007-08	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
148	बस्ताकोला	5518 , दिनांक 10.11.16	0.82	-	2009-10	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
149	बस्ताकोला	CST 2/ 16-17	1.18	0.36	2010-11	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
150	बस्ताकोला	JH CST/17	10.16	2.68	2011-12	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
151	बस्ताकोला	5554 , दिनांक 16.11.16	20.48	2.80	2014-15	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
152	बस्ताकोला	7597 , दिनांक 4/3/17	0.16	-	2012-13	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
153	बस्ताकोला	2982 , दिनांक 02/03/14	0.24	0.02	2008-09	लेखापरीक्षा आपत्ति
154	बस्ताकोला	44/13-14	0.08	-	2009-10	लेखापरीक्षा आपत्ति
155	बस्ताकोला	JH CST/04	-	1.22	2012-13	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
156	लोदना	377 , दिनांक 10.08.2009	0.03	-	2000-2001	डी सी सी टी, धनबाद
157	लोदना	378 , दिनांक 10.08.2009	0.07	-	2001-2002	डी सी सी टी, धनबाद
158	लोदना	4206 , दिनांक 28.10.2005	0.05	-	2002-2003	डी सी सी टी, धनबाद
159	लोदना	4191 , दिनांक 27.03.2008	0.41	-	2003-2004	डी सी सी टी, धनबाद
160	लोदना	6609 , दिनांक 11.03.2020	1.36	0.73	2008-2009	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
161	लोदना	4138 , दिनांक 26.11.2019	2.75	0.77	2009-2010	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
162	लोदना	6609 , दिनांक 11.03.2020	2.55	1.09	2010-2011	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
163	लोदना	6609 , दिनांक 11.03.2020	5.86	1.48	2011-2012	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
164	लोदना	5899 , दिनांक 15.09.2015	8.49	0.57	2012-2013	डी सी सी टी, धनबाद
165	लोदना	7604 , दिनांक 31.01.2015	13.77	0.70	2013-2014	डी सी सी टी, धनबाद
166	लोदना	5242 , दिनांक 24.10.2016	11.25	1.60	2013-2014	डी सी सी टी, धनबाद
167	लोदना	5561 , दिनांक 16.11.2016	24.03	2.56	2014-2015	डी सी सी टी, धनबाद
168	लोदना	5057 , दिनांक 26.03.2019	5.86	1.02	2015-2016	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
169	पूर्वी झरिया क्षेत्र	2404/10.10.2019	0.29	-	2005-06	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
170	पूर्वी झरिया क्षेत्र	3877 दिनांक, 15.09.2014	3.74	3.74	2009-10	डीसीसीटी, झरिया सर्कल

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
171	पूर्वी झरिया क्षेत्र	JH/CST-03/18-19	5.46	2.10	2010-11	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
172	पूर्वी झरिया क्षेत्र	5116 दिनांक, 16.10.2016	0.29	0.06	2011-12	न्यायाधिकरण, रांची
173	पूर्वी झरिया क्षेत्र	4254 दिनांक, 01.02.2019	23.80	0.90	2011-12	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
174	पूर्वी झरिया क्षेत्र	4255 दिनांक, 01.02.2019	16.48	0.81	2013-14	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
175	पूर्वी झरिया क्षेत्र	4256 दिनांक, 01.02.2019	0.36	0.10	2014-15	न्यायाधिकरण, रांची
176	चाँच विक्टोरिया	4738 10-11	1.51	0.30	2010-11	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
177	चाँच विक्टोरिया	CK CST-12/2015-16	0.12	0.30	2012-13	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
178	चाँच विक्टोरिया	9470 CST 29/03/2018	1.81	0.55	2013-14	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
179	चाँच विक्टोरिया	CK CST-04/2018-19	2.86	1.88	2014-15	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
180	चाँच विक्टोरिया	Rejection of Form C	1.00	0.57	2011-12	डीसीएसटी, चिरकुंडा
181	चाँच विक्टोरिया	Audit objection Interest on CST	0.37		2011-12	न्यायाधिकरण, रांची
182	चाँच विक्टोरिया	Short of C Form	0.00	0.00	2015-16	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
183	चाँच विक्टोरिया		1.27	0.13	2010-11	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
184	चाँच विक्टोरिया	6446 , दिनांक 13.03.2020	0.03	0.00	2016-17	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
185	चाँच विक्टोरिया	RS/109/2012-13	15.73	-	2009-10	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
186	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	29/2013-14	0.34	0.18	Apr 12- Dec 13	जेसीसीटी, धनबाद
187	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	366/2015-16	1.01	0.05	2012-13	डीसीसीटी(अपील), धनबाद
188	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	7310/21.12.16	0.14	0.02	2011-12	डीसीसीटी(अपील), धनबाद
189	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	55/2016-17	0.60	0.02	2013-14	जेसीसीटी(अपील), धनबाद
190	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	6742/02.12.16	0.70	0.02	2014-15	जेसीसीटी(अपील), धनबाद
191	वाशरी डिवीजन	DU-CST-43/08-09	6.62	-	2003-04	जेसीसीटी, धनबाद
192	वाशरी डिवीजन	DU-CST-53/08-09	2.73	-	2004-05	जेसीसीटी, धनबाद
193	वाशरी डिवीजन	DU-CST-09/09-10	0.17	-	2005-06	जेसीसीटी, धनबाद
194	वाशरी डिवीजन	CC(S)116/2019	2.22	0.44	2008-09	डीसीसीटी
195	वाशरी डिवीजन	DU-CST-05/13-14	0.08	0.01	2009-10	जेसीसीटी, धनबाद
196	वाशरी डिवीजन	DN/28/2015	0.89	0.89	2010-11	सीसीटी/ न्यायाधिकरण

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
197	वाशरी डिवीजन	DH CST-12/2016-17	0.04	0.01	2011-12	जेसीसीटी, धनबाद
198	वाशरी डिवीजन	KTCST07/09-10	1.22	-	2004-05	जेसीसीटी, धनबाद
199	वाशरी डिवीजन	KTCST06/09-10	0.77	-	2005-06	जेसीसीटी, धनबाद
200	वाशरी डिवीजन	KTCST18/09-10	0.33	-	2006-07	जेसीसीटी, धनबाद
201	वाशरी डिवीजन	KTCST04/10-11	0.04	-	2007-08	जेसीसीटी, धनबाद
202	वाशरी डिवीजन	KTVAT08/13-14	0.12	0.03	2009-10	जेसीसीटी, धनबाद
203	वाशरी डिवीजन	KTCST-11/14-15	1.02	1.00	2011-12	जेसीसीटी, धनबाद
204	वाशरी डिवीजन	KTCST-13/18-19	0.34	0.10	2013-14	जेसीसीटी, धनबाद
205	वाशरी डिवीजन	KT CST 04/2018-19	0.06	0.02	2014-15	जेसीसीटी/डीसीसीटी
206	वाशरी डिवीजन	DH-CST-125/09-10	0.14	0.02	2005-06	जेसीसीटी, धनबाद
207	वाशरी डिवीजन	DHVAT-125/09-10	0.01	-	2006-07	जेसीसीटी, धनबाद
208	वाशरी डिवीजन	DHVAT-19/10-11	0.45	-	2007-08	जेसीसीटी, धनबाद
209	वाशरी डिवीजन		0.14	0.05	2008-09	जेसीसीटी, धनबाद
210	वाशरी डिवीजन	DH CST -25/2016-17	0.16	0.00	2009-10	डीसीसीटी
211	वाशरी डिवीजन	DH CST-47/2016-17	0.76	0.15	2010-11	जेसीसीटी, धनबाद
212	वाशरी डिवीजन	CC(S)35/2019	0.06	0.01	2012-13	डीसीसीटी
213	वाशरी डिवीजन	CC(S)22/2019	0.19	0.04	2012-13	एसीसीटी
214	वाशरी डिवीजन	CC(S)32/2019	1.79	0.36	2014-15	एसीसीटी
215	वाशरी डिवीजन	DU-CST-51/08-09	0.48	-	2004-05	जेसीसीटी, धनबाद
216	वाशरी डिवीजन	SU-CST-10/09-10	1.00	-	2005-06	जेसीसीटी, धनबाद
217	वाशरी डिवीजन	DU-CST-19/09-10	0.36	-	2006-07	जेसीसीटी, धनबाद
218	वाशरी डिवीजन	CC(S)118/2019	0.48	0.10	2007-08	डीसीसीटी
219	वाशरी डिवीजन	CC(S)117/2019	0.14	0.03	2008-09	डीसीसीटी
220	वाशरी डिवीजन	DN/30/2015	1.74	1.74	2010-11	सीसीटी/ न्यायाधिकरण
221	वाशरी डिवीजन		0.07	0.02	2012-13	जेसीसीटी, धनबाद
222	वाशरी डिवीजन	JH-CST-6/10-11	2.54	-	2006-07	जेसीसीटी, धनबाद

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
223	वाशरी डिवीजन	JH-CST-2/10-11	0.12	-	2007-08	जेसीसीटी, धनबाद
224	वाशरी डिवीजन		0.00	-	2008-09	जेसीसीटी, धनबाद
225	वाशरी डिवीजन	JH-CST-03/13-14	0.08	0.05	2009-10	जेसीसीटी, धनबाद
226	वाशरी डिवीजन	JH CST-08/2016-17	0.99	0.30	2013-14	जेसीसीटी, धनबाद
227	वाशरी डिवीजन	JH CST 02/2018-19	0.70	0.21	2014-15	जेसीसीटी/डीसीसीटी
228	वाशरी डिवीजन	DU/CST-02/19-20 , दिनांक 20.03.2020	0.23	0.04	2015-16	डीसीसीटी दुग्धा
229	वाशरी डिवीजन	BANK ATTACHED , दिनांक 30.04.2019	-	0.12	2012-13	डीसीसीटी मुनीडीह
230	वाशरी डिवीजन	DH/CST-51/19-20 , दिनांक 18.03.2020	0.23	0.06	2015-16	डीसीसीटी मुनीडीह
231	वाशरी डिवीजन	KT/CST-02/19-20 , दिनांक 11.03.2020	0.04	0.01	2015-16	डीसीसीटी महुदा
232	वाशरी डिवीजन	DU/CST-04/2019-20 , दिनांक 14.06.2019	0.30	0.02	2011-12	डीसीसीटी पाथरडीह
233	वाशरी डिवीजन	CC(S)115/2019 , दिनांक 06.02.2019	0.01	0.00	2008-09	डीसीसीटी दुग्धा
234	वाशरी डिवीजन	103 , दिनांक 17.03.2020	0.08	0.01	2009-10	डीसीसीटी सुदामडीह
235	वाशरी डिवीजन	105 , दिनांक 17.03.2020	1.94	0.40	2010-11	डीसीसीटी सुदामडीह
236	वाशरी डिवीजन	107 ((SD CST-20/14-15) , दिनांक 17.03.2020	1.98	0.35	2011-12	डीसीसीटी सुदामडीह
237	वाशरी डिवीजन	JH/CST-02/19-20 , दिनांक 26.03.2019	0.06	0.01	2015-16	डीसीसीटी सुदामडीह
238	वाशरी डिवीजन	DU CST -13/2019-20 , दिनांक 06.02.2020	0.06	0.02	2013-14	डीसीसीटी दुग्धा
239	वाशरी डिवीजन	DU/CST-04/19-20	1.04	1.04	2011-12	डीसीसीटी दुग्धा
240	वाशरी डिवीजन	1414	0.02	-	2017-18	डीसीसीटी सुदामडीह
241	वाशरी डिवीजन	1415	0.02	-	2018-19	डीसीसीटी सुदामडीह
242	वाशरी डिवीजन	1416	0.01	-	2019-20	डीसीसीटी सुदामडीह
243	मधुबन कोल वाशरी	KT CST-21/2015-16 , दिनांक 31.05.2016	0.55	0.20	2012-13	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
244	मधुबन कोल वाशरी	KT CST-13/2016-17 , दिनांक 05.06.2017	2.68	0.53	2012-13	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
245	मधुबन कोल वाशरी	KT CST-5/2018-19 , दिनांक 08.02.2019	0.66	0.20	2014-15	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
246	मधुबन कोल वाशरी	KT CST-8/2019-20 , दिनांक 25.03.2019	0.93	0.28	2015-16	डीसीसीटी (अपील), धनबाद
247	मधुबन कोल वाशरी		0.27	0.07	2016-17	डीसीसीटी (अपील), धनबाद
		कुल	**550.78**	**102.08**		

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
प.बं. पीई अधिनियम, 1973 और प.बं. आरईपी अधिनियम, 1976						
1	चाँच विक्टोरिया	4886 CT/APP , दिनांक 14.09.2018	0.49	-	1995-96	प. बंगाल न्यायाधिकरण
2	चाँच विक्टोरिया	4885 CT/APP , दिनांक 14.09.2018	2.06	-	1996-97	प. बंगाल न्यायाधिकरण
3	चाँच विक्टोरिया	1706 CT/2 , दिनांक 01.04.2019	0.25	-	1997-98	प. बंगाल न्यायाधिकरण
4	चाँच विक्टोरिया	1705 CT/2 , दिनांक 01.04.2019	0.09	-	1998-99	प. बंगाल न्यायाधिकरण
5	चाँच विक्टोरिया	2569 CT/APP , दिनांक 15.05.2019	0.37	-	1999-2000	प. बंगाल न्यायाधिकरण
6	चाँच विक्टोरिया	2663 CT/APP , दिनांक 15.05.2019	0.57	-	2000-01	प. बंगाल न्यायाधिकरण
7	चाँच विक्टोरिया	A-37 & 38/AS Cir/Spl/CCT	0.63	-	2001-02	प. बंगाल न्यायाधिकरण
8	चाँच विक्टोरिया	02/2005-06 , दिनांक 05.06.2006	0.59	-	2002-03	प. बंगाल न्यायाधिकरण
9	चाँच विक्टोरिया	03/2005-06 , दिनांक 05.06.2006	3.56	-	2003-04	विशेष आयुक्त पं. बंगाल वैट बेलगछिया
10	चाँच विक्टोरिया	01/2006-07	4.10	-	2004-05	विशेष आयुक्त पं. बंगाल वैट बेलगछिया
11	चाँच विक्टोरिया	02/2006-07	1.50	-	2005-06	विशेष आयुक्त पं. बंगाल वैट बेलगछिया
12	चाँच विक्टोरिया	14.07.2010	1.28		2006-07	विशेष आयुक्त पं. बंगाल वैट बेलगछिया
13	चाँच विक्टोरिया	19.05.2011	0.76		2007-08	विशेष आयुक्त पं. बंगाल वैट बेलगछिया
		कुल	**16.28**	-		

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957						
1	बरोरा	40/79-80	0.00	-	1979-80	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
2	बरोरा	18/90-91	0.02	-	1990-91	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
3	बरोरा	70/94-95	0.00	-	1994-95	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
4	बरोरा	59/94-95	0.29	-	1994-95	सर्वोच्च न्यायालय
5	बरोरा	5B/01-02	0.85	-	2001-02	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
6	बरोरा	09/12-13	0.09	-	2011-12	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
7	बरोरा	59/1994-95	0.29	-	2006-07	सर्वोच्च न्यायालय
8	बरोरा	WP@4561/2012	1.13	-	2012-13	झारखंड उच्च न्यायालय
9	बरोरा	08/14-15	0.03	-	2010-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
10	बरोरा	10/14-15	0.20	-	2010-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
11	ब्लॉक-II	CC-120/93-94	0.07	-	1991-92	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
12	ब्लॉक-II	CC-21/96-97	0.11	-	1994-95	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
13	ब्लॉक-II	CC-98/93-94	5.41	-	1991-92	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
14	ब्लॉक-II	398 , दिनांक 15.07.2014	1.20	-	2010-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
15	ब्लॉक-II	423 , दिनांक 05.08.2014	33.00	-	2010-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
16	ब्लॉक-II	425 , दिनांक 05.08.2014	6.88	-	2010-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
17	गोबिंदपुर	12/86-87[R]	0.01	-	1986-87	प्रमाणन कार्यालय, धनबाद
18	गोबिंदपुर	66/94-95	2.04	-	1994-95	प्रमाणन कार्यालय, धनबाद
19	गोबिंदपुर	13/00-01	0.03	-	2000-01	प्रमाणन कार्यालय, धनबाद
20	गोबिंदपुर	18/2014-15	1.13	-	2010-11	प्रमाणन कार्यालय, धनबाद
21	गोबिंदपुर	35/2014-15	0.57	-	2010-11	प्रमाणन कार्यालय, धनबाद
22	गोबिंदपुर	16/2014-15	4.55	-	2010-11	प्रमाणन कार्यालय, धनबाद
23	गोबिंदपुर	07/2014-15	3.15	-	2010-11	प्रमाणन कार्यालय, धनबाद
24	गोबिंदपुर	17/2014-15	4.47	-	2010-11	प्रमाणन कार्यालय, धनबाद
25	गोबिंदपुर	27/2014-15	44.80	-	2010-11	प्रमाणन कार्यालय, धनबाद
26	कतरास	4/00-01 , दिनांक 26.07.2000	0.04	0.01	2000-01	जेसीटी, धनबाद
27	कतरास	11/2003-04 , दिनांक 26.07.2003	0.00	-	2003-04	जेसीटी, धनबाद
28	कतरास	5/00-01 , दिनांक 26.07.2000	0.03	0.00	2000-01	जेसीटी, धनबाद
29	कतरास	12/2003-04 , दिनांक 26.07.2003	0.00	0.00	2003-04	जेसीटी, धनबाद
30	कतरास	30/14-15 , दिनांक 05.08.2014	4.42	-	2014-15	जेसीटी, धनबाद
31	कतरास	40/14-15 , दिनांक 05.08.2014	1.48	-	2014-15	जेसीटी, धनबाद

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
32	सिजुआ	29/2014-15	1.34	-	2010-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
33	सिजुआ	39/2014-15	5.48	-	2010-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
34	सिजुआ	41/2014-15	1.38	-	2010-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
35	सिजुआ	25/2014-15	1.04	-	2010-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
36	सिजुआ	6/2014-15	0.53	-	2010-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
37	सिजुआ	86/88-89	0.13	-	1988-89	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
38	कुसुंडा	46	0.01	-	1979-80	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
39	कुसुंडा	53	0.02	-	1979-80	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
40	कुसुंडा	11	0.03	-	1985-86	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
41	कुसुंडा	121	0.04	-	1993-94	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
42	कुसुंडा	42	0.02	-	2014-15	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
43	कुसुंडा	20	4.50	-	2014-15	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
44	कुसुंडा	38	0.00	-	2014-15	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
45	कुसुंडा	2163 , दिनांक 14.02.2008	0.18	-	1988-89	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
46	कुसुंडा	6/ 2008-09	0.01	-	2008-09	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
47	पुटकी बलिहारी	151/93-94	2.24	-	1993-94	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
48	पुटकी बलिहारी	53/94-95	0.25	-	1994-95	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
49	पुटकी बलिहारी	29/95-96	3.93	-	1995-96	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
50	पुटकी बलिहारी	4/95-96	0.18	-	1995-96	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
51	पुटकी बलिहारी	14/96-97	0.00	-	1996-97	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
52	पुटकी बलिहारी	37/99-00	0.45	-	1999-00	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
53	पुटकी बलिहारी	8/00-01	0.78	-	2000-01	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
54	पुटकी बलिहारी	WP(C) 5949/07	4.90	-	2007-08	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
55	बस्ताकोला	1/95-96	4.09	-	1995-96	सर्वोच्च न्यायालय
56	बस्ताकोला	2/95-96	0.13	-	1995-96	सर्वोच्च न्यायालय
57	बस्ताकोला	3/95-96 / LPA 77/2005	0.37	-	1995-96	झारखंड उच्च न्यायालय
58	बस्ताकोला	16/90-91	0.00	-	1990-91	झारखंड उच्च न्यायालय
59	बस्ताकोला	36/91-92	0.01	-	1991-92	झारखंड उच्च न्यायालय
60	बस्ताकोला	5/95-96	0.47	-	1995-96	झारखंड उच्च न्यायालय
61	बस्ताकोला	11/00-01	0.03	-	2000-01	झारखंड उच्च न्यायालय
62	बस्ताकोला	40/79-80	0.02	-	1979-80	झारखंड उच्च न्यायालय
63	बस्ताकोला	48/79-80	0.00	-	1979-80	सर्वोच्च न्यायालय
64	बस्ताकोला	68/80-81	0.05	-	1980-81	सर्वोच्च न्यायालय

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
65	बस्ताकोला	09/2014-15	3.09	-	2010-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
66	बस्ताकोला	11/2014-15	29.74	-	2010-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
67	बस्ताकोला	13/2014-15	0.14	-	2010-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
68	बस्ताकोला	14/2014-15	12.87	-	2010-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
69	बस्ताकोला	15/2014-15	0.76	-	2010-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
70	बस्ताकोला	11/2016-17	3.61	-	2013-14	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
71	बस्ताकोला	12/2016-17	2.18	-	2013-14	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
72	बस्ताकोला	41/79-80	0.17	0.02	1979-80	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
73	बस्ताकोला	4291/2010	4.47	-	2005-06	कोयला मंत्रालय
74	लोदना	01/2012-13 , दिनांक 09.01.2013	4.58	-	Apr 07 to Dec 07	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
75	लोदना	02/2012-13 , दिनांक 09.01.2013	3.63	-	Dec 07 to Mar 08	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
76	लोदना	03/2012-13 , दिनांक 09.01.2013	0.35	-	Dec 07 to Mar 08	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
77	लोदना	19/2014-15 , दिनांक 05.08.2014	0.29	-	Mar-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
78	लोदना	32/2014-15 , दिनांक 05.08.2014	0.00	-	Mar-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
79	लोदना	33/2014-15 , दिनांक 05.08.2014	0.37	-	Mar-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
80	लोदना	34/2014-15 , दिनांक 05.08.2014	18.99	-	Mar-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
81	लोदना	35/2014-15 , दिनांक 05.08.2014	1.08	-	Mar-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
82	लोदना	36/2014-15 , दिनांक 05.08.2014	1.24	-	Mar-11	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
83	लोदना	36/1994-95 , दिनांक 05.05.1994	0.01	-	1994-95	सर्वोच्च न्यायालय
84	लोदना	41/1994-95 , दिनांक 01.08.1994	0.81	-	1994-95	सर्वोच्च न्यायालय
85	लोदना	11/1998-99 , दिनांक 02.02.1999	0.07	-	1998-99	प्रमाणन अधिकारी. धनबाद
86	पूर्वी झरिया	68/80-81	0.05	-	1977	प्रमाणन अधिकारी (खनन), धनबाद
87	पूर्वी झरिया	05/2014-15	0.06	-	2006-07 to 2010-11	प्रमाणन अधिकारी (खनन), धनबाद
88	चाँच विक्टोरिया	85/94-95	0.19	-	1994-95	प्रमाणन अधिकारी (खनन), धनबाद
89	चाँच विक्टोरिया	119/93-94	0.03	-	1993-94	प्रमाणन अधिकारी (खनन), धनबाद
90	चाँच विक्टोरिया	audit para 1(C)	0.65	-	2013-14	प्रमाणन अधिकारी (खनन), धनबाद
91	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	9/1998-99, 23.12.1998	0.58	-	1992-93	प्रमाणन अधिकारी (खनन), धनबाद
92	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	45/1999-00, 17.01.2000	0.00	-	1997-98	प्रमाणन अधिकारी (खनन), धनबाद
93	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	WP/1685/2010-11, 25.03.2011	51.48	-	2010-11	झारखंड उच्च न्यायालय
94	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	WP/1666/2010-11, 25.03.2011	25.41	-	2010-11	झारखंड उच्च न्यायालय
		कुल	**315.85**	**0.04**		

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
ईडी अधिनियम,1948						
1	कतरास	KT-ED-24	0.00	-	1998-99	उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास
2	कतरास	KT-ED-25	0.03	-	1998-99	उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास
3	कतरास	KT-ED-26	0.02	-	1998-99	उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास
4	कतरास	KT-ED-27	0.04	-	1998-99	उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास
5	कतरास	KT-ED-1	0.01	-	2003-04	उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास
6	कतरास	KT-ED-1	0.01	-	2003-04	उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास
7	पुटकी बलिहारी	DH/ED-4 to 10 , दिनांक 08.07.2015	11.20	1.20	2004-05 to 2010-11	जेसीसीटी, धनबाद
8	बस्ताकोला	1509 , दिनांक 7/6/14	0.06		2002-03	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
9	बस्ताकोला	1510 , दिनांक 7/6/14	0.06		2003-04	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
10	बस्ताकोला	1511 , दिनांक 7/6/14	0.06		2004-05	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
11	बस्ताकोला	652 , दिनांक 8/8/20	0.06		2007-08	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
12	बस्ताकोला	653 , दिनांक 8/8/20	0.06		2008-09	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
13	बस्ताकोला	654 , दिनांक 8/8/20	0.06		2009-10	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
14	बस्ताकोला	655 , दिनांक 8/8/20	0.06		2010-11	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
15	बस्ताकोला	656 , दिनांक 8/8/20	0.13		2011-12	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
16	बस्ताकोला	657 , दिनांक 8/8/20	0.37		2012-13	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
17	बस्ताकोला	1591 , दिनांक 21/12/20	0.06		2015-16	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
18	बस्ताकोला	1592 , दिनांक 21/12/20	0.02		2014-15	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
19	बस्ताकोला	1593 , दिनांक 21/12/20	0.04		2013-14	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
20	बस्ताकोला	1594 , दिनांक 21/12/20	0.11		2015-16	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
21	बस्ताकोला	1595 , दिनांक 21/12/20	0.03		2014-15	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
22	बस्ताकोला	1567 , दिनांक 21/12/20	0.01		2013-14	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
23	बस्ताकोला	1568 , दिनांक 21/12/20	0.00		2014-15	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
24	बस्ताकोला	1569 , दिनांक 21/12/20	0.01		2015-16	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
25	बस्ताकोला	133 , दिनांक 24/6/20	0.04		2015-16	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
26	बस्ताकोला	5698 , दिनांक 23/11/16	0.11	0.01	2008-09	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
27	बस्ताकोला	5699 , दिनांक 23/11/16	0.10	0.01	2009-10	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
28	बस्ताकोला	7662 , दिनांक 08-03-17	0.13	0.01	2013-14	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
29	बस्ताकोला	7661 , दिनांक 08-03-17	0.12	0.01	2014-15	डीसीसीटी, झरिया सर्कल
30	लोदना	2475 & 01-11-2017	0.02	0.00	2006-07	जेसीसीटी धनबाद
31	लोदना	2476 & 01-11-2017	0.15	0.02	2006-07	जेसीसीटी धनबाद

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
32	लोदना	2474 & 01-11-2017	0.98	0.10	2006-07	जेसीसीटी धनबाद
33	लोदना	2473 & 01-11-2017	0.02	0.00	2007-08	जेसीसीटी धनबाद
34	लोदना	2481 & 02-11-2017	0.16	0.02	2007-08	जेसीसीटी धनबाद
35	लोदना	2792 & 06-12-2017	0.23	0.02	2007-08	जेसीसीटी धनबाद
36	लोदना	2480 & 02-11-2017	0.02	0.00	2008-09	जेसीसीटी धनबाद
37	लोदना	2485 & 02-11-2017	0.17	0.02	2008-09	जेसीसीटी धनबाद
38	लोदना	2793 & 06-12-2017	0.21	0.02	2008-09	जेसीसीटी धनबाद
39	लोदना	2486 & 02-11-2017	0.02	0.00	2009-10	जेसीसीटी धनबाद
40	लोदना	2495 & 03-11-2017	0.16	0.02	2009-10	जेसीसीटी धनबाद
41	लोदना	2497 & 03-11-2017	0.02	0.00	2010-11	जेसीसीटी धनबाद
42	लोदना	2496 & 03-11-2017	0.17	0.02	2010-11	जेसीसीटी धनबाद
43	लोदना	2433 & 31-10-2017	0.15	0.01	2011-12	जेसीसीटी धनबाद
44	लोदना	2325 & 12-10-2017	0.02	0.00	2012-13	जेसीसीटी धनबाद
45	लोदना	2324 & 12-10-2017	0.09	0.00	2013-14	जेसीसीटी धनबाद
48	वाशरी डिवीजन	विद्युत प्रभार	4.17	4.17	2007-12	उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास
49	वाशरी डिवीजन	15719/23.03.2019	0.38	-	2015-16	प्रमाणन टेनुघाट सर्कल, फुसरो
50	वाशरी डिवीजन	9862/17.11.2018	0.36	-	2014-15	प्रमाणन टेनुघाट सर्कल, फुसरो
51	वाशरी डिवीजन	10678/18.20.20	0.75	-	2014-15	लेखापरीक्षा आपत्ति
52	वाशरी डिवीजन	10679/18.20.20	0.63	-	2015-16	लेखापरीक्षा आपत्ति
53	चाँच विक्टोरिया	5776	0.03	-	2012-13	जेसीसीटी धनबाद
54	चाँच विक्टोरिया	5777	0.03	-	2013-14	जेसीसीटी धनबाद
55	चाँच विक्टोरिया	5778	0.07	-	2014-15	जेसीसीटी धनबाद
56	चाँच विक्टोरिया	5779	0.08	-	2015-16	जेसीसीटी धनबाद
57	चाँच विक्टोरिया	5780	0.08	-	2016-17	जेसीसीटी धनबाद
		कुल	**22.15**	**5.67**		

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है

एफ अधिनियम, 1994

1	कतरास	C.No. V (30) 65 / Roy / Prev / DHN (H) / 2016 / 477 , दिनांक 23.01.2017	0.02	-	Apr 16 to Oct 16	संयुक्त आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर, धनबाद
2	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	WP/209/2015	1.06	-	2014-Dec 2015	आयुक्त सेवाकर
3	भुगतान कार्यालय	BCCL/DNB/Adjn/2014-15/5635 , दिनांक 23.09.2016	3.70	0.08	July 15- March 17	सीईएसटीएटी, कोलकाता
4	भुगतान कार्यालय	BCCL/DNB(H)/2014/105&2015/5434	2.79	0.21	2012-15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
		कुल	**7.58**	**0.29**		

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944

1	बरोरा	OIO/16/AC/CGST & CX/DND/2020 , दिनांक 10.09.2020	0.28	0.01	2014-15	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद कर (अपील), रांची
2	ब्लॉक-II	57/2016/CX/BCCL NAWAGARH/ADC/DNB(H) , दिनांक 21.12.2016	1.48	0.11	Mar. 11 to Sept 15	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद कर (अपील), रांची
3	ब्लॉक-II	04/Asst Comm/CGST/North Div/17-18 , दिनांक 29.12.2017	0.01	0.00	Oct-15	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद कर (अपील), रांची
4	गोबिंदपुर	V(30)25/CX/BCCL/A-III/Adj/DNB(H)/2016/2114 , दिनांक 04.03.2016	0.56	0.04	Mar'11 to Oct'15	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद कर (अपील), रांची
5	गोबिंदपुर	V(30)78/CEX/BCCL/A-III/Adj/DNB(H)/2016/4026 , दिनांक 19.04.2018	5.93	0.45	Mar'11 to Oct'15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
6	गोबिंदपुर	V(30)72/DSCN (P)/BCCL/A-III/DNB-1/17-18 , दिनांक 31.05.2018	0.11	0.01	Nov'15 to Jun'16	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद कर (अपील), रांची
7	कतरास	V (30)39 / CX / BCCL कतरास / Adj / DNB(H) / 2016 , दिनांक 11.01.2017	1.68	0.11	Mar'11 to Oct'15	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर, रांची
8	सिजुआ	55/2016 , दिनांक 26.12.2016	0.99	0.06	Mar'11 to Oct'15	आयुक्त अपील, रांची
9	सिजुआ	XAP-113/RAN/18-19	0.18	0.02	2015-16	आयुक्त अपील, रांची

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
10	कुसुंडा	A.R.NO. 148/CEX/DNB/RAN/2011-12	0.00	-	2011-12	झारखंड उच्च न्यायालय
11	कुसुंडा	A.R.NO. 148/CEX/DNB/RAN/2011-12	0.00	-	2011-12	झारखंड उच्च न्यायालय
12	कुसुंडा	A.R.NO. 131/CEX/DNB/RAN/12-13	2.05	-	2012-13	झारखंड उच्च न्यायालय
13	कुसुंडा	A.R.NO. 93/CEX/DHN/RAN/13-14	0.00	-	2013-14	झारखंड उच्च न्यायालय
14	कुसुंडा	A.R.NO. 93/CEX/DHN/RAN/13-14	0.02	-	2013-14	झारखंड उच्च न्यायालय
15	कुसुंडा	07/CEX/COMMR/DNB/2017 दिनांक, 08.02.2017	4.99	0.25	Mar'11 to Oct'15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
16	कुसुंडा	69 CENTRAL EXCISE PR COMMR-2018 दिनांक, 27.03.2018	5.61	0.21	Mar'11 to Jul'15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
17	पुटकी बलिहारी	16/2016-17 , दिनांक 08.03.2017	0.00	0.00	Oct'15	आयुक्त अपील, रांची
18	पुटकी बलिहारी	38/2016-17 , दिनांक 28.09.2016	0.12	0.01	Mar'11 to Sep'15	आयुक्त अपील, रांची
19	पुटकी बलिहारी	66/2013-14 , दिनांक 04.02.2015	1.21	1.21	upto 2012-13	झारखंड उच्च न्यायालय
20	पुटकी बलिहारी	66/2013-14 , दिनांक 04.02.2015	0.01	0.01	2013-14	झारखंड उच्च न्यायालय
21	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	E/76564/2018-EX[DB] , दिनांक 15.05.2018	48.61	3.65	Mar 11 to Oct 15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
22	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	V (30) 76/DSCN/BCCL WJ Area/Baz Tax/2015-16 , दिनांक 22.12.2016	0.11	-	Mar 11 to Nov 15	आयुक्त अपील, रांची
23	वाशरी डिवीजन	16/AC/CEX/BOK-II/2016-17 , दिनांक 03-03-2017	0.45	0.03	Mar'11 to Oct'15	आयुक्त अपील, रांची
24	वाशरी डिवीजन	18/2016/CX/BCCL/SUDAMDIH/ADC/DNB(H) , दिनांक 28-09-2016	0.32	0.02	Mar'11 to Oct'15	आयुक्त अपील, रांची
25	वाशरी डिवीजन	37/2016/CX/BCCL/MAHUDA/ADC/DNB(H) , दिनांक 27.09.2016	0.29	0.02	Mar'11 to Oct'15	आयुक्त अपील, रांची
26	वाशरी डिवीजन	58/2016/CX/BCCL/MOONIDIH/ADC/DNB(H) , दिनांक 22-12-2016	0.55	0.04	Mar'11 to Oct'15	आयुक्त अपील, रांची
27	मधुबन कोल वाशरी	36/2016/CX/BCCL Madhuban/ADC/DNB (H) , दिनांक 20.12.2016	0.84	0.03	Mar'11 to Sep'15	आयुक्त अपील, रांची
28	मधुबन कोल वाशरी	WP(T) No 3650 of 2015	2.64	2.64	2014-15	झारखंड उच्च न्यायालय
29	मधुबन कोल वाशरी	36/2016/CX/BCCL Madhuban/ADC/DNB (H) , दिनांक 20.12.2016	0.01	-	Oct'15	आयुक्त अपील, रांची
30	बिक्री लेखा	E/77270/2018-EX[DB] , दिनांक 26.06.2018	26.26	2.19	2010-11 to 2014-15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
31	केंद्रीय लेखा	V (30)105/ SN / BCCL - III / DNB(H) / 18-19 , दिनांक 19.02.2020	0.31	0.02	Nov 16-June 17	सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद, रांची
32	केंद्रीय लेखा	FO/A/75803/2015 , दिनांक 17.12.2015	1.58	0.05	Mar 86- July 88	झारखंड उच्च न्यायालय
		कुल	**107.23**	**11.23**		

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है

एसजीएसटी अधिनियम, 2017

1	केंद्रीय लेखा	ZA200719000002E , दिनांक 01.07.2019	**0.04**	**0.00**	2017-18	जेसीसीटी (प्रशा.) धनबाद

डीएमओ धनबाद द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध सामान्य कारणों से क्षतिपूर्ति

1	बरोरा	53 to 99 of 2018- PCA	3,275.44	-	2001-01 to 2012-13	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
2	ब्लॉक-II	53 to 99 of 2018- PCA	2,120.17	-	2000-01 to 2014-15	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
3	गोबिंदपुर	53 to 99 of 2018- PCA	337.04	-	2000-01 to 2013-14	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
4	कतरास	53 to 99 of 2018- PCA	2,113.35	-	2000-01 to 2016-17	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
5	सिजुआ	53 to 99 of 2018- PCA	1,445.76	-	2000-01 to 2015-16	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
6	कुसुंडा	53 to 99 of 2018- PCA	2,736.40	-	2000-01 to 2015-16	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
7	पुटकी बलिहारी	53 to 99 of 2018- PCA	454.33	-	2000-01 to 2016-17	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
8	बस्ताकोला	53 to 99 of 2018- PCA	2,157.00	-	2000-01 to 2016-17	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
9	लोदना	53 to 99 of 2018- PCA	928.00	-	2000-01 to 2016-17	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
10	पूर्वी झरिया	53 to 99 of 2018- PCA	190.26	-	2001-02 to 2016-17	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
11	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	53 to 99 of 2018- PCA	36.35	-	2001-01 to 2010-11	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
12	चाँच विक्टोरिया	53 to 99 of 2018- PCA	1,550.36	-	2000-01 to 2014-15	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
		कुल	**17,344.46**	**-**		

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	मांग राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे से रकम संबंधित है	जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है
होल्डिंग टैक्स						
1	केंद्रीय लेखा	WP(T)3583 /2015	252.23	-	2015-16	झारखंड उच्च न्यायालय
		कुल	**252.23**	**-**		
		सकल योग	**19,905.35**	**878.78**		

अनुलग्नक-VII

भारतसरकार
GOVERNMENT OF INDIA
भारतीयलेखापरीक्षाऔरलेखाविभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), कोलकाता
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
पुरानानिजाममहल, 234/4 आचार्यजगदीशचन्द्रबोसरोड, कोलकाता। - 700 020
OLD NIZAM PALACE, 234/4, A. J. C. BOSE ROAD, KOLKATA-700020

पत्र सं.: 372/CAR/CCL/A/c Audit/BCCL/2021-22/ दिनांक : 27.07.2021

सेवा में,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड,
कोयला भवन, कोयला नगर
धनबाद-826005

विषय: 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

मैं एतद् द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को अग्रसारित करती हूं।

इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय,

ह/-
(मौसमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक, अंकेक्षण (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 जुलाई, 2021

पराना निजाम महल,234/4 आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता। - 700 020,234/4, A. J. C.

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट ढांचे के अनुरूप वर्षांत 31 मार्च, 2020 हेतु भारत कोकिंग कोल लि. के वित्तीय विवरण के निर्माण का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है।
अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर, इस अधिनियम की धारा 143 के तहत अपनी राय व्यक्त करने के लिए जवाबदेह हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2021 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट जो कि 26 मई 2021की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट का स्थान लेती है, द्वारा व्यक्त किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, पूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए, मुझे अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रस्ताव देने या कुछ जोड़ने (पूरक) के लिए कोई अन्य टिप्पणी नहीं करनी है।

कृते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह0/-
(मौसमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक, अंकेक्षण (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 जुलाई, 2021

अनुलग्नक-VIII

सचिवीय लेखा प्रतिवेदन

फार्म सं.- एमआर-3

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204 (1) और कंपनी नियम, 2014 के नियम सं. 9 (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारितोषिक) के आलोक में]

सचिवीय लेखा प्रतिवेदन	प्रबंधन की टिप्पणी
सेवा में, **सदस्यगण** भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोयला भवन, कोयला नगर धनबाद, 826005 झारखंड (भारत) हमने **मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (सीआइएनः U10101JH1972GOI000918)** (जिसे आगे कंपनी कहा गया है) द्वारा प्रभावी सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर कारपोरेट कार्यप्रणाली के प्रति इसकी निष्ठा का सचिवीय लेखापरीक्षण किया। यह सचिवीय लेखापरीक्षण भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आइसीएसआइ) द्वारा निर्गत सीएसएएस-4 लेखा मानक के अनुसार इस प्रकार किया गया था कि इससे मुझे कारपोरेट आचार-व्यवहारों/सांविधिक अनुपालनों और इसपर हमारे विचार प्रकट करने के लिए एक यथोचित आधार मिला। सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के लेखा-बहियों, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल किए गए विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के अतिरिक्त इस कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर, मुझे उपलब्ध करायी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए, मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष, यहां नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है, जो कि इस तरह और इसके बाद यहां की गई रिपोर्टिंग के अधीन है: हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-बहियों, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल किए गए विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया है : i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके तहत बने नियम, ii. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इसके तहत बनाये गए नियमों (लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान कंपनी पर लागू नहीं) iii. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी (ओवरसीज) प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधार के विस्तार हेतु इसके तहत बनाये गये नियम एवं विनियम (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं) iv. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत नियत विनियम एवं दिशानिर्देश (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं) v. डिपॉजिटरी अधिनियम,1996 और इसके तहत बनाये गए विनियम तथा उप-नियम vi. ओएम. सं. 18(8)/2005-GM दिनांक 14 मई, 2010 के माध्यम से लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश; vii. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत सचिवीय मानक 1 एवं 2.	

सचिवीय लेखा प्रतिवेदन	प्रबंधन की टिप्पणी
viii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और संबंधित दस्तावेजों एवं रिकार्डों की जांच और एमडी/सीईओ, बीसीसीएल द्वारा पत्र संदर्भ संख्या दिनांक 25/03/2021 द्वारा दी की गई एक घोषणा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि कंपनी ने, कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया है:- 1. कोयला खान अधिनियम, 1952 2. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 3. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 तथा कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2004 4. कोयला खान नियम, 2017 5. वेतन भुगतान (खान) नियम, 1956 6. कोयला खान पेंशन योजना, 1998 7. कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974 8. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 9. खान क्रेच रूल्स, 1961 10. खान बचाव नियम, 1985 11. कोयला खान पिटहेड बाथ रूल्स, 1946 12. मातृत्व लाभ (खान एवं सर्कस) नियम, 1963 13. विस्फोटक नियम, 2008 14. खनिज रियायत नियम, 1960 15. कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 16. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 17. निर्विवाद वेतन भुगतान (खान) नियम, 1989 18. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956 19. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 20. जोखिम एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार गतिविधि) नियम, 2016 21. जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) नियम, 1974 तथा इसके तहत बनाए गए नियम 22. वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) नियम, 1981 23. सार्वजनिक दायित्व बीमा (पब्लिक लायब्लिटि इंश्योरेंस) अधिनियम, 1991 तथा इसके तहत बनाए गए नियम लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने आम तौर पर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के संबंध में, कंपनी के एक केंद्रीय पीएसयू होने के नाते, सरकारी कंपनियों के लिए लागू नियामक ढांचा लागू होता है जो कि निदेशकों की नियुक्ति, मूल्यांकन और उत्तराधिकार, डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुपालन पर सीपीएसई की तिमाही/वार्षिक ग्रेडिंग से संबंधित मामलों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। यह पाया गया है कि कंपनी द्वारा डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है और इसे वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। 2014 के डब्ल्यू पी (सिविल) 114 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ''कॉमन कॉज बनाम यूओआई'' के मामले को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई है और यह तथ्यात्मक कथन है, अत: टिप्पणी की जरूरत नहीं है। **हम आगे सूचित करते हैं कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है, सिवाय एक स्वतंत्र महिला निदेशक के जो कि 05.09.2020 को सेवानिवृत्त हुई हैं और इस संबंध में कोई और नियुक्ति नहीं की गई है। इसलिए, अधिनियम की धारा 149 के तहत कंपनी के पास पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक नहीं हैं। इसलिए लेखापरीक्षा समिति का गठन भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार नहीं है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान और कंपनी अधिनियम, 2013 के आवश्यक प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन हुआ था।	

सचिवीय लेखा प्रतिवेदन	प्रबंधन की टिप्पणी
सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, केवल एसी परिस्थिति को छोड़कर जहां बैठक अत्यावश्यक कार्यों के लिए एक संक्षिप्त सूचना पर आयोजित की गई हो, कार्यसूची को निर्धारित करने के लिए कम से कम सात दिन पहले पर्याप्त सूचना दी गयी थी, और बैठक से पहले तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए एजेंडा मदों के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बोर्ड की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए। **हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि** लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी एवं इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं परिचालनों के अनुपात में कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं व्यवस्थाएं मौजूद हैं। **हम आगे सूचित करते हैं कि** मेरे द्वारा प्राप्त किए गए और उन पर भरोसा किए गए स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन अभ्यावेदनों के अनुसार, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली ऐसी कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई थी।	
(जे. के. दास) **सीपी सं. 4250** **सदस्यता सं. FCS7268** **मैं. जे. के. दास एड एसोसिएट्स** **(कंपनी सचिव)** **यूडीएन: F007268C000607263** **सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या 2015/322** **स्थान: कोलकाता** **दिनांक: 9 जुलाई, 2021**	

सचिवीय लेखा प्रतिवेदन	प्रबंधन की टिप्पणी
प्रति, सदस्यगण **मै. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड** कोयला भवन कोयला नगर, धनबाद-826005 झारखंड, भारत श्रीमान, सम तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है। **प्रबंधन की जिम्मेदारी:** कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी इस प्रकार है: 1. सचिवीय रिकार्ड के रखरखाव की जिम्मेवारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्ड पर एक मत व्यक्त करना हमारी जिम्मेवारी है। 2. हमने लेखापरीक्षण पद्धति एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकार्ड के विषय-वस्तु के तथ्यों के विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त थें। जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि विषय-वस्तु का तथ्य सचिवीय रिकार्ड में प्रतिबिंबित हो। हम मानते हैं कि, हमने अपनी राय में प्रक्रियाओं और पद्धतियों के लिए एक उचित आधार प्रदान किया। 3. हमने बहियों एवं कागजातों के अलावा कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-बहियों की तथ्यता एवं उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है और न ही किसी बहियों, सूचनाओं या विवरणों की जांच की है। 4. हमने उपर्युक्त के अलावा किसी अन्य विशिष्ट कानूनों की जांच नहीं की है। 5. जहाँ भी आवश्यक पड़ी, हमने उक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशानिर्देशों और घटनाओं के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है। 6. कॉरपोरेट कानूनों तथा अन्य लागू नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी। 7. सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही उस क्षमता या प्रभावशीलता का, जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी मामलों का संचालन किया है। **(जे.के. दास)** **सीपी सं. 4250** **सदस्यता सं. FCS7268** **मैं. जे. के. दास एड एसोसिएट्स** **(कंपनी सचिव)** **यूडीएन: F007268C000607263** **सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या 2015/322** **स्थान: कोलकाता** **दिनांक: 9 जुलाई, 2021**	

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनीरत्न कंपनी)

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का नियम 33

31.03.2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन अनअंकेक्षित परिणाम का विवरण

(शेयरों और ईपीएस को छोड़कर ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही की समाप्ति पर			वर्ष की समाप्ति पर	
		31.03.2021 अनअंकेक्षित	31.12.2020 अनअंकेक्षित	31.03.2020 अनअंकेक्षित	31.03.2021 अंकेक्षित	31.03.2020 अंकेक्षित
1	**परिचालन से राजस्व:**					
	(क) बिक्री (वैधानिक शुल्क के बाद)	1,769.19	1,667.81	2,462.88	6,149.81	8,967.56
	(ख) अन्य परिचालन राजस्व (वैधानिक शुल्क के बाद)	128.16	120.87	121.25	417.48	458.45
	परिचालन से राजस्व (क + ख)	**1,897.35**	**1,788.68**	**2,584.13**	**6,567.29**	**9,426.01**
2	अन्य आय	73.43	38.81	376.37	190.79	766.75
3	**कुल आय (1 + 2)**	**1,970.78**	**1,827.49**	**2,960.50**	**6,758.08**	**10,192.76**
4	**व्यय:**					
	(क) खपत सामग्री की लागत	163.12	106.07	122.15	475.09	397.15
	(ख) तैयार माल, चालू कार्य एवं अंतिम रूप से तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन	(210.00)	(269.40)	(121.92)	(463.45)	79.48
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	1,494.18	1,387.50	1,574.31	5,565.72	5,761.35
	(घ) विद्युत व्यय	49.48	58.21	48.49	225.42	233.72
	(ङ) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय	1.33	1.69	4.79	6.12	6.01
	(च) मरम्मत	51.75	24.30	80.23	138.76	201.49
	(छ) संविदात्मक व्यय	424.20	446.91	394.64	1,476.37	1,211.50
	(ज) वित्त लागत	50.11	24.60	61.58	121.69	221.83
	(झ) मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि	67.19	52.49	38.14	213.86	197.53
	(ञ) प्रावधान	8.36	8.71	159.09	32.60	186.65
	(ट) बट्टे खाते	-	-	0.19	-	1.07
	(ठ) स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट	(60.67)	51.37	39.04	(193.17)	49.72
	(ड) अन्य व्यय	196.49	203.37	170.04	736.13	654.14
	कुल व्यय (क से ड)	**2,235.54**	**2,095.82**	**2,570.77**	**8,335.14**	**9,201.64**
5	कर से पहले लाभ (हानि) (3-4)	**(264.76)**	**(268.33)**	**389.73**	**(1,577.06)**	**991.12**
6	**कर व्यय**	(125.98)	142.03	100.46	(374.58)	72.44
7	**अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (5-6)**	**(138.78)**	**(410.36)**	**289.27**	**(1,202.48)**	**918.68**
8	**अन्य व्यापक आय**					
	(i) वे मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	34.15	(58.44)	(64.65)	(8.51)	(308.64)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे	8.60	(15.66)	(20.61)	(2.14)	(96.30)
	कुल अन्य व्यापक आय (i-ii)	**25.55**	**(42.78)**	**(44.04)**	**(6.37)**	**(212.34)**
9	**कुल व्यापक आय / (हानि) (7 + 8)**	**(113.23)**	**(453.14)**	**245.23**	**(1,208.85)**	**706.34**
10	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य ₹1000 / - प्रत्येक)	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00
11	प्रति शेयर आय (ईपीएस) (₹1000 / - प्रत्येक) (वार्षिक नहीं)					
	क) बेसिक	**(29.80)**	**(88.12)**	**110.01**	**(258.21)**	**364.18**
	ख) डाइल्यट	**(29.80)**	**(88.12)**	**110.01**	**(258.21)**	**364.18**

(शेयरों और ईपीएस को छोड़कर ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही की समाप्ति पर			वर्ष की समाप्ति पर	
		31.03.2021 अनअंकेक्षित	31.12.2020 अनअंकेक्षित	31.03.2020 अनअंकेक्षित	31.03.2021 अंकेक्षित	31.03.2020 अंकेक्षित
12	उत्पादन (कच्चा कोयला) (मि.ट. में)	7.15	7.42	9.09	24.66	27.74
13	ऑफटेक (कच्चा कोयला) (मि.ट. में)	6.37	6.36	7.98	23.13	28.76
14	ओबीआर (घन मीटर में)	27.16	28.56	26.61	103.78	82.65

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या – 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)
साझीदार
एम. संख्या - 402203

दिनांक: 26.05.2021
स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(पी. एम. प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन- 08073913

(समीरन दत्ता)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 08519303

(बी. के. बसाक)
महाप्रबंधक (वित्त/ प्रभारी)

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)
31.03.2021 को तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर	
		31.03.2021	31.03.2020
परिसंपत्तियां			
गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	1,884.86	1,420.33
(ख) पूंजीगत जारी कार्य	4	1,389.92	1,702.26
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	417.88	645.16
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	6	-	-
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) ऋण	8	-	0.07
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	528.13	471.86
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		971.44	573.35
(छ) अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां	10	926.12	751.66
कुल गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां (क)		**6,118.35**	**5,564.69**
वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) वस्तु-सूची (इन्वेंटरी)	12	1,187.88	700.77
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	-	4.00
(ii) व्यापार प्राप्तियां	13	3,004.80	2,414.72
(iii) नकदी और नकदी समतुल्य	14	48.67	34.30
(iv) अन्य बैंक जमा शेष	15	126.99	1,423.31
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	280.38	233.06
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		122.72	89.50
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	11	2,112.88	1,912.05
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां (ख)		**6,884.32**	**6,811.71**
कुल परिसंपत्तियां (क+ख)		**13,002.67**	**12,376.40**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	4,657.00	4,657.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	(1,568.19)	(359.34)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर	
		31.03.2021	31.03.2020
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए उत्तरदायी इक्विटी		3,088.81	4,297.66
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल इक्विटी (क)		**3,088.81**	**4,297.66**
देयताएं			
गैर-मौजूदा देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारियां	18	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	90.25	88.45
(ख) प्रावधान	21	2,080.18	1,777.15
(ग) अन्य गैर-मौजूदा देयताएं	22	3.62	5.01
कुल गैर-मौजूदा देयताएं (ख)		**2,174.05**	**1,870.61**
वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारियां	18	2,052.08	583.07
(ii) व्यापार प्राप्तियां	19		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		8.23	2.35
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा		1,200.30	965.47
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,506.05	1,439.31
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	23	2,093.06	2,238.49
(ग) प्रावधान	21	880.09	979.44
(घ) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)		-	-
कुल वर्तमान देयताएं (ग)		**7,739.81**	**6,208.13**
कुल इक्विटी और देयताएं (क+ख+ग)		**13,002.67**	**12,376.40**

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या – 302081E

(पी. एम. प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन- 08073913

(समीरन दत्ता)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 08519303

(सीए अरविन्द कुमार)
साझीदार
एम. संख्या - 402203

(बी. के. बसाक)
महाप्रबंधक (वित्त/ प्रभारी)

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

दिनांक: 26.05.2021
स्थान: धनबाद

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर	
			31.03.2021	31.03.2020
	परिचालनों से प्राप्त आय			
क.	बिक्री (वैधानिक लेवी के बाद)	24	6,149.81	8,967.56
ख.	अन्य परिचालन राजस्व (वैधानिक लेवी के बाद)	24	417.48	458.45
(I)	**परिचालनों से प्राप्त आय (क+ख)**		6,567.29	9,426.01
(II)	अन्य आय	25	190.79	766.75
(III)	**कुल आय (I+II)**		**6,758.08**	**10,192.76**
(IV)	**खर्चे**			
	खपत सामग्री की लागत	26	475.09	397.15
	तैयार माल की सूची / जारी कार्य और बिक्री के लिए स्टॉक में परिवर्तन	27	(463.45)	79.48
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	5,565.72	5,761.35
	बिजली खर्च		225.42	233.72
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	29	6.12	6.01
	मरम्मत	30	138.76	201.49
	संविदात्मक व्यय	31	1,476.37	1,211.50
	वित्त लागत	32	121.69	221.83
	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि		213.86	197.53
	प्रावधान	33	32.60	186.65
	बट्टे खाते में	34	-	1.07
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		(193.17)	49.72
	अन्य खर्चे	35	736.13	654.14
	कुल खर्चे (IV)		**8,335.14**	**9,201.64**
(V)	**असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III-IV)**		(1,577.06)	991.12
(VI)	असाधारण मदें		-	-
(VII)	**कर से पहले लाभ (V-VI)**		(1,577.06)	991.12
(VIII)	**कर व्यय**	36		
	पूर्व वर्ष कर		21.37	0.35
	आस्थगित कर		(395.95)	72.09
	कुल कर व्यय (VIII)		(374.58)	72.44
(IX)	**जारी संचालन अवधि के लिए लाभ(VII-VIII)**		**(1,202.48)**	**918.68**
(X)	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
(XI)	बंद परिचालनों का कर व्यय		-	-
(XII)	**बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (X-XI)**		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यमों के लाभ/ (हानि) में शेयर		-	-
(XIV)	**अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)**		(1,202.48)	918.68
	अन्य व्यापक आय	37		
	क (i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		(8.51)	(308.64)

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर	
			31.03.2021	31.03.2020
	(ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत न किए जाने वाले आइटमों से संबंधित आय कर		(2.14)	(96.30)
	ख (i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे		-	-
	(ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाने वाले आइटमों से संबंधित आय कर		-	-
(XV)	**कुल अन्य व्यापक आय**		(6.37)	(212.34)
(XVI)	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV) (इस अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल)**		(1,208.85)	706.34
	लाभ संबंधित:			
	कंपनी के मालिकों से		**(1,202.48)**	**918.68**
	अनियंत्रित ब्याज से			
			(1,202.48)	**918.68**
	अन्य व्यापक आय संबंधित:			
	कंपनी के मालिकों से		**(6.37)**	**(212.34)**
	अनियंत्रित ब्याज से		-	-
			(6.37)	**(212.34)**
	कुल व्यापक आय संबंधित:			
	कंपनी के मालिकों से		**(1,208.85)**	**706.34**
	अनियंत्रित ब्याज से		-	-
			(1,208.85)	**706.34**
(XVII)	**प्रति इक्विटी शेयर आय (सतत जारी परिचालन के लिए): (₹ में)**			
	(1) बेसिक		**(258.21)**	**364.18**
	(2) डाइल्यूटेड		**(258.21)**	**364.18**
(XVIII)	**प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद परिचालन के लिए): (₹ में)**			
	(1) बेसिक		-	-
	(2) डाइल्यूटेड		-	-
(XIX)	**प्रति इक्विटी शेयर आय (for सतत जारी और बंद परिचालन के लिए): (₹ में)**			
	(1) बेसिक		**(258.21)**	**364.18**
	(2) डाइल्यूटेड		**(258.21)**	**364.18**

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या – 30202081E

(सीए अरविन्द कुमार)

साझीदार

सदस्य. संख्या - 402203

दिनांक: 26.05.2021

स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(पी. एम. प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन- 08073913

(समीरन दत्ता)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 08519303

(बी. के. बसाक)
महाप्रबंधक (वित्त/ प्रभारी)

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनीरत्न कंपनी)

नकद और नकद समतुल्य के प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत)

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1. परिचालन से निधि :		
शुद्ध लाभ (+) / हानि (-) कर (टैक्स) से पहले:	(1,577.06)	991.12
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
(क) मूल्यह्रास, विविध व्यय, किए गए प्रावधान तथा बट्टे खाते में डाले गए और स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	41.74	10.18
(ख) पूंजीगत डब्ल्यूआइपी के लिए प्रावधान	3.44	2.95
(ग) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	1.92	(0.22)
(घ) ब्याज एवं लाभांश	95.72	85.20
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले परिचालन लाभ (+) / हानि:	**(1,434.24)**	**1,089.23**
(ड़) व्यापार प्राप्तियों में कमी(+) / वृद्धि (-)	(479.41)	(1,560.64)
(च) दीर्घावधि / अल्पावधि ऋण तथा अग्रिमों और वर्तमान एवं गैर- मौजूदा परिसंपत्तियों में कमी(+) / वृद्धि (-)	(579.03)	(352.12)
(छ) वस्तुसूचियों (इन्वेंटरी) में कमी (+) / वृद्धि (-)	(487.11)	73.32
(ज) व्यापार प्राप्तियां, अल्पावधि/ दीर्घावधि प्रावधानों तथा अन्य वर्तमान एवं दीर्घावधि देयताओं में कमी (-) / वृद्धि (+)	507.85	(139.10)
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	**(2,471.94)**	**(889.31)**
आयकर भुगतान / वापसी	-	(20.84)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(2,471.94)**	**(910.15)**
2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
(क) चल परिसंपत्तियों की खरीद/समायोजन	(435.01)	(494.40)
(ख) निवेश से आय	4.00	22.40
(ग) रिसंपत्तियों की बिक्री/ त्यागने के लिए समायोजन	205.68	80.70
(घ) सावधि जमाओं की आय/निवेश	1,297.35	597.02
(ङ) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि	(1.92)	0.22
(च) निवेश से ब्याज / लाभांश	25.97	136.63
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकदी:	**1,096.07**	**342.57**
3. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
(क) ऋण / सीआईएल के साथ चालू खाता शेष से आय	2,095.00	154.15
(ख) वित्त लागत पर ब्याज	(121.69)	(221.83)
वित्तीय गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकदी :	**1,973.31**	**(67.68)**

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
(I) नकदी एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (1+2 + 3)	**597.44**	**(635.26)**
(II) अवधि के आरम्भ में नकदी और नकदी समतुल्य:		
क. आरम्भिक नकद एवं नकद समतुल्य	(548.77)	86.49
(III) अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य:		
क. अंतिम नकद एवं नकदी समतुल्य	48.67	(548.77)
नकद और नकद समकक्षों का समाधान (टिप्पणी-14)		
नकद और नकद समकक्ष (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)	**48.67**	**(548.77)**
नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी-14)	48.67	34.30
बैंक ओवरड्राफ्ट (टिप्पणी-18 का फुटनोट 2 देखें)	-	(583.07)

(कोष्ठक के सभी आंकड़े बहिर्वाह को दर्शाते हैं)

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या – 30202081E

(सीए अरविन्द कुमार)

साझीदार

सदस्य. संख्या - 402203

दिनांक: 26.05.2021

स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(पी. एम. प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन- 08073913

(समीरन दत्ता)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 08519303

(बी. के. बसाक)
महाप्रबंधक (वित्त/ प्रभारी)

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)
31.03.2021 को वर्ष के समापन पर इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी (₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2019 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2020 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	01.04.2020 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2021 को वर्ष के समापन पर बकाया
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 4,65,70,000 इक्विटी शेयर	2,118.00	2539	4,657.00	4,657.00	-	4,657.00

ख. अन्य इक्विटी

	इक्विटी शेयर पूंजी का अंश	अन्य आरक्षित		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
		पूंजी मोचन आरक्षित निधि	पूंजी रिजर्व				
01.04.2019 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	**1,057.52**	**-**	**-**	**140.99**	**(2,557.10)**	**292.91**	**(1,065.68)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-		-
पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-		-
01.04.2019 को वर्ष के समापन पर पुनर्निर्दिष्ट शेष	**1,057.52**	**-**	**-**	**140.99**	**(2,557.10)**	**292.91**	**(1,065.68)**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-		-
वर्ष के दौरान समायोजन					-		
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	**918.68**	**(212.34)**	**706.34**
विनियोग:	-	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-		-
प्रतिधारित आय में / से स्थानांतरण	**(1,057.52)**	-	-	-	**1,057.52**		-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-		-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-		-
कॉरपोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-		-
31.03.2020 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	**-**	**-**	**-**	**140.99**	**(580.90)**	**80.57**	**(359.34)**
01.04.2020 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	**-**	**-**	**-**	**140.99**	**(580.90)**	**80.57**	**(359.34)**
वर्ष के दौरान परिवर्धन					-		
वर्ष के दौरान समायोजन					-		
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां					-		
वर्ष में कुल व्यापक आय	-	-	-	-	**(1,202.48)**	**(6.37)**	**(1,208.85)**
विनियोग:	-	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-		-

	इक्विटी शेयर पूंजी का अंश	अन्य आरक्षित		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
		पूंजी मोचन आरक्षित निधि	पूंजी रिजर्व				
प्रतिधारित आय में / से स्थानांतरण	-	-	-	-	-		-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-		-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-		-
कॉरपोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-		-
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद (बायबैक)	-	-	-	-	-		-
बायबैक पर कर	-	-	-	-	-		-
31.03.2021 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	**-**	**-**	**-**	**140.99**	**(1,783.38)**	**74.20**	**(1,567.19)**

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या – 30202081E

(सीए अरविन्द कुमार)

साझीदार

सदस्य. संख्या - 402203

दिनांक: 26.05.2021

स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(पी. एम. प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन- 08073913

(समीरन दत्ता)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 08519303

(बी. के. बसाक)
महाप्रबंधक (वित्त/ प्रभारी)

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

टिप्पणी 1 : कॉरपोरेट जानकारी

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एक मिनीरत्न लोक उपक्रम कंपनी है और यह 100% कोल इंडिया (भारत सरकार की एक सार्वजनिक कंपनी) की एक अनुषंगी कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद- 826005 है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा, की स्थापना 1972 में झरिया एवं रानीगंज कोलफील्ड्स में अवस्थित कोयला खदानों से कोकिंग कोल उत्खनन के लिए की गयी थी। 16 अक्टूबर, 1971 को भारत सरकार द्वारा देश में मौजूद दुर्लभ कोकिंग कोल के स्रोतों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए इस कंपनी का अधिग्रहण किया गया था। तब से यह कंपनी प्रमुख रूप से झारखंड राज्य एवं आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में कोयला खनन एवं इससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। देश में कोकिंग कोल का सर्वाधिक उत्पादक होने के कारण इस कंपनी को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बीसीसीएल, संपूर्ण इस्पात क्षेत्र के कुल प्राईम कोकिंग कोल की आवश्यकताओं का लगभग 50% को पूरा करता है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनीरत्न कंपनी)
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(टिप्पणी-2)

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

कंपनी के वित्तीय विवरणों को, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार तैयार किया गया है।

निम्नलिखित को छोड़कर, वित्तीय विवरण मापन की ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं:-

- उचित मूल्य पर मापी गयी कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं (वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित लेखांकन नीति देखें);
- परिभाषित लाभ योजनाएं- उचित मूल्य पर मापी गयी योजनागत परिसंपत्तियां (परिभाषित लाभ योजनाओं पर लेखांकन नीति देखें) ;
- लागत पर वस्तु-सूची या एनआरवी, इनमें से जो भी कम हो (इन्वेंटरी से संबंधित लेखांकन नीति देखें)।

1.2 राशियों को पूर्ण अंकों में दर्शाना

जब तक अन्यथा संकेत नहीं किया गया हो, इन वित्तीय विवरणों में राशियों को दशमलव के दो अंको तक "रुपये करोड़ में" पूर्ण अंकों में दर्शाया गया है।

2. वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन-पत्र में वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को वर्तमान तब माना+ जाता है जब -

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षा रखती हो अथवा उन्हें बेचने या इनका उपयोग करने की इच्छा रखती हो,

(ख) कंपनी परिसंपत्तियों को मूल रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखती हो,

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर परिसंपत्ति की वसूली की अपेक्षा रखती हो, अथवा

(घ) परिसंपत्ति नकद या एक नकद समतुल्य है (जैसा कि लेखा मानक 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति को अदला-बदली (एक्सचेंज) किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किसी देनदारी/देयता को वर्तमान के रूप में तब माना जाता है जब :

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती हो

(ख) इसकी देयता मुख्य रूप से कारोबारी उद्देश्य के लिए हो;

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर बकाया देयता का निपटान किया जाना, अथवा

(घ) कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को अस्वीकार करने का बिना शर्त अधिकार न हो। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती हैं, इक्विटी लिखत जारी करके इसके निपटान के परिणामस्वरूप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करती हों।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3. राजस्व की मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व से संबंधित भारतीय लेखा मानक 115, निर्माण अनुबंध से संबंधित भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व की मान्यता को अधिगृहीत करता है और यह इसके ग्राहक-अनुबंध से प्राप्त सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय लेखा मानक 115 ने ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व प्राप्त करने के लिए लेखा हेतु एक पांच-स्तरीय मॉडल को स्थापित किया है और यह आवश्यक है कि राजस्व की उस राशि को मान्यता देने पर विचार किया जाय, जिसमें ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए कंपनी के विशेषज्ञों को विनिमय करने का अधिकार प्राप्त हो सके। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ('बीसीसीएल' या 'कंपनी') ने अंगीकरण की पूर्वव्यापी विधि को अपनाते हुए भारतीय लेखा मानक 115 को अंगीकृत किया है।

भारतीय लेखा मानक 115 में आवश्यक है कि प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और रिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। मानक एक अनुबंध के प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतों और अनुबंध को पूरा करने से सीधे संबंधित लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है, जिसका मुख्यालय धनबाद, झारखंड, भारत में है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है। कंपनी ने साधारणतः यह निष्कर्ष निकाला है कि यह उसके राजस्व व्यवस्था का एक सिद्धांत है क्योंकि इससे ग्राहक को हस्तांतरित करने से पहले माल या सेवाओं को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त होता है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी का खाता केवल तभी होता है जब निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

(क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी हो और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हों;

(ख) कंपनी द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान की जा सकती हो;

(ग) कंपनी द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए भुगतान-शर्तों की पहचान की जा सकती है;

(घ) अनुबंध में व्यावसायिक निहितार्थ (इस संविदा के परिणामस्वरूप जोखिम, समय या कंपनी के भावी नकदी प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होने की संभावना है) मौजूद हो, और

(ङ) यह संभव है कि ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी प्रतिफल एकत्र करे जिसका कि उसे अधिकार है। प्रतिफल राशि, जिसके लिए कि कंपनी को अधिकार है, अनुबंध में लिखित कीमत से कम या अधिक हो सकती है। प्रतिफल राशि में अंतर हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, राहत, धनवापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या समान मदों के लिए हकदार हो सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक पाये जाते हैं तो कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक से संबंधित पक्षों) के साथ, एक ही समय में या उसके आसपास हुए दो या दो से अधिक अनुबंधों को एक साथ मिला सकती है और इस अनुबंध को एकल अनुबंध के रूप में लेखांकित किया जा सकता है:

(क) यदि इन अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में माना गया हो;

(ख) यदि एक अनुबंध में भुगतान किए जाने वाली प्रतिफल-राशि, अन्य अनुबंध के मूल्य या निष्पादन पर निर्भर हो, या

(ग) यदि अनुबंध में दी गयी वस्तुएं या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में दी गयी कुछ वस्तुएं या सेवाएं) एक एकल निष्पादन दायित्व से संबंधित हो।

अनुबंध संशोधन

यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां मौजूद रहती है तो कंपनी किसी अनुबंध को अलग-अलग अनुबंध के रूप में लेखांकित कर सकती है:

(क) यदि दी गयी विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं में कुछ इजाफा होने के कारण अनुबंध का दायरा बढ़ जाय और

(ख) यदि अनुबंध की कीमत प्रतिफल की उस राशि से बढ़ती है जो कंपनी के वचन दिए गए अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए स्वतंत्र बिक्री कीमतों तथा किसी विशेष अनुबंधों की परिस्थितियों को प्रतिफलित (प्रतिबिंबित) करने के लिए कीमतों में उचित समायोजन प्रदर्शित करती है।

चरण 2: कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध के आरंभ में, कंपनी ग्राहक के साथ मिलकर अनुबंध में दी गयी वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को निम्न में से किसी को अंतरित करने के लिए प्रत्येक वचन को कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में पहचान करती है या तो:

क)एक विशिष्ट वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) या

ख)अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके पास ग्राहक को हस्तांतरण का एक समान तरीका है।

चरण 3: लेन-देन कीमत का निर्धारण

लेन-देन का कीमत का निर्धारित करने के लिए कंपनी अनुबंध की शर्तों तथा इसकी प्रचलित व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन कीमत प्रतिफल की वह राशि होती है जिससे कंपनी ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरण के बदले में, अन्य पक्षों की ओर से वसूली की गई राशियों को छोड़कर, हकदार होने की आशा करती है।

लेन-देन की कीमत निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी पक्षों के प्रभावों पर विचार करती है:

- परिवर्तनीय प्रतिफल;
- परिवर्तनीय प्रतिफल को बाधित करने वाले प्राक्कलन
- महत्वपूर्ण वित्तीय घटक की मौजूदगी
- गैर-नकदी प्रतिफल
- ग्राहक को देय प्रतिफल

छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य, रियायतें, प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है। वादा की गयी प्रतिफल राशि भी भिन्न हो सकती है यदि कंपनी के विचार करने का अधिकार किसी भावी घटना या गैर-घटना के आधार पर निर्भर हो।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्धारित हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के की विषयवस्तु के आधार पर दंड आधारित होता है। जहां लेनदेन के निर्धारण में जुर्माना निहित है, वहां यह परिवर्तनशील विचार का हिस्सा होता है।

कंपनी में केवल 'अनुमानित चर विचार' के कुछ या सभी लेनदेन मूल्य उस हद तक शामिल हैं, जबकि इसकी अत्यधिक संभावना हो कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में कोई महत्वपूर्ण रिवर्सल तब तक नहीं होगा जब तक कि 'चर विचार' के साथ जुड़ी अनिश्चितता दूर नहीं होती।

कंपनी तब तक एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए चर विचार वादा की राशि को समायोजित नहीं करती है, जब तक अनुबंध के आरंभ में यह अपेक्षित हो कि इस अवधि के दौरान वादा की गयी वस्तुओं एवं सेवाओं को एक ग्राहक को हस्तांतरित किया जा सकता है और ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए एक वर्ष या उससे कम समय के अंदर भुगतान कर सकता है।

यदि कंपनी ग्राहक से विचार प्राप्त करती है और कुछ या सभी चर विचार ग्राहक को रिफंड करने की अपेक्षा करती है तो कंपनी धनवापसी दायित्व को स्वीकार कर लेती है। धनवापसी दायित्व की गणना उस चर विचार प्राप्त (या प्राप्य) राशि के आधार पर की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (अर्थात जो राशि लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं है)। लेन-देन मूल्य में रिफंड देयता तथा चर विचार परिवर्तन है और इसलिए परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध देयता को अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध होने के बाद, अनिश्चित घटनाओं या परिस्थितियों में वैसा परिवर्तन जिससे चर विचार की राशि में परिवर्तन होता हो, के संकल्प सहित विभिन्न कारणों से लेनदेन की कीमत बदल सकती है, जिसमें कंपनी को उम्मीद है कि वह वादा की गयी वस्तुओं या सेवाओं के विनियम में हकदार होगी।

चरण 4: लेनदेन की कीमत का आवंटन:

कंपनी का उद्देश्य है कि लेन-देन मूल्य आवंटित करते समय किसी राशि में प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित किया जाय, जो चर विचार की मात्रा को दर्शाती है और जिसके लिए कंपनी ग्राहक से वादा किए गए वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्वचालित विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व हेतु लेनदेन मूल्य आवंटित करने के लिए, कंपनी अलग-अलग वस्तु या सेवा के अंत में अनुबंध की स्थापना पर स्वचालित (स्टैंड-अलोन) विक्रय मूल्य निर्धारित करती है, जो अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन दायित्व के तहत आता है और उन स्वचालित बिक्री मूल्य के अनुपात में लेनदेन की कीमत आवंटित की जाती है।

चरण 5: राजस्व को पहचानना:

जब (या के रूप में) कंपनी किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तु एवं सेवा को हस्तांतरित कर उसके निष्पादन दायित्व से संतुष्ट होती है तो वह राजस्व की मान्यता करती है। ग्राहक द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने पर (या के रूप में) किसी वस्तु या सेवा को हस्तांतरित किया जाता है।

कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा के नियंत्रण को हस्तांतरित करती है और इसलिए, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक के पूरा होने पर ही, समय के साथ किसी निष्पादन दायित्व और राजस्व को स्वीकृत किया जाता है:

(क) यदि कंपनी के निष्पादन के अनुसार ग्राहक कंपनी के निष्पादन से लाभ प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है।

(ख) यदि कंपनी के निष्पादन से किसी परिसंपत्ति का सृजन या वृद्धि होती है और इस सृजन या वृद्धि पर ग्राहक का नियंत्रण हो ।

(ग) यदि कंपनी किसी वैकल्पिक साधन का उपयोग करते हुए अपने निष्पादन से किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करती है और कंपनी के पास उस तिथि तक पूरे किए गए निष्पादन का भुगतान करने का अधिकार हो।

कंपनी समय-समय पर संतुष्ट प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए, उस तिथि तक इस दिशा में हुई प्रगति का मापन करके राजस्व को मान्य करती है।

कंपनी, प्रत्येक संतुष्ट निष्पादन दायित्व की प्रगति को मापने के लिए एकल मापक विधि का पालन करती है और समान निष्पादन दायित्वों और समान परिस्थितियों में इसी पद्धति का नियमित रूप से पालन करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, पूर्ण संतुष्टि के लिए कंपनी अपने निष्पादन दायित्व की प्रगति को पुन: मापती है।

कंपनी, अनुबंध के तहत वादा की गई शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित ग्राहक के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व मान्यता करने के लिए आउटपुट विधि का पालन करती है। आउटपुट विधियों में उक्त तिथि तक के निष्पादन - सर्वेक्षण, प्राप्त परिणाम के मूल्यांकन, नए बनाए गए रिकॉर्ड (milestones), बीते समय तथा उत्पादित या सौंपी गई इकाइयां जैसी विधियों का शामिल किया जाता है।

कंपनी, समय के साथ-साथ अपनी प्रगति के माप को अद्यतन करती रहती है, ताकि यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे निष्पादन दायित्व में दर्शाया जा सके और इस परिवर्तन को भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों एवं त्रुटियों में परिवर्तन के आलोक में परिवर्तन के रूप में शामिल किया जाता है।

कंपनी, यदि निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में इसकी प्रगति को यथोचित तरीके से माप सकती है तो उस समय तक के लिए संतुष्ट निष्पादन दायित्व के राजस्व को स्वीकारती है। जब (या के रूप में) कोई निष्पादन दायित्व संतोषजनक होता है, तो कंपनी लेनदेन-मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में स्वीकार करती है (जिसमें चर विचार के अनुमान को शामिल नहीं किया जाता है, जो उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किए गए हैं)।

यदि समय के साथ कोई निष्पादन दायित्व संतोषजनक नहीं है, तो कंपनी एक समय सीमा के अंदर इसे संतोषजनक बनाने का प्रयास करती है। उस समय सीमा को निर्धारित करने के लिए जब वादा की गयी किसी वस्तु एवं सेवा पर एक ग्राहक का अपना नियंत्रण स्थापित हो जाता है और कंपनी निष्पादन दायित्व से संतुष्ट हो जाती है, तो कंपनी नियंत्रण के हस्तांतरण के संकेतक पर विचार करती है, जिसमें एक सीमा तक निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

(क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार है
(ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का स्वामित्व है
(ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक स्वामित्व को हस्तांतरित कर दिया है
(घ) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल होता है
(ङ) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार किया है।

जब अनुबंध में कोई भी पक्ष (पार्चीं) कार्य-निष्पादन कर देता है, तो कंपनी अनुबंध को अपने तुलन-पत्र (बैलेंस-शीट) में अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत करती है, जो कंपनी के कार्य-निष्पाद और ग्राहक के भुगतान के संबंध पर निर्भर करता है। कंपनी प्रतिफल के लिए किसी बिना शर्त अधिकार को अलग से प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपत्ति:

एक अनुबंध परिसंपत्ति, ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल का अधिकार है। अगर कंपनी ग्राहक के प्रतिफल भुगतान करने या भुगतान देय से पहले वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके कार्य-निष्पादन करती है तो अर्जित प्रतिफल के लिए अनुबंध परिसंपत्ति की पहचान सशर्त रूप में की जाती है ।

कारोबार प्राप्य:

एक प्राप्य राशि प्रदर्शित करती कि किसी प्रतिफल राशि पर कंपनी का बिना शर्त अधिकार है। (यानी, प्रतिफल राशि के बकाया भुगतान से पूर्व केवल कुछ समय बीतना अपेक्षित हो)।

अनुबंध दायित्व:

एक अनुबंध दायित्व वह बाध्यता है जिसमें किसी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने का दायित्व है, जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की प्राप्य राशि) प्राप्त हो चुका हो। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान कर देता है, तो कंपनी अनुबंध को अनुबंध दायित्व के रूप में पहचान करेगी लेकिन जब भुगतान हो गया है या देय है (इनमें से जो भी पहले हो)। जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य-निष्पादन करती है तो अनुबंध देयताओं को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज:

प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग करके ब्याज से प्राप्त आय की पहचान की जाती है।

लाभांश:

निवेशों से प्राप्त लाभांश की आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित हो जाता है।

अन्य दावे:

अन्य दावों (उपभोक्ताओं से देर से वसूली होने पर मिले ब्याज सहित) का लेखांकन वसूली की सुनिश्चितता तथा उसके मूल्यांकन की वास्तविकता होने पर ही किया जाता है।

4. सरकारी अनुदान/सहायता

सरकारी अनुदान तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक पर्याप्त आश्वासन न हो कि कंपनी इसके साथ संलग्न शर्तों को पूरा करेगी तथा पर्याप्त निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

लाभ-हानि विवरणी में अवधि के दौरान नियमित आधार पर सरकारी अनुदान/सहायता स्वीकार की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को खर्चे के रूप में मानती है जिसके लिए अनुदान से उसकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है।

आस्थगित आय के रूप में अनुदान समायोजन द्वारा परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन-पत्र में दर्शाया गया है और परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की तुलना में योजनाबद्ध आधार पर लाभ-हानि के विवरणी में दर्शाया गया है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी परिसंपत्ति के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ हानि विवरण के एक हिस्सा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान जो कुल ख़र्च में हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होता है जो पहले ही ख़र्च हो चुके हैं या कंपनी को तत्काल वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं जिनमें भविष्य से संबंधित लागत नहीं है, उस अवधि के लिए लाभ तथा हानि में मान्यता प्राप्त हैं जिसके लिए वे प्राप्य होते हैं।

सरकारी अनुदान अथवा प्रोत्साहन की प्रकृति के रूप में योगदान को सीधे "कैपिटल रिजर्व" में स्वीकार किया जाता है जो "शेयर होल्डर निधि" का एक भाग है।

5. पट्टे (भारतीय लेखा मानक 116)

एक अनुबंध तब एक पट्टा होता है अथवा इसमें पट्टा निहत होता है, जब अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित समयाविध के लिए पहचानी गयी परिसंपत्ति के उपयोग के नियंत्रितण का अधिकार प्रदान करता है।

कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

प्रारंभिक तिथि को पट्टेदार उन पट्टा दायित्व का माप पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर करेगा जो उस तिथि को अदा नहीं किये गये हैं।

इसके बाद, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार को कॉस्ट मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि लीज़ देयता को पट्टा दायित्व पर ब्याज प्रदर्शित करने के लिए अग्रणीत राशि को बढ़ाकर; किये गये पट्टा भुगतानों को प्रदर्शित करने के लिए अग्रणीत राशि घटा कर; तथा किसी पुनःआंकलन अथवा पट्टा संशोधनों को प्रदर्शित करने के लिए अग्रणीत राशि का पुनर्माप करके मापा जाता है

पट्टादाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में।

एक पट्टे को एक वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से प्रासंगिक सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को सारभूत रूप से अंतरित करता है। एक पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से प्रासंगिक सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को सारभूत रूप से अंतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टे- परिचालन पट्टों से पट्टा भुगतानों को एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में पहचाना जाता है जब तक कि कोई अन्य सुव्यवस्थित आधार उस ढंग (पैटर्न) का अधिक प्रतिनिधित्व न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के प्रयोग से लाभ कम होता है।

वित्त पट्टे- एक वित्त पट्टे के तहत धारित परिसंपत्तियों को आरंभ में इनके तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में पहचाना जाता है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

इसके बाद, पट्टा अवधि में वित्त आय को ऐसे ढांचे (पैटर्न) के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमे पट्टेदार के पट्टे में शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर प्रतिबिंबित होती हो।

6. बिक्री के लिए गैर-वर्तमान संपत्तियां

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है एवं / या बिक्री के लिए रखे गए निपटाने वाले समूह के वहन राशि (Carrying amount) की वसूली मूल रूप से लगातार उपयोग करते रहने के बजाए बिक्री के जरिए हो जाती है। बिक्री के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयों से यह ज्ञात होना चाहिए कि इसकी संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे अथवा यह कि बिक्री करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर अपेक्षित बिक्री के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए।

जब विनिमय में व्यावसायिक सामग्री है तो इस मुद्दे के लिए बिक्री लेन-देन में अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल होगा। बिक्री वर्गीकरण हेतु मान्य मानदंडों को केवल तभी पूरा किया जाता है जब परिसंपत्तियों अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तुरंत बिक्री हेतु उपलब्ध रहें इस शर्त के साथ कि वह ऐसी परिसंपत्तियों (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए एवं प्रथागत/प्रचलित हो। इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है तथा इसे वास्तव में बेचा जाएगा न कि परित्याग किया जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति अथवा निपटान समूह की बिक्री की अत्यधिक संभावना को तभी मानती है जब :

- एक उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो,
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो,
- वर्तमान उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य पर बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रूप से बाजार ढूंढा जा रहा हो,
- वर्गीकरण तिथि से एक वर्ष के अंदर संपूरित बिक्री के रूप में मान्यता हेतु बिक्री की अर्हता पूरी हो, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों से यह संकेत मिलता है कि यह संभव नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

7. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (PPE)

भूमि ऐतिहासिक लागत (कीमत) पर ली गई ऐतिहासिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

पहचान के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं किसी संचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम की लागत में निम्नलिखित शामिल हैः-

(क) इसका खरीद मूल्य, व्यावसायिक छूट घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य खरीद-कर शामिल।

(ख) किसी भी लागत को प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष कारक।

(ग) सामानों के पुरजे खोलकर पृथक करने तथा निर्धारित स्थान पर इनके भंडारण के लिए लगी लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन जिसके दायित्व को कंपनी अपने ऊपर लेती है जब इस उद्देश्य के लिए आइटम की जरूरत पड़ती है या उस अवधि के दौरान सामान-सूची को प्रस्तुत करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी खास अवधि के दौरान उसके किए गए उपयोग के परिणाम को समझती है।

जिस आइटम का अलग से मूल्य ह्रास हुआ है, उसकी कुल लागत से संबंधित लागत सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। हालांकि, पीपीई के एक आइटम के महत्वपूर्ण भाग (भागों) में समान उपयोगी जीवन और मूल्य ह्रास विधि को मूल्य ह्रास शुल्क निर्धारित करने के साथ एक साथ समीकृत किया जाता है।

मरम्मत और रख-रखाव के लिए उल्लिखित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें उस पर खर्च किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की कुल लागत से संबंधित महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की कीमत मद के वहन राशि (Carrying amount) में स्वीकार किए जाते हैं, अगर यह संभव है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वहन राशि को नीचे उल्लिखित अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब बड़े निरीक्षण किए जाते हैं, तो इसकी कीमत संपत्ति, प्लांट और उपकरण के सामान के प्रतिस्थापन राशि के रूप में पहचानी जाती है, यदि यह संभावित है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता उसे मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष वहन राशि (Carrying Amount) को अस्वीकार कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का एक हिस्सा को निपटान पर अथवा जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद होती है अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के इस तरह के अस्वीकरण के कारण किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में स्वीकार किया जाता है।

परिसंपत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण पर मूल्यह्रास फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर परिसंपत्ति के उपयोगी आकलित जीवन के सीधी रेखा आधार पर आदर्श लागत के अनुसार उपलब्ध कराया गया है जो निम्नलिखित हैं –

अन्य भूमि		
(पट्टाधारित भूमि सहित)	:	परियोजना अवधि अथवा पट्टा अवधि जो कम हो
बिल्डिंग	:	3-60 वर्ष
सड़कें	:	3-10 वर्ष
दूर संचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	:	5-30 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	:	3-6 वर्ष
फर्नीचर एवं इससे जुड़ी वस्तुएं	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिये गए उपयोगी जीवन अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए संपत्ति के उपयोगी जीवन उस उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II के भाग ग में निर्धारित है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपदा, संयंत्र और उपकरण का अपशिष्ट मूल्य संपत्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है, वैसे कि कोयला टब, बाइंडिंग रस्सा, हॉलेज रस्सा, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसे परिसंपत्तियों की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अपशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष होना निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े/निपटान की गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास के योग/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया गया है।

अन्य भूमि' के मूल्य में वह भूमि शामिल है जो कोल बियरिंग एरिया (एक्विजिसन एण्ड डेवलपमेंट) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (RFCTLAAR) अधिनियम, 2013, सरकारी जमीन पर लम्बी अवधि के लिए अंतरण आदि के तहत अभिग्रहीत की गई है जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा पट्टाधारित भूमि के मामले में इस प्रकार के परिशोधन परियोजना की पट्टे की अवधि अथवा शेष जीवन, जो कम है, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से मूल्य ह्रास हो चुकी परिसंपत्तियां, जिनका सक्रिय उपयोग बंद हो चुका है, को सर्वे-ऑफ परिसंपत्तियों के रूप में परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इसके अपशिष्ट मूल्य पर अलग से प्रकट किए जाते हैं इनके हानिकरण की जांच कर जाती है। उत्पादन, सामानों की आपूर्ति अथवा कंपनी की किसी वर्तमान परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक किसी खास परिसंपत्ति के निर्माण/विकास पर कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत खर्चो को परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत परिसंपत्तियों को सक्षम/सक्रिय बनाने के रूप में स्वीकार किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में संक्रमण

लागत मॉडल के अनुसार रखाव मूल्य के साथ जारी रखने का कंपनी ने निर्णय लिया (पिछले जीएएपी के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के संक्रमण की तिथि को आंके गए वित्तीय विवरणों में मान्य अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए)।

8.खदान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं दायित्व का समापन

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार खुली एवं भूमिगत दोनों खानों के लिए बनी संरचनाओं को समाप्त/बंद करने एवं भूमि पुनरुद्धार का दायित्व कंपनी का है। कंपनी खान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं करारों/ दायित्वों की समाप्ति के लिए आवश्यक कार्य में लगने वाली धनराशि एवं समय तथा भविष्य में नकद खर्च के विस्तृत तकनीकी आकलन एवं गणना के आधार पर अपने दायित्व का आकलन करती है। खदान बंदी खर्च अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चो के आकलन को तेज किया जाता है और तब छूट की दर पर छूट दी जाती है जो वर्तमान बाजार मूल्य एवं जोखिम के निर्धारण को इस प्रकार प्रतिबिंबित करती है कि प्रावधान की गयी राशि दायित्व निपटारे के लिए अपेक्षित आवश्यक खर्चो के वर्तमान मूल्य को प्रतिबिंबित करे। कंपनी पूर्णरूपेण पुनरुद्धार तथा खदान बंदी के दायित्व से जुड़ी समरूप परिसंपत्ति का रिकार्ड रखती है। दायित्व एवं समरूप परिसंपत्ति की पहचान उसी अवधि में की जाती है जिसमें देयता उत्पन्न होती है। खदान बंदी योजना के अनुसार भूमि पुनर्स्थापन की कुल लागत को निरूपित करने वाली परिसंपत्ति (जैसा कि सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड में प्राक्कलित किया गया है) को पीपीई में एक अलग मद के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तथा परियोजना/खान के शेष जीवन के लिए परिशोधित किया जाता है।

प्रावधान का मूल्य समय से समय के साथ-साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट में कमी होती जाती है, जिसमें एक ख़र्च कर सृजन होता है तथा वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता का रखरखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदी बाध्यता के हिस्से के रूप में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किए गए प्रगतिशील खदान बंद करने के खर्च को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य माना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

9. अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज, तकनीकी व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा पहचान किए गए संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- अन्वेषण करने हेतु अधिकारों की प्राप्ति
- शोध और ऐतिहासिक अन्वेषण डाटा का विश्लेषण;

- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक एवं भू-भौतिकी अध्ययनों के जरिए अन्वेषण के आँकड़ों को एकत्रित करना।
- अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग एवं नमूना संग्रहण।
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण एवं करना।
- परिवहन एवं संरचनात्मक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना।
- बाजार और वित्तीय अध्ययन करना।

उपर्युक्त में कर्मचारियों का मानदेय, वस्तुओं की कीमत एवं प्रयुक्त ईंधन, ठेकेदारों आदि का भुगतान शामिल है।

चूंकि अप्रत्यक्ष संघटक होने वाली समग्र अनुमानित प्रत्यक्ष लागतों का एक निरर्थक एवं पृथक विचार न करने योग्य भाग को प्रस्तुत करता है जिसकी पूर्ति भावी उपयोग से की जाने की अपेक्षा है, इसलिए अन्य पूंजीकृत अन्वेषणात्मक खर्चों के साथ इन खर्चो को अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी संभाव्यता एवं व्यावसायिक उपयोगिता के निर्धारण को लंबित रखते हुए परियोजना द्वारा परियोजना के आधार पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट किया जाता है। बाद में उन्हें संचित प्रावधान से कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है एवं खदानों/परियोजना के विकास के लिए स्वीकृति दे दी जाती है तो पूंजीगत चालू कार्य के तहत अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को "विकास" के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है हालांकि यदि प्रमाणित भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

10.विकास खर्च

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है तथा खानों/परियोजना के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है, तो “विकास” मद के अंतर्गत पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। बाद के सभी विकास खर्चो को पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीगत विकास व्यय, विकास के चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध होता है।

व्यावसायिक परिचालन

परियोजना/खदानों से राजस्व प्राप्त होता है; जब परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना/खदान व्यावसायिक तौर पर टिकाऊ होने के आधार पर उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाती है:

(क) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से, अथवा

(ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष बाद, अथवा

(ग) उस वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से जिस वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चो से अधिक होता है।

उपर्युक्त में से जो भी पहले घटित हो।

राजस्व प्राप्त होना आरंभ होने पर, चालू पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्तियों को “अन्य खनन आधारभूत संरचना” नामावली के तहत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संघटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को उस वर्ष से परिशोधित किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो, में राजस्व के अधीन लाया जाता है।

11.अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

अलग से अधिग्रहीत की गई अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है। व्यावसायिक संगठन में अधिग्रहीत अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि को उनका उचित मूल्य होता है। प्रारंभिक मान्यता का अनुसरण करते हुए अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन काल के दौरान स्ट्रेट लाइन आधार पर परिकलित) एवं संचित हानिकरण क्षति, यदि कोई है, से कम लागत पर लिये जाते हैं।

पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर आंतरिक रूप से सृजित अप्रत्यक्ष/अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। बल्कि संबंधित व्यय को लाभ हानि विवरण एवं जिस अवधि में खर्च हुआ है, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या असीमित के रूप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली प्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित कर दिया जाता है तथा जब कभी यह संकेत होता है कि अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति हानिकर हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

असीमित उपयोगी जीवन के साथ किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसके हानिकरण की जांच की जाती है।

किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और जो लाभ-हानि विवरण में मान्य होता है।

बाहरी एजेंसियों (यानी ब्लॉक के लिए, सीआइएल के लिए अलग से नहीं) को बेचने के लिए चिह्नित अथवा बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए मदद पहुंचाने वाली अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को फिर भी अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा हानिकरण के लिए जांच की जाती है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में मान्य सॉफ्टवेयर की कीमत / लागत को प्रयोग करने की विधिक अवधि से अधिक अथवा तीन वर्षों में, जो भी कम हो, स्ट्रेट लाइन विधि पर अपशिष्ट मूल्य शून्य के साथ परिशोधित किया जाता है।

12.परिसंपत्तियों का ह्रास (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऐसे किसी संकेत का मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति में कमी या क्षति हो सकती है या नहीं। यदि इस प्रकार का कोई संकेत रहता है तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति अथवा नकदी सृजन करने वाली इकाई के प्रयोग मूल्य से अधिक होती है। इसका उचित मूल्य निपटान लागत से कम होता है तथा इसका निर्धारण किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए तब तक किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति नकद प्रवाह को सृजित नहीं कर लेती है जिसमें नकद वसूली योग्य राशि उस नकद सृजन करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती जिससे परिसंपत्ति जुड़ी होती है। कंपनी हानिकरण की जांच करने के उद्देश्य से पृथक खदानों को अलग नकदी सर्जक इकाई मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को वहन राशि से कम आंका जाता है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है तथा हानिकरण क्षति को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

13.निवेश संपत्ति

वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा प्रशासनिक उद्देश्य, अथवा व्यवसाय के सामान्य दौर में बिक्री हेतु उपयोग के बजाय किराया या पूंजी मूल्यांकन के लिए उपयोग हेतु रखी गई भूमि या भवन या भवन का कोई भाग या दोनों को निवेशित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संबंधित लेन-देन लागत सहित और जहां लागू हो वहां उधार वाली लागत सहित निवेशित संपत्ति को इसकी प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है।

निवेशित संपत्तियों का उनके अनुमानित उपयोगी जीवन काल में स्ट्रेट लाइन पद्धति का प्रयोग करके मूल्यह्रास होता है।

14.वित्तीय दस्तावेज (लिखत)

एक वित्तीय दस्तावेज (लिखत) कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई की एक वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को सृजित करता है।

14.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

14.1.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

लाभ या हानि और ट्रांजेक्शन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं, के जरिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रिकार्ड नहीं किए जाने की स्थिति में वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद अथवा बिक्रियों जिसे विनियम अथवा परंपरा द्वारा बाजार में एक सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी की आवश्यकता पड़ती है, को ट्रेड की तिथि यानी कंपनी परिसंपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए जिस तिथि को प्रतिबद्ध है, उस तिथि को मान्यता दी जाती है।

14.1.2 परिवर्ती मापन

परिवर्ती मापन के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में बांटा जाता है :

- परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज।
- अन्य सघन आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज (FVTOCI) के जरिए।
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज, डेरिवेटिव एवं इक्विटी दस्तावेज (FVTPL)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज (FVTOCI)

14.1.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती है तो 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(क) परिसंपत्ति व्यापार मॉडल के अंदर हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिसंपत्ति रखनी होती है तथा

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथि को बढ़ने देती है जो बकाये मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज (एसएसपीआई) का एकमात्र भुगतान होते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद इस प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (EIR) पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना- अधिग्रहण एवं शुल्क या मूल्य/लागत जो ईआईआर का हिस्सा है, पर किसी छूट या किस्त को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। हानिकरण के कारण होने वाली क्षति को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

14.1.2.2 एफवीटीओसीआई (FVTOCI) पर ऋण दस्तावेज

यदि निम्नलिखित दोनों मानकों को पूरा किया जाता है तो "ऋण दस्तावेज" को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

(क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों से पूरा किया जाता है, और

(ख) परिसंपत्तियों का संविदात्मक नकदी प्रवाह के एसपीपीआई के निरूपण करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत के ऋण दस्तावेजों का प्रारंभिक तौर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के बदलाव को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता प्रदान की जाती है। हलांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, हानिकरण से होने वाले नुकसान एवं उलटाव तथा विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ व हानि (P&L) में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकरण पर संचित लाभ अथवा हानि को पहले अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती थी, उसे लाभ व हानि (P&L) के लिए इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीओसीआई ऋण पत्र/दस्तावेज से अर्जित ब्याज को ई आई आर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट की जाती है।

14.1.2.3 एफ वी टी पी एल पर ऋण-पत्र/दस्तावेज

एफवीटीपीएल ऋण पर/दस्तावेज के लिए अपशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण पत्र/दस्तावेज जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के लिए कसौटी/मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ऋण -पत्र/दस्तावेज को नामित/निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफ वी टी पी एल के रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनावों की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता में कमी या समापन होता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण पत्र/दस्तावेज को एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण पत्रों को उचित मूल्य पर लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

14.1.2.4 मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) को मुख्य रूप से तब अमान्य कर दिया गया गई है (यानी तुलन पत्र से हटा दिया गया है) जब -

- संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, अथवा
- कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या "पास-थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी

के प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व मान लिया है; और (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का हस्तांतरित नियंत्रण कंपनी के पास है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है, अथवा पास-थ्रू व्यवस्था अपना ली है, तो वह मूल्यांकन करती है कि वह और किस हद तक इसके स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को अधिकार में बनाए रखती है। जब कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बनाए रखा है और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण ही हस्तांतरित किया है, जब तक कंपनी की सहभागिता जारी रहती है तब तक यह हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस मामले में कंपनी जुड़ी हुई देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति एवं इससे जुड़ी देयता को जिस आधार पर मापा जाता है वह कंपनी के पास के अधिकारों एवं दायित्वों को प्रदर्शित करता है। हस्तांतरित संपत्ति पर गारंटी का रूप लेते हुए जारी होने वाली संपत्ति को मूल वहन राशि से कम पर और कंपनी के विचारार्थ अधिकतम राशि जिसे कंपनी को पुनः भुगतान की आवश्यकता पड़ सकती है, पर मापा जाता है।

14.1.2.5 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर पर हानिकरण/क्षति के मापन/मूल्यांकन एवं मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) मॉडल लागू करती है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं तथा जिन्हें परिशोधित लागत यानी ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, ट्रेड प्राप्य एवं बैंक शेष पर मापा जाता है,

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं एवं एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है,

(ग) भारतीय लेखा मानक 17 के तहत प्राप्य पट्टा, और

(घ) ट्रेड प्राप्तियां या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 के दायरे के अंदर है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानिकरण क्षति भत्ता की मान्यता के लिए "सरलीकृत दृष्टिकोण"अपनाती है:

- ट्रेड प्राप्तियां अथवा संविदात्मक राजस्व प्राप्तियां, और
- भारतीय लेखा मानक 17 के दायरे के अंदर लेन-देन से उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्य।

सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को जीवन काल ईसीएल के आधार पर हानिकरण हानि भत्ता को ठीक इसकी प्रारंभिक तारीख से मान्यता देती है।

14.2वित्तीय देयताएं

14.2.1प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवर ड्राफ़्ट सहित उधारियां शामिल हैं।

सभी वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार तथा देय राशियों के मामले में प्रत्यक्ष तौर पर आरोप्य निवल लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

14.2.2परिवर्ती मापन/मूल्यांकन

वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन जैसा कि नीचे वर्णित है, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है :

14.2.2.1 लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल हैं तथा वित्तीय देयताओं को लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित किया जाता है। वित्तीय देयताओं को ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में फिर से खरीद के उद्देश्य के कारण उत्पन्न हुई हों। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज डेरिवेटिव फाइनोशियंल इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित बचाव संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग साधनों के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिये रखी हुई देयताओं पर फायदा या नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता और उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताओं को मान्यता की प्रारंभिक तारीख को उसी रूप में निर्दिष्ट किया जाता है एवं केवल तभी यदि भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) की कसौटी को पूरा किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देयताओं, अपने क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन लाने के लिए आरोप्य उचित मूल्य लाभ/नुकसानों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानियों को बाद में लाभ और हानि में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। हालांकि कंपनी संचित लाभ/हानि को इक्विटी में हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी देनदारी के उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देनदारी को निर्दिष्ट नहीं किया है।।

14.2.2.2 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करते हुए इन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। नफा और नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब देयताओं को साथ ही साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता समाप्त कर दी जाती है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है जो। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी प्रायः उधारियों पर लागू होती है।।

14.2.2.3 मान्यता समाप्त करना

जब देयता के तहत वित्तीय देनदारियों के दायित्व मुक्त हो जाता है या निरस्त हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को दूसरे समान उधारदाता द्वारा वास्तविक रूप से भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा वर्तमान देनदारी की शर्तों में वास्तविक संशोधन किया जाता है, तो ऐसे किसी परिवर्तन अथवा संशोधन को मूल देयता का अस्वीकरण एवं नई देयता का स्वीकरण माना जाता है। समाप्त कर दी गई या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दी गई अथवा देयताएं मान ली गई वित्तीय देयता (वित्तीय देयता का हिस्सा) का पिछले शेष के बीच के अंतर को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाएगा।

14.3वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। क्योंकि ये इक्विटी दस्तावेज एवं वित्तीय देयताएं होती हैं। जो वित्तीय परिसंपत्तियां इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तथा वित्तीय देयताएं होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण पत्र/दस्तावेज होती है, उनके लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मॉडल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा बारंबार की जाती है। कंपनी के उच्च प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों जो कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, के परिणामस्वरूप ही व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित किया जाता है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। कंपनी अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण गतिविधि की या तो शुरूआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनर्वर्गीकरण को उसकी प्रत्याशित तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि की ठीक बाद का पहला दिन होता है। कंपनी पिछली किसी स्वीकृति प्राप्तियों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि शामिल करके) अथवा ब्याज को पुनः निश्चित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न पुनर्वर्गीकरण एवं उनकी लेखांकन विधि को दर्शाया गया है :

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा विवेचन
परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल	उचित मूल्य का मूल्यांकन पुनर्वर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है।
एफ वी टी पी एल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख का उचित मूल्य इसके नए सकल वहन शेष राशि बन जाती है। इसी नई सकल वहन शेष राशि के आधार पर ई आई आर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफ वी टी ओ सी आई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को ओ सी आई में स्वीकार किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ई आई आर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफ वी टी ओ सी आई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत की वहन राशि बन जाती है। हालांकि, ओ सी आई में संचित लाभ व हानि को उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप परिसंपत्ति को इस प्रकार से मापा जाता है मानो इसे परिशोधित लागत पर ही हमेशा मापा जाता है।
एफ वी टी पी एल	एफ वी टी ओ सी आई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य नयी वहन राशि बन जाता है। अन्य किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
एफ वी टी ओ सी आई	एफ वी टी पी एल	परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाना जारी रहता है। ओसीआई में स्वीकृत/मान्य संचित नफा या नुकसान पुनर्वर्गीकरण की तारीख को लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

14.4 वित्तीय दस्तावेजों (लिखतों) का समायोजन (ऑफसेटिंग)

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देयताओं को समायोजित किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के समायोजन का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय है तथा परिसंपत्तियों की वसूली और देयताएं दोनों का शुद्ध राशि के आधार पर निपटान एक साथ करने की प्रवृति हो, तो शुद्ध राशि को समेकित तुलन-पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

15. उधार लागत

उधार लागतें ऐसी उधार लागतों जो सीधे तौर पर अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, यानी वे परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं, को छोड़कर एक प्रकार के यथा आवश्यक खर्चे हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए अर्हकारी परिसंपत्ति तैयार होती है।

16. कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग) आयकर की राशि वर्तमान कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण में जैसा कि वर्णित है "आयकर पूर्व लाभ" से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें वह आय के व्यय मद में शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद भी शामिल हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या संज्ञानात्मक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताएं आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्य होती हैं। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक विलंबित कर को मान्यता दी जाती है कि कर इसकी संभावना है कि कर कर योग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिसके लिए उस कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियां एवं देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, यदि अस्थायी शेष सद्भाव अथवा लेन-देन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं से उत्पन्न हुआ है जो न तो कर योग्य लाभ को न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी शेष के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी शेष को रिवर्स नहीं किया जाएगा उसे छोड़कर अन्य अनुषंगियों एवं संख्या में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी शेष के लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेशों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी शेष से उत्पन्न विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याजों को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

विलंबित कर परिसंपत्तियों की पिछली शेष की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दी जाती है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किए जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत विलंबित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है। विलंबित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी को निपटान नहीं किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस दर (टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों और संपत्तियों की माप उन कर परिणामों को दर्शाती है जिस तरह की उम्मीद कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि की वसूली या निपटान के लिए करती है।

वर्तमान एवं विलंबित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब ये अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य आइटम से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और विलंबित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक कर अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय समिश्रण के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से वर्तमान अथवा विलंबित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय समिश्रण के लिए लेखाकरण में टैक्स के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

17.कर्मचारियों को लाभ

17.1अल्पकालिक लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

17.2 नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

17.2.1 परिभाषित अंशदायी योजनाएं

एक परिभाषित योगदान योजना भविष्य निधि और पेंशन के लिए रोजगार के बाद की योजना है, जिसके तहत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत गठित एक अलग वैधानिक निकाय (कोल माइंस प्रोविडेंट फंड) द्वारा बनाए गए फंड में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए कंपनी के पास कोई कानूनी या संरचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए बाध्यताओं को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।।

17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

एक परिभाषित लाभ योजना परिभाषित अंशदान योजना के अलावा रोजगार के उपरांत की लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सकल दायित्व का परिकलन भावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित की है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है, यदि कोई है तो। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि में परिपक्वता तिथि होती है, जो कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती है और इसे उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट की दर के बारे में पूर्वानुमान परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी की दरें, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि शामिल हैं। योजनाएं लंबी अवधि के होने के कारण ऐसे अनुमानों में अनिश्चितता के मामले होते हैं। किसी बीमांकिक द्वारा प्रत्येक तुलन-पत्र में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथड का प्रयोग करके परिकलन किया जाता है। जब इस परिकलन के परिणाम अथवा योजना में भावी कटौतियां कंपनी के लाभ के होते हैं तो योजना से किसी भावी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ का वर्तमान मूल्य पर मान्य परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कंपनी के लिए एक आर्थिक लाभ उपलब्ध है, यदि योजना अवधि के दौरान अथवा योजना की देयताओं के निपटारे के समय यह वसूली योग्य है।

योजना की परिसंपत्तियों पर वसूली/वापसी (ब्याज को छोड़कर) तथा परिसंपत्तियों की अंतिम सीमा (यदि है, ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ एवं हानियों के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ देयता को तत्काल अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अंशदान और लाभों के भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) के लिए वार्षिक अवधि को शुरूआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए प्रयोग किए गए छूट दर को लागू करके उस अवधि के लिए कंपनी शुद्ध परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) पर ब्याज खर्च (आय) का निर्धारण करती है।

जब योजना के फायदे में सुधार होता है तो कर्मचारियों द्वारा की गई पहले की सेवा से संबंधित बढ़ी हुई लाभ का हिस्से को लाभ एवं हानि विवरण में सीधे खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

17.3. अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे एलटीसी, एलटीए, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सेटलमेंट भत्ता, सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना और खदान दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मुआवजे आदि को ऊपर वर्णित लाभ योजनाओं के आधार पर ही लागू किया गया है। इन लाभों के लिए कोई अलग से विशिष्ट निधि नहीं है।

18. विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (आईएनआर) है जो कि इसके संचालन क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा में लेनदेन उस तारीख में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार कंपनी की सूचित मुद्रा में किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में संचित मौद्रिक संपत्ति और देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान अवधि या उससे पहले की अवधि के दौरान मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं के निपटारे से उत्पन्न विनिमय भेद या मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं को आरंभ में परिवर्तित दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर वित्तीय विवरणों में इनकी पहचान लाभ और हानि विवरणों में इनके उत्पन्न होने वाली अवधि में की जाती है।

विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर-मौद्रिक वस्तुएं लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

19. स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/ समायोजन

खुली खदानों से खनन मामले में, कोयले की सीम के ऊपर मिट्टी और चट्टान से बने खदान अपशिष्ट पदार्थ (ओवर बर्डेन) को कोयले तक पहुंचने और इसके निष्कर्षण के लिए निकालने की आवश्यकता होती है। यह अपशिष्ट हटाने की गतिविधि 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जानी जाती है। खुली खदानों में, कंपनी को खदान के चालू रहने तक ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है (तकनीकी रूप से अनुमानित)।

इसलिए, नीतिगत रूप से, प्रति वर्ष एक मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली खानों में, स्ट्रिपिंग की लागत को खदान से राजस्व मिलने के बाद अनुपात-विचलन लेखा और स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति के विधिवत समंजन के साथ प्रत्येक खदान में तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबीःकोल) पर प्रभारित किया जाता है।

बैलेंस शीट की तिथि पर स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति और अनुपात के विचलन के कुल शेष को मामले के अनुसार गैर-मौजूदा प्रावधान/अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि समंजन के रूप में दिखाया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखा के अनुपात के लिए माना जाता है, जहां बताई गई मात्रा और मापी गई मात्रा के बीच भिन्नता निम्नानुसार दो वैकल्पिक अनुमत सीमाओं के निचले भाग के अंदर है -

खान के ओबीआर का वार्षिक घनत्व	भिन्नता की अनुमत सीमाएं (%)
1 मिलियन घन मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन मी. के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन मीटर से अधिक	+/- 2%

हालांकि, जहां भिन्नता ऊपर की अनुमति सीमा से परे है, वहां मापी गई मात्रा मानी जाती है।

एक लाख टन से कम की रेटेड क्षमता वाली खानों के मामले में, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान किए गए स्ट्रिपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ-हानि के विवरण में दिखाया जाता है।

20. वस्तु-सूची (इन्वेंटरी)

20.1 कोयला का स्टॉक

कोयला/ कोक की सूची, लागत के निचले स्तर और प्राप्य मूल्य पर बताई गई हैं। इन्वेंटरी की लागत की गणना "भारित औसत" पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य सूचियों के अनुमानित बिक्री मूल्य में इस बिक्री के लिए आवश्यक लागत और पूर्ण होने की पूरी अनुमानित लागत के अंतर को प्रदर्शित करता है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन वित्तीय विवरणों में माना जाता है जहां बुक स्टॉक और मापे गए स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक होता है और ऐसे मामलों में जहां अंतर +/- 5% से अधिक होता है, मापे गए स्टॉक पर आधारित होता है। इस तरह के स्टॉक को शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत में जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है। कोक को कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोयला और कोक-फाइन को कम लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग / सेमी-कोकिंग), वाशरियों के मिडलिंग और उप उत्पादों को शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

20.2 स्टोर और पुर्जे

केंद्रीय एंड क्षेत्रीय स्टोरों में भंडार और स्पेयर्स पार्ट्स (जिसमें खुले टूल्स भी शामिल हैं) का स्टॉक स्थिर मूल्य लेखा बही में प्रदर्शित शेष के अनुसार माना जाता है और इनका मूल्यांकन भारित औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है। कोलियरियों/उप भंडार/ड्रिलिंग कैंप्स/उपभोग केंद्रों में स्टोर और स्पेयर्स पार्ट्स की सूची को वर्ष की समाप्ति पर केवल वास्तविक रूप से सत्यापित स्टोरों के अनुसार माना जाता है और इनका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

बेकार, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जों के लिए 100% की दर से प्रावधान किए गए हैं तथा 5 साल एक ही स्थान पर रखे स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

20.3 अन्य वस्तु सूचियां (इन्वेंटरी)

चालू कार्य सहित कर्मशाला के कार्य का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। प्रेस के कार्यों के स्टॉक (चालू कार्य सहित) एवं प्रिंटिंग प्रेस में लेखन सामग्री तथा केंद्रीय अस्पताल में दवाइयों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

तथापि, लेखन सामग्री का स्टॉक (प्रिंटिंग प्रेस में पड़ी ऐसी सामग्रियों के अलावा) ईंट, बालू, दवाइयां (केंद्रीय अस्पताल में है, उन्हें छोड़कर) एयरक्राफ्ट के समान एवं रद्दी माल का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण उन्हें माल सूची में स्वीकार नहीं किए जाते है।

21. नकद एवं नकद समतुल्य

तुलन पत्र में शामिल नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक में जमा और हस्तगत नकद तथा तीन महीने या उससे कम समय के लिए मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में ऊपर परिभाषित किए गए नकदी और अल्पकालिक जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के शुद्ध को शामिल किया जाता है, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

22. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी एवं संरचनात्मक) हो और यह संभव हो कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ का बहिर्वाह (Out flow) आवश्यक हो और दायित्व की मात्रा का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। जहां धन का समय-मूल्य महत्वपूर्ण है वहां प्रावधानों का उल्लेख दायित्व निपटान के लिए अपेक्षित खर्च के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तुलन-पत्र की प्रत्येक तारीख को की जाती है और मौजूदा सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह (out flow) की आवश्यक होगी, अथवा राशि को विश्वसनीयता के साथ, अनुमानित नहीं किया जा सकता, वहां आकस्मिक देनदारी के रूप में दायित्व का खुलासा नहीं किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता दूरस्थ नहीं होती है। संभावित दायित्वों जिनकी उपस्थिति को एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं, जो कंपनी के पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, की पुष्टि केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति से ही की जाएगी उसे भी तब तक आकस्मिक देयताओं के रूप में खुलासा नहीं किया जा सकता जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह दूरस्थ नहीं होती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि आय की प्राप्ति लगभग निश्चित है तो संबंधित संपत्ति कोई आकस्मिक संपत्ति नहीं है और यह मान्यता उचित है।

23. प्रति शेयर उपार्जन

अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (Weighted average number) से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है। प्रति शेयर मूल उपार्जन प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर प्रति शेयर मिश्रित उपार्जन (diluted earnings) की गणना की जाती है और सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या की भी गणना की जाती है।

24. निर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन, मूल्यांकन एवं पूर्वानुमान करने की आवश्यकता पड़ती है जो लेखा नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रतिवेदित राशियों वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के खुलासे तथा इस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चो की राशियों को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक मूल्यांकन को शामिल करते हुए लेखा नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में पूर्वानुमानों के उपयोग का खुलासा किया गया है। एक अवधि में लेखा प्राक्कलन बदल सकता है। उन प्राक्कलनों से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों की समीक्षा चालू आधार पर (Ongoing basis) की जाती है। लेखांकन अनुमान के संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि ऐसा होता है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

24.1 निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

24.1.1 लेखा नीतियों का निर्माण

लेखा नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उनका प्रतिफल उन लेन-देन, या अन्य घटनाएं या स्थितियां जिनपर वे लागू होती है, के बारे में संगत तथा विश्वसनीय सूचना वाले वित्तीय विवरणों में दिखता है। उन नीतियों को तब लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उनको लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हों।

भारतीय लेखा मानक के अभाव में खासकर जो लेन-देन, अन्य घटना या दशा में लागू होते हैं, प्रबंधन ने अपने निर्णय का प्रयोग लेखा नीति का विकास करने एवं लागू करने में किया है जो इस सूचना में प्रतिफलित होता है :-

(क) प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता के लिए आर्थिक निर्णय में प्रासंगिक, और

(ख) उन वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता:

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना; (ii) न केवल कानूनी रूप में बल्कि लेन-देन की आर्थिक वास्तविकता, अन्य घटनाओं एवं दशाओं को परिलक्षित करते हैं (iii) तटस्थ होते हैं यानी पूर्वाग्रह से मुक्त (iv) विवेक पूर्ण होते हैं; और (v) अनुकूल आधार पर सभी महत्वपूर्ण मामलों में पूर्ण होते हैं।

प्रबंधन ने निर्णय लेते समय निम्नलिखित स्रोतों का अवरोही क्रम में संदर्भ एवं व्यवहार्यता के रूप में विचार किया है:

(क)समरूप एवं संबंधित मामलों का समाधान करने में भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताएं, और

(ख)ढांचे में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए परिभाषाओं, मान्यता की कसौटियां एवं मूल्यांकन अवधारणा।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और इसके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखा साहित्य और स्वीकृत उद्योग परंपराओं को विकसित करने के लिए एक समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, की नवीनतम घोषणाओं पर उस सीमा तक विचार करता है जब तक कि ये उपर्युक्त पैराग्राफ में स्रोतों के साथ विरोधाभाषी न हों।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण दशकों के दौरान चल रहे पट्टे की अवधि में फैले हुए विविध स्थलाकृतिक और भू-खनन क्षेत्रों पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है।) लेखा नीतियां जिन्हें अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित एवं विगत अनेक दशकों से इसके दृढ़ अनुप्रयोग के कारण विविध नियामकों द्वारा अनुमोदित विशेष औद्योगिक कार्यों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है। जो क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में है, वैसे कुछ खास क्षेत्रों में लेखा साहित्य, दिशानिर्देश एवं मानकों के अभाव में कंपनी लेखा साहित्य विकसित करने के साथ-साथ लेखा नीतियों को विकसित करना जारी रखती है और उसमें हुए किसी सुधार/विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में उपर्युक्त अधिक स्पष्टता से उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशित रूप में लिया जाता है।

लेखांकन के आकस्मिक आधार का प्रयोग करते हुए चालू संस्था के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते है।

24. 1. 2.सारवानता (महत्ता)

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागू होता है जो महत्वपूर्ण/सारवान हैं। प्रबंधन मूल्यांकन का प्रयोग यह तय करने के लिए करता है कि वित्तीय विवरणों में कोई खास एकल मद या मदों के समूह महत्वपूर्ण है या नहीं। सारवानता (महत्ता) को वस्तु के प्रकृति या परिमाण या दोनों मदों के संदर्भ में आंका जाता है। निर्णायक कारक यह होता है कि क्या किसी सूचना को एकल रूप से या अन्य सूचना के संयोजन में हटाने या गलत बताने अथवा अस्पष्ट करने से वे निर्णयों प्रभावित हो सकते हैं जिन्हें प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भी भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए सारवानता (महत्ता) के निर्णय का उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानूनी रूप से आवश्यक होने पर सारहीन मदों को अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी होने के साथ, चालू वर्ष में ज्ञात हुई पूर्व वर्ष से संबंधित त्रुटियों / चूकों को सारहीन समझा जाता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है, यदि कंपनी के अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक शुल्क के बाद) का 1% से अधिक नहीं हैं।

24.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा अनुबंध किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थापन की शर्तों व निबंधन के मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित किया है कि जैसे व्यावसायिक संपत्ति को आर्थिक जीवन का कोई बड़ा भाग नहीं बनने वाली पट्टा अवधि एवं परिसंपत्ति का उचित मूल्य जो सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं इन संपत्तियों के स्वामित्व के पुरस्कारों, परिचालन पट्टे के रूप में संविदाओं के लिए हिसाबों को सुरक्षित रखता है।

24.2 प्राक्कलन एवं अनुमान

भविष्य से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान तथा रिपोर्टिंग की तारीख को आकलन की अनिश्चितता का मुख्य स्रोत जिनके पास अगले वित्त वर्ष के अंदर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पिछली राशियों के वास्तविक समायोजन का कारक बनने वाले महत्वपूर्ण जोखिम हैं, को नीचे वर्णित किया गया है। जब वित्तीय विवरण तैयार किए गए तब उपलब्ध मानदंडों पर कंपनी द्वारा अपने पूर्वानुमानों एवं प्राक्कलनों को आधार बनाया गया। फिर भी, भावी विकास के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों एवं पूर्वानुमान बाजार में बदलाव अथवा उत्पन्न परिस्थितियां जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं, के कारण बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब उत्पन्न होते हैं, तो पूर्वानुमानों में प्रतिबिंबित होते हैं।

24.2.1 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य के निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है तो यह हानि का एक संकेत है। कंपनी विशेष/अलग-अलग खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कि कंपनी अभी तक इसके लिए या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है जो परीक्षण की जी रही सीजीयू परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और एक्सट्रापलेशन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन संरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं आगे संबंधित टिप्पणियों में बताई गई हैं।

24.2.2 कर (Taxes)

अप्रत्याशित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटा माना गया है, क्योंकि यह संभावना है कि कर योग्य उपलब्ध लाभ का उपयोग नुकसान के लिए किया जा सकता है। स्थगित कर संपत्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसे भावी कर योजना के साथ संभावित समय और भावी कर योग्य लाभ के स्तर पर रणनीतियां बनाने में प्रयोग किया जा सकता है।

24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ उपदान योजनाएं और अन्य प्रकार की नियोजन के पश्चात चिकित्सा लाभ और उपदान बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य का लागत निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न अनुमान किए जाते हैं जो कि भविष्य में होने वाले वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इसमें रियायती दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन की विभिन्न जटिलताओं और इसकी दीर्घकालीन प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ बाध्यताएं इन अनुमानों में परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील होती हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है। रियायती दर के बदलने की संभावना सर्वाधिक होती है। भारत में परिचालित योजनाओं के समुचित रियायती दर के निर्धारण में, प्रबंधन सरकारी बॉण्डों की ब्याज दरों के साथ समान रूप से नियोजन पश्चात लाभ बाध्यताओं पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश की मृत्यु दर तालिका पर आधारित होती है। इस मृत्यु दर तालिका में जन-सांख्यिकी परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में निश्चित अंतरालों पर परिवर्तन होता है। भविष्य की वेतन वृद्धि और उपदान वृद्धि भविष्य में प्रत्याशित मुद्रास्फीति दर पर आधारित होती है।

24.2.4 वित्तीय लिखतों/साधनों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तब उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल सहित सामान्य तौर पर स्वीकार्य मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए मापा जाता है। इन मॉडलों में इनपुट को जहां संभव हो प्रेक्षणीय बाजार से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्य के निर्धारण में एक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णय में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट/प्रतिफलों का विचार किया जाता है। इन कारकों में अनुमान और प्राक्कलन में परिवर्तन वित्तीय लिखतों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य प्रभावित कर सकता है।

24.2.5 विकास के तहत अप्रत्यक्ष संपत्ति

कंपनी लेखा नीति के अनुरूप किसी परियोजना के लिए विकास के तहत परिसंपत्तियों का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है जिसमें सामान्यतः एक परियोजना रिपोर्ट बनाकर अनुमोदित कर उसकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर ली जाती है।

24.2.6 खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान

खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, खदान स्थल पुनरुद्धार और विनष्टीकरण तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निम्नलिखित आधार पर परियोजना/खदान के जीवन पर विचार करते हुए डीसीएफ विधि का प्रयोग कर प्राक्कलन तैयार किया जाता है.

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विशिष्टताओं के अनुसार प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- रियायती दर (कर पूर्व दर) जिस पर राशि के समय आधारित मूल्य के वर्तमान बाजार के अनुसार मूल्यांकन और विशेष रूप देयताओं के जोखिम पर प्रभाव डालते हैं।

25. प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

क	CGU	नकद उत्पाद इकाई
ख	DCF	रियायती नकदी प्रवाह
ग	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य
घ	FVTPL	लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य
ड.	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत
च	Ind AS	भारतीय लेखा मानक
छ	OCI	अन्य व्यापक आय
ज	P&L	लाभ व हानि
झ	PPE	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण
ट	SPPI	मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान
ठ	EIR	प्रभावी ब्याज दर

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां
टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड भूमि)	अन्य भूमि	भूमि पुनर्स्थापना / साइट बहाली लागत	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया आदि सहित)	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर और जुड़नार	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारभूत संरचना	अप्रयुक्त (Surveyed Off) परिसंपत्तियां	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:															
1 अप्रैल 2019 को	104.83	2.07	319.63	313.59	1496.32	1.20	9.74	7.89	10.01	4.82	-	150.89	37.98	0.88	2459.85
परिवर्धन	4.12	-	18.21	8.94	172.23	1.70	-	0.59	14.27	0.85	-	18.77	12.26	-	251.94
विलोपन / समायोजन	-	-	(95.91)	-	(56.52)	-	-	-	(1.02)	(0.21)	-	-	(6.45)	-	(160.11)
31 मार्च 2020 को	**108.95**	**2.07**	**241.93**	**322.53**	**1612.03**	**2.90**	**9.74**	**8.48**	**23.26**	**5.46**	**-**	**169.66**	**43.79**	**0.88**	**2551.68**
1 अप्रैल 2020 को वर्ष के समापन	108.95	2.07	241.93	322.53	1612.03	2.90	9.74	8.48	23.26	5.46	-	169.66	43.79	0.88	2551.68
परिवर्धन	3.40	-	38.78	48.67	426.98	0.13	65.63	3.85	8.37	0.79	-	127	10.91	-	734.51
विलोपन / समायोजन	(0.82)	-	(1.03)	-	(80.42)	-	-	-	(0.91)	(0.31)	-	(31.86)	(8.89)	-	(124.24)
31 मार्च 2021 को	**111.53**	**2.07**	**279.68**	**371.2**	**1958.59**	**3.03**	**75.37**	**12.33**	**30.72**	**5.94**	**-**	**264.8**	**45.81**	**0.88**	**3161.95**
संचित मूल्यह्रास और नुकसान															
1 अप्रैल 2019 को	-	0.68	96.54	57.99	743.39	0.51	3.99	4.10	5.52	2.52	-	109.64	1.10	-	1025.98
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.19	19.47	14.62	132.56	0.13	0.34	0.88	4.15	0.36	-	5.65	-	-	178.35
क्षति	-	-	-	-	13.03	-	-	-	0.09	-	-	6.06	-	-	19.18
विलोपन/ समायोजन	-	-	(47.3)	-	(44)	-	-	(0.01)	(0.81)	(0.02)	-	-	(0.02)	-	(92.16)
31 मार्च 2020 को	**-**	**0.87**	**68.71**	**72.61**	**844.98**	**0.64**	**4.33**	**4.97**	**8.95**	**2.86**	**-**	**121.35**	**1.08**	**-**	**1131.35**
1 अप्रैल 2020 को	-	0.87	68.71	72.61	844.98	0.64	4.33	4.97	8.95	2.86	-	121.35	1.08	-	1131.35
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.17	20.44	14.9	151.47	0.30	5.68	1.07	6.65	0.27	-	7.37	-	-	208.32
क्षति	-	-	-	-	1.24	-	-	-	-	-	-	4.30	-	-	5.54
विलोपन / समायोजन	-	-	-	2.41	(69.82)	-	-	-	(0.71)	-	-	-	-	-	(68.12)
31 मार्च 2021 को	**-**	**1.04**	**89.15**	**89.92**	**927.87**	**0.94**	**10.01**	**6.04**	**14.89**	**3.13**	**0**	**133.02**	**1.08**	**-**	**1277.09**
निवल वहन राशि															
31 मार्च 2021 को	**111.53**	**1.03**	**190.53**	**281.28**	**1030.72**	**2.09**	**65.36**	**6.29**	**15.83**	**2.81**	**-**	**131.78**	**44.73**	**0.88**	**1884.86**
31 मार्च 2020 को	**108.95**	**1.20**	**173.22**	**249.92**	**767.05**	**2.26**	**5.41**	**3.51**	**14.31**	**2.6**	**-**	**48.31**	**42.71**	**0.88**	**1420.33**

टिप्पणी

भूमि

1. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के तहत अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए अलग से स्वामित्व विलेख (टाईटल डीड) की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रीहोल्ड भूमि के कुछ मामलों, जिसमें कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं, को छोड़कर अधिग्रहीत भूमि के लिए लगभग सभी स्वामित्व विलेख (टाईटल डीड) प्राप्त हो चुके हैं और कंपनी के पक्ष में उनका दाखिल-खारिज भी हो चुका है।

2. भूमि सुधार/ स्थल पुनर्स्थापन लागत में खान बंदी पर किए जाने वाले अनुमानित लागत को बढ़ी हुई मुद्रास्फीति (5% प्रतिवर्ष) के साथ शामिल होता है और फिर 8% की दर से छूट दी जाती है, जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।

3. पूर्ण स्वामित्व वाली शेष भूमि भुगतान कार्यालय के लेखा बही में भूमि अभिलेखों के साथ मिलाने के अंतर्गत है।

4. कोयलाधारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के तहत अधिगृहीत भूमि सहित अन्य को शामिल किया गया है।

5. कंपनी के स्वामित्व में आने वाली लगभग 486.75 एकड़ भूमि, संवेदनशील अतिक्रमण किया हुआ क्षेत्र है, जिसमें से कुछ क्षेत्र को वापस अधिकार में ले लिया गया है, जिसकी मात्रा का निर्धारण किया जा रहा है।

संयंत्र और उपकरण

" संयंत्र और उपकरण में बंद उपकरण एवं कलपूर्जे भी शामिल हैं, जो पीपीई के रूप में मान्यता के मानदंड को पहचान करते हैं, लेकिन जिन्हें अभी तक स्टोर से जारी नहीं किया गया है।"

अन्य

1. कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय अधिगृहीत परिसंपत्तियों एवं देयताओं के साथ ही साथ भारत के कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन, चार अन्य चिकित्सालयों सहित केन्द्रीय चिकित्सालय, भारत सरकार का माइंस रेस्क्यू स्टेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चार वाशरियों, पूर्व कोल बोर्ड एवं केन्द्रीय झरिया परियोजना को भारत सरकार द्वारा कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयलाधारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत अधिगृहीत भूमि परिवर्तन का कानूनी प्रश्न नहीं उठता, चूंकि इसका अधिकार, हक और हित पूर्णतः केन्द्र सरकार में निहित रहता है, जो कि एक सरकारी कंपनी के रूप में बीसीसीएल को हस्तांतरित है।

2. माइंस रेस्क्यू स्टेशन तथा कोयला श्रमिक संगठन से संबंधित परिसंपत्तियों, जिन्हें कंपनी में हस्तांतरित किया गया है और जिन्हें कंपनी द्वारा अधिग्रहीत किया जा चुका है, को लेखा में दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि उपर्युक्त इकाइयों के हस्तांतरण के समय लेखा- मूल्य कंपनी को उपलब्ध नहीं था।

3. कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कवर की गई संपत्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा ₹ 0.88 करोड़ मूल्य की जमीन सहित कुल ₹ 11.46 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियों को अधिग्रहण किया गया है। (जिनका मात्रात्मक एवं मूल्य वार विवरण उपलब्ध नहीं है), जिन पर जमीन छोड़कर , मूल्यह्रास का लेखा में पूर्णतया प्रावधान किया गया है।

हानिकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान नियमित रूप से घाटे में चल रही खदानों में अन्वेषण, बोरिंग एवं विकास पर व्यय के मद में ₹ 5.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 19.18 करोड़) की हानि हुई, जिसे लाभ-हानि के विवरण में दर्शाया गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 4 : पूंजीगत कार्य प्रगति (डब्ल्यूआईपी)

(₹ करोड़ में)

	भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुल सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	क्रमागत उन्नति	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:						
1 अप्रैल 2019 को वर्ष के समापन पर	672.16	571.35	70.04	273.50	-	1,587.05
परिवर्धन	83.31	212.97	1.14	143.45	-	440.87
पूंजीकरण / विलोपन	(0.82)	(223.39)	-	(54.84)	-	(279.05)
31 मार्च 2020 को	**754.65**	**560.93**	**71.18**	**362.11**	**-**	**1,748.87**
1 अप्रैल 2020 को वर्ष के समापन पर	754.65	560.93	71.18	362.11	-	1,748.87
परिवर्धन	51.05	271.77	43.05	115.74	-	481.61
पूंजीकरण / विलोपन	(79.90)	(490.14)	(66.15)	(156.73)	-	(792.92)
31 मार्च 2021 को	**725.80**	**342.56**	**48.08**	**321.12**	**-**	**1,437.56**
संचित प्रावधान और नुक़सान						
1 अप्रैल 2019 को	4.90	21.99	-	17.24	-	44.13
वर्ष के लिए प्रभार	0.68	2.27	-	-	-	2.95
क्षति	-	-	-	-	-	-
विलोपन /समायोजन	0.33	(0.68)	-	(0.12)	-	(0.47)
31 मार्च 2020 को	**5.91**	**23.58**	**-**	**17.12**	**-**	**46.61**
1 अप्रैल 2020 को वर्ष के समापन पर	5.91	23.58	-	17.12	-	46.61
वर्ष के लिए प्रभार	0.71	2.09	0.33	0.31	-	3.44
क्षति	-	-	-	-	-	-
विलोपन /समायोजन	(0.07)	(2.34)	-	-	-	(2.41)
31 मार्च 2021 को	**6.55**	**23.33**	**0.33**	**17.43**	**-**	**47.64**
शुद्ध वहन राशि						
31 मार्च 2021 को	**719.25**	**319.23**	**47.75**	**303.69**	**-**	**1,389.92**
31 मार्च 2020 को	**748.74**	**537.35**	**71.18**	**344.99**	**-**	**1,702.26**

टिप्पणी:

1. पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत प्रदर्शित "विकास" पूर्ण होने वाले प्रतीक्षित कार्यों से संबंधित है।
2. संयंत्र और उपकरण पर प्रावधान किया गया है जो कि तीन वर्षों से अधिक समय तक उपयोग नहीं किए गए हैं और चार से अधिक वर्षों तक अवमूल्यन की दर से पूंजीगत कार्य-प्रगति में अधूरे सिविल कार्य पड़े हैं जो अन्यथा ऐसी वस्तुओं पर लागू होता।
3. नूनीडीह और भूली सहित भीमकनाली टाउनशिप के ₹ 5.21 करोड़ मूल्य के "A" टाइप माइनर्स क्वार्टरों पर कब्जा किया जा रहा है और ये आवास उपयोग में हैं लेकिन मध्यस्थता / मुकदमे बाजी के कारण पूंजीकरण नहीं किया जा सका है। हालांकि, खातों में मूल्यह्रास की दर से आवश्यक प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। 31.03.2021 को संचित प्रावधान ₹1.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.76 करोड़) है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 5 : अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल 2019 को	552.26
परिवर्धन	92.90
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2020 को	**645.16**
1 अप्रैल 2020 को	645.16
परिवर्धन	22.72
विलोपन / समायोजन	(250.00)
31 मार्च 2021 को	**417.88**
संचित प्रावधान और नुक़सान	
1 अप्रैल 2019 को	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
क्षति	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2020 को	**-**
1 अप्रैल 2020 को	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
क्षति	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2021 को	**-**
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च 2021 को	**417.88**
31 मार्च 2020 को	**645.16**

टिप्पणी:

बीसीसीएल की उत्पादन क्षमता 100 मि. टन वार्षिक के स्तर तक बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या- CBA113016/12/2017-CBA1 (FTS:33 6523) दिनांक 19.02.2018 के माध्यम से बीसीसीएल को निम्नलिखित चार ब्लॉकों का आवंटन किया गया है-

कोल ब्लॉक	**कोलफील्ड्स एवं राज्य**
मंदार पर्वत	राजमहल, बिहार
धूलिया नॉर्थ	राजमहल, झारखंड
मिर्जागांव	राजमहल, बिहार
पीरपैंती बाराहाट	राजमहल, झारखंड

दिनांक 20.02.2019 को संपन्न बीसीसीएल बोर्ड की 339वीं बोर्ड बैठक और दिनांक 21.02.2019 को संपन्न सी आई एल बोर्ड की बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार ₹ 125 करोड़ प्रत्येक ब्लॉक की दर से कोयला मंत्रालय को ₹ 500 करोड़ के अग्रिम प्रभार का भुगतान किया जा चुका है।

2. बीसीसीएल बोर्ड में धूलिया नॉर्थ और मिर्जागांव कोल ब्लॉक को सरेंडर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तदनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह इन कोयला ब्लॉकों के छोड़ने के अनुरोध को स्वीकार करे और उपरोक्त दो कोयला ब्लॉकों के लिए बीसीसीएल द्वारा जमा राशि वापस लौटाए। कोयला मंत्रालय ने पत्र दिनांक 11.12.2020 के माध्यम से बीसीसीएल के उपरोक्त दो कोयला ब्लॉकों के समर्पण और बीसीसीएल द्वारा पहले भुगतान की गई अग्रिम राशि की वापसी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 6 : अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:			
1 अप्रैल 2019 को	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2020 को	-	-	-
1 अप्रैल 2020 को	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2021 को	-	-	-
संचित परिशोधन और नुक़सान	-	-	-
1 अप्रैल 2019 को	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-
क्षति	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2020 को	-	-	-
1 अप्रैल 2020 को	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-
क्षति	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2021 को	-	-	-
निवल वहन राशि	-	-	-
31 मार्च 2021 को	-	-	-
31 मार्च 2020 को	-	-	-

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	इकाइयों की संख्या	प्रति इकाई एनएवी/एफवी	वर्ष के समापन पर	
			31.03.2021	31.03.2020
गैर-मौजूदा				
अन्य निवेश				
आरबीआई पावर बाँड			-	-
कुल			**-**	**-**
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि:			-	-
उद्धृत निवेशों की कुल राशि:			-	-
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य:			-	-
निवेश के मूल्य में नुकसान की कुल राशि:			-	-
वर्तमान				
म्युचुअल फंड निवेश				
एसबीआई म्युचुअल फंड	0/(16892.83)	1,003.25	-	1.69
यूटीआई म्युचुअल फंड	0/(22635.58)	1,019.45	-	2.31
कुल			**-**	**4.00**
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि:			-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			-	4.00
गैर-उद्धृत निवेशों का उचित मूल्य (एनएवी):			-	-
निवेश के मूल्य में नुकसान की कुल राशि:			-	-

म्युचुअल फंड के बारे में संक्षिप्त जानकारी:

कंपनी उपर्युक्त म्युचुअल फंड की तरलता योजना (दैनिक लाभांश) में निवेश करती है। दैनिक लाभांश योजना में, म्युचुअल फंड की इकाइयों के रूप में दैनिक आधार पर लाभांश प्राप्त होते हैं और योजना के एनएवी का मूल्य स्थिर रहता है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर			
	31.03.2021		31.03.2020	
गैर-मौजूदा				
अन्य ऋण				
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		0.07	
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
- खराब साख	-		-	
	-		0.07	
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-	-	0.07
कुल		**-**		**0.07**
वर्गीकरण				
सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के		-		0.07
असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के		-		-
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि		-		-
खराब साख		-		-
वर्तमान				
अन्य ऋण				
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
- खराब साख	-		-	
	-		-	
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-	-	-
कुल		**-**		**-**
वर्गीकरण				
सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के		-		-
असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के		-		-
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि		-		-
खराब साख		-		-

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर			
	31.03.2021		31.03.2020	
गैर-मौजूदा				
बैंक जमा[1]		-		3.89
निम्न मदों के तहत बैंक में जमा राशि				
खदान बंदी योजना[2]	516.09		455.63	
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	516.09	-	455.63
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	12.67		12.70	
घटाएं: संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान	0.67	12.00	0.36	12.34
अन्य जमा एवं प्राप्य	0.04		-	
घटाएं: प्रावधान	-	0.04	-	-
कुल		**528.13**		**471.86**

टिप्पणी:

1. बैंक जमाओं के अंतर्गत 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाएं आती हैं, जिसकी राशि ₹ 0.00 करोड़ (गत वर्ष ₹ 3.89 करोड़) बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी के रूप में बैंक के पास गिरवी है।
2. खदान बंदी योजना के तहत बैंक के पास जमा:

क. खदान बंदी योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से दिशानिर्देशों के बाद, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार खदान बंदी योजना के आवधिक परीक्षण के अनुसार एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित कुल जमा राशि का 50% तक हर पांच साल के बाद जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली / खदान बंदी के प्रावधान के लिए टिप्पणी 21 देखें)।

ख. एस्क्रो खाते के जमाशेष का मिलान	**31.03.2021**	**31.03.2020**
एस्क्रो खाते में आरंभिक तारीख को जमाशेष	455.63	370.69
जोड़ें: वर्तमान वर्ष के दौरान जमा राशि	68.29	60.88
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा की गयी ब्याज	28.59	24.06
घटाएं: वर्तमान वर्ष के दौरान समायोजन	0.00	0.00
घटाएं: वर्तमान वर्ष के दौरान निकाली गयी राशि	36.42	-
अंतिम तारीख को एस्क्रो खाते में जमाशेष	**516.09**	**455.63**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 9 (i) : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर			
	31.03.2021		**31.03.2020**	
वर्तमान				
सीआईएल के साथ अधिशेष निधि		-		-
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जमा शेष		-		-
सीआईएल के साथ चालू खाता		-		-
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं		-		-
अर्जित ब्याज		0.01		71.92
दावे और अन्य प्राप्य [1]	285.32		166.09	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	4.95	280.37	4.95	161.14
कुल		**280.38**		**233.06**

टिप्पणी:

1. दावा और अन्य प्राप्तियों में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन अधिनियम), 1957 के प्रावधानों के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटित धूलिया उत्तर और मिर्जागांव कोयला ब्लॉकों के समर्पण के कारण अग्रिम शुल्क की वापसी के लिए ₹ 250.00 करोड़ (पिछले वर्ष 0.00 करोड़) शामिल हैं।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 10 : अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर			
	31.03.2021		31.03.2020	
(i) पूंजी अग्रिम	124.64		145.55	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	4.4	120.24	4.4	141.15
(ii) पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम				
(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-		-	
घटाएं : संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान	-	-	-	-
(ख) अन्य जमा एवं अग्रिम	0.36		0.36	
घटाएं :संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान	-	0.36	-	0.36
(ग) प्रगतिशील खदान बंदी में किया गया खर्च[1]		237.06		234.86
(ग) स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		568.46		375.29
कुल		**926.12**		**751.66**

टिप्पणी:

1. प्रगतिशील खदान बंदी में होने वाले खर्चे इस प्रयोजन के लिए संचालित एस्क्रो खाते से प्राप्त होने वाले हैं। ब्लॉक अवधि 2013-14 से 2017-18 के लिए, IIEST, शिबपुर के माध्यम से CCO द्वारा ₹ 220.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) का अंकेक्षण किया गया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 में उसकी अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। इसमें से ₹137.83 करोड़ गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों से संबंधित हैं जैसा कि ऊपर दिखाया गया है और ₹ 83.11 करोड़ की शेष राशि वर्तमान संपत्तियों से संबंधित है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 11 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

		वर्ष के समापन पर			
		31.03.2021		**31.03.2020**	
(क)	पूंजी के लिए अग्रिम	-		-	
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-
(ख)	राजस्व के लिए अग्रिम	25.58		23.88	
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.1	24.48	1.1	22.78
(ग)	सांविधिक देय राशि का अग्रिम भुगतान	57.16		55.13	
	घटाएं : बकाया के लिए प्रावधान	-	57.16	-	55.13
(घ)	संबंधित पक्षों के लिए अग्रिम		**-**		**-**
(ड.)	अन्य अग्रिम एवं जमाएं	1118.73		1229.98	
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	1118.73	-	1229.98
(च)	प्रगतिशील खदान बंदी में किया गया व्यय		46.69		111.11
(छ)	इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	865.82		493.05	
	घटाएं : प्रावधान	-	865.82	-	493.05
(ज)	मेट (MAT) क्रेडिट पात्रता	-		-	
	घटाएं : प्रावधान	-	-	-	-
	कुल		**2112.88**		**1912.05**

टिप्पणी:

1. प्रगतिशील खदान बंदी में होने वाले खर्चे इस प्रयोजन के लिए संचालित एस्क्रो खाते से प्राप्त होने वाले हैं। ब्लॉक अवधि 2013-14 से 2017-18 के लिए, IIEST, शिबपुर के माध्यम से CCO द्वारा ₹ 220.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) का अंकेक्षण किया गया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 में उसकी अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। इसमें से ₹137.83 करोड़ गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों से संबंधित है और ₹ 83.11 करोड़ की शेष राशि वर्तमान संपत्तियों से संबंधित है। चालू वर्ष के दौरान ₹ 83.11 करोड़ के कुल दावा राशि में से ₹ 36.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) प्राप्त हुए हैं।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 12 : वस्तु-सूची (इन्वेंटरी)

(₹ करोड़ में)

		वर्ष के समापन पर			
		31.03.2021		31.03.2020	
क.	कोयले का स्टॉक	1126.84		630.50	
	विकास के तहत कोयला	-		-	
	कोयले का स्टॉक (शुद्ध)		1126.84		630.50
ख.	भंडार और पुर्जों का स्टॉक (लागत पर)	52.61		57.90	
	जोड़ें: पारगमन के तहत भंडारण	2.36		5.21	
	शुद्ध भंडार और पुर्जों का स्टॉक (लागत पर)		54.97		63.11
ग.	केन्द्रीय अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक		2.55		2.61
घ.	कर्मशाला और प्रेस कार्य (Jobs)		3.52		4.55
	कुल		**1187.88**		**700.77**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

तालिका: क

टिप्पणी 12 से संबंधित अनुलग्नक

31.03.2021 को वर्ष के समापन पर बही स्टॉक के साथ लेखा खातों में लिए गए कच्चे कोयला के अंतिम स्टॉक का मिलान

(₹ करोड़ में)
(मात्रा लाख टन में)

	कुल स्टॉक		गैर-बिक्री योग्य स्टॉक		बिक्री योग्य स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. 01.04.20 को आरंभिक स्टॉक	**23.49**	**334.38**	**-**	**-**	**23.49**	**334.38**
आरंभिक स्टॉक में समायोजन	0.15	4.67	0.15	-	0	4.67
2. उत्पादन [1]	246.56	6275.44	-	-	246.56	6275.44
3. उप-योग	**270.2**	**6614.49**	**0.15**	**-**	**270.05**	**6614.49**
4. उठान (ऑफ टेक) :						
(क) बाहरी प्रेषण	204.96	5154.87	-	-	204.96	5154.87
(ख) वाशरियों में खपत	26.27	781.61	-	-	26.27	781.61
(ग) निजी खपत / सी डब्ल्यू आई पी	0.04	1.65	-	-	0.04	1.65
4. उप-योग	**231.27**	**5938.13**	**-**	**-**	**231.27**	**5938.13**
5. व्युत्पन्न स्टॉक (3-4)	38.93	676.36	0.15	-	38.78	676.36
6. मापा गया स्टॉक	38.09	661.04	0.14	-	37.95	661.04
7. अंतर (5-6)	0.84	15.32	0.01	-	0.83	15.32
8. अंतर का विवरण:						
(क) 5% के भीतर की अधिकता	0.03	0.45	-	-	0.03	0.45
(ख) 5% के भीतर की कमी	0.87	15.77	0.01	-	0.86	15.77
(ग) 5% से ऊपर की अधिकता	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक की कमी	-	-	-	-	-	-
9. 31.03.2021 को लेखा में लिया गया अंतिम स्टॉक (6-8क+ 8ख)	**38.93**	**676.36**	**0.15**	**-**	**38.78**	**676.36**

टिप्पणी:

1. उत्पादन में कच्चे कोयले की मात्रा में 55 टन तौल-वृद्धि (शुद्ध) शामिल है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनीरत्न कंपनी)

तालिका : ख

टिप्पणी 12 से संबंधित अनुलग्नक

31.03.2021 को वर्ष के समापन पर आरंभिक स्टॉक, उत्पादन, उठाव (ऑफटेक) और अंतिम स्टॉक का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	कच्चा कोयला				धुला हुआ / स्लेटी पत्थर रहित कोयला				अन्य उत्पाद		सभी उत्पादों का योग	
	कोकिंग		गैर-कोकिंग		कोकिंग		गैर-कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आरंभिक स्टॉक (अंकेक्षित)	**22.32**	**267.46**	**1.17**	**66.92**	**0.72**	**18.96**	**0.20**	**2.26**	**55.69**	**683.99**	**80.10**	**1039.59**
घटाएं: गैर-बिक्री योग्य कोयला	**0.15**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-
बिक्री योग्य आरंभिक स्टॉक (अंकेक्षित)	**22.17**	**267.46**	**1.17**	**66.92**	**0.72**	**18.96**	**0.20**	**2.26**	**55.69**	**683.99**	**79.95**	**1039.59**
बिक्री योग्य स्टॉक का समायोजन	0.16	60.49	(0.01)	(55.82)	**0.10**	**8.7**	-	-	**1.08**	**18.49**	1.33	31.86
उत्पादन (जब्त किए गए कोयला सहित)	**233.84**	**6060.83**	**12.72**	**214.61**	**7.5**	**560.92**	-	-	**19.15**	**571.05**	**273.21**	**7407.41**
उठाव (ऑफटेक): प्रेषण	198.87	5061.95	6.09	92.92	7.55	567.15	-	-	13.16	427.79	225.67	6149.81
वाशरी के लिए इस्तेमाल किया गया कोयला	21.79	697.23	4.48	84.38	-	-	-	-	-	-	26.27	781.61
निजी खपत / सीडब्ल्यूआईपी	0.04	1.65	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	1.65
कुल उठाव (ऑफटेक)	**220.7**	**5760.83**	**10.57**	**177.3**	**7.55**	**567.15**	-	-	**13.16**	**427.79**	**251.98**	**6933.07**
अंतिम स्टॉक/ लेखा बही में स्टॉक	**35.47**	**627.95**	**3.31**	**48.41**	**0.77**	**21.43**	**0.20**	**2.26**	**62.76**	**845.74**	**102.51**	**1545.79**
कमी / अधिशेष (- / + 5 % से ऊपर)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिक्री योग्य अंतिम स्टॉक	**35.47**	**627.95**	**3.31**	**48.41**	**0.77**	**21.43**	**0.20**	**2.26**	**62.76**	**845.74**	**102.51**	**1545.79**

(₹ करोड़ में)

उत्पाद का नाम	31.03.2021 को			31.03.2020 को		
	स्टॉक का सकल मूल्य	प्रावधान	स्टॉक का शुद्ध मूल्य	स्टॉक का सकल मूल्य	प्रावधान	स्टॉक का शुद्ध मूल्य
कच्चा कोयला	676.36	3.68	672.68	334.38	3.68	330.7
धुला हुआ कोयला	**23.69**	**6.58**	**17.11**	**21.22**	**9.05**	**12.17**
अन्य उत्पाद	**845.74**	**408.69**	**437.05**	**683.99**	**396.36**	**287.63**
कुल	**1545.79**	**418.95**	**1126.84**	**1039.59**	**409.09**	**630.5**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 13 : व्यापार प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर			
	31.03.2021		31.03.2020	
वर्तमान				
व्यापार प्राप्तियां[2]				
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के[3]	44.04		46.61	
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के[4]	2960.76		2368.11	
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-		-	
- खराब साख	510.99	3515.79	739.66	3154.38
घटाएं : खराब और संदिग्ध ऋण के लिए छूट	510.99	510.99	739.66	739.66
कुल		**3004.8**		**2414.72**
कर्जदारों की समय अवधि:				
< 3 महीने	1510.87		1924.9	
3-6 महीने	892.25		326.74	
6 महीने -1 वर्ष	459.9		8.94	
1-2 वर्ष	163.41		77	
2-3 वर्ष	197.26		324.42	
> 3 वर्ष	292.1	3515.79	492.38	3154.38
कुल		**3515.79**		**3154.38**

टिप्पणी:

1. निदेशकों से अथवा कंपनी के अन्य अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई भी व्यापार प्राप्तियां बकाया नहीं है और न ही एसी फर्मों या निजी कंपनियों से कोई व्यापारिक प्राप्तियां बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक क्रमशः साझीदार, निदेशक या सदस्य है।
2. उपर्युक्त व्यापार प्राप्तियां कोयला गुणवत्ता के लिए प्रावधान भिन्नता का समंजन है जो ₹ 123.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.24 करोड़) के बराबर है
3. व्यापार प्राप्तियां: सुरक्षित व्यापार प्राप्तियां ₹ 52.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 46.83 करोड़) की बैंक गारंटी के सामने सुरक्षित हैं।
4. व्यापार प्राप्तियां: अच्छी माने जाने वाली असुरक्षित व्यापार प्राप्तियों में संबंधित वैधानिक देयता बकाया के साथ बाजार शुल्क के कारण सेल से प्राप्य ₹ 114.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 103.97 करोड़) की राशि शामिल है। सेल ने माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड में कई आधारों पर बाजार शुल्क की ऐसी मांग के संबंध में एक याचिका दायर की है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 14 : नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

		वर्ष के समापन पर	
		31.03.2021	**31.03.2020**
(क)	बैंकों में जमा शेष		
	- जमा खातों में	-	-
	- चालू खातों में		
	ब्याज के साथ (सीएलटीडी)[1 और 2]	36.17	60.28
	गैर-ब्याज के साथ	12.49	(25.99)
	- नकद क्रेडिट खातों में	-	-
(ख)	भारत के बाहर बैंक जमा शेष	-	-
(ग)	हस्तगत चेक, ड्राफ्ट और स्टांप	-	-
(घ)	हस्तगत नकदी	0.01	0.01
(ङ)	भारत के बाहर हस्तगत नकदी	-	-
(च)	अन्य	-	-
	कुल	**48.67**	**34.30**

टिप्पणी:

1. बैंकों के साथ चालू खातों (ब्याज वाले) में जमा शेष राशि में ईएमडी पूल खाते के बदले एक्सिस बैंक में रखी ₹ 6.77 करोड़ (गत वर्ष ₹ 12.83 करोड़) की राशि शामिल है।
2. चालू खातों (ब्याज धारित) में बैंकों के साथ जमा शेष में जेम (GEM) पूल खाते के सामने भारतीय स्टेट बैंक में रखी ₹ 11.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.73 करोड़) की राशि शामिल हैं।
3. नकदी और नकदी समतुल्य में हस्तगत और बैंक नकदी, स्वीप खाते तथा बैंकों के साथ तीन महीनों या उससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमाएं शामिल है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 15 : अन्य बैंक जमा शेष

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	**31.03.2020**
बैंकों में जमा शेष		
- जमा खाते[2-5]	120.65	1418
- विशेष उद्देश्य के लिए जमा खाते[6 एवं 7]	6.34	5.31
- स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
- अदत्त लाभांश खाते	-	-
- लाभांश खाते	-	-
कुल	**126.99**	**1423.31**

टिप्पणी:

1. अन्य बैंक बैलेंस में 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता की सावधि जमाएं एवं अन्य बैंक जमाएं शामिल हैं।
2. जमा खाते में कैनरा बैंक, धनबाद से ₹ 0.00 करोड़ (गत वर्ष ₹ 246.72 करोड़) की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए ₹ 0.00 करोड़ (गत वर्ष ₹ 274.15 करोड़) की सावधि जमा शामिल है।
3. जमा खाते में कैनरा बैंक (पूर्व में सिंडिकेट बैंक), धनबाद से 0.00 करोड़ (गत वर्ष ₹ 124.53 करोड़) की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए ₹ 0.00 करोड़ (गत वर्ष ₹ 138.37 करोड़) की सावधि जमा शामिल है।
4. जमा खाते में पंजाब नेशनल बैंक (पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स), धनबाद ₹ 0.00 करोड़ (गत वर्ष ₹ 241.31 करोड़) की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए ₹ 0.00 करोड़ (गत वर्ष ₹ 271.63 करोड़) की सावधि जमा शामिल है।
5. जमा खाते में इंडियन बैंक, धनबाद से ₹ 0.00 करोड़ (गत वर्ष ₹ 14.70 करोड़) की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए ₹ 0.00 करोड़ (गत वर्ष ₹ 16.18 करोड़) की सावधि जमा शामिल है।
6. विशिष्ट प्रयोजन के लिए जमा खातों में बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी के रूप में विभिन्न बैंकों के पास गिरवी रखी गई ₹ 2.86 करोड़ की सावधि जमा (उपार्जित ब्याज सहित) राशि शामिल है।
7. कीमत में अंतर के कारण 01.03.2006 से 30.06.2006 की अवधि के लिए विस्फोटक आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 1.50 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में इस राशि को विभिन्न बैंकों में अलग-अलग परिपक्वता अवधि के लिए अलग-अलग ब्याज दर पर सावधि जमा के रूप जमा किया गया था। अंतिम परिपक्वता राशि ₹ 3.42 करोड़ (अर्जित ब्याज ₹ 0.06 करोड़ को छोड़कर) को दिनांक 02.11.2020 को केनरा बैंक में 4.52 % वार्षिक ब्याज दर पर सावधि जमा के रूप में पुनः जमा कर दिया गया। उक्त सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 12 % वार्षिक दर से भविष्य में संभावित कुल देय ₹ 5.84 करोड़ राशि के अंतर को 31.03.2021 तक आकस्मिक देयता के रूप में रखा गया है.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

		वर्ष के समापन पर	
		31.03.2021	**31.03.2020**
	अधिकृत		
	₹1000/- प्रति शेयर मूल्य के 5,10,00,000 (गत वर्ष 5,10,00,000) इक्विटी शेयर[2]	5100.00	5100.00
		5100.00	**5100.00**
	निर्गत, अभिगत, प्रदत्त (पेड-अप)	**2033.01**	2033.01
1	₹1000/- प्रति शेयर मूल्य के पूर्णतः नकदी में चुकता 2,03,30,126 इक्विटी शेयर		
2	नकदी के अलावा पूर्णतः भुगतान के रूप में विचारार्थ आवंटित ₹1000/- प्रति शेयर मूल्य के 2,62,39,874 (गत वर्ष 2,62,39,874) इक्विटी शेयर[3]	2623.99	2623.99
	कुल	**4657.00**	**4657.00**

कंपनी में प्रत्येक शेयर धारक के पास 5 % से अधिक शेयर

शेयर धारक का नाम	**धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1000)**	**कुल शेयरों का %**
कोल इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी)	46570000	100

टिप्पणी:

1. वर्तमान अवधि के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (100%) द्वारा धारित इक्विटी शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विवरण के लिए, टिप्पणी संख्या 38.15.n: पूंजी संरचना में परिवर्तन, देखें।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	अधिमान शेयर पूंजी का इक्विटी अंश	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
		पूंजी मोचन आरक्षित निधि	पूंजी आरक्षित निधि				
01.04.2019 को शेष	**1057.52**	-	-	**140.99**	**(2557.1)**	**292.91**	**(1065.68)**
लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2019 को पुनर्विवर्णित शेष	**1057.52**	-	-	**140.99**	**(2557.1)**	**292.91**	**(1065.68)**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	918.68	(212.34)	**706.34**
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	**(1057.52)**	-	-	-	**1057.52**	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 को शेष	-	-	-	**140.99**	**(580.9)**	**80.57**	**(359.34)**
01.04.2020 को शेष	-	-	-	**140.99**	**(580.9)**	**80.57**	**(359.34)**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	(1202.48)	(6.37)	**(1208.85)**
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-
धारित आय से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयर की बायबैक	-	-	-	-	-	-	-
बायबैक पर कर	-	-	-		-	-	-
31.03.2021 को शेष	-	-	-	**140.99**	**(1783.38)**	**74.20**	**(1568.19)**

टिप्पणी:

वित्त वर्ष 2019-20 में तरजीही शेयरों को इक्विटी शेयरों में बदलने पर, प्रेफरेंस शेयर पूंजी के ₹ 1057.52 करोड़ के इक्विटी हिस्से को अन्य इक्विटी के भीतर धारित आय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 18 : उधारियां

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	**31.03.2020**
गैर-मौजूदा		
मियादी ऋण		
- बैंकों से	-	-
- अन्य पक्षों से	-	-
संयुक्त वित्तीय लिखत/दस्तावेज के देयता घटक (अधिमान शेयर)	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
वर्तमान		
मांग पर चुकौती योग्य ऋण		
बैंकों से		
- बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा[2]	-	583.07
- बैंकों से अन्य ऋण [3 व 4]	2052.08	-
अन्य पक्षों से	-	-
संयुक्त वित्तीय लिखत/दस्तावेज के देयता घटक (अधिमान शेयर)	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	**2052.08**	**583.07**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	583.07
असुरक्षित	2052.08	-

टिप्पणी:

1. सीआईएल द्वारा कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए एसबीआई कंसोर्टियम के साथ ₹ 10440 करोड़ की कुल राशि का कार्यशील पूंजी कंसोर्टियम समझौता किया गया और सीआईएल और इसकी सभी सहायक कंपनियों के लिए स्वीकृत किया गया और ₹ 10440 करोड़ की सीमा तक अपनी सभी वर्तमान परिसंपत्तियों के बंधक रख कर कुल प्रभार का सृजन किया। 31.03.2021 तक बीसीसीएल द्वारा कुल ₹ 185.29 करोड़ की गैर-निधि आधारित सुविधा का तथा ₹ 1000.22 करोड़ की निधि-आधारित सुविधा का उपयोग किया गया।
2. ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 700.33 करोड़) की सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित बैंकों से ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 627.26 करोड़) (₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 583.07 करोड़) का उपयोग किया गया) की सुरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधा।
3. कार्यशील पूंजी में एचडीएफसी बैंक से ₹ 1200.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) की मांग ऋण लिमिट (असुरक्षित) स्वीकृत की गयी। इसमें से ₹1051.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) का उपयोग किया गया।
4. आईसीआईसीआई बैंक से ₹ 1200.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) की अल्पावधि ऋण स्वीकृत लिमिट (असुरक्षित)। इसमें से ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) का उपयोग किया गया।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 19 : कारोबारी देयताएं

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	31.03.2020
वर्तमान		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	8.23	2.35
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा[1]	1200.3	965.47
कुल	**1,208.53**	**967.82**

टिप्पणी:

सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	31.03.2021	31.03.2020
1. मूलधन और ब्याज राशि भुगतान के लिए शेष, लेकिन बकाया नहीं	8.23	2.35
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा अवधि के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान के साथ-साथ भुगतान किया गया ब्याज।	-	-
3. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
4. अवधि के अंत में अर्जित ब्याज और भुगतान के लिए बाकी	-	-
5. आगे के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज, जब तक कि उपरोक्त ब्याज के रूप में बकाया राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं हो जाती।	-	-

1. ₹ 45.00 करोड़ की अग्रिम राशि और ₹ 21.76 करोड़ की निर्विवादित कारोबारी प्राप्य राशि बीएसईबी के नाम पर वित्तीय वर्ष 1998-99 से पड़ी हुई है, जो ₹ 114.80 करोड़ की विद्युत देयता के सामने समायोज्य है, राशि अंतिम संमंजन के लिए लंबित 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा' शीर्ष के अंतर्गत विद्युत और ईंधन के साथ समायोजित की गयी है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	**31.03.2020**
गैर-मौजूदा		
प्रतिभूति जमा	82.95	81.28
अग्रिम धन	-	-
अन्य	7.30	7.17
कुल	**90.25**	**88.45**
वर्तमान		
अनुषंगी कंपनियों से अधिशेष निधि	-	-
निम्नलिखित के साथ चालू खाता		
- सी आई एल	315.86	272.94
- आई आई सी एम	-	-
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	-	-
अदत्त लाभांश	-	-
प्रतिभूति जमा	186.19	175.88
अग्रिम धन	38	43.71
पूंजीगत व्यय	132.16	170.39
वेतन, मजदूरी और भत्ते	691.2	667.63
अन्य	142.64	108.76
कुल	**1506.05**	**1439.31**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	**31.03.2020**
गैर-मौजूदा		
कर्मचारी लाभ		
- उपदान (ग्रेच्युटी)	804.6	568.67
- अवकाश नकदीकरण	542.28	576.46
- अन्य कर्मचारी लाभ	250.91	207.26
साइट पुनरुद्धार / खदान बंदी	482.39	424.76
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	-	-
अन्य	-	-
कुल	**2080.18**	**1777.15**

टिप्पणी:

1. साइट पुनर्स्थापना/खदान बंदी के लिए प्रावधान

खदान बंद करने का प्रावधान कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से माइन क्लोजर प्लान तैयार करने के दिशा-निर्देशों के बाद खातों में प्रावधान किया गया है। इस तरह का प्रावधान सीएमपीडीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी) के तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक खदान के खदान बंदी व्यय (सीएमपीडीआईएल द्वारा अनुमानित) के लिए देयता को 8% की दर से छूट दी गई है और इस तरह के प्रावधान के निर्माण के 1 वर्ष के लिए खदान बंद करने की देयता पर पहुंचने के लिए पूंजीकृत किया गया है। तत्पश्चात प्रावधान को 31.03.2021 के अनुसार प्रावधान पर आने की छूट को समाप्त करके बाद के वर्ष में पुन: आकलित किया गया है।

वर्तमान	वर्ष के समापन पर	
कर्मचारी लाभ	**31.03.2021**	**31.03.2020**
- उपदान (ग्रेच्युटी)	357.45	402.86
- अवकाश नकदीकरण	49.94	60.34
- अनुग्रह राशि	288.79	289.24
- प्रदर्शन आधारित भुगतान	119.35	161.94
- अन्य कर्मचारी लाभ	64.56	65.06
साइट पुनरुद्धार / खदान बंदी	-	-
अन्य	-	-
कुल	**880.09**	**979.44**

1. भूमि/ स्थल पुनर्स्थापन/ खदान के पुनरुद्धार का मिलान	**31.03.2021**	**31.03.2020**
आरंभिक तारीख को साइट बहाली प्रावधान का सकल मूल्य	424.76	473.86
जोड़ें: वर्ष के दौरान पूंजीकरण / समायोजन के लिए प्रावधान	38.78	18.21
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए छूट शुल्क की समाप्ति	56.3	31.08
घटाएं: चालू वर्ष के दौरान समायोजन	1.03	98.39
घटाएं: चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	36.42	0
समापन तिथि पर खदान बंद करने का प्रावधान	**482.39**	**424.76**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 22 : अन्य गैर-मौजूदा देयताएं

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	**31.03.2020**
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि	-	-
आस्थगित आय	3.62	5.01
कुल	**3.62**	**5.01**

टिप्पणी:

1. पूर्वी झरिया क्षेत्र में रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कोयला मंत्रालय से ₹ 1.37 करोड़ की पूंजी सहायता प्राप्त हुई। यह रेलवे साइडिंग निर्माणाधीन है और पूंजीगत जारी कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है।

2. पश्चिमी झरिया क्षेत्र में टेली-मॉनिटरिंग और मैन-राइडिंग सिस्टम के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कोयला मंत्रालय से ₹ 4.71 करोड़ की पूंजी सहायता प्राप्त हुई, जिसमें से टेली-मॉनिटरिंग सिस्टम को पूंजीकृत किया गया है एवं टेली-मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए ₹ 0.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.69 करोड़) की आनुपातिक राशि का परिशो धिन कर दिया गया है और अन्य आय शीर्ष के तहत दर्शाया गया है तथा मैन-राइडिंग सिस्टम की बकाया राशि को पूंजीगत जारी कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 23 : अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	**31.03.2020**
वैधानिक बकाया[1 एवं 2]	859.03	883.24
कोयला आयात के लिए अग्रिम	0	0
ग्राहकों / अन्य से अग्रिम	623.12	741.3
उपकर समानीकरण खाता	**0**	**0**
अन्य देयताएं	610.91	613.95
कुल	**2093.06**	**2238.49**

टिप्पणी:

1. सांविधिक देय शुद्ध प्राप्य और देय के बाद है।

2. सांविधिक देय राशि में 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार ₹ 129.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 125.79 करोड़) का बाज़ार शुल्क शामिल है, जिसमें (i) जनवरी-मार्च 2021 की अवधि के दौरान ₹ 14.74 करोड़ की कुल देनदारी, सेल (SAIL) को छोड़कर और (ii) सेल से मार्च 2021 तक बाजार शुल्क की वसूली न की गई राशि ₹ 114.26 करोड़ राशि जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, शामिल है

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 24 : परिचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

		वर्ष के समापन पर			
		31.03.2021		31.03.2020	
क.	**कोयला की बिक्री**	8521.62		12224.47	
	घटाएं: वैधानिक लेवी	2371.81		3256.91	
	बिक्री- वैधानिक लेवियों के समायोजन के बाद (क)		**6149.81**		**8967.56**
ख.	**अन्य परिचालन से राजस्व**				
	बालू भराई और संरक्षा कार्यों के लिए अनुदान		-		-
	लदाई और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	319.83		330.93	
	घटाएं: वैधानिक लेवी	15.21	304.62	15.76	315.17
	निकासी सुविधा शुल्क	118.5		150.44	
	घटाएं: वैधानिक लेवी	5.64	112.86	7.16	143.28
	अन्य परिचालन से राजस्व (शुद्ध) ख		**417.48**		**458.45**
	परिचालन से राजस्व (क + ख)		**6567.29**		**9426.01**

टिप्पणी:

1. विद्युत कंपनियों के ग्राहकों से एफएसए के तहत प्रदर्शन इन्सेंटिव दावे के रूप में ₹ 0.00 (पिछले वर्ष ₹ 30.05 करोड़) शामिल है। इस राशि को वर्ष के अंत में मान्य किया गया हैं।
2. पार्टियों को जारी किए गए/जारी किए जा रहे डेबिट/क्रेडिट नोट के कारण, ग्रेड के उन्नयन/(गिरावट) से कच्चे कोयले की बिक्री में ₹ (158.48) करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 169.31 करोड़) वृद्धि/(कमी) हुई है।
3. कच्चे कोयले की बिक्री में 12.79 लाख टन (गत वर्ष 42.62 लाख टन) की ई-नीलामी की मात्रा और ₹ 113.75 करोड़ (गत वर्ष ₹ 352.14 करोड़) का ई-नीलामी लाभ शामिल है।
4. उपरोक्त कोयले की बिक्री में अनुमानित कोयला गुणवत्ता भिन्नता (रिवर्सल का शुद्ध) के कारण ₹ (118.00) करोड़ राशि (पिछले वर्ष ₹ 199.93 करोड़) की वृद्धि/(कमी) हुई है।
5. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार अलग-अलग राजस्व को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियों (टिप्पणी संख्या-38) में मद सं 15.i.iv. के तहत दर्शाया गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	**31.03.2020**
ब्याज से आय	56.87	159.24
लाभांश आय	-	4.13
अन्य		
शीर्ष प्रभार	-	-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.51	1.99
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
पट्टा किराया	3.69	2.91
देयता / प्रतिलेखन प्रावधान	75.67	481.68
विविध आय	54.05	116.8
कुल	**190.79**	**766.75**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 26 : खपत की गई सामग्री की लागत

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	**31.03.2020**
विस्फोटक	199.87	139.12
टिंबर / लकड़ी	1.45	2.10
तेल और स्नेहक	182.90	165.22
भारी मशीनों (एचईएमएम) के पुर्जे	45.48	46.15
अन्य उपभोज्य सामग्री एवं पुर्जे	45.39	44.56
कुल	**475.09**	**397.15**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी -27 : तैयार माल, चालू कार्य एवं अंतिम रूप से तैयार माल की सूची (इन्वेंटरी) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

		वर्ष के समापन पर	
		31.03.2021	**31.03.2020**
	कोयले का आरम्भिक स्टॉक	630.5	709.83
	राजस्व में लाया गया स्टॉक	31.86	0
	कोयले का अंतिम स्टॉक	1126.84	630.5
क	**कोयले की इन्वेंटरी में परिवर्तन (क)**	**(464.48)**	**79.33**
	कर्मशाला में तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य का आरम्भिक स्टॉक	4.55	4.70
	कर्मशाला में तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य का अंतिम स्टॉक	3.52	4.55
ख	**कर्मशाला की इन्वेंटरी में परिवर्तन (ख)**	**1.03**	**0.15**
	कारोबारी स्टॉक की इन्वेंटरी में परिवर्तन (क + ख) {कमी/ (वृद्धि)}	**(463.45)**	**79.48**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 28 : कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	**31.03.2020**
वेतन एवं मजदूरी (भत्तों एवं बोनस आदि सहित)	4164.10	4155.12
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	1103.59	1288.21
कर्मचारी कल्याण व्यय	298.03	318.02
कुल	**5565.72**	**5761.35**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 29 : कॉरपोरेट सामाजिक व्यय (सीएसआर) व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	31.03.2020
सीएसआर व्यय	6.12	6.01
कुल	**6.12**	**6.01**

टिप्पणी -

कंपनी अधिनियम, 2013 के विशेषताओं और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं को शामिल करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति के अनुपालन में पिछले लगातार तीन वर्षों के कुल औसत शुद्ध लाभ का 2 % जो ₹ 0.00 होता है या पिछले वर्ष के कुल कोयला उत्पादन का ₹ 2 प्रति टन की दर से जो ₹ 5.55 होता है, में से जो भी अधिक हो, अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 के ₹ 5.55 करोड़ की राशि होती है।

क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण: **(₹ करोड़ में)**

	31.03.2021	31.03.2020
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	4.69	3.36
विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	1.38	2.65
लैंगिक समानता और सामाजिक एवंआर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा झेली जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय		
पर्यावरणीय स्थिरता		
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण		
सशस्त्र बलों के वरिष्ठों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ		
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण		
सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में योगदान		
इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान		
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान		
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0.05	
मलिन बस्तीक्षेत्र का विकास		
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन		
कुल	**6.12**	**6.01**

ख. सीएसआर व्यय विवरण:

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	31.03.2020
क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	0.00	0.00
ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	5.55	6.21
ग) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	0.21	0.00
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	5.91	6.01

ग. चल रही परियोजना के अलावा खर्च न की गयी राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

	प्रारंभिक जमा	अनुसूची VII की निर्दिष्ट निधि में 6 माह के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	अंतिम शेष राशि
चल रही परियोजना के अलावा	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00

घ. अधिक खर्च की गई राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

वर्ष-वार विवरण	प्रारंभिक जमा	अनुसूची VII की निर्दिष्ट निधि में 6 माह के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	अंतिम शेष राशि
2020-2021	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00

ड़. चालू परियोजना [धारा 135(6)]

(₹ करोड़ में)

वर्ष-वार विवरण	प्रारंभिक शेष राशि		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		अंतिम शेष राशि	
	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
2020-2021	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
कुल	-	-	-	0.21	-	-	-

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	**31.03.2020**
भवन	28.71	37.63
संयंत्र एवं मशीनें	107.27	161.38
अन्य	2.78	2.48
कुल	**138.76**	**201.49**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 31 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	**31.03.2020**
परिवहन शुल्क	186.14	199.76
वैगन लदाई	14.60	20.00
संयंत्र और उपकरणों को भाड़े पर लेना	1146.21	866.91
अन्य संविदात्मक कार्य	129.42	124.83
कुल	**1476.37**	**1211.50**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 32 : वित्तीय लागतें (₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	**31.03.2020**
ब्याज खर्चे		
उधारियां	64.9	189.47
छूट का विवरण	56.3	31.08
अन्य	0.49	1.28
कुल	**121.69**	**221.83**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 33 : प्रावधान (₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	**31.03.2020**
संदिग्ध ऋण	25.06	180.80
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.31	0
भंडार एवं पुर्जे	3.79	2.9
अन्य	3.44	2.95
	32.60	**186.65**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 34 : बट्टा खाता (पिछले प्रावधानों का शुद्ध) **(₹ करोड़ में)**

	वर्ष के समापन पर			
	31.03.2021		**31.03.2020**	
संदिग्ध ऋण	245.93		-	
घटाएं:- पहले दिया गया	245.93	-	-	-
संदेहास्पद अग्रिम	-		1.26	
घटाएं:- पहले दिया गया	-	-	0.19	1.07
अन्य	-		-	
घटाएं:- पहले दिया गया	-	-	-	-
कुल		-		**1.07**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 35 : अन्य खर्चे **(₹ करोड़ में)**

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	**31.03.2020**
यात्रा खर्च	5.7	13.06
प्रशिक्षण व्यय	2	5.14
टेलीफोन एवं डाक	12.71	11.56
विज्ञापन एवं प्रचार	1.92	4.62
माल भाड़ा प्रभार	11.54	10.1
विलम्ब शुल्क	23.13	38.69
सुरक्षा व्यय	320.48	247.87
कोल इंडिया लिमिटेड का सेवा-शुल्क	24.66	27.73
किराया प्रभार	24.44	31.01
सीएमपीडीआई खर्च	26.59	25.42
कानूनी खर्च	3.65	3.87
परामर्श शुल्क	1.52	0.81
कम/ अधिक भराई शुल्क	31.18	54.61
परिसंपत्तियों की बिक्री/त्याग/अप्रयुक्तता पर हानि	2.43	1.77
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक एवं खर्च		
- लेखा-परीक्षण शुल्क हेतु	0.45	0.45
- कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.02	0.02
- अन्य सेवाओं हेतु	0	0
- खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु	0.22	0.22
आंतरिक एवं अन्य लेखा-परीक्षा खर्चे	2.82	2.58
पुनर्वास पर व्यय	14.49	17.29
किराया	0.58	0
दरें एवं कर	183.92	116.93
बीमा	1.12	1.33
विनिमय दर में अंतर के कारण घाटा	0	0
बचाव / सुरक्षा व्यय	1.27	0.74
अनिवार्य किराया / सरफेस रेंट	1.94	1.99
साइडिंग रख-रखाव प्रभार	7.17	5.42
अनुसंधान एवं विकास व्यय	0	0
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	5.03	1.81
शेयरों की बायबैक पर खर्च	0	0
विविध खर्चे	25.15	29.1
कुल	**736.13**	**654.14**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 36 : कर व्यय **(₹ करोड़ में)**

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2021	**31.03.2020**
चालू वर्ष	-	-
आस्थगित कर[1]	(395.95)	72.09
मेट क्रेडिट पात्रता	-	-
पहले के वर्ष [2]	21.37	0.35
कुल	**(374.58)**	**72.44**

1. कंपनी ने आयकर अधिनियम की धारा 115बी एए के प्रावधानों के अनुसार 22% की कम कर दर पर विचार किया है और कर प्रावधानों की गणना तदनुसार की गई है।
2. वर्ष के दौरान, बीसीसीएल ने 'विवाद से विश्वास योजना 2020' के तहत कुछ लंबित आयकर मामलों के निपटान किया है। बीसीसीएल द्वारा निपटान आवेदन और आवश्यक अनुपालन किये गये हैं। कुछ मामलों में राजस्व प्राधिकरण द्वारा अंतिम निपटान आदेश पारित किए गए हैं और कुछ मामलों में अभी भी आदेश की प्रतीक्षा है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पूर्व के वर्षों के लिए वर्ष के दौरान ₹ 21.37 करोड़ की राशि का कर व्यय प्रभारित किया गया है। ₹ 65.55 करोड़ की आकस्मिक देनदारी में कमी आई है।

दिनांक 31.03.2021 के लिए भारतीय घरेलू कर दर से गुणित कर व्यय और लेखा लाभ का मिलान

	31.03.2021	**31.03.2020**
कर से पहले लाभ / (हानि)	**(1,577.06)**	**991.12**
आयकर की दर पर	25.17%	31.20%
आयकर व्यय	-	-
घटाएं: छूट प्राप्त की गयी आय पर कर	-	-
जोड़ : गैर-कटौती योग्य व्यय/ आय (शुद्ध) पर कर	-	-
जोड़ : आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियां)	(395.95)	72.09
जोड़ : पूर्व के वर्ष के लिए समायोजन	21.37	0.35
जोड़ : मैट (MAT) प्रावधानों के तहत आयकर	-	-
लाभ-हानि के विवरण में दर्शाया गया आयकर व्यय	**(374.58)**	**72.44**
प्रभावी आयकर दर:	**23.75%**	**7.31%**

आस्थगित कर निम्नलिखित से संबंधित है:

(₹ करोड़ में)

	31.03.2021	**31.03.2020**
आस्थगित टैक्स देयता:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	(0.58)	(53.42)
अन्य	74.31	70.81
कुल आस्थगित कर देयता	**73.73**	**17.39**
आस्थगित कर परिसंपत्ति:		
व्यापार प्राप्य, दावों आदि से संबंधित	159.63	254.56
कर्मचारी लाभ	292.46	303.12
अन्य	593.08	33.06
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**1,045.17**	**590.74**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति	**971.44**	**573.35**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनीरत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय **(₹ करोड़ में)**

		वर्ष के समापन पर	
		31.03.2021	**31.03.2020**
(क)	**(i) वे मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे**		
	परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	(8.51)	(308.64)
		(8.51)	(308.64)
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	**(2.14)**	(96.30)
		(2.14)	(96.30)
	कुल (क)	**(6.37)**	**(212.34)**
(ख)	**(i) वे मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे**		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
		-	-
	(ii) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जाने वाले मदों से संबंधित आयकर		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
		-	-
	कुल (ख)	**-**	**-**
	कुल (क+ख)	**(6.37)**	**(212.34)**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

31 मार्च, 2021 को समाप्तवर्ष के लिए
वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियां
(टिप्पणी 38)

1. उचित मूल्यांकन (भारतीय लेखा मानक 113)

(क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन/दस्तावेज

(₹' करोड़ में)

	31 मार्च, 2021			31 मार्च, 2020		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्ति						
निवेश :						
सुरक्षित बांड						
अनुषंगी कंपनी में अधिमान शेयर						
म्युचुअल फंड	0.00			4.00		
ऋण			0.00			0.07
जमा एवं प्राप्य			808.51			704.92
कारोबारी प्राप्य			3004.80			2414.72
नकद और नकद समतुल्य			48.67			34.30
अन्य बैंक शेष			126.99			1423.31
वित्तीय देयताएं						
उधारी			2052.08			583.07
व्यापार देनदारियां			1208.53			967.82
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि			307.14			300.87
अन्य देनदारियां			1289.16			1226.89

(ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका में वित्तीय साधनों में निर्धारित निर्णय और अनुमानों को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैं (क) उचित मूल्य पर मान्यता एवं मूल्यांकन (ख) परिशोधित लागत पर मूल्यांकन और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को प्रकट किया गया हैं। उचित मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुक्त सामग्री की विश्वसनीयता के बारे में इस बात का संकेत देने के लिए कंपनी अपने लेखा मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वित्तीय साधनों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक स्तर की एक व्याख्या तालिका में निम्नलिखित है।

(₹' करोड़ में)

उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियां-	31 मार्च, 2021			31 मार्च, 2020		
	स्तर I	द्वितीय II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएलमें वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश						
म्युचुअल फंड	0.00			4.00		
वित्तीय देनदारियां						
अगर कोई मद हैं तो	-	-	-	-	-	-

(₹' करोड़ में)

परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देनदारियां, जिसके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया हैं	31, मार्च 2021			31, मार्च वर्ष 2020		
	स्तर I	द्वितीय II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएलपर वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश						
जेवी में इक्विटी शेयरों						
म्युचुअल फंड						
ऋण			0.00			0.07
जमा और प्राप्य			808.51			704.92
प्राप्य योग्य व्यापार			3004.80			2414.72
नकद और नकदी समकक्ष			48.67			34.30
अन्य बैंक शेष			126.99			1423.31
वित्तीय देनदारियां						
उधारी			2052.08			583.07
व्यापार देनदारियां			1208.53			967.82
सुरक्षा जमा और बयाना पैसा			307.14			300.87
अन्य देनदारियां			1289.16			1226.89

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

स्तर 1: स्तर 1 अनुक्रम में उद्धृत मूल्यों से प्राप्त मूल्यांकित वित्तीय साधनों को भी शामिल किया है। इसमें म्युचुअल फंड भी शामिल है, जिसमें उद्धृत मूल्य और समापन एनएवी का उपयोग कर इसके मूल्य को जाना जाता है।

स्तर 2: वित्तीय साधनों के उचित मूल्य कि एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं कर रहे हैं मूल्यांकन तकनीक जो नमूदार बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करने और इकाई विशेष के अनुमानों पर यथासंभव कम भरोसा करते हैं, का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। यदि महत्वपूर्ण उचित मूल्य के लिए सभी प्रविष्टियां आवश्यक है तो एक साधन देखा जाता हैं, यह साधन स्तर 2 में शामिल है।

स्तर 3: यदिएक या इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं है, तो यह साधनस्तर 3 में शामिल है। यह मामला गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, अधिमान शेयर उधार, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के स्तर 3 में शामिल है।

ग) उचित मूल्य निर्धारित करने में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग

वित्तीय साधनों के मूल्य निर्धारण में इस्तेमाल होने वाले मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उपकरणों की उद्धृत बाजार की कीमतों का उपयोग
- शेष वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग कर किया जाता है।

(घ) उचित मूल्य का मूल्यांकन महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रविष्टियों का उपयोग कर किया जाता है। वर्तमान में महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रविष्टियों का उपयोग कर किसी भी उचित मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया हैं।

(ड़) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य का मूल्यांकन

व्यापार प्राप्तियां, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समकक्ष, व्यापार देय के अल्पकालिक प्रकृति के कारण इन्हें इनके उचित मूल्यों के बराबर ही माना जाता है।

कंपनी यह मानती है कि "प्रतिभूति जमा" में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। यह महत्वपूर्ण भुगतान (प्रतिभूति जमा) कंपनी के प्रदर्शन के अनुरूप होगा और संविदा हेतु आवश्यक रकम का प्रतिधारण वित्तीय प्रावधानों अतिरिक्त कारणों के लिए होगा। प्रत्येक महत्वपूर्ण भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकना, कंपनी के हित के लिए अपेक्षित है, ताकि संविदा के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में असफल रहने वाले ठेकेदार से निपटा जा सके। तदनुसार, प्रतिभूति जमा की ट्रांजेक्शन लागत को आरंभिक स्वीकृति पर उचित मूल्य के रूप में विचार किया जाता है और उसके बाद परिशोधित लागत पर इसका मूल्यांकन किया जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: किसी सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारित मूल्यांकन तकनीक द्वारा किया जाता है। किसी विधि का चयन करने और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएं बनाने के लिए कंपनी अपने निर्णय का उपयोग करती है।

1. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधारी, व्यापार और अन्य देयताओं को भी शामिल किया गया है। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषण करना और इसके संचालन का पक्ष में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी कीप्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्तियों, और नकद और सीधे अपने परिचालन से प्राप्त होने वाले नकदी समकक्ष को शामिल किया गया हैं।

कंपनी ने बाजार के जोखिम, ऋण जोखिम और साख जोखिम को उजागर किया है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन देखरेख करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन ने प्रबंधन को इन जोखिम से अवगत कराया है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, जो वित्तीय जोखिमों पर परामर्श देने के साथ-साथ कंपनी के लिए उचित एवं शासकीय वित्तीय जोखिम से भी अवगत कराती है। यह जोखिम समिति निदेशक मंडल यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उचित नीतियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा शासित हो रही है और यह वित्तीय जोखिम कंपनी की नीतियों एवं जोखिम उद्देश्यों के आलोक में चिह्नित, मूल्यांकित एवं प्रबंध की जा रही है।निदेशक मंडल ने इन प्रत्येक जोखिमों की प्रबंधकीय व्यवस्था की समीक्षा की है और इसपर अपनी सहमति व्यक्त की है, जिसका सारांश निम्नलिखित है।

कंपनी ने बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और साख जोखिम को उजागर किया है। इस टिप्पणी में इक्विटी के जोखिम के स्रोतों को परिभाषित किया गया है और यह बताया गया है कि इन जोखिमों का प्रबंध कंपनी द्वारा कैसे किया जाएगा और वित्तीय विवरणी में इस बचाव लेखांकन का क्या प्रभाव होगा।

(₹' करोड़ में)

जोखिम	उजागर का स्रोत	मूल्यांकन	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकद और नकदी समकक्ष, व्यापार प्राप्तियों, परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति का मूल्यांकन	एजिंग विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों (डीपीई विभाग) के दिशा निर्देशों, बैंक जमा, ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधारी और अन्य देनदारियां	आवधिक नकद प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन और उधार लेने की सुविधा की उपलब्धता
बाजार जोखिम- विदेशी मुद्रा विनिमय	भविष्य वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और आईएनआर में शामिल नहीं की गई देनदारियों	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से घड़ी और समीक्षा।
बाजार जोखिम ब्याज दर	नकद और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों (डीपीई विभाग) के दिशा निर्देशों, वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा।

(ख) कंपनी जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश कवर करने वाली पालिसियों के लिए लिखित सिद्धांतों को उपलब्ध कराती है।

(ग) ऋण जोखिम: ऋण जोखिम नकद और नकदी समकक्ष, परिशोधित लागत और बैंकों और वित्तीय संस्थानों साथ-साथ बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न होती है।

I. ऋण जोखिम प्रबंधन:

समष्टि-आर्थिक सूचना (जैसे विनियामक प्रभार) को ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

II. ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए):

जैसा कि एनसीडीपी (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ या राज्य नामांकित एजेंसियों के ग्राहकों के साथ कानूनी रूप से उचित वितरण व्यवस्था बनाने के लिए ईंधन आपूर्ति करार (FSAs) किया है। हमारे ईंधन आपूर्ति करार (FSAs) को व्यापक रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- विद्युत उपयोगी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के साथ-साथ राज्य विद्युत संयंत्रों, निजी विद्युत संयंत्रों (PPUs) और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (IPPs) से ईंधन आपूर्ति करार (FSAs) किया गया है।
- गैर-विद्युत उद्योगों के उपभोक्ताओं (कैप्टिव पॉवर प्लांट CPPs)) के उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति करार (FSAs), और
- राज्य नामित एजेंसियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (FSAs)

III . ई-नीलामी योजना:

इस कोयले की ई-नीलामी योजना की शुरूआत ग्राहकों तक सरल तरीके से कोयला पहुंचाने के लिए की गई है, जो पहले विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से अपने कोयला की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते थे। उदाहरण के लिएएनसीडीपीके तहत उनको आवश्यकता से कम कोयले का आवंटन होता था, उनकी कोयले की आवश्यकता मौसम की वजह से प्रभावित होती थी और

कोयले की सीमित आवश्यकता को दीर्घकालिक लिंकेज में शामिल नहीं किया गया था। ई-नीलामी के तहत प्रस्तुत कोयले की मात्रा की कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

घ) अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान:

इस कोयले की ई-नीलामी योजना की शुरूआत ग्राहकों तक सरल तरीके से कोयला पहुंचाने के लिए की गई है, जो पहले विभिन्न कारणों से एनसीडीपीके तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से अपने कोयला की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते थे। उदाहरण के लिएएनसीडीपीके तहत उनको आवश्यकता से कम कोयले का आवंटन होता था, उनकी कोयले की आवश्यकता मौसम की वजह से प्रभावित होती थी और कोयले की सीमित आवश्यकता को दीर्घकालिक लिंकेज में शामिल नहीं किया गया था। ई-नीलामी के तहत प्रस्तुत कोयले की मात्रा की कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

सरलीकृत पद्धति के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित साख की हानि:

31.03.2021 तक

(₹' करोड़ में)

काल अवधि	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 से अधिकवर्ष के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	1510.87	892.25	459.90	163.41	197.26	292.10	3515.79
अनुमानित क्षति दर	0.78%	0.00%	2.12%	61.52%	92.70%	70.57%	14.53%
अपेक्षित क्रेडिट घाटा (हानि भत्ता प्रावधान)	11.75	0.00	9.73	100.53	182.85	206.13	510.99

31.03.2020 तक

(₹' करोड़ में)

काल अवधि	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 से अधिक वर्ष के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	1924.90	326.74	8.94	77.00	324.42	492.38	**3154.38**
अनुमानित क्षति दर	0.47%	9.50%	51.90%	81.08%	76.27%	78.21%	**23.45%**
उम्मीद की क्रेडिट घाटा (हानि भत्ता प्रावधान)	9.04	31.04	4.64	62.44	247.44	385.06	**739.66**

हानि भत्ता प्रावधान का मिलान- व्यापार प्राप्य

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
सकल वहन राशि	**3515.79**	**3154.38**
अनुमानित क्षति दर	14.53%	23.45%
अनुमानित क्रेडिट हानि भत्ता	**510.99**	**739.66**

महत्वपूर्ण अनुमान एवं निर्णय- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि:

ऊपर बताई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट और अपेक्षित हानि दरों के जोखिम के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थितियों और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित अनुमानों के आधार पर हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

(ड.) तरलता जोखिम

विवेक पूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य है पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियां और दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से पर्याप्त राशि की उपलब्धता। अंतर्निहित कारोबार की गतिशील प्रकृति के कारण कंपनी द्वारा राजकोष प्रतिबद्ध क्रेडिट के तहत उपलब्धता बनाए रखने में लचीलापन बनाए रखती है। प्रबंधन अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी के तरलता की स्थिति (आहरित नहीं की गई निम्नलिखित उधार सुविधाएं शामिल हैं) और नकद और नकदी समकक्ष पर नज़र रखता है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित कार्य पद्धति एवं सीमा के अनुसार कंपनी को स्थानीय स्तर पर संचालित करने वाले समूहों में किया जाता है।

(I) वित्तीय व्यवस्था

कंपनी के पास समीक्षाधीन अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित नहीं की गई उधार सुविधाएं उपलब्ध है:

(₹' करोड़ में)

	31.03.2021	31.03.2020
एक वर्ष के भीतर समाप्त हो रही है (ओवरड्राफ्ट सुविधाएं)	1348.14	44.19
एक वर्ष से परे समाप्त हो रही है (बैंक ऋण)	0.00	0.00

(II) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

संविदात्मक परिपक्वताओं पर आधारित प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण निम्नलिखित है।

तालिका में प्रकटित राशि संविदात्मक गैर-मूल्यांकित नकदी प्रवाह है। छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण 12 महीने के अंदर जमा शेष पिछले शेष के बराबर है।

(₹' करोड़ में)

31.03.2021 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	3 माह से कम	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 5 वर्ष तक	कुल
उधारी	2052.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2052.08
वित्तीय पट्टा के तहत दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार देनदारियां	1208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1208.53
अन्य वित्तीय देनदारियां	1143.26	135.22	135.52	56.58	125.72	1596.30
कुल	**4403.87**	**135.22**	**135.52**	**56.58**	**125.72**	**4856.91**

31.03.2020 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	3 माह से कम	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 5 वर्ष तक	कुल
उधारी	583.07	0.00	0.00	0.00	0.00	583.07
वित्त पट्टा के तहत दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार देनदारियां	967.82	0.00	0.00	0.00	0.00	967.82
अन्य वित्तीय देनदारियों	1251.31	91.61	73.80	53.87	57.17	1527.76
कुल	**2802.20**	**91.61**	**73.80**	**53.87**	**57.17**	**3078.65**

(च) बाजार जोखिम

(I) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी विदेशी मुद्रा के लेनदेन से होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम से प्रभावित हो सकती है। विदेशी परिचालन से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम नगण्य माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और इसके जोखिम पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है। कंपनी के एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाने की स्थिति में कार्यान्वित किया जाता है।

(II) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा में ब्याज दर के बदलाव से होता है, जिसे कंपनी द्वारा नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम में प्रकट किया गया है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमा को स्थिर दर पर बनाए रखना है।

कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण का उपयोग कर इस जोखिम का प्रबंधन करती है।

(छ) पूंजी प्रबंधन

कंपनी के एक सरकारी संस्था होने के नाते वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना निम्नलिखित है:

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
इक्विटी शेयर पूंजी	4657.00	4657.00
दीर्घावधि ऋण	0.00	0.00

3. कर्मचारी लाभ: मान्यता एवं मापन (भारतीय लेखा मानक-19) (टिप्पणी 21एवं 28)

(क) परिभाषित लाभ योजना

(I) ग्रेच्युटी:

कंपनी, ग्रेच्युटी के लिए नियोजन उपरांत पात्र कर्मचारियों को एक परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्यूटि स्कीम) प्रदान करती है। यह ग्रेच्युटी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ संचालित ट्रस्ट के माध्यम से पूर्ण रूप से वित्तपोषित है, जिसमें नियोक्ता का येागदान उनके मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 2.01% है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा-अवधि पूरी कर ली हो, वे कंपनी से अलग होते समय ग्रेच्युटी भुगतान की रकम प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसकी गणना ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के यथा संशोधित प्रारूप के तहत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (महीने में 15 दिन/26 दिन * अंतिम आहरित वेतन एवं महंगाई भत्ता * पूर्ण सेवा-वर्ष) के बराबर, अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ तक होगी। ग्रेचयुटि योजना से संबंधित तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटा है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग कर परिभाषित लाभ दायित्व की गणना बीमांकिक द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुन: मापी लाभ एवं हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे सीधे तौर पर दूसरे व्यापक आय (ओसीआइ) में घटित होते हैं।

(I) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा- अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति अथवा चिकित्सकीय आधार पर कंपनी की सेवा से अलग होने अथवा कॉमन कोल कैडर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने अथवा समय-समय पर प्रतिपादित एवं लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेने पर अधिकारियों एवं उनके जीवनसाथी को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए एक "सीआइएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत मेडिकेयर स्किम (सीपीआरएमएसई)" नामक सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना है, जिसका लाभ एक निर्धारित सीमा तक देश में मौजूद कंपनी-अस्पतालों/पैनल में शामिल अस्पतालों या आउट पेशेंट/अधिवास मेंप्राप्त किया जा सकता है। सीआईएल और उसकी अनुषंगियों की सेवाओं से त्याग-पत्र देने वाले अधिकारियों को इसकी सदस्यता नहीं प्रदान जाती है। सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके जीवनसाथी को पूरे जीवनकाल के दौरान अधिकतम ₹ 25 लाख प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजना को सीआइएल द्वारा सामूहिक स्तर पर संचालित एक ट्रस्ट द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, जिसे मात्र इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। जिसमें नियोक्ता का योगदान प्रति माह मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 2% होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के दायित्व की पहचान की जाती है।इस मद में दिनांक 01.01.2007 से पहले और दिनांक 01.01.2007 के बाद 31.03.2021 तक सेवानिवृत्त अधिकारियों का कुल योगदान ₹ 103.93 करोड़ है।

(ख) परिभाषित अंशदायी योजनाएं:

(I) भविष्यनिधि पी एफ एवं पेंशन:

कंपनी पीएफ एवं पेंशन फंड के लिए पात्र कर्मचारियों के वेतनसे पूर्व निर्धारित प्रतिशत के आधार पर अर्थात मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का क्रमश: 12% एवं 7% कटौति कर कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) नामक एक अलग ट्रस्ट में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है। इस अविध के दौरान इस निधि में ₹ 648.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 647.57 करोड़) का अंशदान जमा है, जिसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी गई है (टिप्पणी 28)

(II) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा- कर्मचारी (सीपीआरएमएसई)

वेतन समझौता के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के तौर पर कंपनी कर्मचारियों (सीपीआरएमएसई) के लिए अंशदायी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम प्रदान कर रही है, जिसमें कंपनी द्वारा निश्चित राशि का योगदान किया जा रहा है तथा लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जा रहा है।

(III) सीआइएल एक्सक्यूटिव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिकारियों को पोस्ट-एंप्लायमेंट अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है, जिसे "सीआइएल एक्सक्यूटिव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना -2007" (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है। एनपीएस का संचालन समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका गठन पूरी तरह से इसी उद्देश्य के लिए किया गया है। कंपनी का दायित्व है कि वह भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ-अधिकारी (सीपीआरएमएसई) अथवा किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता के योगदान सहित, मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का अधिकतम 30% ट्रस्ट में योगदान करे। मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का 6.99% के वर्तमान नियोक्ता के अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण हेतु प्रभारित किया जा रहा है।

जनवरी, 2007 से सितंबर, 2017 तक मूलवेतन एवं डीए का 9.84% की दर से ₹ 195.36 करोड़ और अक्टूबर, 2017 से फरवरी, 2021 तक मूलवेतन एवं डीए का 6.99% की दर से ₹ 66.48 करोड़ की राशि को दिनांक 31.03.2021 तक भारतीय स्टेट बैंक में "सीआइएल एक्सक्यूटिव परिभाषित अंशदायी पेंशन ट्रस्ट-बीसीसीएल" में जमा कर दिया गया है।

(ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

(I) अवकाश नकदीकरण

कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई माह के पहले अर्धवार्षिकी आधार पर अनुपात में 30 दिनों का अर्जित अवकाश (ई एल) तथा 20 दिनों का एचपीएल प्रदान करती है। सेवाकाल के दौरान, 75% जमा ईएल शेष, अधिकतम 60 दिनों तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार नकदीकरण योग्य है। सेवाकाल के दौरान संचित किए गए एचपीएल को नकदीकरण करने की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल एवं एचपीए को एक साथ नकदीकरण किया जा सकता है, जो एचपीएल रूपांतरण के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। इसलिए, ईएल की देनदारियों को कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान तथा सेवनिवृत्ति के बाद निपटान करने की उम्मीद की जाती है। अत: उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा संबंधी किए जाने वाले अपवादित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के तौर पर मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार मुनाफा का उपयोग कर लाभ में छूट दी जाती है जिसमें संबंधित बाध्यता की शर्तों के अनुसार शर्तें होती है। यह योजना पूरी तरह से एलआइसी के साथ संचालित ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है।

(II) लाइफ कवर स्कीम (एलसीएल)

वेतन-समझौते के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में कंपनी के पास श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित डिपॉजिट लिंक बीमा योजना, 1976 के तहत एक लाइफ कवर योजना है, जिसे "लाइफ कवर स्कीम ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड" (एलसीएल) के तौर पर जाना जाता है। दिनांक 01.01.2017 तक इस योजना के तहत ₹ 1,25,000/- की राशि का भुगतान किया गया है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा योजना के तहत देयता का वहन किया जाता है।

(III) सेटलमेंट एलाउंस

वेतन समझौतेके एक भाग के रूप में, दिनांक 31.02.2010 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले एनसीडब्लूए के कर्मचारियों को सेटलिंग भत्ते के तौर पर एकमुश्त ₹ 12000/- की राशि का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के दायित्व की पहचान की जाती है।

(IV) ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंश्योरेंस (जीपीएआइएस)

कंपनी ने अपने अधिकारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए यूनाइटेड इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक सामुहिक बीमा योजना ली है, जिसे "कोल इंडिया एक्सक्यूटिव ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआइएस) के नाम से जाना जाता है। जीपीएआइएस दुनिया भर में सभी प्रकार की घटनाओं को 24 घंटे कवर करती है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के दायित्व की पहचान की जाती है।

(V) लीव ट्रेवल कॉन्सेसन (एल टी सी)

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, कर्मचारी 4 वर्ष के एक ब्लॉक में एक बार अपने "गृह नगर (होम टाउन)" तथा एक बार "भारत भ्रमण" यात्रा के लिए हकदार हैं। गृह नगर (होम टाउन) तथा भारत भ्रमण के लिए क्रमश: ₹ 8000/- तथा ₹ 12000/- दी जाती है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के दायित्व की पहचान की जाती है।

(VI) खदान दुर्घटना के मामले में आश्रितों को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में कंपनी कर्मचारियों को मुआवजा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। दिनांक 07.11.2019 से यदि खदान में किसी कर्मचारी की दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन को मुआवजे के रूप में ₹ 15 लाख की राशि का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के दायित्व की पहचान की जाती है।

परिभाषित लाभ योजनाएं, परिभाषित अंशदायी योजनाएं एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तीय स्थिति, जिनका मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित हैं:

(I) वित्त पोषित

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- चिकित्सा सुविधा
- भविष्य निधि
- पेंशन योजना

(II) गैर-वित्तपोषित

- जीवन बीमा योजना
- सेटलमेंट भत्ता
- सामुहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- एल टी सी
- खदान दुर्घटना के मामले में आश्रितों को मुआवजा

(घ) दिनांक 31 मार्च, 2021 को बीमांकिक द्वारा विचारित श्रमशक्ति एवं कंपनी के प्रतिवेदित श्रमशक्ति में अंतर के लिए उपदान (ग्रेच्युटी), अर्जित अवकाश एवं अर्ध वेतन अवकाश के मदों में आनुपातिक आधार पर बीमांकिक देयता में इजाफा किया गया है। उपर्युक्त तिथि को तैयार तुलन-पत्र के आधार पर कर्मचारी लाभ की कुल देयता ₹ 4441.57 करोड़ रुपए है। जैसा कि बीमांकिक द्वारा प्रमाणित किया गया है कि दिनांक 31 मार्च, 2021 को सेवारत सभी कर्मचारियों के लिए दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में कथित मदों के तहत राजस्व लेखा में दर्शायी गई यह रकम सेवानिवृत्त/ दिवंगत/ विमुक्त कर्मचारियों आदि को भुगतान किए गए तथा भुगतान की जाने वाली रकम के बराबर है, जिसमें वृद्धि/कमी देयता भी शामिल है, यदि हो तो।

मद-वार विवरण निम्नलिखित है:

(₹' करोड़ में)

मद / शीर्षक	1 अप्रैल, 2020 को आरंभिक बीमांकिक प्रावधान	वृद्धि / (ह्रास) प्रावधान	31 मार्च, 2021 को अंतिम बीमांकिक प्रावधान
उपदान (ग्रेच्युटी)	3391.61	28.67	3420.28
अर्जित अवकाश	584.36	(-)22.84	561.52
अर्ध वेतन अवकाश	61.89	(-)19.06	42.83
जीवन सुरक्षा योजना (लाइफ कवर स्कीम)	22.95	(-)11.13	11.82
सेटलमेंट/सेटलिंग-इन भत्ता (अधिकारियों के लिए)	7.84	(-)0.47	7.37
सेटलमेंट / सेटलिंग-इन भत्ता (कर्मचारियों के लिए)	22.49	(-)1.32	21.17
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.13	(-)0.01	0.12
एलटीसी/एलटीसी/आरआरएफ	45.74	0.14	45.88
चिकित्सा लाभ (मौजूदा अधिकारियों लिए)	61.80	1.19	62.99
चिकित्सा लाभ (कर्मचारियों के लिए)	58.60	40.30	98.90
अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ (सेवानिवृत्ति के बाद)	119.74	38.02	157.76
खदान दुर्घटना लाभ (कर्मचारियों के लिए)	10.16	0.77	10.93
कुल	**4387.31**	**54.26**	**4441.57**

(ड़) बीमांकिक के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटन

बीमांकिक के प्रमाणपत्र के अनुसार कर्मचारियों को उपदान (वित्त-पोषित) और अवकाश नकदीकरण (वित्त-पोषित) के लाभ का प्रकटन निम्नलिखित है:-

(I) दिनांक 31.03.2021को उपदान देयताका बीमांकिक मूल्यांकन

तालिका 1: प्रकट किए गए मद

तालिका में दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शायागया है

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
पिछले मूल्यांकन के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	3391.61	3107.97
वर्तमान सेवा लागत	145.28	144.70
ब्याज लागत	220.61	193.22
हिस्सेदार का अंशदान	0.00	0.00
योजना संशोधन अवधि के अंत में निहित भाग (पिछली सेवा)	0.00	0.00
योजना संशोधन अवधि के अंत में गैर-निहित भाग (पिछली सेवा)	0.00	0.00
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	(-)60.10	206.34
जन सांख्यिकीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	0.00	0.00
अप्रत्याशित घटना के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	64.99	100.24
अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	0.00	0.00
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	0.00	0.00
लाभ का भुगतान	342.11	360.86
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
निपटान/दायित्व का स्थानांतरण	0.00	0.00
कटौती लागत	0.00	0.00
निपटान लागत	0.00	0.00
अन्य	0.00	0.00
मूल्यांकन तिथि को दायित्व का वर्तमान मूल्य	3420.28	3391.61

तालिका 2: प्रकट किए गए मद

तालिका में दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शायागया है

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2420.08	2582.55
ब्याज से आय	165.78	170.45
नियोजन का अंशदान	18.10	30.00

तालिका 2: प्रकट किए गए मद

तालिका में निर्धारित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाया गया है

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
हिस्सेदार का अंशदान	0.00	0.00
अधिग्रहण / व्यापारिक संयोजन	0.00	0.00
निपटान लागत	0.00	0.00
लाभ का भुगतान	342.11	360.86
परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव	0.00	0.00
विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का असर	0.00	0.00
प्रशासनिक व्यय और बीमा प्रीमियम	0.00	0.00
ब्याज से आय को छोड़कर योजनागत संपत्ति पर लाभ	(-)3.62	(-)2.06
मापन अवधि के अंत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	2258.23	2420.08

तालिका 3: प्रकट किए गए मद

तुलन पत्र के साथ मिलान को दर्शाती तालिका

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
वित्त-पोषण स्थिति	(-)1162.05	(-)971.53
अमान्य पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00
इस अवधि के अंत में अमान्य बीमांकिक लाभ/हानि	0.00	0.00
मापन दिनांक के नाम नियोजन का अंशदान (अपेक्षित)	0.00	0.00
अप्राप्त अर्जित / पूर्वदत्त पेंशन लागत	0.00	0.00
वित्त-पोषण परिसंपत्ति	2258.23	2420.08
वित्त-पोषण देयता	3420.28	3391.61

तालिका 4: प्रकट किए गए मद

योजना अनुमान को दर्शाती तालिका

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
छूट की दर	6.85%	6.60%
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	6.85%	6.60%
क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन परिवर्धन)	अधिकारी के लिए 9.00% कर्मचारी के लिए 6.25%	अधिकारी के लिए 9.00% कर्मचारी के लिए 6.25%

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
पेंशन वृद्धि दर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
औसतन अपेक्षित की भावी सेवा (कार्यकाल की शेष अवधि)	13, 11	12, 11
मृत्यु दर तालिका	IALM 2012-2014 अंतिम	IALM 2006-2008 अंतिम
पुरुष की सेवानिवृत्ति आयु	60	60
महिलाओं की सेवानिवृत्ति आयु	60	60
समय पूर्व सेवानिवृत्ति और अक्षमता (सभी कारण संयुक्त)	0.30%	0.30%

तालिका 5: प्रकट किए गए मद

लाभ या हानि के विवरण में मान्य व्यय को दर्शाती तालिका

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
वर्तमान सेवा लागत	145.28	144.70
पिछली सेवा लागत (निहित)	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत (गैर-निहित)	0.00	0.00
शुद्ध ब्याज लागत	54.83	22.77
निपटान पर खर्च (नुकसान/(लाभ)	0.00	0.00
कटौती पर लागत (हानि/(लाभ)	0.00	0.00
बीमांकिक लाभ/हानि, केवल पिछले साल के लिए लागू है	0.00	0.00
कर्मचारी का अपेक्षित अंशदान	0.00	0.00
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	0.00	0.00
लाभ लागत (लाभ/हानि के विवरण में मान्य प्राप्त व्यय)	200.11	167.47

तालिका 6: प्रकट किए गए मद

अन्य व्यापक आय को दर्शाती तालिका

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
वित्तीय मान्यता में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	(-)60.10	206.34
जन सांख्यिकीय मान्यता में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर विवाद का लाभ/हानि	0.00	0.00
अप्रत्याशित घटना के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	64.99	100.24

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	0.00	0.00
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानियां	4.89	306.58
आज से हुई आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	(-)3.62	(-)2.06
परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव	0.00	0.00
अवधि की समाप्ति पर शेष राशि	8.51	308.64
ओसीआई में मान्य अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	8.51	308.64

तालिका 7: प्रकट किए गए मद

अंतिम मूल्यांकन अवधि में योजना परिसंपत्ति के विनियोजन को दर्शाती तालिका (लागू नहीं)

तालिका 8: प्रकट किए गए मद

अंतिम मूल्यांकन अवधि में पर योजना परिसंपत्ति के कुल विनियोजन को % में दर्शाती तालिका (लागू नहीं)

तालिका 9: प्रकट किए गए मद

मृत्यु दर को दर्शाती तालिका

आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000931
30	0.000977
35	0.001202
40	0.001680
45	0.002579
50	0.004436
55	0.007513
60	0.011162
65	0.015932
70	0.024058

तालिका 10: प्रकट किए गए मद

संवेदनशीलता को दर्शाती तालिका

(₹' करोड़ में)

संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2021	
	वृद्धि	कमी
छूट दर (-/+0.5%)	3304.16	3543.75
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में	(-)3.395%	3.610%
वेतन वृद्धि (-/+0.5%)	3471.96	3363.12
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में	1.511%	(-)1.671%
संघर्षण दर (-/+0.5%)	3420.52	3420.04
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में	0.007%	(-)0.007%
मृत्यु दर (-/+10%)	3421.78	3418.77
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में	0.044%	(-)0.044%

तालिका 11: प्रकट किए गए मद

नकदी प्रवाह की सूचना को दर्शाती तालिका

अगले वर्ष का योग (अपेक्षित)	3339.48
न्यूनतम अनुदान की आवश्यकताएं	1309.36
कंपनी का विवेकाधिकार	0.00

तालिका 12: प्रकट किए गए मद

अनुमानित भावी भुगतान (पिछली सेवा) के लाभ संबंधी सूचना को दर्शाती तालिका

वर्ष	(₹ करोड़ में)
1	370.32
2	360.18
3	369.20
4	388.28
5	378.61
6 से 10	1661.05
10 वर्षों से अधिक	2546.68
विगत और भावी सेवा संबंधी बिना कटौती के कुल भुगतान	0.00
विगत सेवा संबंधी कुल अकुशल भुगतान	6074.32
ब्याज के लिए कम छूट	2654.04
अनुमानित लाभ की बाध्यता	3420.28

तालिका 13: प्रकट किए गए मद

अगले वर्ष की शुद्ध लागत की संभावना को दर्शाती तालिका

विवरण	(₹ करोड़ में)
वर्तमान सेवा लागत (केवल नियोक्ता का भाग) आगामी अवधि	151.77
अगली अवधि में ब्याज लागत	221.60
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	234.29
अमान्य पिछले सेवा लागत	0.00
अमान्य बीमांकिक/ इस अवधि के अन्त में लाभ-हानि	0.00
परिशोधन लागत	0.00
कटौती लागत	0.00
अन्य (बीमांकिक लाभ/हानि)	0.00
लाभ लागत	139.08

तालिका 14: प्रकट किए गए मद

शुद्ध देयता के विभाजन को दर्शाती तालिका

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
वर्तमान देयता	358.25	403.87
गैर-वर्तमान देयता	3062.03	2987.74
शुद्ध देयता	3420.28	3391.61

(ii) समूह ग्रेच्युटी बीमा योजना

कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ मिलकर अपने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी समूहग्रेच्युटी बीमा योजना को अपनाया है और इसके लिए वर्ष 2012-13 में एलआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है। कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्युटी बीमा योजना नामक इस योजना के प्रबंधन करने के लिए ट्रस्टियों के साथ एक ट्रस्ट डीड बनाई गई है। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक एलआईसी के पास इस योजना में शेष राशि निम्नलिखित है:-

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अवधि/वर्ष के शुरूआत में आरंभिक शेष	2420.08	2582.55
जोड़ें : अवधि/वर्ष के दौरान निवेश	18.10	30.00
जोड़ें : अवधि/वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	181.51	185.92
घटाएं : अवधि/वर्ष के दौरान एलआईसी द्वारा लिया गया शुद्ध प्रीमियम	19.35	17.53
घटाएं : अवधि/वर्ष के दौरान एलआईसी द्वारा निर्गत ग्रेच्युटी निधि	342.11	360.86
वर्ष के अंत में अंत शेष	2258.23	2420.08

(ii) दिनांक 31.03.2021तक अवकाश नकदीकरण लाभ का बीमांकिकमूल्यांकन (ईएल/एचपीएल)

तालिका 1: प्रकट किए गए मद

तालिका में दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शायागया है

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
पिछले मूल्यांकन के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	646.25	573.04
वर्तमान सेवा लागत	90.98	85.37
ब्याज लागत	42.21	27.13
हिस्सेदार का अंशदान	0.00	0.00
योजना संशोधन अवधि के अंत में निहित भाग (पिछली सेवा)	0.00	0.00
योजना संशोधन अवधि के अंत में गैर-निहित भाग (पिछली सेवा)	0.00	0.00
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	(-)13.66	46.43
जन सांख्यिकीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	0.00	0.00
अप्रत्याशित घटना के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	(-)101.43	238.28
अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	0.00	0.00
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	0.00	0.00
लाभ का भुगतान	60.00	324.00
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
निपटान/दायित्व का स्थानांतरण	0.00	0.00
कटौती लागत	0.00	0.00
निपटान लागत	0.00	0.00
अन्य	0.00	0.00
मूल्यांकन तिथि को दायित्व का वर्तमान मूल्य	604.35	646.25

तालिका 2: प्रकट किए गए मद

तालिका में संयत्र, परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाया गया है

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9.45	221.73
ब्याज से आय	0.65	14.63
नियोजन का अंशदान	60.00	105.00
हिस्सेदार का अंशदान	0.00	0.00
अधिग्रहण / व्यापारिक संयोजन	0.00	0.00
निपटान लागत	0.00	0.00
लाभ का भुगतान	60.00	324.00
परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव	0.00	0.00
विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का असर	0.00	0.00
प्रशासनिक व्यय और बीमा प्रीमियम	0.00	0.00
ब्याज से आय को छोड़कर योजनागत संपत्ति पर लाभ	2.03	(-)7.91
मूल्यांकन अवधि के अंत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	12.13	9.45

तालिका 3: प्रकट किए गए मद

तुलन पत्र के साथ मिलान को दर्शाती तालिका

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
वित्त-पोषण स्थिति	(-)592.22	(-)636.80
अमान्य पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00
इस अवधि के अंत में अमान्य बीमांकिक लाभ/हानि	0.00	0.00
मापन दिनांक के नाम नियोजन का अंशदान (अपेक्षित)	0.00	0.00
अप्राप्त अर्जित / पूर्वदत्त पेंशन लागत	0.00	0.00
वित्त-पोषण परिसंपत्ति	12.13	9.45
वित्त-पोषण देयता	604.35	646.25

तालिका 4: प्रकट किए गए मद

योजना अनुमान को दर्शाती तालिका

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
छूट की दर	6.85%	6.60%
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	लागू नहीं	लागू नहीं
क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन परिवर्धन)	अधिकारी के लिए 9.00% कर्मचारी के लिए 6.25%	अधिकारी के लिए 9.00% कर्मचारी के लिए 6.25%
पेंशन वृद्धि दर	लागू नहीं	लागू नहीं
औसतन अपेक्षित की भावी सेवा (कार्यकाल की शेष अवधि)	12, 11	12, 11
मृत्यु दर तालिका	IALM (2012-2014) ULT	IALM (2006-2008) ULT
पुरुष की सेवानिवृत्ति आयु	60	60
महिलाओं की सेवानिवृत्ति आयु	60	60
समय पूर्व सेवानिवृत्ति और अक्षमता (सभी कारण संयुक्त)	0.30% प्रति वर्ष	0.30% प्रति वर्ष
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति	उपेक्षित	उपेक्षित

तालिका 5: प्रकट किए गए मद

लाभ या हानि के विवरण में मान्य व्यय को दर्शाती तालिका

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
वर्तमान सेवा लागत	90.98	85.37
पिछली सेवा लागत (निहित)	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत (गैर-निहित)	0.00	0.00
शुद्ध ब्याज लागत	41.56	12.50
निपटान पर खर्च (नुकसान/(लाभ)	0.00	0.00
कटौती पर लागत (हानि/(लाभ)	0.00	0.00
बीमांकिक लाभ/हानि, केवल पिछले साल के लिए लागू है	(-)117.11	292.63
कर्मचारी का अपेक्षित अंशदान	0.00	0.00
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	0.00	0.00
लाभ लागत (लाभ/हानि के विवरण में मान्य प्राप्त व्यय)	15.43	390.50

तालिका 6: प्रकट किए गए मद

अन्य व्यापक आय को दर्शाती तालिका (लागू नहीं)

तालिका 7: प्रकट किए गए मद

कुल मृत्यु दर को दर्शाती तालिका

आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000931
30	0.000977
35	0.001202
40	0.001680
45	0.002579
50	0.004436
55	0.007513
60	0.011162
65	0.015932
70	0.024058

तालिका 8: प्रकट किए गए मद

संवेदनशीलता विश्लेषण को दर्शाती तालिका

(₹ ' करोड़ में)

संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2021	
	वृद्धि	कमी
छूट दर (-/+0.5%)	580.04	630.54
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में	(-)4.022%	4.334%
वेतन वृद्धि (-/+0.5%)	630.25	580.08
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में	4.286%	(-)4.016%
संघर्षण दर (-/+0.5%)	604.32	604.37
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में	(-)0.004%	0.004%
मृत्यु दर (-/+10%)	604.28	604.42
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में	(-)0.012%	0.012%

तालिका 9: प्रकट किए गए मद

अनुमानित भावी भुगतान के लाभ संबंधी सूचना को दर्शाती तालिका

वर्ष	(₹ करोड़ में)
1	51.84
2	59.27
3	61.45
4	67.35
5	71.25
6 से 10	292.19
10 वर्षों से अधिक	727.39
विगत और भावी सेवा संबंधी बिना कटौती के कुल भुगतान	0.00
विगत सेवा संबंधी कुल अकुशल भुगतान	1330.74
ब्याज के लिए कम छूट	726.39
अनुमानित लाभ की बाध्यता	604.35

तालिका 10: प्रकट किए गए मद

शुद्ध देयता के विभाजन को दर्शाती तालिका

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
वर्तमान देयता	50.16	60.70
गैर-वर्तमान देयता	554.19	585.55
शुद्ध देयता	604.35	646.25

(iv) अवकाश नकदीकरण वित्तपोषण

13 नवंबर, 2015 को संपन्न अपनी 322वीं बैठक में कोल इंडिया बोर्ड ने अवकाश नकदीकरण के दायित्व की राशि के वित्तपोषण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और आइआरडीएआइ (IRDAI)के साथ हुए समझौते पर अपना अनुमोदन दे दिया, जिसकी अनुपात 70:30 होगी। आइआरडीएआइ (IRDAI)द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों के चयन का काम सीआइएल स्तर पर प्रक्रियाधीन है। ठीक इसी समय सभी अनुषंगी कंपनियों को सीआइएल द्वारा यह परामर्श दिया गया कि अवकाश नकदीकरण की राशि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की न्यू ग्रुप लीव इनकैशमेंट योजना को अपनाया जाय। तदनुसार, कंपनी जिस बीसीसीएल कर्मचारी न्यू ग्रुप लीव इनकैशमेंट प्लान में अपना अंशदान दे रही थी उसे एलआईसी के मास्टर प्रोपोजल 'न्यू ग्रुप लीव इनकैशमेंट एक्युम्यलेशन स्कीम (UIN512N282V01) नामक स्कीम द्वारा अंगीकार कर लिया गया। इस कथित योजना के अंतर्गत एलआईसी के पास शेष संचित राशि निम्नलिखित है :

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष	9.45	221.73
जोड़े : अवधि/वर्ष के दौरान निवेश	60.00	105.00
जोड़े : अवधि/वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	2.88	7.14
घटाएं : अवधि/वर्ष के लिए एलआईसी को दिया गया शुद्ध प्रीमियम	0.20	0.42
घटाएं : अवधि/वर्ष के दौरान एलआईसी द्वारा दिया गया अवकाश नकदीकरण निधि	60.00	324.00
अवधि/वर्ष के अंत में अंत शेष	12.13	9.45

4. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां (भारतीय लेखा मानक 37)

(क) आकस्मिक देयताएं

(I) कंपनीकेविरूद्धदावोंकोऋणकेरूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

(₹' करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अन्य	कुल
1	**01.04.2020 को आरंभिक शेष**	**1565.03**	**18429.31**	**0.00**	**598.80**	**20593.14**
2	वर्ष के दौरान वृद्धि	30.20	20.55	0.00	8.45	59.20
3	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे					
	(क) आरंभिक शेष से	113.91	26.01	0.00	12.69	152.61
	(ख) वर्ष के दौरान हुई वृद्धि से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ग) वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे (क+ख)	113.91	26.01	0.00	12.69	152.61
4	**31.03.2021 को अंतिम शेष**	**1481.32**	**18423.85**	**0.00**	**594.56**	**20499.73**

(₹' करोड़ में)

विवरण		विवाद की अनुमानित राशि	
		31.03.2021 को	**31.03.2020 को**
केंद्र सरकार	आयकर	815.73	881.07
	बिक्री कर: सीएसटी	550.78	568.18
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	107.23	107.06
	सेवा कर	7.58	8.72
	उप-योग	**1481.32**	**1565.03**
राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	बिक्री कर : वैट	472.84	491.50
	एसजीएसटी	0.04	0.04
	रॉयल्टी	315.85	300.00
	होल्डिंग टैक्स	252.23	252.23
	समान हित वाले मामला के लिए क्षतिपूर्ति	17344.46	17344.46
	विद्युत प्रभार	22.15	19.77
	अन्य सांविधिक बकाया (आई/पीई सेस)	16.28	21.31
	उप-योग	**18423.85**	**18429.31**
केंद्रीय लोक उपक्रम		0.00	0.00
	उप- कुल	**0.00**	**0.00**
अन्य	विवाद के तहत कंपनी के विरूद्ध मुकदमेबाजी	467.18	469.63
	मध्यस्थता संबंधित कार्यवाही	71.12	71.12
	विविध (भूमि)	56.26	58.05
	उप-योग	**594.56**	**598.80**
	सकल योग	**20499.73**	**20593.14**

कंपनी को यथोचित उम्मीद है कि कंपनी के खिलाफ कानूनी विवादों/मुकदमों में सभी दावों/सूट (अन्य कंपनियों द्वारा दायर मुकदमा सहित) का जब अंततः निष्कर्ष निकलेगा और निर्धारण होगा तो कंपनी के परिचालन के परिणाम एवं वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा।

(II) 2014 के 114 डब्ल्यू पी (सिविल) में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार अर्थदंड समान हित वाला मामला:

समान हित बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में 2014 के डब्ल्यू पी (सी) नं. 114 के जरिए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 02.08.2017 के फैसले के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 47 परियोजनाओं/खानों/कोलियरियों की कंपनी को ₹ 17344.46 रकम की डिमांड नोटिस जारी की गई है। यह आरोप लगाया गया है कि कोयला का उत्पादन या तो पर्यावरण संबंधी अनुमति, वन संबंधी अनुमति, परिचालन के लिए स्वीकृति के बिना किया गया और बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्थापन सहमति के किया गया है अथवा इन अनुमतियों के तहत दी गई उत्पादन की अनुमोदित सीमाओं से ज्यादा उत्पादन किया गया है। उपर्युक्त डिमांड नोटिस का अनुपालन अगले आदेश तक मिनरल कंसेशन नियम 1960 के नियम 55(5) जिसे एमएमडीआर की धारा 30 के साथ पढ़ा जाता है, के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर स्थगित किया गया है। तदनुसार उक्त रकम को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

(III) क्षेत्रों के कोयला स्टॉक के कमी पर राजस्व से संबंधित कई प्रमाणन मामले, जिला खनन अधिकारी (D.M.O's) के कार्यालय में प्रमाणन अधिकारी के समक्ष लंबित हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित जिला खनन अधिकारी को यह निदेश दिया है कि मुद्रास्फीति से हुई कमी, चोरी एवं कोयले उत्पादन की ओवर रिपोर्टिंग आदि के निर्धारण के बाद ही मांगे गये राजस्व की देय राशि को तय करें।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निदेश के आलोक में, प्रमाणन मामले से संबंधित उक्त राशि को डी.एम.ओ. द्वारा अभी संशोधित/ सुनिश्चित नहीं किया गया है। अतः इस लेखा में इसको उपलब्ध नहीं कराया गया है, किंतु उपर्युक्त में दर्शाए गयी आकस्मिक देयता में यह विचारित है।

(IV) ककैप्टिव पावर प्लांट की लीज समझौते (पश्चिमी झरिया क्षेत्र) के कारण वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही (2014-15 के लीज रेंट बकाये पर पहली तीमाही के लिए सेवा कर का भुगतान पहले ही कर दिया गया है) से 2015-16 की तीसरी तिमाही (दिनांक 15.12.2016 को संयंत्र कंपनी को सौंप दिया गया) तक ₹ 1.06 करोड़ के सेवा कर की राशि को आकस्मिक देयता के तहत दर्शाया गया है।

(V) कंपनी ने धनबाद नगर निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स के रूप में ₹ 252.23 के डिमांड नोटिस के विरूद्ध झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 2015 में रिट याचिका सं. WP (T) 3583 दायर की है और चूंकि अभी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इसे होल्डिंग टैक्स के मद के तहत आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

(VI) विवादित प्राप्य / देय खाता डीएलएफ

मधुबन कोल वाशरी द्वारा डीएलएफ़ को (i) रिजेक्ट तथा (ii) स्टार्टअप/बैक-अप/आपातकालीन बिजली की आपूर्ति की लागत के एवज में डीएलएफ से प्राप्तियां है। इसके अलावा डीएलएफ द्वारा स्थापित कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) से मधुबन कोल वाशरी को प्राप्त विद्युत के लिए डीएलएफ को विद्युत ऊर्जा लागत देय है। इस स्तर पर देय/प्राप्य ब्याज का लेखांकन नहीं किया गया है चूंकि रिजेक्ट की कीमत/गुणवत्ता तथा इस विषय में सीपीपी द्वारा कम गारंटी विवाद होने के कारण मामला न्यायालयाधीन (एक मामला धनबाद न्यायालय में और दूसरा विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में) है। तदनुसार, इस स्तर पर शुद्ध बकाया पर देय ब्याज / देय का लेखांकन नहीं किया गया है। हालांकि, 31 मार्च, 2021 तक 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से डीएलएफ को शुद्ध देय ब्याज ₹ 31.83 करोड़ (मार्च, 202 तक ₹ 30.12 करोड़) बनती है और यह आकस्मिक देयता में स्वीकृत है।

(ख) कंपनी द्वारा जारी बैंक गारंटी

(₹' करोड़ में)

विवरण	रकम	
	31.03.2021 तक	**31.03.2020 तक**
वर्तमान परिसंपत्तियों पर फ्लोटिंग प्रभार के विरूद्ध	56.08	2.33

(ग) कंपनी द्वारा जारी साख-पत्र

(₹' करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31.03.2021 तक	**31.03.2020 तक**
बैलेंस शीट की तारीख तक बकाया	425.08	3.74

(घ) प्रतिबद्धता

(I) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

(₹' करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
पूंजीगत लेखा पर दर्शायी जाने वाली अनुबंध की अनुमानित शेष राशि निम्नलिखित के लिए उपलब्ध नहीं होगी।		
क) भूमि	0.04	0.00
ख) भवन इमारत	230.87	278.68
ग) संयंत्र और मशीनरी	491.67	473.08
घ) अन्य	567.31	1285.52

(II) राजस्व/अन्य प्रतिबद्धताएं

(₹' करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
राजस्व/ अन्य लेखा पर दर्शायी जाने वाली अनुबंध की अनुमानित शेष राशि निम्नलिखित के लिए उपलब्ध नहीं होगी।		
क) भाड़े के एचईएमएम	13140.76	12322.64
ख) कोयला परिवहन	403.22	296.91
ग) अन्य	168.46	61.79

(ङ) प्रावधान

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के दौरान दीर्घावधि/लघु अवधि के प्रावधानों में परिवर्तन/बदलाव का विवरण निम्नानुसार है: -

(I) निम्नलिखित के लिए गैर-वर्तमान प्रावधान:

(₹' करोड़ में)

टिप्पणी सं.	प्रावधान	1 अप्रैल 2020 तक आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्रावधान/जोड़	वर्ष के दौरान किया गया भुगतान/ समायोजन/ प्रतिलेखन	31 मार्च, 2021 तक अंत शेष
21	ग्रेच्युटी	568.67	235.93	0.00	804.60
21	अवकाश नकदीकरण	576.46	0.00	34.18	542.28
21	अन्य कर्मचारी लाभ	207.26	43.65	0.00	250.91
21	भूमि पुनर्स्थापन / खदान बंदी	424.76	95.08	37.45	482.39
21	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
10	स्ट्रिपिंग गतिविधि का समायोजन	375.29	294.02	100.85	568.46
9 व 10	संदिग्ध पूंजी अग्रिम, सुरक्षा जमा और अन्य जमा - अन्य गैर गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	4.76	0.31	0.00	5.07
9 व 10	संदिग्ध जमा और प्राप्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
8	संदेहास्पद ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
5	अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां (हानि सहित)	0.00	0.00	0.00	0.00
4	पूंजी डब्ल्यूआईपी (हानि सहित)	46.61	3.44	2.41	47.64
3	परिसंपत्तियों की हानि- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	77.09	5.54	0.00	82.63
	कुल	**2280.90**	**677.97**	**174.89**	**2783.98**

(II) कंपनी ने वार्षिक संविदात्मक गुणवत्ता (एसीक्यू) के अनुसार कोयला आपूर्ति के लिए कोयला उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते के रूप में दीर्घकालिक करार किया है। इस ईंधन आपूर्ति समझौतों के तहत एसीक्यू के 90% से ऊपर कोयला आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है और 90% / 80% / 60% से नीचे कोयले की आपूर्ति के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जैसा भी मामला हो। प्रोत्साहन एवं दंड का निर्धारण वार्षिक आधार पर वर्ष के अंत में/उपभोक्तावार किया जाएगा। कंपनी ने लंबे समय के लिए कोई भी यौगिक अनुबंध नहीं किया है।

(III) निम्नलिखित के लिए वर्तमान प्रावधान

(₹' करोड़ में)

टिप्पणी सं.	प्रावधान	1अप्रैल 2020 तक आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्रावधान / जोड़	वर्ष के दौरान भुगतान/ समायोजन/ प्रतिलेखन	31 मार्च, 2021 तक अंतिम शेष
21	ग्रेच्युटी	402.86	0.00	45.41	357.45
21	अवकाश नकदीकरण	60.34	0.00	10.40	49.94
21	अन्य कर्मचारी लाभ	354.30	284.26	285.21	353.35
21	पीआरपी	161.94	61.58	104.17	119.35
21	खदान बंदी	0.00	0.00	0.00	0.00
13	कोयले की गुणवत्ता में अंतर	5.24	118.32	0.32	123.24
13	खराब और संदेहास्पद ऋण	739.66	25.06	253.73	510.99

टिप्पणी सं.	प्रावधान	1अप्रैल 2020 तक आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्रावधान / जोड़	वर्ष के दौरान भुगतान/ समायोजन/ प्रतिलेखन	31 मार्च, 2021 तक अंतिम शेष
12	माल-सूची -कोयला स्टॉक सूची	409.09	9.86	0.00	418.95
12	माल-सूची -स्टोर एवं पुर्जो की स्टॉक सूची	60.20	3.79	0.31	63.68
11	संदिग्ध अग्रिम, जमा और प्राप्तियां - अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	1.10	0.00	0.00	1.10
9	संदिग्ध जमा और दावे- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.95	0.00	0.00	4.95
8	संदेहास्पद ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**2199.68**	**502.87**	**699.55**	**2003.00**

(च) कंपनी द्वारा प्राप्त अन्य प्रतिभूतियां

कंपनी के पास आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ग्राहकों आदि से प्राप्त निधि आधारित/गैर-निधि आधारित निम्नलिखित सुरक्षा प्रतिभूति जमा है। जिसके लिए लेखांकन नहीं किया गया है।

(₹' करोड़ में)

क्र. सं.	प्रतिभूति की प्रकृति	राशि (₹ करोड़ में)	
		31.03.2021 को	31.03.2020 को
1	बैंक गारंटी	1217.01	1279.60
2	साख पत्र	42.00	14.00
3	एनएससी	0.22	0.15
4	एफडीआर/टीडीआर	1.74	1.52

अप्रैल, 2012 में "टर्नकी आधार पर 2.0 एमटीवाई के न्यूनतम गारंटी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी पैकेज द्वारा कपूरिया ब्लॉक से कोयला निकासी तथा इसके विकास" के लिए मेसर्स एएमआर-बीबीबी कंसोर्टियम को एक ठेका दिया गया था। उक्त अनुबंध को दिनांक 21.01.2021 को रद्द कर दिया गया था और मेसर्स एएमआर- बीबीबी कंसोर्टियम के ₹ 53.98 करोड़ राशि के सभी चार कार्य-प्रदर्शन बैंक गारंटी का नकदीकरण कर दिया गया है और इसे दिनांक 30.01.2021 को दिये गए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास जमा कर दिया गया है। डीपीआर के लिए भुगतान की गई ₹ 6.50 करोड़ की राशि, जैसा कि प. झरिया क्षेत्र के अन्य खनन आधारभूत संरचना में दर्शाया गया है, को आइसीसी के परिणाम के बाद समायोजित किया जाएगा जहां पर मध्यस्थता का केस दर्ज किया गया है।

5. ऑपरेटिंग सेगमेंट: (भारतीय एएस 108)

भारतीय लेखा मानक 108 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' के प्रावधानों के संदर्भ में, सेगमेंट की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान आंतरिक निदेशक मंडल द्वारा आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर की जाती है ताकि सेगमेंट को संसाधन आवंटित किए जा सकें और उनके प्रदर्शन का आकलन किया जा सके। भारतीय लेखा मानक 108 के संदर्भ में निदेशक मंडल (बीओडी) कंपनी का प्रधान निर्णायक मंडल है।

कंपनी मुख्य रूप से कोयला खनन क्षेत्र में काम करती है; और अन्य सभी गतिविधियां मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इसलिए, कंपनी के लिए कोई अन्य ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं हैं।

निम्नलिखित ग्राहक के साथ लेनदेन की राशि राजस्व का 10 प्रतिशत या कंपनी के राजस्व से अधिक:-

ग्राहक क्र. सं.	अवधि के दौरान कोयले की बिक्री की राशि	कुल बिक्री का प्रतिशत (%)
1	3342.69	46.21%
2	889.70	12.30%
3	874.19	12.09%

6. प्रति शेयर आय (भारतीय लेखा मानक-33) लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ करोड़ में/शेयरों की संख्या)

विवरण	निरंतर परिचालन से लाभ	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
टैक्स के बाद लाभ / (हानि)	(-)1202.48	918.68
घटाएं : अधिमानी शेयर धारक को आरोप्य लाभ	0.00	126.95
इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद शुद्ध लाभ	(-)1202.48	791.73
बकाया इक्विटी शेयरों का भारित औसत संख्या	46570000	21740000
रुपए में प्रति शेयर आधारित और मिश्रित आय (अंकित मूल्य ₹ 1000)	(-)258.21	364.18

7. संबंधित पार्टी प्रकटन (भारतीय एएस-24)

(क) नियोजन उपरांत लाभ कोष:

(i) एलआइसीआइ के साथ सामुहिक ग्रेच्युटी नकद संचय योजना
(ii) एलआइसीआइ के साथ नयी सामुहिक ग्रेचयुटि नकद संचय योाजना (दिरांक 01.04.2014 के बाद नियोजन पाने वाले कर्मचारियों के लिए)
(iii) एलआइसीआइ के साथ नयी सामुहिक अवकाश नकदीकरण योजना
(iv) कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)
(v) एक्सक्यूटिव ट्रस्ट के लिए अंशदायी पोस्ट रिटायरमेंट चिकित्सा योजना
(vi) आइएल एक्सक्यूटिव परिभाषित अंशदान योजना- 2007

संबंधित पार्टियों की सूची निम्नलिखित है:-

नाम	पदनाम	प्रभावी तिथि
श्री पीप्रसाद .एम.	अध्यक्षप्रबंध निदेशक-सह-	02.08.2019 से 01.09.2020 और 01.02.2021 से निरंतर
श्री गोपाल सिंह	अध्यक्षप्रबंध निदेशक-सह-	01.09.2020 से 31.01.2021
श्री पी .आर.के.वी. मल्लिकार्जुन राव	निदेशक (कार्मिक)	01.06.2020 से निरंतर
श्री समीरन दत्ता	निदेशक (वित्त)	18.07.2019 से निरंतर
श्री आरमहापात्र .एस.	निदेशक (कार्मिक)	22.12.2017 से 31.05.2020
श्री राकेश कुमार	निदेशक (संचालन/तकनीकी)	12.03.2019 से 31.03.2021
श्री चंचल गोस्वामी	निदेशक (.एवं परि .यो/तकनीकी)	04.11.2019 से निरंतर
डॉखोबरागड़े .एस.के .	स्वतंत्र निदेशक	06.09.2017 से 05.09.2020
श्री नरेंद्र सिंह	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019 से निरंतर
श्री बिनय दयाल	अंशकालिक निदेशक [सीआईएल (.तक) निदेशक]	09.11.2017 से निरंतर
श्री बीपति .पी.	अंशकालिक निदेशक संयुक्)त सचिव, कोयला मंत्रालय, सरकार द्वारा नामित(	03.10.2018 से निरंतर
श्री बीपारुई .के.	कंपनी सचिव	30.08.2013 से निरंतर

(ख) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रबंधन के प्रमुख अधिकारियों को भुगतान किए गए मुआवजे से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

(₹' करोड़ में)

विवरण	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक		अन्य निदेशक एवं कंपनी सचिव		कुल	
वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
अल्पावधि कर्मचारी लाभ सकल वेतन	0.17	0.31	1.81	1.49	1.98	1.80
कार्य निष्पादन/दक्षता संबंधी वेतन	0.00	0.01	0.84	0.15	0.84	0.16
अनुलाभ	0.01	0.16	0.18	0.25	0.19	0.41
चिकित्सा लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एलटीसी/एलएलटीसी/लीव नकदीकरण	0.00	0.00	0.12	0.11	0.12	0.11
नियोजन उपरांत लाभ पीएफ और एफपीएफ योगदान	0.02	0.03	0.17	0.14	0.19	0.17
अवकाश नकदीकरण	0.00	0.00	0.31	0.13	0.31	0.13
ग्रेच्युटी	0.00	0.00	0.40	0.20	0.40	0.20
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेवा समाप्ति लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	0.20	0.51	3.83	2.47	4.03	2.98

(ग) 31 मार्च, 2021को समाप्त वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों को किए गए नाम-वार पारिश्रमिक का भुगतान निम्नलिखित है : -

(₹' करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों का नाम	वेतन	अवकाश नकदीकरण	पीएफ और एफपीएफ	अन्य	कुल
1.	श्री पी. एम. प्रसाद, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	0.17	0.00	0.02	0.01	0.20
2.	श्री गोपाल सिंह, पूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	श्री समीरन दत्ता, निदेशक (वित्त)	0.36	0.00	0.03	0.18	0.57
4.	श्री राकेश कुमार, पूर्व निदेशक (तकनीकी), परिचालन	0.36	0.24	0.03	0.40	1.03
5.	श्री आर. एस. महापात्र, पूर्व निदेशक (कार्मिक)	0.07	0.14	0.01	0.37	0.59
6.	श्री चंचल गोस्वामी, निदेशक (तकनीकी), यो. एवं परि.	0.40	0.05	0.04	0.20	0.69
7.	श्री पी.वी.के.आर.मल्लिकार्जुन, निदेशक (कार्मिक)	0.31	0.00	0.03	0.16	0.50
8.	श्री बी. के. पारूई (कंपनी सचिव)	0.31	0.00	0.03	0.11	0.45
	कुल	**1.98**	**0.43**	**0.19**	**1.43**	**4.03**

(घ) 31 मार्च, 2021को प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों के ग्रेच्युटी, ईएल, एचपीएल का बीमांकिक मूल्यांकननिम्नलिखित है :-

(₹' करोड़ में)

क्र. सं.	केएमपी का नाम	ग्रेच्युटी		अर्जित अवकाश		एचपीएल		कुल	
		31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20
1	श्री पी. एम. प्रसाद, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	0.00	0.13	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.18
2	श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	श्री समीरन दत्ता, निदेशक (वित्त)	0.14	0.13	0.07	0.04	0.09	0.13	0.30	0.30
4	श्री राकेश कुमार, पूर्व निदेशक (तकनीकी), परिचालन	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.06	0.00	0.44
5	श्री आर. एस. महापात्र, पूर्व निदेशक (कार्मिक)	0.00	0.19	0.00	0.02	0.00	0.14	0.00	0.35
6	श्री चंचल गोस्वामी, निदेशक (तकनीकी), यो. एवं परि.	0.19	0.17	0.06	0.08	0.10	0.14	0.35	0.39
7	श्री पी.वी.के.आर.मल्लिकार्जुन, निदेशक (कार्मिक)	0.18	0.00	0.05	0.00	0.06	0.00	0.29	0.00
8	श्री बी. के. पारूई (कंपनी सचिव)	0.14	0.13	0.11	0.08	0.10	0.12	0.35	0.33
	कुल	**0.65**	**0.94**	**0.29**	**0.44**	**0.35**	**0.61**	**1.29**	**1.99**

(ङ) 31 मार्च, 2021को समाप्त अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किया गया नाम-वार बैठक शुल्क इस प्रकार है:-

(₹' करोड़ में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकों का नाम	बैठक शुल्क	
		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1	श्री अशोक कुमार लोमस (17.11.2015-16.11.2019)	0.00	0.05
2	डॉ एच एस यादव (17.11.2015-16.11.2019)	0.00	0.03
3	श्री विष्णु प्रसाद दास (02.02.2017-01.02.2020)	0.00	0.05
4	श्रीमती क्षमा देवी शंकर राव खोबरागड़े (06.09.2017- 05.09.2020)	0.03	0.04
5	श्री नरेंद्र सिंह	0.07	0.04

(च) 31.03.2021 को प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों पर बकाया शेष:-

(₹' करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्ति योग्य राशि	शून्य	शून्य

(छ) समानशासन के नियंत्रण में संस्थाएं :-

एक सरकारी कंपनी होने के नाते इस कंपनी को नियंत्रक सरकार और इसके तहत आने वाले अन्य संस्थानों से संबंधित पार्टी के लेनदेन और बकाया राशि आदि के संबंध में सामान्य प्रकटन की बाध्यता से छूट प्राप्त है। समान शासन के नियंत्रण के तहत आने वाले संस्थानों पर आर्म-लेंथ के आधार पर निम्नलिखित लेनदेन दर्ज किया गया है:-

(₹' करोड़ में)

कंपनी का नाम	लेनदेन	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
एनटीपीसी	**कोयले की बिक्री**	414.98	1417.09
	देनदार	121.54	574.32
	अग्रिम	0.00	0.00

(ज) समूह के अंतर्गत संबंधित पार्टी लेन-देन

सीआइएल ने अपनी अनुषंगियों के साथ सौदा किया है, जिसमें एपेक्स शुल्क, पुनर्वास शुल्क, पट्टा किराया, अनुषंगियों द्वारा रखे गए धन पर ब्याज, आइआइसीएम शुल्क तथा चालू खाता के माध्यम से अन्य अनुषंगियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

(झ) संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन

संबंधित पार्टी का नाम	संबंधित पार्टी को ऋण	संबंधित पार्टी से ऋण	अन्य सेवाएं					चालू खाता शेष (देय) / प्राप्य	बकाया शेष राशि (देय) / प्राप्य
			शीर्ष प्रभार	पुनर्वास प्रभार	पट्टा किराया (लीज रेंट) आय	अनुषंगी कंपनियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	आईआईसीएम प्रभार		
सीआईएल	0.00	0.00	24.66	13.91	0.00	0.00	0.87	(315.86)	0.00
सीएमपीडीआईएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(90.65)

8. आयकर (भारतीय लेखा मानक-12) (टिप्पणी 36 एवं 37)

पिछले अग्रानीत कर योग्य नुकसान के कारण कर व्यय के लिए 31 मार्च 2021को समाप्त वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) के लिए ₹ 403.73 करोड़ का समायोजन किया गया है।

भारतीय लेखा मानक 12, अप्रयुक्त कर घाटे को अग्रसर करने के संबंध में वसूली योग्य आयकर के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भविष्य में मान्यता की जरूरत है। तदनुसार, कर घाटे पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वर्ष के दौरान प्रारंभिक कर योग्य हानि के साथ लेखा किया गया है।

कंपनी ने आयकर अधिनियम की धारा 115BAA के प्रावधानों के अनुसार 22% की कम दर वाला विकल्प चुना है तथा कर प्रावधानों की गणना उसी के अनुसार की गई है।

9. पट्टे (भारतीय लेखा मानक-116) (टिप्पणी 25)

(क) कंपनी (सीवी क्षेत्र) ने विस्तारित अवधि दिनांक 01.04.2020से 31.03.2021तक के लिए ₹ 3.68 करोड़ की लीज रेंट पर दामागोरिया रेलवे साइडिंग की दूसरी लाइन को मैथन पावर लिमिटेड (एमपीएल) को दिया था। 31 मार्च, 2021 को पट्टे पर दी गई कथित परिसंपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है:-

(₹' करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	कुल ब्लॉक	वर्तमान वर्ष में ह्रास	वर्तमान वर्ष में हानि	प्रगामी मूल्यह्रास	प्रगामी हानि
1	दामागोरिया रेलवे साइडिंग	0.11	0.00	0.00	0.10	0.00

पट्टे वाली परिसंपत्तियां कंपनी की संपत्ति हैं, अतः इसका मूल्यह्रास कंपनी के लेखा नीति के अनुसार ही किया जाता है।

(ख) कंपनी (वाशरी निर्माण प्रकोष्ठ) ने दिनांक 07.08.2019 को भुगतान किए गए ₹ 23.24 करोड़ के अग्रिम के लिए दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2053 तक 35 वर्षों के लिए धनबाद मंडल के अंतर्गत 5 एमटीपीए पीइएच पर प्राइवेट साइडिंग के निर्माण एवं परिचालन के लिए दिनांक 12.06.2020 को लीज एग्रीमेंट के माध्यम से लगभग 10.647 एकड़ रेलवे की जमीन ली थी।

(ग) पश्चिमी झरिया क्षेत्र के कैप्टिव पावर संयंत्र

दिनांक 18 मार्च, 2010 को हुए पट्टे समझौते के अनुसार ₹ 660 करोड़/प्रतिवर्ष (कर सहित) की दर से पट्टेदार मैसर्स ओएसडी कोक (कंसोर्टियम) प्राइवेट लि. से पश्चिमी झरिया क्षेत्र के कैप्टिव पावर प्लांट के लिए पट्टा किराया वसूली जाने वाली थी। यह पट्टा 20 वर्षों के लिए मान्य था, किंतु पट्टेधारी ने टैरिफ मूल्य आदि और इस पावर प्लांट के परिचालन को बंद करने के साथ-साथ पट्टे के किराए संबंधी विवाद को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विवाचक के निर्णय के अनुसार दिनांक 16 दिसंबर, 2015 को यह प्लांट कंपनी को सौंप दिया गया है। उपर्युक्त के आलोक में, बकाया लीज रेंट वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 6.60 करोड़ और वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 4.67 करोड़ (15 दिसंबर, 2015) का लेखांकन नहीं किया गया।

10. बीमा और वृद्धि दावा

प्रवेश/अंतिम विवरण के आधार पर बीमा और वृद्धि दावा का लेखांकन किया गया हैं।

11. वित्तीय विवरणों में बनाए गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले/नहीं चलने वाले/अप्रयुक्त भण्डार, प्राप्य दावे, अग्रिम, संदेहपूर्ण ऋण आदि के लिए लेखा में बनाए गए प्रावधानों को संभावित हानि को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

12. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन की राय में, अचल परिसंपतियां और गैर मौजूदा निवेश के अलावा अन्य परिसंपतियां सामान्य रूप से व्यवसाय में वसूली मूल्य हैं, जो कम से कम उस राशि के बराबर है, जिसमें वह वर्णित है।

13. वर्तमान देयताएं

जहां वास्तविक दायित्व का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है वहां अनुमानित दायित्व दी गई है।

14. बकाया शेष पुष्टीकरण

शेष राशि पुष्टि/पुनर्मिलान नकदी और बैंक की शेष राशि, व्यापार प्राप्तियों और कुछ ऋण एवं अग्रिमों के लिए किया जाता है। दीर्घकालिक देनदारियों और वर्तमान देयताओं की शेष की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र लिखा जाता है।

15. विविध

(क) कंपनी द्वारा न्यायालय में दायर दावे

कंपनी (बीसीसीएल, कोलकाता कार्यालय) ने मेसर्स टर्नर मॉरिसन लिमिटेड, कोलकाता के विरूद्ध कोलकाता उच्च न्यायालय में एक व्यावहारिक मुकदमा (2013 का जीए नंबर 2797/ 2013 का सी.एस. नं. 11) दायर किया गया है, जो इस बात के लिए है कि (i) यह कंपनी यह घोषित करे कि वह अपने वर्तमान कार्यालय परिसर 6, लियोन्स रेंज, कोलकाता 700001., कोलकाता की कानूनी मालिक है (ii) यह घोषित करें कि मकान मालिक के रूप में और इसमें रहने वाले पट्टेधारियों की बीच कोई संबंध नहीं है और (iii) कंपनी पहले ही न्यायिक आदेद्गा पर किराएआदि के रूप में ब्याज सहित ₹ 187.74करोड़का भुगतान मैसर्स टर्नर मॉरिसन लिमिटेड, कोलकाता को कर चुकी है।इसके अतिरिक्त, कंपनी (भुगतान कार्यालय, मुखयालय) का ₹ 0.04 करोड़ की राशि के दावे से संबंधित कुछ और मामला न्यायालय में लंबित है।

(ख) तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र का बकाया शेष

पीबी एरिया के अंकेक्षित खातों में प्रदर्शित तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की देनदारियां परीक्षण/ जांच के अधीन हैं। इसी तरह, तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र के अग्रिम, जमा और दावे इत्यादि भी सत्यापन/ जांच के अधीन है। परीक्षा/ जांच / सत्यापन / संवीक्षा के परिणाम के आधार पर, देनदारियों का प्रतिलेखन या भुगतान कर दिया जाएगा और उसी तरह अग्रिम आदि को समायोजित कर दिया जाएगा या बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा ।

(ग) पी.बी. क्षेत्र में विलय किए गए तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखा परीक्षा और आश्वासन प्रबंधन, कोयला खदानों की परिसंपतियों की भौतिक सत्यापन का काम को उस पर दिए गए के अवलोकन को देखते हुए पी. बी. क्षेत्र में विलय की गई तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की कोलियरी/ इकाइयों और उसके संपत्ति रजिस्टर / संयंत्र कार्ड आदि का मिलान करने के लिए इस काम को एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म को सौंपा गया था। इस फर्म ने अपने भौतिक सत्यापन के आधार पर यह जानकारी दी है कि सकल ब्लॉक को बढ़ाकर ₹ 9.23 करोड़ बताया गया है और विलय की तारीख को मूल्यह्रास प्रावधान के लिए खातें में ₹ 16.06 करोड़ दिखाया गया है। लेकिनइस फर्म द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि इस सूचित सीमा के तहत वर्तमान परिसंपत्तियों (प्राप्त) के भौतिक शुद्ध मूल्य की मुद्रस्फीति हुई है, यहां पर कोई विकल्प नहीं है, किंतु सकल मूल्य, मूल्यह्रास एवं लेखा में उसी रूप में दर्शाया गया शुद्ध मूल्य के अंकेक्षित आंकड़ों पर विचार करने के लिए इन्हें वास्तविक परिसंपत्तियों के रूप में ही दर्शाया गया है। प्रबंधन ने उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

(घ) परबतपुर (केन्द्रीय) कोयला खदान का अधिग्रहण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड को परबतपुर (केन्द्रीय) कोयला खदान (बोकारो) का आवंटन दिनांक 31.03.2015 को रद्द कर दिया गया और इसके बाद कोयला खान (विशेष उपबंध) द्वितीय अध्यादेश, 2014 (संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी डीओ संख्या 13016/36/2015-सीए-III दिनांक 31.03.2015) के प्रावधानों के संदर्भ में तथाकथित खदान नामित अभिरक्षक यानी 'अध्यक्ष, कोल इंडिया' को सौंप दी गई। अध्यक्ष, सीआईएल ने सीआईएल की ओर से कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल को अधिकृत किया (सीआईएल/सीएच/सीयूएसटीओडीआाइएन/ 27/1608, दिनांक 31.03.2015) है।तदनुसार, परबतपुर (केन्द्रीय) कोयला खदान को बीसीसीएल के पूर्वी झरिया क्षेत्र (धनबाद) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है (कंपनी सचिव, बीसीसीएल द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या बीसीसीएलःसीएसःएफ-17 (ए), दिनांक 03/04/2015)।

अब, भारत सरकारके कार्यालय ज्ञापन No.13016 / 77/2015-CA-III दिनांक 06.10.2015 के माध्यम से परबतपुर (केन्द्रीय) कोयले की खान को मेसर्स सेल को आवंटित कर दिया गया है और मनोनीत अभिरक्षक यानी सीआइएल के अध्यक्ष को यह परामर्श दी गई थी कि वे इसे सेल को सौंप दें। तदनुसार जैसा कि पूर्वी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक ने अपने पत्र सं बीसीसीएल/जीएम/ईजेए2016/1429 दिनांक 28.07.2016 के माध्यम से पुष्टि की है।इसे सेल को सौंप दिया गया है, जिसके साथ हैंडओवर एवं टेकओवर की रिपोर्ट भी संलग्न है। इसके अलावा, कंपनी ने इस दौरान एक अभिरक्षक होने के नाते इस खदान के रखरखाव पर अब तक 28.07.2016 तक ₹ 5.08 करोड़ (पावर बिल ₹ 4.04 करोड़, मरम्मत और रखरखाव और अन्य पर ₹ 1.04 करोड़) खर्च कर चुकी है, जिसे लेखा में 'प्राप्य योग्य' के रूप में लिखा गया है। इस रकम को आवंटन प्राप्त करने वाली कंपनी यानी सेल से वसूल किया जाना है।

यह अद्यतन किया जाता है कि बीसीसीएल के ₹ 5.08 करोड़ के दावा के विरूद्ध, एसएआइएल (सेल) ने भी खदान से जल निकासी के लिए ₹ 17.00 करोड़ का दावा किया है, जिसे बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया था।

पुन: भारत सरकार ने भारत के गजट (F. No. CBA2-13016/1/2018-CBA2 दिनांकित 13 फरवरी, 2020) में अधिसूचना के माध्यम से पर्बतपुर सेंट्रल कोल माइन के प्रबंधन एवं परिचालन के लिए अध्यक्ष, सीआइएल को नियुक्त किया है। अध्यक्ष, सीआइएल ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल को खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा यथा संशोधित कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार उक्त खदान के प्रबंधन एवं संचालन के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है।

तदनुसार, परबतपुर (सेंट्रल) कोयला खदान को कंपनी के पूर्वी झरिया क्षेत्र (धनबाद) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था और महाप्रबंधक (पूर्वी झरिया क्षेत्र), बीसीसीएल को पर्वतपुर सेंट्रल कोल माइन को अपने अधिकार में लेने और तत्काल प्रभाव से इसके प्रबंधन एवं संचालन के लिए अधिकृत किया गया है। (कंपनी के निदेशक (तक.), परि. एवं यो. द्वारा निर्गत प्राधिकरण पत्र सं: BCCL/D(T)P&P/F-83(B)/2020/45 दिनांकित 03.03.2020)।

(ड़) मार्च, 2011 से फरवरी, 2013 के दौरान राजस्व एवं सेस पर उत्पादन शुल्क

कंपनी ने पूर्व में राजस्व और एसईडी पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था लेकिन सीआईएल की सलाह पर, कंपनी ने इस मद में 01.03.2011 से 28.02.2013 तक की अवधि के दौरान ₹ 73.99 करोड़ का भुगतान किया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं को राजस्व एवं एसईडी पर उत्पाद शुल्क के नियमिल बिल के अलावा पिछले अवधि के लिए ₹ 78.27 करोड़ की राशि का अनुपूरक बिल अलग से भेजा गया है। कंपनी ने अबतक (31.03.2020 तक) इस अनुपूरक बिल के एवज में ₹ 73.21 करोड़ की वसूली कर ली है और शेष ₹ 5.06 करोड़ की बकाया राशि की वसूली अभी तक नहीं हुई है। इस बकाया राशि में से अधिकांश ई-ऑक्शन उपभोक्ताओं से संबंधित है, इनमें से 17 उपभोक्ताओं ने कंपनी के इस मांग के विरूद्ध ₹ 0.35 करोड़ की राशि को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की है। ₹ 5.06 करोड़ की राशि के सामने, 31.03.2021 को ₹ 4.95 करोड़ की राशि का प्रावधान है।

(च) योग्य इनपुट सेवाओं पर सेवाकर

सीएमपीडीआइएल/सीआइएसएफ/एमएसटीसी/एम-जंक्शन इत्यादि जैसे कुछ सेवा प्रदाताओं को मुख्यालय में किए गए भुगतान के संबंध में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पंजीकरण के अभाव में सेनवेट क्रेडिट (अक्टूबर, 2013 तक) प्राप्त करने हेतु योग्य इनपुट सेवाओं पर सेवाकर, कंपनी के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में वितरित नहीं किया जा सका। इसके बाद अधिसूचना सं. 21-2014 सीइ(एन टी) दिनांकित 11.07.2014 के माध्यम से छ: माह बाद सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगने के कारण बाद में अधिसूचना सं. 6.2015 सीइ (एन टी) दिनांकित 01.03.2015 के तौर पर संशोधित किया गया था। पूर्वोक्त सेनवेट क्रेडिट की अनुपलब्धता के कारण सीएजी ने एक ज्ञापन दिया जो बाद में मसौदा पैरा में परिवर्तित हो गया। हालांकि हमारे टैक्स सलाहकार के परामर्श से मामले का विश्लेषण/ पुनरीक्षण किया गया था, जिसने अंतत: यह सामने आया कि इस तथ्य के कारण सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने की गुंजाइश थी कि (i)सेनवेट क्रेडिट के लाभ पर प्रतिबंध केवल आउटपुट सेवाओं के निर्माता या प्रस्तुत करने वाले के लिए लागू था न कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रिव्यूट पर और (ii) बराबर यह माना गया कि कार्यविधिक आधारपर सेनवेट क्रेडिट से इनकार नहीं किया जा सकता है, जब माल और सेवाओं पर क्रेडिट सैद्धांतिक रूप से क्रडिट के उपयुक्त थे। तदनुसार अक्टूबर, 2013 तक ₹ 30.48 करोड़ की राशि सेनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया, साथ ही 2013-14 तथा 2014-15 की शेष अवधि को वर्तमान विवरणियों (सितंबर, 2016 के ईआर 1 तथा अप्रैल-सितंबर, 2016 का एसटी 3) के माध्यम से केंद्रीय उत्पाद विभाग के क्षेत्राधिकार प्राधिकारी को पूरे तथ्यों का खुलासा करने की सूचना के साथ प्राप्त किया गया है।

₹30.48 करोड़ की सेनवेट क्रेडिट राशि को ईआर-1 रिटर्न में आगे बढ़ाया गया था और बाद में दिनांक 01.07.2017 से जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद जीएसटी टीआरएएन-01 के सीजीएसटी क्रेडिट में शामिल किया गया था और अक्टूबर, 2018 से फरवरी, 2019 तक की अवधि के लिए उक्त राशि का जीएसटीआर-३बी रिटर्न में पहले ही उपयोग किया जा चुका है तथा वर्तमान वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है।

(छ) मास्टर प्लान के तहत निधि

कंपनी को आग से निपटने और कंपनी पट्टाधृत कोयला धारित क्षेत्र/आग प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु बने मास्टर प्लान के लिए कोल इंडिया लिमिटेड से निधि प्राप्त होती है। यह कंपनी आग से निपटने और कंपनी के आवासों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए बनी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी है। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JRDA) बीसीसीएल आवासों में नहीं रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसमें बीसीसीएल एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। नोडल एजेंसी होने के नाते प्राप्त निधि को जेआरडीए को अग्रिम रूप में दे दिया जाता है और इस अग्रिम (टिप्पणी -11 में अन्य अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है) के साथ-साथ संबंधित निधि को जेआरडीए द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता विवरण के आधार पर समायोजित किया गया है। वर्तमान में जेआरडीए को 31 मार्च, 2021तक ₹198.14करोड़ (31 मार्च 2020 को ₹ 262.57करोड़) की राशि अग्रिम दी गई है और समायोजनके लिएजेआरडीए से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतिक्षाधीन है।

31 मार्च, 2021 को मास्टर प्लान के तहत अप्रयुक्त निधि की स्थिति निम्नलिखित है:

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
वर्ष/अवधि के आरंभ में मास्टर प्लान के तहत अप्रयुक्त निधि का आरंभिक शेष	313.17	326.05
अवधि/वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	269.00	15.44
अवधि/वर्ष के दौरान उपयोगिता/समायोजन	294.89	28.32
अप्रयुक्त निधि का अंत शेष	287.28	313.17

(ज) बट्टे खाते में डालना / प्रतिलेखन

क्षेत्रीय प्रबंधन द्वारा यथा अनुमोदित और आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किये गए जांच के अनुसार पुराने / अनलिंक्ड / स्थिर / बिना दावे के / गैर-वसूली देयताओं / अग्रिम आदि के लिए निम्नलिखित प्रितिलेखन / बट्टे खाते में डालने को 'नॉट पेयबल' / 'नॉट रियलाइजबल' के रूप में दर्शाया गया है और प्रोग्रेसिव माइंस क्लोजर व्यय के विरुद्ध प्रतिवर्ती को चालू वर्ष के वित्तीय विवरणियों में विचारित किया गया है। संबंधित प्रावधान के घाटे (राईट-ऑफ) एवं प्रतिलेखन (राईट-बैक) को बीसीसीएल बोर्ड द्वारा भी अनुमोदित कर दिया गया है।

(₹ ' करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	बट्टे खाते में डाली गयी / प्रतिलेखन की गयी राशि (वर्तमान वर्ष)		बट्टे खाते में डाली गयी / प्रतिलेखन की गयी राशि (गत वर्ष)	
1	प्रतिलेखन (क) देयताओं/प्रावधान (ख) प्रगतिशील एमसी व्यय	25	75.67 0.00	75.67	481.68 0.00	481.68
2	बट्टे खाते : (क) संदिग्ध अग्रिम (ख) अन्य	34	245.93 0.00	245.93	1.26 0.00	1.26
3	संबंधित प्रावधान का प्रतिलेखन: (क) संदिग्ध अग्रिम (खअन्य (	34	245.93 0.00	245.93	0.19 0.00	0.19
लाभप्रदता पर शुद्ध सकारात्मक प्रभाव				**75.67**		**480.61**

(झ) ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व (भारतीय लेखा मानक-115)

(I) जब प्राप्ति की निश्चितता होती है तो अन्य दावों का हिसाब लगाया जाता है। तदनुसार, भूली टाउन प्रशासन के किरायेदारों से प्राप्त होने वाले हाउस रेंट के उप-न्यायिक मामले में, राजस्व का नकद आधार पर हिसाब लगाया जाता है।

(II) कर प्राधिकरणों से ब्याज के साथ-साथ धनवापसी/समायोजन का हिसाब अंतिम आकलन/ धनवापसी के आधार पर किया जाता है।

(II) अंतिम नुकसान के आधार पर तरल क्षति और दंड की वसूली का हिसाब लगाया जाता है।

(IV) अलग-अलग राजस्व जानकारी

ग्राहकों के साथ अनुबंध से कंपनी के राजस्व का निर्धारित अंतर निम्नलिखित है:

(₹' करोड़ में)

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वस्तु या सेवा के प्रकार		
कोयला	6149.81	8967.56
अन्य	0.00	0.00
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय	**6149.81**	**8967.56**
ग्राहकों के प्रकार		
विद्युत क्षेत्र	4344.41	6984.21
गैर-विद्युत क्षेत्र	1805.40	1983.35
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय	**6149.81**	**8967.56**
अनुबंध के प्रकार		
एफएसए	4963.76	6788.58
ई-नीलामी	545.46	1577.34
अन्य	640.59	601.64
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय	**6149.81**	**8967.56**
वस्तु या सेवा का समय		
एक ही समय पर माल/सेवा का स्थानांतरण	6149.81	8967.56
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय	**6149.81**	**8967.56**

(ञ) लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, लेखा प्राक्कलन और त्रुटियों में परिवर्तन (भारतीय लेखा मानक 8)

कंपनी द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुरूप है।

"अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांकित 24 जुलाई, 2020 के अनुसार, भारतीय लेखा मानक 1 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुतिकरण में भौतिकता की परिभाषा को प्रतिस्थापित किया गया है। तदनुसार, महत्वपूर्ण लेखा नीति में भौतिकता पर नीति को संशोधित किया गया है। हालांकि उक्त परिवर्तन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।"

(ट) रिपोर्टिंग अवधि के बाद होने वाली घटनाएं (भारतीय लेखामानक 10)

रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजन या गैर-समायोजन की कोई घटना नहीं हुई।

(ठ) कोविड- 19 का प्रभाव

कंपनी कोविड- 19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए लगातार उपाय कर रही है और कार्य व्यवसाय में सुगमता हेतु कई उपाय किए हैं। कंपनी ने 31 मार्च, 2021 तक वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली सहित वित्तीय विवरण तैयार करने में महामारी के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन और उसके कामकाज पर परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव की बारीकी से निगरानी करती रहेगी।

(ड) हाल में की गई घोषणाएं

24 मार्च, 2021 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-3 में सेशोधन किया। अनुसूची III के संशोधित खंड I, II तथा III का संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से लागू है। कंपनी अपने वित्तीय विवरणों पर संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

(ढ) पूंजीगण संरचना में बदलाव

वर्तमान अवधि में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित इक्विटी शेयर पूंजी (100%) में कोई उतार-चढ़ाव नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2021-20 के दौरान, ₹ 2539.00 करोड़ (इससे पहले यहां भारतीय लेखा मानक के अनुसार शीर्ष उधार के तहत दिखाया गया है) का 5% गैर परिवर्तनीय संचय प्रतिदेय पूर्वाधिकार शेयर, जैसा कि सीआइएल (बीसीसीएल का 100% शेयर होल्डर) द्वारा अनुमोदित किया गया था, को समान राशि के इक्विटी शेयरों (प्रत्येक ₹ 1000.00) की समान संख्या में परिवर्तित किया गया था

पूर्ववती 5% गैर परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय पूर्वाधिकार शेयरों पर ₹ 888.65 करोड़ का सांकेतिक लाभांश बकाया नहीं था क्योंकि कंपनी संचित घाटा उठा रही थी।

(ण) कच्चे माल की कुल खपत (टिप्पणी 12)

(₹' करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
	रकम	उपभोग का कुल%	रकम	उपभोग का कुल%
1. वर्ष के दौरान वाशरियों में कच्चे कोयले की खपत				
आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वदेशी	781.61	100.00	509.40	100.00

(त) कोयले के स्टॉक का विवरण

(₹ करोड़ एवं मात्रा मीट्रिक टन में)

	31.03. 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03. 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आरंभिक स्टॉक	**8.01**	**1039.59**	**9.13**	**1144.57**
आरंभिक स्टॉक में समायोजन	0.12	31.86	0.00	0.00
उत्पादन	27.32	7407.41	29.27	9427.46
बिक्री	22.57	6149.81	28.66	8967.56
खुद की खपत	0.00	1.65	0.19	55.48
वाशरी कोयला के लिए प्रयुक्त कोयला	2.63	781.61	1.54	509.40
(कमी) / अधिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतिम बचा हुआ माल	**10.25**	**1545.79**	**8.01**	**1039.59**

(थ) पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया है वहां निम्नानुसार पुनः समूहीकृत तथा पुनर्व्यवस्थित किया गया है :

मद का विवरण	पुरानी टिप्पणी संख्या	पुनः समूहीकृत टिप्पणी संख्या	राशि [₹ करोड़ में]
प्रगतिशील खान बंदी पर किया गया व्यय	9 (गैर-वर्तमान)	10	234.86
प्रगतिशील खान बंदी पर किया गया व्यय	9 (वर्तमान)	11	111.11
दावे एवं प्राप्तियां	9 (वर्तमान)	तुलन पत्र	56.67
वेतन, मजदूरी एवं भत्तों के लिए दायित्व	19	20	667.63
प्रावधानों का प्रत्यावर्तन	33	25	221.76

(द) टिप्पणी 1 एवं 2 क्रमशः कॉरपोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को दर्शाता है। टिप्पणी सं. 3 से 23, 31 मार्च, 2021 तक के तुलन पत्र (बैलेंस शीट) का हिस्सा है और टिप्पणी सं. 24 से 37, 31 मार्च, 2021को समाप्त हो रहे वर्ष के लाभ-हानि के विवरण काहिस्सा है। टिप्पणी- 38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियों का दर्शाता है।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या – 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)
साझीदार
एम. संख्या - 402203

दिनांक: 26.05.2021
स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(पी. एम. प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन- 08073913

(समीरन दत्ता)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 08519303

(बी. के. बसाक)
महाप्रबंधक (वित्त/ प्रभारी)

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनीरत्न कंपनी)

कोयला भवन, कोयला नगर
धनबाद - 826005
झारखंड

www.bcclweb.in

Gautam Advertisement # +91 8149934697